Drishti IAS

एडिटोरियल

(संग्रह)

दिसम्बर 2024

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar,
Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

- उभरते साइबर खतरे और उनके निहितार्थ 3
- बदलती परमाणु व्यवस्था में भारत की स्थिति 13
- भारत में जल प्रबंधन को प्रभावी बनाना 22
- स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार 27
- भारत में मृदा क्षरण से निपटना 33
- लघुपक्षवाद से बदलती वैश्विक कूटनीति 38
- भारत के विनिर्माण क्षेत्र में सुधार 43
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 49
- एक राष्ट्र, एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ना 54
- सतत् पर्यटन की ओर मार्ग 66
- AI और भारत का कानूनी परिदृश्य 81
- भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र में सुधार 87
- भारत-रूस संबंधों की प्रगति 92
- ग्रामीण समुत्थानशक्ति और विकास 111
- भारत में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत 117
- भारत के आपदा सुरक्षा तंत्र का सुदृढ़ीकरण 124
- भारत के आपदा सुरक्षा तंत्र का सुदृढ़ीकरण 130
- भारत के वनों का पुनरुद्धार 135
- लिंग-संवेदनशील नीति-निर्माण 142
- भारत के लिये सेवा-आधारित विकास मॉडल 147
- अभ्यास प्रश्न 155

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

उभरते साइबर खतरे और उनके निहितार्थ

साइबर अपराध के लगातार विकसित होते परिदृश्य में, धोखेबाज़/घोटालेबाज़ (Fraudsters) डिजिटल कमज़ोरियों का फायदा उठाने के लिये तेज़ी से अधिक उन्नत तकनीक विकसित कर रहे हैं, जिसमें 'डिजिटल अरेस्ट' की आविष्कृत अवधारणा से लेकर व्हाट्सएप पर नकली शादी के निमंत्रण जैसी भ्रामक योजनाएँ शामिल हैं। जैसे-जैसे भारतीय इन उभरते खतरों से जूझ रहे हैं, **आभासी और वास्तविक दुनिया की धोखाधड़ी के बीच की सीमाएँ तेज़ी से धूमिल पड़ती** जा रही हैं, जिससे हमारे **डिजिटल बुनियादी अवसंरचना में कठिन प्रणालीगत चुनौतियाँ** सामने आ रही हैं। धोखाधड़ी का प्रसार **व्यापक डिजिटल जागरूकता** और **सख्त साइबर सुरक्षा तंत्र की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता** को रेखांकित करता है जिससे विकसित हो रही आपराधिक रणनीतियों का अनुमान लगाकर उन्हें बेअसर किया जा सकता है।

भारत में साइबर सुरक्षा के लिये वर्तमान फ्रेमवर्क क्या है?

- **विधायी उपाय:**
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT अधिनियम):** यह आधारभूत कानून **इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिये कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान** करता है और **साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से निपटता है।**
    - इसमें **डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिये संशोधन** किया गया है।
  - **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023: व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के** लिये अधिनियमित, यह अधिनियम व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण में **व्यक्तियों के अधिकारों और डेटा फिड्युशरीज़ के दायित्वों** को रेखांकित करता है।
    - यह वैध प्रसंस्करण, डेटा न्यूनीकरण और जवाबदेही पर ज़ोर देता है।
- **संस्थागत फ्रेमवर्क:**
  - **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के तहत कार्यरत, CERT-In कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
    - यह परामर्श जारी करती है, प्रशिक्षण आयोजित करती है तथा हितधारकों के बीच समन्वय को सुगम बनाती है।
  - **राष्ट्रीय क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर संरक्षण केंद्र (NCIIPC):** NCIIPC बिजली, बैंकिंग और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - यह इन परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिये रणनीतियाँ और नीतियाँ विकसित करता है।
  - **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): गृह मंत्रालय** द्वारा शुरू किया गया I4C एक समन्वित उपागम के माध्यम से साइबर अपराध को नियंत्रित करता है, जिसमें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं।
  - **साइबर स्वच्छता केंद्र:** फरवरी 2017 में स्थापित, साइबर स्वच्छता केंद्र का उद्देश्य राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के अनुरूप **बॉटनेट संक्रमण** तथा **मैलवेयर का पता लगाकर और उन्हें कम करके भारत में एक सुरक्षित साइबर पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।**
  - **साइबर सुरक्षित भारत:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की इस पहल की संकल्पना **साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने** और सभी सरकारी विभागों में **मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISOs) तथा अग्रिम पंक्ति के IT अधिकारियों की क्षमता निर्माण** के मिशन के साथ की गई थी।
- **रणनीतिक पहल:**
  - **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013:** यह नीति साइबरस्पेस को सुरक्षित करने, सुरक्षित कंप्यूटिंग वातावरण को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की अनुकूलता बढ़ाने के लिये दृष्टिकोण एवं रणनीतियों को रेखांकित करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024: इस अभ्यास में **साइबर रक्षा और घटना प्रतिक्रिया पर गहन प्रशिक्षण,** IT एवं OT प्रणालियों पर साइबर हमलों के लाइव-फायर सिमुलेशन तथा सरकार व उद्योग के हितधारकों के लिये सहयोगी मंच शामिल हैं।

- **क्षेत्र-विशिष्ट विनियम:**
  - **SEBI विनियमित संस्थाओं के लिये साइबर सुरक्षा और साइबर आघातसह फ्रेमवर्क:** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी यह फ्रेमवर्क विनियमित संस्थाओं को प्रतिभूति बाज़ारों की सुरक्षा के लिये सुदृढ़ साइबर सुरक्षा एवं साइबर आघातसह नीतियाँ स्थापित करने का अधिकार देता है।
  - दूरसंचार (महत्त्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024: नवंबर 2024 में पेश किया गया यह नियम **महत्त्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना (CTI) के रूप में चिह्नित दूरसंचार संस्थाओं को अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं डेटा का निरीक्षण करने** के लिये सरकारी अधिकृत कर्मियों को अभिगम प्रदान करने का आदेश देता है।

भारत के डिजिटल परिदृश्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख उभरते साइबर खतरे क्या हैं?

- **डिजिटल अरेस्ट घोटाले:** साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी का एक नया तरीका ईजाद किया है, जिसमें वे **कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण कर अनजान पीड़ितों में भय** उत्पन्न करते हैं।
  - व्यक्तियों से संपर्क कर ये धोखेबाज दावा करते हैं कि वे मनगढ़ंत अपराधों के लिये जाँच के दायरे में हैं, तथा फर्जी गिरफ्तारी से बचने के लिये उन्हें भारी जुर्माना भरने के लिये मज़बूर करते हैं।
  - **कानून प्रवर्तन से जुड़े प्राधिकार और पीड़ितों की डिजिटल साक्षरता की कमी** का फायदा उठाकर, ये घोटाले खतरनाक रूप से प्रभावी हो गए हैं।
  - वर्ष 2024 में, भारतीयों ने सामूहिक रूप से इस तरह के **"डिजिटल अटैक" धोखाधड़ी में ₹120.30 करोड़ का नुकसान उठाया।**
- **रैनसमवेयर हमले:** रैनसमवेयर हमले बढ़ गए हैं, जो **महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना और वित्तीय संस्थानों को निशाना बना रहे हैं,** जिससे परिचालन संबंधी व्यवधान एवं वित्तीय नुकसान हो रहा है।
  - **अगस्त 2024** में, **C-Edge टेक्नोलॉजीज़** पर रैनसमवेयर हमले ने लगभग 300 छोटे भारतीय बैंकों की भुगतान प्रणालियों को बाधित कर दिया, जिससे वित्तीय नेटवर्क में कमज़ोरियाँ उजागर हुईं।
  - इसके अलावा, दिल्ली में **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) पर वर्ष 2023** रैनसमवेयर अटैक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी अवसंरचना की कमज़ोरियों का उदाहरण है।
- **आपूर्ति शृंखला हमले:** साइबर अपराधी बड़े नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिये आपूर्ति शृंखलाओं की कमज़ोरियों का तेज़ी से फायदा उठा रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये **दिसंबर 2020** में, नेटवर्क प्रबंधन उपकरण प्रदान करने वाली एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी सोलरविंड्स को निशाना बनाकर किये गए एक वैश्विक साइबर हमले ने **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY),** और **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) सहित कई भारतीय संगठनों को प्रभावित किया।**
  - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 के प्रारंभिक नौ महीनों में भारत को साइबर धोखाधड़ी से **11,333 करोड़ रुपए** का नुकसान हुआ।
- **राज्य प्रायोजित साइबर जासूसी:** राष्ट्र-राज्य अभिकर्त्ता साइबर **जासूसी गतिविधियों को तेज़ कर रहे हैं,** संवेदनशील सरकारी और कॉर्पोरेट डेटा को निशाना बना रहे हैं।
  - **चीन से उत्पन्न एक साइबर हमले को वर्ष 2020 में मुंबई** में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती का कारण माना गया, जिससे शहर के महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना की कमज़ोरियाँ उजागर हुईं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **डीपफेक प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग:** AI-जनरेटेड **डीपफेक के दुरुपयोग** से गलत सूचना और धोखाधड़ी सहित कई गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं।
  - वर्ष 2024 की एक रिपोर्ट में डीपफेक को भारत में एक आसन्न खतरे के रूप में पहचाना गया है, जो जनता के विश्वास को कम करने और सूचनाओं में हेरफेर करने में सक्षम है।
  - **अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को** एक डीपफेक फिल्म में दिखाया गया, जो ऑनलाइन वायरल हो गई, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया।
- **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों का शोषण:** **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों को** व्यापक रूप से अपनाए जाने से **डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की भेद्यता बहुत** बढ़ गई है, जिससे साइबर अपराधियों के लिये नए अवसर उत्पन्न हो गए हैं।
  - इन उपकरणों में प्रायः सुदृढ़ सुरक्षा सुविधाओं का अभाव होता है तथा इनका उपयोग नेटवर्क में सेंध लगाने या दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को अंजाम देने के लिये आसानी से किया जाता है।
  - वर्ष 2024 में, **भारत में IoT-संबंधित साइबर हमलों में 59% की उल्लेखनीय वृद्धि** देखी गई, जो इस उभरते खतरे के पैमाने को रेखांकित करती है।
  - स्मार्ट घरों से लेकर कनेक्टेड औद्योगिक प्रणालियों तक, असुरक्षित IoT उपकरणों से जुड़े जोखिम बढ़ गए हैं।
- **क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन-आधारित साइबर धोखाधड़ी:** भारत में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग में तीव्र वृद्धि ने **परिष्कृत साइबर धोखाधड़ी तंत्र के लिये बड़े पैमाने पर एक नया, अनियमित परिदृश्य** तैयार कर दिया है।
  - **ब्लॉकचेन-आधारित प्लेटफॉर्म तेज़ी से जटिल पोंज़ी स्कीम्स, पंप-एंड-डंप हेरफेर** और **उन्नत मनी लॉन्ड्रिंग तकनीकों** का लक्ष्य बन रहे हैं जो नियामक ग्रे एरियाज़ का फायदा उठाते हैं।
  - बेंगलुरु स्थित **बिटकॉइन घोटाले** ने एक **हैकर, पुलिस अधिकारियों और एक साइबर विशेषज्ञ के बीच साँठ-गाँठ को उजागर किया, जिसमें 850 करोड़ रुपए** की क्रिप्टोकरेंसी का अवैध अंतरण, सबूतों से छेड़छाड़ तथा भ्रष्टाचार के आरोप शामिल थे।
- **डार्क वेब-सक्षम साइबर अपराध:** डार्क वेब चुराए गए डेटा और दुर्भावनापूर्ण टूल के अवैध व्यापार का केंद्र बना हुआ है।
  - हैकर्स डार्क वेब पर अनुकूलित मैलवेयर और रैनसमवेयर किट बेच रहे हैं, जिससे लेस-स्किल्ड खतरा उत्पन्न करने वाले लोगों के लिये परिष्कृत हमले सुलभ हो रहे हैं।
  - हाल ही में हुए एक सुरक्षा उल्लंघन ने **भारत में 750 मिलियन दूरसंचार उपयोगकर्त्ताओं के व्यक्तिगत डेटा** को उजागर कर दिया है, और यह डेटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है।

भारत में साइबर सुरक्षा परिदृश्य को बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **राष्ट्रव्यापी साइबर साक्षरता अभियान:** डिजिटल साक्षरता अभियान क्षेत्रीय भाषाओं में चलाए जाने चाहिये, **जिनका लक्ष्य ग्रामीण समुदायों एवं वरिष्ठ नागरिकों जैसी कमज़ोर आबादी को लक्षित करना हो।**
  - ये पहल उपयोगकर्त्ताओं को पहचान सत्यापित करना, धोखाधड़ी को पहचानना और सुरक्षित भुगतान प्रणाली का उपयोग करना सिखा सकती हैं।
  - स्कूलों, कॉलेजों और स्थानीय शासन निकायों के साथ साझेदारी से प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है।
- **IoT उपकरणों के लिये अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल: निर्माताओं** को IoT उपकरणों में **सिक्योरिटी-बाय-डिज़ाइन सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिये** लागू करने योग्य मानकों को प्रस्तुत किये जाने चाहिये।
  - इसमें फर्मवेयर अपडेट, एन्क्रिप्टेड संचार और टैम्पर-प्रूफ तंत्र शामिल हैं।
  - विनियामक प्राधिकरण से प्रमाणन **यह सुनिश्चित कर सकता है कि केवल सुरक्षित डिवाइस ही बाज़ार तक पहुँचें।** IoT जोखिमों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता उपभोक्ता स्तर पर सुरक्षा को और बढ़ाएगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **AI-संचालित खतरा खुफिया और प्रतिक्रिया प्रणाली: नेटवर्क ट्रैफ़िक का विश्लेषण करने, विसंगतियों की पहचान करने और खतरों का रियल टाइम रेस्पोंड करने** के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में AI-आधारित उपकरणों को तैनात किया जाना चाहिये।
  - इन प्रौद्योगिकियों में रैनसमवेयर हमलों का पूर्वानुमान लगाने तथा हमलों से पूर्व ही कमज़ोरियों को बेअसर करने की क्षमता है।
  - AI फोरेंसिक जाँच को भी बेहतर बना सकता है, जिससे घटनाओं पर तेज़ी से प्रतिक्रिया मिल सकती है। AI सिस्टम का नियमित परीक्षण सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
- **CERT-In की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना:** CERT-In के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिये, जिसमें **अंतर्राष्ट्रीय CERT और निजी क्षेत्र के साथ गहन सहयोग शामिल करने के साथ ही साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन** जैसे अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के साथ प्रयासों को संरेखित किया जाए।
  - **स्थानीय घटनाओं पर तेज़ी से प्रतिक्रिया के लिये क्षेत्रीय CERT हब** शुरू करने की आवश्यकता है। खतरे का पता लगाने और उन्नत फोरेंसिक के लिये CERT-In को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाना चाहिये।
  - संस्थागत आघातसहनीयता में सुधार के लिये सक्रिय रूप से परामर्श और अनुकरण अभ्यास जारी किये जाने चाहिये।
- **राष्ट्रीय डीपफेक डिटेक्शन और रेगुलेशन फ्रेमवर्क:** डीपफेक कंटेंट की रियल टाइम पहचान करने में सक्षम **एथिकल-AI उपकरण** विकसित करने की आवश्यकता है।
  - अद्यतन IT कानूनों के अंतर्गत **हानिकारक डीप फेक मीडिया के निर्माण और प्रसार के लिये दंड का** प्रावधान किया जाना चाहिये।
  - **ऐसे कंटेंट्स को चिह्नित करने और हटाने के लिये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म** के साथ सहयोग करने से इसके प्रसार को कम किया जा सकता है। जन जागरूकता अभियानों से लोगों को हेरफेर किये गए मीडिया को पहचानने के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिये।
- **ज़िला स्तरीय साइबर सुरक्षा प्रतिक्रिया इकाइयाँ:** प्रत्येक ज़िले में प्रशिक्षित कर्मियों और फोरेंसिक उपकरणों से सुसज्जित समर्पित साइबर सुरक्षा प्रकोष्ठों की स्थापना की जानी चाहिये।
  - ये इकाइयाँ **'डिजिटल अरेस्ट' धोखाधड़ी जैसे छोटे पैमाने के घोटालों से शीघ्रता से निपट सकती हैं** और बड़े मुद्दों के लिये CERT-In के साथ समन्वय कर सकती हैं।
  - सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम विश्वास का निर्माण कर सकते हैं तथा घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- **आपूर्ति शृंखला साइबर सुरक्षा प्रमाणन:** आपूर्ति शृंखला साझेदारों के लिये प्रमाणन प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हैं।
  - इसमें **नियमित ऑडिट, ब्लॉकचेन एकीकरण, सुरक्षित सॉफ्टवेयर विकास प्रथाएँ** और **एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल** शामिल हैं।
  - बड़े उद्यमों को विक्रेताओं से इन प्रमाणपत्रों की मांग करनी चाहिये। इससे छोटी इकाइयों के माध्यम से उल्लंघन के जोखिम कम हो जाते हैं।
- **क्रिप्टोकरेंसी विनियमन:** पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए **क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन** के लिये स्पष्ट विनियमन स्थापित किये जाने चाहिये।
  - **क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिये अनिवार्य KYC** और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम अवैध गतिविधियों को रोक सकती है।
  - विशेष क्रिप्टो फोरेंसिक इकाइयों को धोखाधड़ी का शीघ्रता से समाधान करना चाहिये।
- **अनिवार्य राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ऑडिट:** नियमित, सरकार द्वारा अनिवार्य ऑडिट महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना प्रणालियों में कमज़ोरियों की पहचान कर उन्हें ठीक कर सकते हैं।
  - **तनाव परीक्षण, प्रवेश परीक्षण और कर्मचारी प्रशिक्षण को** शामिल करने से व्यापक तत्परता सुनिश्चित होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग और उपयोगिताओं जैसे क्षेत्रों के लिये ये ऑडिट अनिवार्य होने चाहिये। बेहतर सुरक्षा के लिये संसाधन आवंटन को प्राथमिकता देने के लिये परिणामों का उपयोग किया जा सकता है।

- **स्टार्ट-अप्स के लिये साइबर स्वच्छता जागरूकता: स्टार्टअप्स के लिये** सरकार द्वारा समर्थित **साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम** शुरू किये जाने चाहिये।
  - साइबर सुरक्षा उपकरणों और सेवाओं तक रियायती अभिगम छोटे व्यवसायों को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में सक्षम बना सकती है।
  - **निम्न स्तरीय सुरक्षा स्वच्छता के ज़ोखिमों के बारे में जागरूकता अभियान** स्टार्टअप को सुरक्षा में निवेश को प्राथमिकता देने के लिये प्रेरित कर सकते हैं। क्षेत्र-विशिष्ट मार्गदर्शन प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है।
- **सक्रिय डार्क वेब मॉनिटरिंग: ऐसे उपकरणों में निवेश** किये जाने चाहिये जो **चोरी किये गए डेटा, अवैध सामान और मैलवेयर की बिक्री** के लिये डार्क वेब की सक्रिय रूप से निगरानी करते हैं।
  - **डार्क वेब गतिविधि से एकत्रित खुफिया जानकारी** से हमलों को रोका जा सकता है तथा कानून प्रवर्तन कार्यों को निर्देशित किया जा सकता है।
  - सार्वजनिक-निजी सहयोग से निगरानी क्षमताओं का विस्तार किया जा सकता है। समर्पित टास्क फोर्स को अभिनिर्धारित किये गए खतरों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिये।
- **बहु-कारक प्रमाणीकरण (MFA) प्रवर्तन:** केवल पासवर्ड पर निर्भरता कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रणालियों, सरकारी पोर्टलों और वित्तीय प्लेटफॉर्मों पर MFA को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।
  - व्यवसायों को सुरक्षा से समझौता किये बिना उपयोगकर्त्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिये अनुकूली MFA सिस्टम अपनाना चाहिये। इससे अनधिकृत पहुँच के ज़ोखिम कम हो जाते हैं।
- **शिक्षा क्षेत्र के लिये साइबर सुरक्षा:** स्कूलों और विश्वविद्यालयों में साइबर सुरक्षा जागरूकता और बचाव तंत्र शुरू किये जाने चाहिये। इसमें **नियमित बैकअप, सुरक्षित नेटवर्क और खतरों से निपटने के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शामिल है।**
  - राष्ट्रीय कार्यक्रम छोटे संस्थानों को अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिये संसाधन प्रदान कर सकते हैं। जागरूकता अभियानों में छात्रों को शामिल करने से साइबर सुरक्षा की संस्कृति का निर्माण होता है।
- **डेटा स्थानीयकरण मानदंडों को लागू करना:** यद्यपि **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** में डेटा स्थानीयकरण के प्रावधान शामिल हैं, लेकिन इन्हें **केवल कागज़ पर औपचारिकता मात्र** नहीं रहना चाहिये, बल्कि इन्हें अक्षरश: और भावनापूर्वक लागू किया जाना चाहिये।
  - यह अनिवार्य करना कि **महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील डेटा राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही संग्रहीत रहे,** नियंत्रण में सुधार कर सकता है और सुरक्षा ज़ोखिम को कम कर सकता है।
  - स्पष्ट अनुपालन रूपरेखा और उल्लंघन के लिये दंड लागू किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

साइबर अपराध के उभरते परिदृश्य के लिये एक **व्यापक और सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।** भारत को अपने साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने, **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और इन खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा** देने की आवश्यकता है। सख्त सुरक्षा उपायों में निवेश करके, कुशल कार्यबल का निर्माण करके और उभरते खतरों से आगे रहकर, भारत अपने डिजिटल भविष्य की रक्षा कर सकता है तथा अपने नागरिकों को साइबर हमलों के बढ़ते ज़ोखिमों से बचा सकता है।

MSP को विधिसम्मत बनाने के लाभ और नुकसान

भारत में कृषि संकट एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, किसान अपनी घटती आय, जलवायु परिवर्तन तथा उच्च इनपुट लागत से बढ़ते जोखिम को दूर करने के लिये **23 फसलों के लिये** न्यूनतम समर्थन

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मूल्य (MSP) **की विधिक गारंटी** की मांग कर रहे हैं। कानूनी रूप से अनिवार्य MSP व्यवस्था के राजकोषीय और मुद्रास्फीति संबंधी निहितार्थ इसे अव्यवहारिक बनाते हैं, जिससे **कमी मूल्य भुगतान (DPP) या प्रत्यक्ष आय सहायता** जैसे विकल्पों की मांग की जाती है। इन मांगों को पूरा करने के लिये किसानों की आय को संधारणीय कृषि पद्धतियों और खाद्य सुरक्षा अनिवार्यताओं के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है?

- **MSP: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली** वर्ष 1965 में **कृषि मूल्य आयोग (APC)** की स्थापना के साथ शुरू की गई थी, जिसे बाद में **कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) नाम** दिया गया।
  - यह प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसानों को मूल्य में भारी गिरावट से बचाने के लिये बाज़ार में हस्तक्षेप करने के लिये तैयार की गई थी।
- **MSP गणना:** CACP राज्य स्तर और राष्ट्रीय औसत दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक फसल के लिये उत्पादन लागत की तीन श्रेणियों की गणना करता है।
- **A2:** इसमें किसान द्वारा वहन की जाने वाली सभी प्रत्यक्ष लागतें शामिल हैं, जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मज़दूरी की लागत, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि।
- **A2+FL:** इस श्रेणी में अवैतनिक पारिवारिक श्रम के अनुमानित मूल्य को A2 लागतों में जोड़ा जाता है।
- **C2:** यह अधिक व्यापक लागत गणना है, जिसमें A2+FL के अतिरिक्त स्वामित्व वाली भूमि, किराया और अचल पूंजीगत परिसंपत्तियों पर ब्याज की लागत भी शामिल होती है।
  - सरकार का दावा है कि MSP अखिल भारतीय भारित **औसत उत्पादन लागत (CoP)** का **कम-से-कम 1.5 गुना** निर्धारित किया गया है, लेकिन इसकी गणना **A2+FL लागत के 1.5 गुना के आधार पर** की जाती है।
- **MSP के अंतर्गत आने वाली फसलें: MSP 23 अनिवार्य फसलों** के लिये पूर्व-निर्धारित मूल्य की गारंटी देकर किसानों की सहायता करता है। **तोरिया** (रेपसीड और सरसों पर आधारित) और **छिलका रहित नारियल** (कोपरा पर आधारित) के लिये अतिरिक्त MSP तय किये गए हैं।

MSP को वैध बनाने के पक्ष में तर्क क्या हैं?

- **बाज़ार की अस्थिरता से किसानों की सुरक्षा:** MSP को वैध बनाने से यह सुनिश्चित होता है कि **खुले बाज़ारों में अप्रत्याशित मूल्य उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को उचित मुआवज़ा मिले,** जिससे उन्हें अधिशेष उत्पादन या वैश्विक व्यापार गतिशीलता के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिलती है।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2024 में **आंध्र प्रदेश में टमाटर किसानों** को मूल्य अस्थिरता/हानि के कारण संकटपूर्ण बिक्री का सामना करना पड़ा, **विधिक MSP के साथ ऐसी असमानताओं से बचा जा सकता है।**
  - **85% से अधिक किसान या तो छोटे या सीमांत** हैं, जिनके पास औसतन लगभग **0.36 हेक्टेयर भूमि** है, जो **मूल्य अस्थिरता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील** हैं।
- **क्षेत्रीय और फसल समानता को बढ़ावा देना:** MSP को वैधानिक बनाने से कम प्रतिनिधित्व वाले राज्यों में किसानों के लिये उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करके और दलहन व तिलहन जैसी गैर-अनाज फसलों की खेती को बढ़ावा देकर **क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सकता है।**
  - बिहार और ओडिशा जैसे राज्य **वर्तमान में पंजाब और हरियाणा के प्रति खरीद के पूर्वाग्रह** के कारण हाशिये पर हैं।
  - उदाहरण के लिये, सत्र 2021-22 में खरीदे गए **गेहूँ का 80% तीन राज्यों: पंजाब, मध्य प्रदेश** और **हरियाणा** से था। **MSP को वैध बनाने से सभी क्षेत्रों में समान खरीद सुनिश्चित** करके इस असमानता को कम करने में मदद मिलेगी।
- **ग्रामीण संकट और किसानों की आत्म-क्षति को कम करना: दिसंबर, 2023** में जारी NCRB के आँकड़ों में बताया गया कि वर्ष 2022 में 6,083 कृषि मज़दूरों की आत्महत्या के परिणामस्वरूप **मृत्यु** हो गई।
  - **विधिक MSP** किसानों को एक **पूर्वानुमानित आय सुनिश्चित करके, ऋण पर निर्भरता कम करके** तथा **किसानों को होने वाले नुकसान की घटनाओं को कम करके ग्रामीण संकट को कम कर सकता है।**
- **कृषि निवेश को प्रोत्साहित करना:** विधिक MSP के माध्यम से सुनिश्चित रिटर्न के साथ, किसान **बेहतर बीज, प्रौद्योगिकियों और संधारणीय प्रथाओं में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित** होंगे।
  - उदाहरण के लिये, **गन्ने के लिये FRP** (सत्र 2023-24 की कीमत की तुलना में सत्र 2024-25 में 8% अधिक) ने **लाभप्रदता सुनिश्चित** की, **इनपुट में निवेश** को प्रोत्साहित किया और **उत्पादकता में वृद्धि** की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **बिचौलियों द्वारा शोषण को कम करना:** शांता कुमार समिति **की वर्ष 2015 की रिपोर्ट से** पता चलता है कि **केवल 6% किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित** होते हैं, जिसका अर्थ है कि **94% किसानों को MSP का अपेक्षित लाभ नहीं** मिलता है।
  - विधिक MSP से कृषि बाज़ारों पर हावी बिचौलियों की शोषणकारी प्रथाओं को दरकिनार किया जा सकता है।
- **जलवायु-संचालित कृषि जोखिमों से निपटना:** जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है, ऐसे में विधिक MSP **फसल हानि से प्रभावित किसानों के लिये आय स्थिरता** सुनिश्चित करता है।
  - उदाहरण के लिये, **बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं** ने वर्ष 2023 में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में 5.23 लाख हेक्टेयर से अधिक गेहूँ की फसल को नुकसान पहुँचाया है, जिससे कटाई में चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं तथा उपज के महत्त्वपूर्ण नुकसान की चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।
- **भारत के कृषि निर्यात को सुदृढ़ करना:** विधिक MSP फ्रेमवर्क एक पूर्वानुमानित मूल्य निर्धारण व्यवस्था प्रदान करता है, जिससे उत्पादन को वैश्विक मांग के अनुरूप बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।
  - उदाहरण के लिये, सत्र 2022-23 में, देश का चावल निर्यात कुल 11 बिलियन डॉलर था, जिसमें बासमती चावल के निर्यात मूल्य में सत्र 2023-24 के लिये **21.9% की उल्लेखनीय वृद्धि** हुई।
  - ऐसे उपायों से व्यापार असंतुलन कम हो सकता है तथा भारत की वैश्विक कृषि प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ सकती है।

MSP को वैध बनाने के विपक्ष में तर्क क्या हैं?

- **राजकोष पर राजकोषीय बोझ:** सभी पात्र फसलों पर कानूनी रूप से अनिवार्य MSP लागू करने से **सरकार के वित्त पर काफी दबाव** पड़ेगा।
  - **क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स** ने अनुमान लगाया है कि कृषि विपणन वर्ष 2023 में सरकार के लिये MSP गारंटी की 'वास्तविक लागत' लगभग 21,000 करोड़ रुपए रही है।
  - यह आँकड़ा **भारत के कुल बजटीय व्यय का एक बड़ा हिस्सा** दर्शाता है, जिससे राजकोषीय स्थिरता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **अनियमित बाज़ारों में कार्यान्वयन चुनौतियाँ: कृषि लेन-देन** का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा **विनियमित मंडियों के बाहर** होता है, जिससे विधिक MSP का प्रवर्तन जटिल हो जाता है।
  - महाराष्ट्र में वर्ष 2018 में **MSP को अनिवार्य करने के प्रयास के कारण व्यापारियों ने बहिष्कार** किया। यह विविध और अनौपचारिक बाज़ार चैनलों में MSP की निगरानी एवं उसे लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयों को उजागर करता है।
- **मुद्रास्फीति संबंधी दबाव:** विधिक MSP के माध्यम से फसलों की उच्च कीमतें अनिवार्य करने से **खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है,** जिससे उपभोक्ताओं, विशेषकर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
  - अर्थशास्त्रियों का कहना है कि **MSP में 1% की वृद्धि से मुद्रास्फीति में 15 आधार अंकों की वृद्धि** हो सकती है, जिससे समग्र आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निहितार्थ: MSP को वैध बनाना कृषि सब्सिडी पर** विश्व व्यापार संगठन (WTO) **के मानदंडों** के साथ टकराव उत्पन्न कर सकता है, जिससे संभावित रूप से व्यापार विवाद उत्पन्न हो सकता है।
  - भारत ने पहले भी चावल पर सब्सिडी सीमा को पार करने के लिये विश्व व्यापार संगठन (WTO) के पीस क्लॉज़ **का सहारा** लिया था, जो **अंतर्राष्ट्रीय परिणामों से बचने के लिये सब्सिडी नीतियों में आवश्यक नाज़ुक संतुलन** को दर्शाता है।
- **अकुशल संसाधन आवंटन का जोखिम:** विधिक MSP **किसानों को चावल और गेहूँ जैसी MSP समर्थित फसलों को असंगत रूप** से उगाने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे भूजल की कमी और मृदा के क्षरण जैसी समस्याएँ बढ़ सकती हैं।
  - पंजाब और हरियाणा ने वर्ष 2003 से 2020 के दौरान **17 वर्षों में 64.6 बिलियन क्यूबिक मीटर** भूजल खो दिया है। विधिक MSP से इस अस्थिर संसाधन उपयोग के बढ़ने का खतरा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **नकारात्मक पर्यावरणीय परिणाम:** MSP समर्थित एकल कृषि, विशेष रूप से **धान और गन्ना जैसी अधिक जल खपत वाली फसलों की,** जैवविविधता का ह्रास, मृदा लवणता तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से जुड़ी हुई है।
  - उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र में **गन्ने की कृषि में राज्य के सिंचाई जल का 70% खपत** होता है। विधिक MSP अनजाने में ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों को बढ़ा सकता है।
- **सरकारी खरीद तंत्र पर अत्यधिक बोझ:** MSP को वैध बनाने से **सार्वभौमिक खरीद की आवश्यकता** होगी, जिससे भंडारण क्षमता और वितरण प्रणाली पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा।
  - भारत का **खाद्यान्न उत्पादन 311 MMT** है, **लेकिन भंडारण क्षमता केवल 145 MMT** है, जिसके परिणामस्वरूप 166 MMT की कमी है। जबकि अन्य देशों में 131% अधिशेष भंडारण क्षमता है, **भारत को 47% की कमी का सामना** करना पड़ रहा है।
  - विधिक MSP के माध्यम से खरीद बढ़ाने से पहले से ही तनावग्रस्त इन प्रणालियों पर और अधिक दबाव पड़ेगा।
- **पूरक बाज़ार सुधारों का अभाव:** कानूनी MSP **कृषि बाज़ारों में गहन संरचनात्मक मुद्दों,** जैसे **अकुशल कृषि उपज बाज़ार समिति (APMC)** प्रणालियों और **प्रत्यक्ष किसान-बाज़ार संपर्कों की कमी** की भरपाई किये बिना मूल्य गारंटी पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  - APMC मंडियाँ कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, जिससे विशाल क्षेत्र विनियमित बाज़ारों तक अभिगम से वंचित रह जाता है।
  - उदाहरण के लिये, **भारत में प्रत्येक 496 वर्ग किलोमीटर पर केवल एक मंडी** है, जो कि राष्ट्रीय किसान आयोग की **प्रत्येक 80 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी की अनुशंसा से बहुत कम** है।

भारत में MSP प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **कमी मूल्य भुगतान (DPP) प्रणाली लागू करना:** सरकार प्रत्यक्ष अंतरण तंत्र के माध्यम से **किसानों को MSP और बाज़ार मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई कर सकती है।**
  - इससे बड़े पैमाने पर खरीद से बचने के कारण राजकोषीय बोझ कम हो जाता है, साथ ही किसानों को उचित मुआवज़ा मिलना भी सुनिश्चित होता है।
  - मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने **भावांतर भुगतान योजना का प्रयोग** करके इसकी व्यवहार्यता प्रदर्शित की है।
  - **रियल टाइम मूल्य ट्रैकिंग के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ संयुक्त रूप से** DPP को देश भर में लागू करने से आय के अंतर को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है।
- **विकेंद्रीकृत खरीद तंत्र को बढ़ावा देना: राज्य सरकारों और स्थानीय स्वयं सहायता समूहों** को शामिल करने के लिये खरीद को विकेंद्रीकृत करना व्यापक भौगोलिक कवरेज तथा समान लाभ वितरण सुनिश्चित करता है।
  - उदाहरण के लिये, **छत्तीसगढ़ में धान की विकेंद्रीकृत खरीद** स्थानीय किसानों को शामिल करने में सफल साबित हुई है।
  - विकेंद्रीकरण से खरीद में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सकता है, साथ ही केंद्रीय भंडारण प्रणालियों पर संभार-तंत्रीय दबाव को भी कम किया जा सकता है।
- **APMC को बढ़ावा देना: कृषि उपज बाज़ार समितियों (APMC)** का आधुनिकीकरण और उन्हें **e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) के साथ एकीकृत करने से पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार का निर्माण** हो सकता है, जो **गुजरात के APMC सुधारों व मॉडल APMC अधिनियम** पर आधारित होगा।
  - **APMC मंडियों की संख्या में वृद्धि, उनकी कार्यकुशलता में सुधार** तथा **किसानों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने** से उन्हें बिचौलियों के शोषण को कम करते हुए बेहतर कीमतों पर मोलभाव करने में सशक्त बनाया जा सकता है।
- **MSP प्रोत्साहन के माध्यम से फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना: दालों, तिलहन** और **कदन्न** के लिये उच्च MSP से चावल एवं गन्ने जैसी अधिक जल खपत वाली फसलों से ध्यान हटाया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह संधारणीय कृषि के लक्ष्यों के अनुरूप है तथा पर्यावरणीय क्षरण को कम करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष (2023) **में कदन्न (पोषक अनाजों) को बढ़ावा** देने वाले सरकारी कार्यक्रमों की सफलता विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और कृषि पारिस्थितिकी के लिये समर्थन के अनुरूप MSP की क्षमता को उजागर करती है।

- **जलवायु-अनुकूल समर्थन तंत्र:** जलवायु-अनुकूल MSP लागू किया जाना चाहिये, जिसमें **अनियमित वर्षा** और **कीटों के हमलों** जैसे जोखिमों को ध्यान में रखा जाए।
  - यह प्रणाली MSP निर्धारण को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना **(PMFBY)** जैसी **बीमा योजनाओं के साथ जोड़ सकती है,** ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील किसानों के लिये सुरक्षा कवच तैयार किया जा सके।
  - **सूखा सहिष्णु फसलों** के लिये **स्थानीय MSP** स्थापित करने से जलवायु-संबंधित फसल विफलताओं के आर्थिक प्रभाव को भी कम किया जा सकता है।
- **किसान उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ बनाना:** FPO संसाधनों को एकत्रित करने तथा छोटे और सीमांत किसानों के लिये बेहतर बाज़ार अभिगम सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
  - FPO को **MSP परिचालनों से जोड़ने** से सामूहिक सौदाकारी शक्ति सुनिश्चित होती है, बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है तथा प्रत्यक्ष बाज़ार संपर्क की सुविधा मिलती है।
  - यह उपागम **आत्मनिर्भर भारत** पहल के तहत **10,000 FPO गठन करने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप** भी है।
- **MSP के साथ संधारणीय प्रथाओं को एकीकृत करना: MSP को संधारणीय कृषि प्रथाओं** जैसे कि कम रासायनिक उर्वरक प्रयोग, फसल चक्र और जैविक कृषि **के पालन पर सशर्त** बनाए जाने की आवश्यकता है।
  - **स्थिरता मापदंडों से जुड़े 'हरित MSP'** के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करने से पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान हो सकता है।
  - **आंध्र प्रदेश में** शून्य बजट प्राकृतिक कृषि **(ZBNF)** जैसे पायलट कार्यक्रम देशव्यापी कार्यान्वयन का मार्गदर्शन कर सकते हैं।
- **आधुनिक भंडारण एवं भंडारण क्षमता का विस्तार: सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से आधुनिक भंडारण अवसंरचना** में निवेश करके अनाज संग्रहण की बहुत बड़ी कमी को दूर किया जा सकता है।
  - शीघ्र खराब होने वाली फसलों के लिये शीत भंडारण श्रृंखलाओं का विस्तार करने से बागवानी उत्पादों के लिये MSP कवरेज सुनिश्चित होता है।
  - उन्नत भंडारण सुविधाएँ **फसल-उपरांत नुकसान को न्यूनतम करती हैं** तथा **किसानों के लिये बेहतर मूल्य प्राप्ति** सुनिश्चित करती हैं।
- **MSP को निर्यात रणनीतियों के साथ एकीकृत करना: वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये** MSP नीतियों को **निर्यातोन्मुख उत्पादन के साथ संरेखित** किये जाने चाहिये।
  - MSP और गुणवत्ता प्रमाणीकरण द्वारा समर्थित **बासमती चावल** और **कुछ तिलहन** जैसी फसलों को प्रोत्साहित करने से कृषि निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है।
  - इससे घरेलू खरीद का राजकोषीय बोझ कम होता है और भारत का कृषि व्यापार संतुलन सुदृढ़ होता है।
- **फसल-विशिष्ट प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन इकाइयाँ विकसित करना: मूल्य संवर्द्धन बढ़ाने और बर्बादी को न्यूनतम करने के लिये** MSP-खरीदी गई फसलों को कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों से जोड़ने की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिये, प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में दलहन प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने से किसानों के लिये आय उत्पन्न हो सकती है और ग्रामीण रोज़गार का सृजन हो सकता है।
  - यह **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना** जैसी योजनाओं **के अनुरूप** है, जिसका उद्देश्य **फसल-उपरांत बुनियादी अवसंरचना को मज़बूत करना है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **रियल टाइम मूल्य निर्धारण के लिये तकनीकी समाधान:** **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों का** लाभ उठाकर ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित किये जा सकते हैं जो रियल टाइम बाज़ार मूल्यों की निगरानी करें और MSP कार्यान्वयन में पारदर्शिता प्रदान करें।
  - ये प्लेटफॉर्म **मूल्य प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान करने, किसानों को बेहतर फसल चयन में सहायता करने** और **बाज़ार शोषण को कम करने** में भी मदद कर सकते हैं।
- **गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिये श्रेणीबद्ध MSP प्रदान करना: फसल की गुणवत्ता** के आधार पर एक स्तरीय MSP संरचना लागू करने के साथ ही किसानों को बेहतर बीजों और कटाई के बाद की देखभाल में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, **प्रीमियम ग्रेड अनाज के लिये उच्च MSP निर्यात-गुणवत्ता वाली वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकता है।**
- **इनपुट सब्सिडी के स्थान पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का विस्तार करना: इनपुट सब्सिडी (उर्वरक, बीज) को सीधे नकद अंतरण में** शामिल करने से किसानों को सरकारी व्यय को कम करते हुए उत्पादन में लचीले ढंग से निवेश करने की सुविधा मिलती है।
  - **तेलंगाना की रयथु बंधु योजना** में सफलतापूर्वक संचालित इस मॉडल को देश भर में लागू किया जा सकता है तथा आय समर्थन सुनिश्चित करने के लिये इसे MSP गारंटी के साथ जोड़ा जा सकता है।
- **निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ाना: कार्यान्वयन की निगरानी, किसानों की शिकायतों का समाधान एवं समय पर भुगतान सुनिश्चित करने** के लिये समर्पित MSP निगरानी समितियों की स्थापना की जानी चाहिये।
  - **कृषि बाज़ारों के लिये एक सुदृढ़ प्रणाली** प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता ला सकती है।
- **उभरते कृषि क्षेत्रों के लिये MSP को बढ़ावा देना: MSP कवरेज का विस्तार करके इसमें क्विनोआ, अलसी** और **औषधीय पौधों** जैसी नई फसलें शामिल की जा सकती हैं, जो बदलती उपभोक्ता मांग एवं निर्यात क्षमता को प्रतिबिंबित करती है।
  - इससे किसानों के आय स्रोतों में विविधता आएगी और भारत की कृषि रणनीति वैश्विक रुझानों के अनुरूप होगी।

निष्कर्ष:

MSP को विधिसम्मत बनाने पर बहस **किसान कल्याण, राजकोषीय स्थिरता और खाद्य सुरक्षा के बीच जटिल अंतर्संबंध को उजागर करती है।** DPP, विकेंद्रीकृत खरीद, बाज़ार सुधार और संधारणीय प्रथाओं सहित एक संतुलित उपागम **किसानों तथा सरकार दोनों के लिये लाभ की स्थिति सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है। बाज़ार की खामियों, जलवायु जोखिमों और कम आय** के अंतर्निहित मुद्दों का समाधान करके, भारत एक सुदृढ़ तथा सतत् कृषि प्रणाली बना सकता है जो सभी हितधारकों को लाभान्वित करती है।

■■■

बदलती परमाणु व्यवस्था में भारत की स्थिति

वैश्विक परमाणु व्यवस्था का तेज़ी से पतन हो रहा है, जिसमें **रूस, चीन, अमेरिका** जैसी प्रमुख शक्तियाँ और उभरते हुए देश लंबे समय से चले आ रहे मानदंडों एवं अस्त्र नियंत्रण समझौतों को चुनौती दे रहे हैं। **रूस-यूक्रेन और इज़रायल-हमास संघर्ष** ने उल्लेखनीय रूप से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संयम के टूटने को उजागर किया है, जिसमें भू-राजनीतिक दबाव तथा युद्ध के मैदान में सैन्य धमकी के साधन के रूप में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है। भारत के लिये, यह उभरता हुआ परमाणु विकार विशेष रूप से एक **जटिल चुनौती** प्रस्तुत करता है, जिसमें **तेज़ी से अस्थिर होते जा रहे बहु-परमाणु पड़ोस** से इसकी रणनीतिक स्थिति पर संभावित दबाव बना हुआ है।

वैश्विक परमाणु व्यवस्था किस प्रकार विकसित हो रही है?

- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता परमाणु संतुलन को नया आयाम दे रही है:** अमेरिका-चीन सामरिक प्रतिस्पर्द्धा का तीव्र होना **वैश्विक स्तर पर परमाणु रुख को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- चीन का तेज़ी से परमाणु निर्माण, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों का विकास भी शामिल है, न्यूनतम प्रतिरोध रणनीति से बदलाव का संकेत देता है। यह **इंडो-पैसिफिक में अमेरिका की प्रतिरोध क्षमता को चुनौती** देता है।
- वर्ष 2024 तक **चीन के पास** कथित तौर पर **500 से अधिक क्रियाशील परमाणु अस्त्र** होंगे।
- ताइवान को अमेरिकी सैन्य सहायता और **AUKUS सहयोग में वृद्धि,** क्षेत्र में प्रति-संतुलन प्रयासों को दर्शाती है।

- **तकनीकी व्यवधानों से सामरिक अस्थिरता बढ़ रही है: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर वॉर** और **अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों** में प्रगति ने परमाणु कमान एवं नियंत्रण में कमज़ोरियों को बढ़ा दिया है।
  - उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ **पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश** (Mutually Assured Destruction- MAD) **के पारंपरिक सिद्धांतों को कमज़ोर कर रही हैं।**
  - उदाहरण के लिये, UK में महत्त्वपूर्ण उपस्थिति वाली एक इज़रायली रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी **एल्बिट सिस्टम्स** उन्नत रक्षा प्रणालियों को विकसित करने के लिये **AI का उपयोग करती है।**
  - जून 2024 में, **स्लिंगशॉट एयरोस्पेस** ने बड़े उपग्रह समूहों के भीतर संभावित खतरनाक अंतरिक्ष वाहनों का अभिनिर्धारण हेतु डिज़ाइन की गई AI-संचालित प्रणाली, **अगाथा** को विकसित करने के लिये **DARPA के साथ साझेदारी** की घोषणा की।
- **परमाणु अस्त्रों की दौड़ का उदय:** परमाणु अस्त्रों की दौड़ का पुनरुत्थान, **अप्रसार संधि (NPT) फ्रेमवर्क के विघटन में** स्पष्ट है, जिसमें गैर-अनुपालन बढ़ रहा है और विश्वसनीयता कम हो रही है।
  - संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) की सीमाओं से अधिक ईरान की परमाणु संवर्द्धन गतिविधियों ने अन्य देशों को **संधि की प्रभावकारिता पर सवाल उठाने के लिये प्रोत्साहित** किया है।
  - क्षेत्रीय तनाव इस मुद्दे को और बढ़ा देता है, क्योंकि **भारत-पाक प्रतिद्वंद्विता पाकिस्तान के सामरिक परमाणु अस्त्र** पर ध्यान केंद्रित करने तथा भारत द्वारा **अग्नि-V ICBM के विकास** के कारण तीव्र हो सकती है, जबकि **चीन द्वारा 500 परमाणु आयुधों** का तेज़ी से निर्माण करना **भारत के 172** तथा **पाकिस्तान के 170 से अधिक** है।
- **परमाणु अवसंरचना के लिये बढ़ता साइबर खतरा: कमज़ोर साइबर सुरक्षा उपायों का फायदा उठाने** की संभावना के कारण परमाणु सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ रही हैं।
  - परमाणु अवसंरचना पर साइबर हमले और दोहरे प्रयोग वाली प्रौद्योगिकियों के प्रसार से परमाणु आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है।
  - वर्ष 2009 में, **स्टक्सनेट मैलवेयर ने ईरान के लगभग पाँचवें परमाणु सेंट्रीफ्यूज़ को नष्ट कर दिया था** और कथित तौर पर इसका संबंध CIA तथा मोसाद से था।
- **बहुपक्षीय शस्त्र नियंत्रण एवं निरस्त्रीकरण संस्थाओं का क्षरण:** वैश्विक शस्त्र नियंत्रण व्यवस्थाएँ कमज़ोर हो रही हैं, क्योंकि प्रमुख शक्तियाँ बहुपक्षीय समझौतों को कमज़ोर कर रही हैं।
  - **निरस्त्रीकरण सम्मेलन (CD)** दशकों से रुका हुआ है, और **परमाणु अस्त्र निषेध संधि (TPNW)** को परमाणु-सशस्त्र राज्यों द्वारा नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।
- **सैन्य रणनीतियों में असैन्य परमाणु कार्यक्रमों का एकीकरण:** परमाणु प्रौद्योगिकी की दोहरी उपयोग प्रकृति का तेज़ी से दोहन किया जा रहा है।
  - दक्षिण कोरिया जैसे देश **असैन्य परमाणु क्षमताओं** को बढ़ा रहे हैं, जो गुप्त निवारक तंत्र के रूप में काम कर सकते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, **जापान ने फुकुशिमा आपदा के बाद** की देश की नीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए नेक्स्ट जनरेशन के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विकास और निर्माण की अपनी मंशा की घोषणा की है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

परमाणु अस्त्रों के उपयोग के संबंध में भारत का रुख क्या है?

- **परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग:** भारत **विद्युत ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा** और **उद्योग के लिये परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग** का पुरज़ोर समर्थन करता है। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिये एक स्थायी समाधान के रूप में परमाणु ऊर्जा पर ज़ोर देता है।
  - वर्ष 2023 तक, भारत 6,780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 22 परमाणु रिएक्टर संचालित करता है।
  - भारत **परमाणु सुरक्षा अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्त्ता** है।
- **नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी (NFU) के प्रति प्रतिबद्धता:** भारत **'नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी'** का पालन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि परमाणु अस्त्रों का प्रयोग केवल निवारक के रूप में तथा परमाणु हमले के प्रतिशोध में किया जाए।
  - **भारत के वर्ष 2003 के परमाणु सिद्धांत ने NFU नीति की पुन: पुष्टि की,** यद्यपि इसमें उभरते खतरों के प्रत्युत्तर में परिवर्तन की गुंजाइश छोड़ी गई।
  - भारत के परमाणु अस्त्र कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वसनीय न्यूनतम निवारण कायम रखना तथा **सामरिक स्थिरता सुनिश्चित करना है।**
- **परमाणु अप्रसार में सामरिक स्वायत्तता:** भारत **परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं** है, लेकिन इसकी भेदभावपूर्ण प्रकृति को अस्वीकार करते हुए इसके लक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ है।
  - भारत को वर्ष 2008 में **परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) द्वारा छूट** प्रदान की गई थी, जिसके तहत उसे NPT पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद परमाणु व्यापार में संलग्न होने की अनुमति दी गई थी।
  - भारत ने फ्राँस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, नामीबिया, कनाडा, अर्जेंटीना, कज़ाकिस्तान आदि के साथ **असैन्य परमाणु सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर** किये हैं।
- **वैश्विक अप्रसार पहल में सक्रिय भूमिका:** भारत सुदृढ़ घरेलू सुरक्षा उपायों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अप्रसार प्रयासों का समर्थन करता है।
  - इसने अपने असैन्य परमाणु संयंत्रों के लिये **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों के प्रति प्रतिबद्धता** जताई है।
  - भारत ने स्वेच्छा से कुछ असैन्य परमाणु सुविधाओं को IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत रखा है।
- **असैन्य और सामरिक आवश्यकताओं में संतुलन: भारत अपने असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और अपने सामरिक परमाणु शस्त्रागार** के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखता है।
  - भारत का स्वदेशी **त्रि-स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम थोरियम भंडार का लाभ उठाता है** तथा असैन्य परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता पर बल देता है।
  - **भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC)** जैसी सामरिक सुविधाएँ भारत के स्वदेशी विकास और आत्मनिर्भरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।
- **जलवायु लक्ष्यों में उभरती भूमिका:** भारत पेरिस समझौते के तहत अपनी **जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिये परमाणु ऊर्जा को महत्त्वपूर्ण मानता है।**
  - यह वर्ष 2070 तक अपने शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के हिस्से के रूप में अपने परमाणु ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार करने की योजना बना रहा है।
  - **भारत के विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान लगभग 3%** है, लेकिन अगले दशक में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है।

वैश्विक परमाणु व्यवस्था में बदलाव के कारण भारत के सामने क्या खतरे हैं?

- **वैश्विक अस्त्र नियंत्रण समझौतों का क्षरण:** न्यूस्टार्ट के **निलंबन** जैसी प्रमुख शस्त्र नियंत्रण संधियों के विघटन से परमाणु प्रसार और अस्त्रों की होड़ का माहौल बनता है, जिससे भारत के सुरक्षा परिदृश्य पर प्रभाव पड़ता है।
  - वैश्विक मानदंडों की कमी से **क्षेत्रीय अस्त्रों के निर्माण का जोखिम बढ़ गया है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **चीनी विरोध के कारण NSG में भारत की गैर-सदस्यता,** नागरिक उपयोग के लिये उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी तक उसकी पहुँच को सीमित करती है।

- **परंपरागत संघर्षों में सामरिक परमाणु खतरे:** पाकिस्तान का **'पूर्ण स्पेक्ट्रम निवारण (Full Spectrum Deterrence)' सिद्धांत** और सामरिक परमाणु अस्त्रों की तैनाती, परंपरागत संघर्षों के दौरान तनाव बढ़ने के जोखिम को बढ़ाती है।
  - क्षेत्रीय युद्ध में परमाणु उपयोग की संभावना क्षेत्रीय स्थिरता को कमज़ोर करती है।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों के कारण बढ़ी हुई भेद्यता:** हाइपरसोनिक मिसाइलों, साइबर युद्ध और AI-संचालित लक्ष्यीकरण प्रणालियों में प्रगति से भारत की भेद्यता बढ़ गई है।
  - महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना पर साइबर हमले, जैसे कि वर्ष 2019 में **भारत के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कथित मैलवेयर,** कमज़ोरियों को रेखांकित करते हैं।
- **बहुध्रुवीय विश्व में बदलते गठबंधन:** चीन-रूस रणनीतिक साझेदारी और पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रौद्योगिकी विनिमय जैसे उभरते गठबंधन भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा को अस्थिर कर सकते हैं।
  - इन साझेदारियों से **भारत के विरुद्ध साझा प्रौद्योगिकियाँ या समन्वित नीतियाँ बन सकती हैं।**
  - **रूस द्वारा बेलारूस में परमाणु क्षमता संपन्न इस्कंदर-एम मिसाइलों की तैनाती,** अतीत में परमाणु सहयोग के लिये पाकिस्तान को दिये गए रूसी समर्थन को प्रतिबिंबित करती है।
- **भारत की NFU नीति पर दबाव:** भारत की **'नो फर्स्ट यूज़' (NFU) नीति** चुनौतियों का सामना कर रही है, क्योंकि विरोधियों की ओर से बढ़ते खतरों के कारण इसमें पुन: समायोजन आवश्यक हो गया है।
  - **पाकिस्तान द्वारा सामरिक परमाणु तैनाती** और **चीन की आक्रामकता** भारत को अपनी **रक्षात्मक स्थिति पर पुनर्विचार** करने के लिये मजबूर कर सकती है।
- **परमाणु विकास से आर्थिक और पर्यावरणीय जोखिम:** वैश्विक परमाणु ऊर्जा नीतियों में बदलाव, साथ ही भारत की महत्त्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा विस्तार, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं।
  - संघर्ष क्षेत्रों (**जैसे- यूक्रेन में ज़पोरीज़िया**) **में परमाणु दुर्घटनाएँ** पड़ोसी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले परमाणु नतीज़ों के जोखिम को उजागर करती हैं।

बढ़ते परमाणु खतरे से निपटने के लिये भारत क्या कदम उठा सकता है?

- **भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ और आधुनिक बनाना:** भारत को अपने परमाणु शस्त्रागार के आधुनिकीकरण में निवेश करना चाहिये जिसमें **हाइपरसोनिक मिसाइलों** और **मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री व्हीकल (MIRV)** प्रौद्योगिकियों जैसे उन्नत वितरण प्रणालियों का विकास शामिल है।
  - इससे चीन और पाकिस्तान से उत्पन्न खतरों के विरुद्ध एक विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता सुनिश्चित होगी।
  - **INS अरिहंत श्रेणी** का लाभ उठाते हुए, सर्वाइवेबल सेकंड-स्ट्राइक क्षमता के लिये पनडुब्बी से प्रक्षेपित **बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) प्रणालियों को उन्नत** किया जाना चाहिये।
- **परमाणु अवसंरचना के लिये साइबर सुरक्षा में सुधार:** साइबर हमलों के जोखिमों को कम करने के लिये, भारत को **अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल** लागू करना चाहिये और परमाणु अवसंरचना को डिजिटल खतरों से बचाने के लिये एक समर्पित एजेंसी की स्थापना करनी चाहिये।
  - नियमित ऑडिट, सिमुलेशन और वैश्विक साइबर सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग आवश्यक है।
  - कुडनकुलम मैलवेयर हमले (वर्ष 2019) जैसी घटनाओं से सबक लेकर **AI-संचालित निगरानी प्रणालियों को एकीकृत** किये जाने की आवश्यकता है।
- **नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी (NFU) का पुनर्मूल्यांकन और परिशोधन: NFU** को आधारशिला के रूप में बनाए रखते हुए, भारत को रणनीतिक अस्पष्टता को बढ़ाने और विरोधियों

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

को अपनी रक्षात्मक स्थिति का फायदा उठाने से रोकने के लिये अपने परमाणु सिद्धांत में सशर्त लचीलापन लाना चाहिये।

- यह सुधार पाकिस्तान द्वारा सीमित परमाणु उपयोग या चीन की आक्रामक परमाणु नीतियों को रोक सकता है।
- जैविक या रासायनिक हमलों जैसे **गैर-परमाणु खतरों के प्रत्युत्तर में "बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई" के लिये शर्तों** को स्पष्ट किया जाना चाहिये।

- **परमाणु प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास में तेज़ी लाना:** भारत को थोरियम आधारित रिएक्टरों पर ज़ोर देते हुए **अपने तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम को तेज़ी से आगे बढ़ाकर** परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देनी चाहिये।
  - इससे आयात पर निर्भरता कम होती है और वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के बीच समुत्थानशीलता सुनिश्चित होती है।
  - थोरियम उपयोग के लिये **उन्नत भारी जल रिएक्टर (AHWR) परियोजनाओं का** विस्तार किया जाना चाहिये।
  - परमाणु ऊर्जा उत्पादन को विकेंद्रित करने के लिये **अगली पीढ़ी के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR)** के लिये अनुसंधान एवं विकास में निवेश किया जाना चाहिये।
- **परमाणु कमान और नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना:** भारत को संकट के दौरान प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिये अपने **परमाणु कमान और नियंत्रण बुनियादी अवसंरचना को उन्नत करना चाहिये।**
  - इसमें संचार प्रणालियों में सुधार करना तथा इसके नेतृत्व एवं महत्त्वपूर्ण परिसंपत्तियों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करना शामिल है।
  - प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिये AI-आधारित पूर्व-चेतावनी प्रणालियों को शामिल किया जाना चाहिये।
- **वैश्विक शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण का समर्थन:** भारत को हाइपरसोनिक मिसाइलों और AI-संचालित अस्त्र प्रणालियों जैसे **उभरते खतरों से निपटने के लिये अस्त्र नियंत्रण** पर एक नए वैश्विक फ्रेमवर्क का समर्थन करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिये।
  - इससे भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता बढ़ती है और यह परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
  - वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिये **राजीव गांधी कार्य योजना (वर्ष 1988) पर चर्चा को** पुनर्जीवित किया जाना चाहिये।
  - अस्थिरता उत्पन्न करने वाली प्रौद्योगिकियों पर प्रतिबंध लगाने के लिये आम सहमति बनाने हेतु **G-20 जैसे मंचों पर समान विचारधारा वाले देशों** के साथ सहयोग किया जाना आवश्यक है।
- **सामरिक लाभ के लिये क्वाड और अन्य क्षेत्रीय गठबंधनों का लाभ उठाना:** क्वाड और इसी तरह के मंचों के माध्यम से भारत खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त सैन्य अभ्यास एवं समुद्री सुरक्षा को **बढ़ाकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में परमाणु जोखिमों का समाधान कर सकता है।**
  - **क्वाड के वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में परमाणु जोखिम शमन अभ्यास को** शामिल किया जाना चाहिये।
  - क्षेत्र में **परमाणु आपूर्ति शृंखला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये जापान और ऑस्ट्रेलिया** के साथ साझेदारी की जानी चाहिये।
- **परमाणु नीति में जन जागरूकता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना:** भारत को अपने नागरिकों को **परमाणु सुरक्षा एवं इसके रणनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में शिक्षित करना चाहिये ताकि जनता का विश्वास सुनिश्चित हो सके** और संकट के दौरान घबराहट को रोका जा सके।
  - नीति में पारदर्शिता राष्ट्रीय एकता को बढ़ाती है और विरोधियों को गलत सूचना का फायदा उठाने से रोकती है।
  - परमाणु सुरक्षा के लिये बहुपक्षीय कूटनीति का लाभ उठाने पर आवधिक लेख प्रकाशित किया जाना चाहिये।
- **परमाणु सुरक्षा के लिये बहुपक्षीय कूटनीति का लाभ उठाना:** वैश्विक परमाणु सुरक्षा और संरक्षा मानकों को बढ़ाने, अनुपालन तथा सहयोग सुनिश्चित करने के लिये **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)** के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG)** में भारत के समावेश को सुनिश्चित करने तथा **उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों तक पहुँच को सक्षम करने के लिये इसमें सुधार** किये जाने चाहिये।
- हाइपरसोनिक मिसाइल प्रसार और AI-संचालित परमाणु प्रणालियों जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के साथ सहयोग करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

वैश्विक परमाणु व्यवस्था में उथल-पुथल भारत के लिये बड़ी चुनौतियाँ पेश कर रही है। इस जटिल परिदृश्य से निपटने के लिये भारत को अपनी **परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को प्रबल करना होगा, अपने शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करना होगा और साइबर सुरक्षा में निवेश करना होगा।** साथ ही, भारत को **वैश्विक अस्त्र नियंत्रण को पुनर्जीवित करने और परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की स्थापना के लिये कूटनीतिक प्रयासों में शामिल होना** चाहिये। रणनीतिक स्वायत्तता एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच संतुलन बनाकर भारत अपने सुरक्षा हितों की रक्षा कर सकता है और एक अधिक स्थिर एवं शांतिपूर्ण विश्व में योगदान दे सकता है।

■■■

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की पुनर्कल्पना

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वैश्विक प्लास्टिक संधि के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण **पर नियंत्रण** का वैश्विक प्रयास गतिरोध पर पहुँच गया है, जिससे इस पर्यावरणीय खतरे से निपटने के तरीके पर देशों के बीच गहन मतभेद सामने आए हैं। जबकि विकसित देश और द्वीप राष्ट्र प्लास्टिक के व्यापक पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने के लिये **सख्त उत्पादन कटौती के पक्षधर** हैं जिनमें **भारत सहित कई विकासशील देश ऐसे उपायों का विरोध करते हैं, उन्हें आर्थिक खतरे के रूप में देखते हैं।** भारत की वर्तमान प्लास्टिक पुनर्चक्रण क्षमता उसके **वार्षिक प्लास्टिक उत्पादन का केवल एक तिहाई** है, जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये एक व्यापक और सक्रिय दृष्टिकोण की बहुत बड़ी आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारत में प्लास्टिक पर अत्यधिक निर्भर रहने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

- **पैकेजिंग उद्योग: भारत की प्लास्टिक व्यय का लगभग 59% हिस्सा** पैकेजिंग उद्योग के लिये ज़िम्मेदार है तथा यह क्षेत्र किफायत और लागत प्रभावशीलता के लिये सख्त व लचीले दोनों प्रकार के प्लास्टिक पर निर्भर करता है।
  - ई-कॉमर्स **और खुदरा व्यापार** में वृद्धि ने प्लास्टिक पैकेजिंग की मांग को बढ़ा दिया है।
  - उदाहरण के लिये, कोविड-19 महामारी के दौरान प्लास्टिक पैकेजिंग के व्यापक उपयोग से आवश्यक वस्तुओं के सुरक्षित वितरण में सुविधा हुई।
- **भवन एवं निर्माण:** यह क्षेत्र संक्षारण प्रतिरोध और दीर्घजीविता के कारण **पाइपों, इंसुलेशन और फिटिंग्स में प्लास्टिक का प्रयोग** करता है।
  - सरकार की **'सभी के लिये आवास' पहल** ने किफायती आवास परियोजनाओं में प्लास्टिक सामग्री के प्रयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे निर्माण दक्षता बढ़ी है और लागत कम हुई है।
- **ऑटोमोटिव उद्योग:** प्लास्टिक **ऑटोमोटिव घटकों** जैसे डैशबोर्ड, बंपर और ईंधन टैंक के निर्माण में अभिन्न अंग है, जो इनका वज़न कम रखने एवं ईंधन दक्षता में सहायता करता है।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की ओर बढ़ते रुझान ने बैटरी की आयु और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिये हल्के प्लास्टिक पदार्थों के अंगीकरण में तेज़ी ला दी है।
  - टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अपने EV मॉडलों में उन्नत प्लास्टिक कंपोज़िट को शामिल किया है।
- **कृषि: कृषि क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ग्रीनहाउस फिल्म** और **मल्चिंग** जैसे अनुप्रयोगों में प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, जिससे जल संरक्षण एवं फसल की उपज बढ़ती है।
  - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देती है, जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार के लिये प्लास्टिक आधारित समाधानों की मांग बढ़ रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **स्वास्थ्य देखभाल: प्लास्टिक चिकित्सा उपकरणों, डिस्पोज़ेबल्स और पैकेजिंग** के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण है, जिससे स्वच्छता व रोगी सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
  - **कोविड-19 महामारी ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट, सिरिंज** और **वैक्सीन शीशियों** के निर्माण में प्लास्टिक के महत्त्व को रेखांकित किया, जिससे देश भर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण प्रयासों में सुविधा हुई।

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट के कुप्रबंधन से क्या चुनौतियाँ उभर रही हैं?

- **पर्यावरण क्षरण:** भारत में **प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा प्रतिवर्ष लगभग 9.3 मिलियन टन** है, जिसमें से **40% एकत्रित नहीं किया जाता** है, जिससे नदियों, मिट्टी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
  - **गंगा** जैसी नदियाँ **वैश्विक नदी प्लास्टिक प्रदूषण में बहुत बड़ा योगदान देती हैं,** जिससे जलीय जैवविविधता और खाद्य श्रृंखला बाधित होती है।
  - प्लास्टिक को विघटित होने में 500-1000 वर्ष लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पेयजल स्रोतों में सूक्ष्म प्लास्टिक संदूषण हो जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट: प्लास्टिक अपशिष्टों का खुले में दहन के कारण श्वसन संबंधी बीमारियों** में बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि इससे **डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन** जैसे हानिकारक कैंसरकारी रसायन उत्सर्जित होते हैं।
  - इसके अतिरिक्त **जल, सी-फूड और नमक** के माध्यम से मानव खाद्य श्रृंखला में माइक्रोप्लास्टिक्स की प्रविष्टि से **अंत:स्रावी व्यवधान एवं बाँझपन** जैसे दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं।
  - वर्ष 2024 में **जल निकायों में मुक्त किये जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक के शीर्ष 4 योगदानकर्त्ताओं में भारत** शामिल होगा।
- **आर्थिक बोझ:** भारत **अपने प्लास्टिक अपशिष्ट का 60% पुनर्चक्रण** करता है जो **वैश्विक औसत 9% से बहुत अधिक** है।
  - हालाँकि यह मुख्य रूप से **अनौपचारिक क्षेत्र** द्वारा संचालित है, जिसमें **1.5 मिलियन कूड़ा बीनने वाले लोग** खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं, जिनके पास स्वास्थ्य देखभाल, बीमा या उचित मज़दूरी की बहुत कम सुलभता है।
  - इससे **सामाजिक-आर्थिक हाशिये पर बने रहने की प्रवृत्ति** कायम रहती है। इसके अलावा, **प्लास्टिक प्रदूषण से भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ता है,** क्योंकि इससे मत्स्यिकी, पर्यटन राजस्व और शहरी बुनियादी अवसंरचना को नुकसान पहुँचता है।
- **नियामक अंतराल: जुलाई 2022 में कुछ एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक** पर प्रतिबंध और **विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) विनियमों की स्थापना के बावजूद,** सीमित निगरानी एवं प्रवर्तन के कारण अनुपालन कमज़ोर बना हुआ है।
  - छोटे पैमाने के निर्माता, जो प्लास्टिक उद्योग का 90% हिस्सा हैं, उच्च अनुपालन लागत का सामना करते हैं, **जिसके परिणामस्वरूप प्रतिरोध होता है और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की ओर अप्रभावी संक्रमण** होता है।
  - विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की नई रिपोर्ट में **70,000 फर्ज़ी प्रमाण-पत्रों, प्रमुख प्रदूषकों के कम पंजीकरण** तथा **प्लास्टिक कटलरी** जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं का उत्पादन जारी रहने का खुलासा किया गया है।
- **जलवायु परिवर्तन संबंध:** प्लास्टिक **पेट्रोलियम आधारित** है और **इसका उत्पादन और भस्मीकरण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का बहुत बड़ा कारण** है। पैकेजिंग, कृषि (जैसे- प्लास्टिक मल्चिंग अर्थात् पौधों के चारों ओर की भूमि को प्लास्टिक फिल्म से व्यवस्थित रुप से ढकने की प्रक्रिया) और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में प्लास्टिक पर भारत की बढ़ती निर्भरता देश के कार्बन फूटप्रिंट को बढ़ाती है।
  - इसके अतिरिक्त, ऊर्जा-गहन पुनर्चक्रण प्रक्रियाएँ **पेरिस समझौते के तहत भारत के जलवायु लक्ष्यों को कमज़ोर करती हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ: भारत को प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने में** महत्वपूर्ण व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोजमर्रा की खपत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक की व्यवहार्यता गहन है।
  - वैकल्पिक उपायों और उचित अपशिष्ट पृथक्करण के बारे में जन जागरूकता अपर्याप्त है, जिससे सरकारी पहलों की सफलता सीमित हो रही है।
  - सांस्कृतिक प्रथाओं, जैसे **त्योहारों के दौरान बड़े पैमाने पर प्लास्टिक-उपभोग**, के कारण प्लास्टिक अपशिष्ट में मौसमी वृद्धि भी होती है, जिससे नगरपालिका प्रणाली पर बोझ पड़ता है।
  - बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने वर्ष 2024 में गणेश चतुर्थी के बाद मुंबई के सात समुद्र तटों से **363 मीट्रिक टन (MT) ठोस अपशिष्ट एकत्र** किया।
- **सर्कुलर इकॉनमी समाधानों का अभाव:** भारत का अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी अवसंरचना **बढ़ते प्लास्टिक बोझ से निपटने के लिये अपर्याप्त** बना हुआ है।
  - केवल **12-15% प्लास्टिक अपशिष्ट का ही वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण** किया जाता है, जबकि शेष को लैंडफिल या जलमार्गों में डाल दिया जाता है।
  - **पायरोलिसिस और बायोप्लास्टिक्स** जैसी नवीन प्रौद्योगिकियाँ, जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार कर सकती हैं, **उच्च लागत एवं अपर्याप्त सार्वजनिक-निजी भागीदारी के कारण कम उपयोग की जाती हैं।**

भारत में वर्तमान प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन फ्रेमवर्क क्या है?

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016: अपशिष्ट उत्पादन को कम करने, कूड़ा-अपशिष्ट फैलाने से रोकने और पृथक्करण तथा उचित निपटान सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसने उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों के लिये विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) की शुरुआत की है। प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई बढ़ाकर 50 माइक्रोन कर दी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को भी कार्यान्वयन के लिये शामिल किया गया है।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018:** इसके तहत गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-ऊर्जा पुनर्प्राप्ति योग्य या गैर-पुन: प्रयोज्य बहु-स्तरित प्लास्टिक (MLP) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना शामिल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के तहत उत्पादकों के लिये पंजीकरण प्रणाली शुरू की गई है।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021:** वर्ष 2022 तक विशिष्ट एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना तथा पैकेजिंग अपशिष्ट के लिये EPR अनिवार्य करना शामिल है। दिसंबर 2022 तक कैरी बैग की मोटाई बढ़ाकर 120 माइक्रोन करना शामिल है।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022:** यह अनिवार्य पुनर्चक्रण एवं पुन: उपयोग लक्ष्य निर्धारित करता है, गैर-अनुपालन के लिये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाता है, और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024:** निर्माताओं और आयातकों के लिये पंजीकरण, रिपोर्टिंग एवं प्रमाणन आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। 'आयातकर्त्ता' एवं 'उत्पादक' की परिभाषाओं का विस्तार करता है, बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक के लिये प्रमाणन को अनिवार्य बनाता है तथा उपभोक्ता-पूर्व प्लास्टिक अपशिष्ट की रिपोर्टिंग की आवश्यकता शामिल है।

प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण को सुदृढ़ बनाना: प्रभावी पुनर्चक्रण और निपटान** के लिये घरेलू एवं संस्थागत स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक् करना आवश्यक है।
  - प्रोत्साहन और सख्त दंड के साथ समुदाय-आधारित मॉडल को लागू करने से बेहतर अनुपालन सुनिश्चित हो सकता है।
  - शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को अपशिष्ट पृथक्करण और प्रसंस्करण पर नज़र रखने के लिये **डिजिटल निगरानी उपकरणों में निवेश करने हेतु सुसज्जित एवं वित्तपोषित** किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण के लिये, **इंदौर जैसे शहरों ने** व्यापक जागरूकता और निगरानी के माध्यम से **100% स्रोत पृथक्करण लक्ष्य** प्राप्त किया जो आज भारत में शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिये एक मॉडल बन चूका है।

- **पुनर्चक्रण अवसंरचना और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना: मशीनीकृत पुनर्चक्रण इकाइयों** का विस्तार **तथा पायरोलिसिस और रासायनिक पुनर्चक्रण जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण** प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण दरों में सुधार कर सकता है।
  - **स्टार्टअप्स और अनौपचारिक क्षेत्र** के साथ साझेदारी से रीसाइक्लिंग में नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है।
  - **रिलायंस** भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट आधारित पायरोलिसिस तेल को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित करके **अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और कार्बन प्रमाणन (ISCC) प्लस प्रामाणित चक्रीय पॉलिमर में बदलने वाली पहली कंपनी** बन गई है, जो एक आदर्श के रूप में काम कर सकती है।

- **बायोडिग्रेडेबल और वैकल्पिक पदार्थों को बढ़ावा देना: बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और जूट, पटसन एवं बाँस आधारित पैकेजिंग** जैसे विकल्पों के लिये अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश करने से पारंपरिक प्लास्टिक पर निर्भरता कम हो सकती है।
  - पर्यावरण अनुकूल स्टार्टअप के लिये सरकारी सब्सिडी और कर लाभ इन विकल्पों के उद्योग को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
  - इन विकल्पों के बारे में उपभोक्ता और व्यवसायिक शिक्षा भी आवश्यक है।

- **विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) फ्रेमवर्क को मज़बूत करना:** EPR के सख्ती से अनुपालन को अनिवार्य बनाना उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को उनके द्वारा उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण एवं पुनर्चक्रण के लिये वित्तपोषण सुनिश्चित करता है।
  - **नियमित ऑडिट और डिजिटल ट्रैकिंग टूल** जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं। गैर-अनुपालन के लिये वित्तीय दंड और लक्ष्य से अधिक काम करने पर प्रोत्साहन की शुरुआत की जानी चाहिये।
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने अपशिष्ट टायर प्रबंधन को बढ़ाने के लिये नए **पर्यावरण क्षतिपूर्ति (EC) दिशानिर्देशों को मंज़ूरी दे दी है।**
    - **अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने वाले निर्माताओं को प्रति किलोग्राम बेकार टायरों पर 8.40 रुपए** तक का जुर्माना देना होगा, जो अन्य क्षेत्रों के लिये एक मॉडल बन सकता है।

- **अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन में एकीकृत करना:** भारत का अनौपचारिक क्षेत्र अपने प्लास्टिक अपशिष्ट का बड़ा हिस्सा पुनर्चक्रित करता है, लेकिन श्रमिकों के पास प्राय: सुरक्षा उपकरण, उचित मज़दूरी या वित्तीय स्थिरता का अभाव होता है।
  - **प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरण प्रदान करके तथा उन्हें ULB अनुबंधों में एकीकृत करके** इस क्षेत्र को औपचारिक रूप देने से सामाजिक समानता सुनिश्चित करते हुए दक्षता में सुधार किया जा सकता है।
  - अपशिष्ट सहकारी समितियाँ और सूक्ष्म वित्त पोषण विकल्प इन श्रमिकों को सशक्त बना सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **पुणे स्थित SWaCH 3,000 से अधिक अपशिष्ट/कूड़ा बीनने वालों को रोज़गार** देता है, सम्मानजनक आजीविका भी प्रदान करता है तथा प्रतिवर्ष 50,000 टन अपशिष्ट का प्रसंस्करण करता है।

- **प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण का लाभ उठाना:** EPR अनुपालन पर नज़र रखने के लिये AI-संचालित छँटाई मशीनों, GPS-सक्षम अपशिष्ट संग्रह प्रणालियों और ब्लॉकचेन की इंस्टॉलेशन से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
  - **संग्रहण, प्रसंस्करण** और **पारिस्थितिकी तंत्र में उत्सर्जन** के रियल टाइम डेटा निर्णय लेने तथा संसाधन आवंटन में सुधार कर सकते हैं।
  - नागरिक सहभागिता के लिये मोबाइल ऐप्स पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र विकसित करना:** अपशिष्ट-से-ऊर्जा (WTE) संयंत्रों **की स्थापना** से गैर-पुनर्चक्रणीय प्लास्टिक अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे लैंडफिल दबाव कम हो सकता है और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान मिल सकता है।
  - दहन के दौरान विषाक्त गैस उत्सर्जन को रोकने के लिये कड़े पर्यावरण नियंत्रण आवश्यक हैं।
    - सार्वजनिक-निजी भागीदारी इन संयंत्रों का वित्तपोषण और संचालन प्रभावी ढंग से कर सकती है।
  - **हैदराबाद का जवाहर नगर WTE संयंत्र** एक आदर्श के रूप में काम कर सकता है।
- **समुदायों को शिक्षित और सक्रिय करना:** समुदाय-नेतृत्व वाले अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल ज़मीनी स्तर पर ज़िम्मेदारी और कार्रवाई की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।
  - **स्कूल कार्यक्रम, जागरूकता अभियान और प्रोत्साहन पहल** नागरिकों को संधारणीय अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रेरित कर सकते हैं।
  - स्थानीय स्वयं सहायता समूह जागरूकता फैलाने और अपशिष्ट संग्रहण अभियान आयोजित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
  - **अलप्पुझा की 'स्वच्छ शहर' पहल,** जिसने निवासियों को विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल किया, **को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हुई।**
- **उद्योग में प्लास्टिक के प्रयोग पर कानून बनाना और निगरानी करना: कृषि (प्लास्टिक मल्चिंग फिल्म) और लॉजिस्टिक्स** जैसे उद्योग प्लास्टिक पर निर्भर करते हैं, जिसके लिये प्लास्टिक उत्सर्जन को न्यूनतम करते हुए इनके प्रयोग को अनुकूलतम बनाने के लिये क्षेत्र-विशिष्ट विनियमन की आवश्यकता होती है।
  - कर प्रोत्साहन और अनिवार्य पुनर्चक्रण कोटा के माध्यम से उद्योगों को **हल्के, पुनः प्रयोज्य या विघटनीय पैकेजिंग विकल्प** अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने से प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वित्तपोषण को बढ़ावा देना: ज्ञान साझाकरण और अंतर्राष्ट्रीय हरित निधियों की सुलभता** के लिये वैश्विक संगठनों के साथ सहयोग करने से अपशिष्ट प्रबंधन में नवाचार एवं बुनियादी अवसंरचना विकास को समर्थन मिल सकता है।
  - **ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप** जैसी वैश्विक पहलों में भाग लेने से तकनीकी और वित्तीय सहायता मिलती है।
  - **प्लास्टिक संधि के लिये अंतर-सरकारी वार्ता समिति** में भारत की सक्रिय भागीदारी वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक प्रशंसनीय कदम है।

निष्कर्ष:

भारत अपनी प्लास्टिक अपशिष्ट चुनौती से निपटने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसके लिये एक **समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो आर्थिक अनिवार्यताओं को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करे।** आगे की राह सरकार, उद्योग और नागरिक समाज के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की मांग करती है, जिसमें **सर्कुलर इकोनॉमी/चक्रीय अर्थव्यवस्था समाधान विकसित करने एवं संधारणीय विकल्पों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।** अंततः, प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन में भारत की सफलता न केवल पर्यावरणीय जोखिमों को कम करेगी बल्कि **देश को सतत् विकास में वैश्विक नेतृत्वकार के रूप में भी स्थापित करेगी।**

■■■

भारत में जल प्रबंधन को प्रभावी बनाना

भारत के जल संसाधन गंभीर दबाव में हैं, सीमित आपूर्ति और असमान वितरण भविष्य की आर्थिक एवं पारिस्थितिक स्थिरता को खतरे में डाल रहा है। वर्तमान जल प्रबंधन रणनीतियाँ, जो भूजल निष्कर्षण और बड़े बांध निर्माण पर बहुत अधिक निर्भर हैं, अस्थिर सिद्ध हो रही हैं, **54% भू-जल कूपों में कमी आ रही है** और **78%** मानसून वर्षा जल **बिना उपयोग के समुद्र में व्यर्थ प्रवाहित हो रहा है।** देश को वर्ष 2050 तक जल की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा, जहाँ कुल जल खपत उपलब्ध आपूर्ति से अधिक होने का अनुमान है, **जिससे व्यापक मांग-पक्ष प्रबंधन** और जल संरक्षण की दिशा में तत्काल बदलाव की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत में जल प्रबंधन के लिये वर्तमान रूपरेखा क्या है?

- **संवैधानिक प्रावधान**
  - **राज्य सूची:** जल मुख्य रूप से राज्य का विषय है (सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 17), जो राज्यों को जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरों और जल निकासी पर कानून बनाने की अनुमति देता है।
  - **संघ सूची:** केंद्र का अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों पर अधिकार क्षेत्र है (प्रविष्टि 56, सूची I)।
  - संविधान का अनुच्छेद 21 **अप्रत्यक्ष रूप से जल के अधिकार** को **जीवन के अधिकार** के एक भाग के रूप में मान्यता देता है।
- **विधायी संरचना**
  - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: जल प्रदूषण को नियंत्रित करता है और जल-गहन परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय मंज़ूरी अनिवार्य करता है।
  - जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974: जल गुणवत्ता मानक स्थापित करता है और प्रदूषण पर दंड का प्रावधान करता है।
    - **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** और **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)** की स्थापना का प्रावधान करता है।
  - अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956: यह न्यायाधिकरणों के माध्यम से अंतर-राज्यीय नदी जल साझाकरण से संबंधित विवादों के समाधान की सुविधा प्रदान करता है।
- **संस्थागत तंत्र**
  - **जल शक्ति मंत्रालय:** जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर बनाया गया है। यह जल संसाधन कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन की देखरेख करता है।
  - **केंद्रीय जल आयोग (CWC):** जल संसाधन विकास और बाढ़ पूर्वानुमान का प्रबंधन करता है।
  - **केंद्रीय भू-जल बोर्ड (CGWB):** भूजल संसाधनों की निगरानी और विनियमन करता है।
- **प्रमुख नीतियां और कार्यक्रम**
  - राष्ट्रीय जल नीति (2012): इसके तहत संधारणीय और एकीकृत जल संसाधन का प्रबंधन किया।
    - मांग प्रबंधन, जल मूल्य निर्धारण और सामुदायिक भागीदारी पर बल दिया गया।
  - **जल शक्ति अभियान:** वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और जल निकायों के पुनरुद्धार पर केंद्रित।
    - तीव्र जल संकट से जूझ रहे ज़िलों को लक्ष्य बनाया गया है।
  - जल जीवन मिशन: इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है।
  - अटल भूजल योजना: सामुदायिक भागीदारी और मांग-पक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से भू-जल प्रबंधन पर केंद्रित।
  - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): "प्रति बूंद अधिक फसल" के नारे के साथ कृषि में जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देती है।

भारत में जल प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **भूजल का अत्यधिक दोहन:** मुख्यत: सिंचाई और घरेलू आवश्यकताओं के लिये के कारण भारत के **भूजल संसाधनों का अनियंत्रित दोहन** हो रहा है।
  - किसानों को निशुल्क विद्युत उपलब्ध कराने तथा सतही जल संचयन प्रणालियों की अपर्याप्तता के कारण यह **अति-निर्भरता और भी बढ़ जाती है,** जिसके कारण जलभृतों में गंभीर गिरावट आती है।
  - **निगरानी किये गये 70% कूपों में** भूजल स्तर में उल्लेखनीय कमी देखी गयी है तथा पंजाब में यह गिरावट **प्रतिवर्ष 0.49 मीटर की खतरनाक दर** से हो रही है।
  - यह देखते हुए कि भूजल **62% सिंचाई** और **85% ग्रामीण पेयजल की पूर्ति** करता है, इसका क्षरण जल सुरक्षा के लिये एक भयावह खतरा उत्पन्न करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कृषि में जल का अकुशल उपयोग:** भारत में लगभग **80% जल का उपभोग कृषि में किया जाता है,** बाढ़ सिंचाई जैसी अकुशल सिंचाई पद्धतियाँ तथा गन्ना और धान जैसी **अधिक जल खपत वाली फसलों की खेती जल संकट को बढ़ाती है।**
  - **महाराष्ट्र** और **पंजाब** जैसे राज्य **सूखाग्रस्त** होने के बावजूद, पर्याप्त विविधीकरण के बिना इन फसलों की खेती जारी रखे हुए हैं।
  - उदाहरण के लिये, **महाराष्ट्र में लगभग 4% कृषि भूमि पर गन्ना उगाया जाता है,** लेकिन इसमें कूपों सहित 71.5% सिंचित जल का उपयोग होता है।
- **शहरी जल कुप्रबंधन:** तीव्र शहरीकरण ने जल अवसंरचना को पीछे छोड़ दिया है, जिसके परिणामस्वरूप **आपूर्ति-मांग में असंतुलन उत्पन्न हो गया है** और टैंकर के जल पर निर्भरता बढ़ गई है।
  - निम्न स्तरीय शहरी नियोजन के कारण भूजल पुनर्भरण में कमी आई है, जबकि अनुपचारित मलजल शहरी जल निकायों को और अधिक प्रदूषित कर रहा है।
  - **बंगलुरू 30-40 वर्षों** के सबसे गंभीरतम अनावृष्टि के कारण गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, **IISc के एक अध्ययन** के अनुसार **शहर के जल विस्तार क्षेत्र में 70% की गिरावट आई है,** जिससे शहर कावेरी के जल पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है।
- **जल प्रदूषण: औद्योगिक अपशिष्टों, अनुपचारित सीवेज और कृषि अपवाह के कारण** भारत की नदियाँ एवं झीलें विषाक्त जलाशयों में तब्दील हो रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के कमज़ोर क्रियान्वयन से समस्या और भी गंभीर हो गई है।
  - व्यापक सफाई प्रयासों के बावजूद, अधिकांश अंतर-राज्यीय सीमाओं पर **गंगा नदी का फेकल कोलीफॉर्म स्तर स्वीकार्य स्तर से 3 से 12 गुना अधिक** पाया जाता है।
  - CPCB ने **351 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान** की है, जिनमें यमुना सबसे अधिक प्रभावित है, जहाँ दिल्ली का 80% से अधिक अनुपचारित सीवेज जल प्रवाहित होता है।
- **जलवायु परिवर्तन और परिवर्तनशीलता:** जलवायु परिवर्तन बाढ़ और सूखे जैसी **जल-संबंधी आपदाओं** को तीव्र कर रहा है, जिससे **जल की उपलब्धता अस्थिर** हो रही है।
  - हिमालय में अनियमित मानसून पैटर्न और बढ़ती हिमनद पिघलन से मौसमी जल संकट बढ़ता है।
  - वर्ष 1997 के बाद से भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्र में **57% की वृद्धि** हुई है, जबकि वर्ष 2012 के बाद से भारी वर्षा की घटनाओं में लगभग **85% की वृद्धि** हुई है।
  - ISRO के अध्ययन से पता चलता है कि हिमालय के लगभग **75%** ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं।
- **अंतर-राज्यीय जल विवाद:** नदी जल आवंटन पर संघर्ष सहकारी जल प्रबंधन को बाधित करते हैं और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाते हैं।
  - ये विवाद प्राय: पारदर्शी डेटा-साझाकरण और प्रभावी संस्थागत तंत्र की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं।
  - **कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच** कावेरी जल विवाद बढ़ सकता है।
- **अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण पर अपर्याप्त ध्यान:** भारत के अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण प्रयास अपर्याप्त हैं, जिसके कारण एक मूल्यवान संसाधन की बर्बादी हो रही है, जिसका कृषि या उद्योग के लिये पुन: उपयोग किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **इज़रायल अपने 90% अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग** करता है, जबकि भारत में यह **आँकड़ा 30% से भी कम** है।
  - जबकि शहरी भारत में प्रतिदिन **72,368 मिलियन लीटर (MLD) सीवेज अपशिष्ट** उत्पन्न होता है, **केवल 28% का ही उपचार और पुन: उपयोग** किया जाता है।
- **अप्रभावी जल प्रशासन:** खंडित संस्थागत संरचना और अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र समन्वित जल प्रबंधन में बाधा डालते हैं।
  - नीतियाँ प्राय: **अल्पकालिक चुनावी लाभ को प्राथमिकता** देती हैं, चावल और गन्ना जैसी अधिक जल की खपत वाली फसलों के लिये **न्यूनतम समर्थन मूल्य** प्रोत्साहन, निशुल्क या सब्सिडी वाली बिजली व्यवस्था के साथ मिलकर जल की कमी की चुनौतियों को बढ़ाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- जल नीतियों के अपर्याप्त कार्यान्वयन और निम्न स्तरीय प्रशासन के कारण भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में **120वें स्थान** पर है।

- **मानसून पर अत्यधिक निर्भरता:** कृषि और पेयजल आपूर्ति के लिये मानसूनी वर्षा पर भारत की निर्भरता, इसे **अनियमित वर्षा पैटर्न के प्रति संवेदनशील** बनाती है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण और भी बदतर होती जा रही है।
  - वर्षा जल संचयन की निम्न स्तरीय अवसंरचना इस निर्भरता को और बढ़ा देती है।
  - **भारत के लगभग 61% किसान** वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर हैं और **कुल फसल क्षेत्र का 55% भाग वर्षा आधारित कृषि के अंतर्गत** है।
- **जल का निजीकरण और व्यावसायीकरण:** जल संसाधनों के बढ़ते निजीकरण ने असमान पहुँच उत्पन्न कर दी है, जिसके कारण गरीब समुदायों को प्राय: अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।
  - कई दूरदराज़ के क्षेत्रों में निजी जल टैंकर आपूर्ति पर हावी हैं तथा अत्यधिक दरें वसूल रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, टैंकर माफिया मुंबई में **जल के कारोबार से सालाना 8,000-10,000 करोड़ रुपए कमाता है, जिससे लोगों पर प्रतिकूल असर** पड़ता है।
- **आर्द्रभूमि और उनकी जल धारण क्षमता का ह्रास:** भारत की आर्द्रभूमियों, जो भूजल पुनर्भरण और बाढ़ शमन के लिये आवश्यक है, का शहरीकरण, कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियों के कारण ह्रास हो रहा है।
  - पिछले 30 वर्षों में भारत में लगभग प्रत्येक पाँच में से दो आर्द्रभूमियों ने अपना प्राकृतिक अस्तित्व खो दिया है, जबकि 40% जल निकायों ने जलीय जीवों के अस्तित्व के लिये गुणवत्ता खो दी है।
  - उदाहरण के लिये, **मणिपुर में लोकटक झील**, जो एक **रामसर स्थल** है, के **अस्तित्व में कमी आने का खतरा** है।
- **जल पारिस्थितिकी तंत्र पर रेत खनन का प्रभाव:** नदी तल से अवैध रेत खनन **प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित करता है, जलभृतों को नष्ट करता है, जलीय आवासों को नष्ट करता है,** जिससे जल की कमी और पारिस्थितिक असंतुलन बढ़ता है।
  - **भारत में प्रतिवर्ष 500 मिलियन टन रेत निकाली जाती है।** अत्यधिक रेत खनन के कारण **यमुना नदी की जल धारण क्षमता कम हो गई है,** जिससे गैर-मानसून महीनों में प्रवाह में कमी आ रही है।

उन्नत जल प्रबंधन के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **भूजल विनियमन लागू करना:** भारत को भूजल निष्कर्षण पर विनियमन को सुदृढ़ करना चाहिये **विशेष रूप से अतिदोहित क्षेत्रों** में, तथा भूजल पुनर्भरण प्रणालियों को अपनाने को बढ़ावा देना चाहिये।
  - प्रभावी कार्यान्वयन **समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों** और उद्योगों व कृषि के लिये अनिवार्य जल लेखापरीक्षा/ऑडिट के माध्यम से किया जा सकता है।
- **पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों को पुनर्जीवित करना:** पारंपरिक जल प्रणालियों, जैसे कि **बावड़ियों, टैंकों और जोहड़ों का पुनर्भरण,** विशेष रूप से शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में स्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
  - **राजस्थान के तरुण भारत संघ NGO ने राजस्थान राज्य में 11 नदियों का कायाकल्प और पुनरुद्धार किया है,** जिससे भूजल पुनर्भरण में सुधार हुआ है, जो एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है।
- **ड्रिप और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना: ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों** को अपनाने से कृषि में **जल उपयोग दक्षता 70%** तक बढ़ सकती है, जिससे जल की बर्बादी कम होगी और जल संरक्षण होगा।
  - **गन्ने की खेती में ड्रिप सिंचाई के लिये महाराष्ट्र का अधिदेश** एक आदर्श के रूप में काम कर सकता है।
- **शहरी जल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना: शहरी जल पाइपलाइनों, रिसाव पहचान प्रणालियों और स्मार्ट मीटरिंग का** आधुनिकीकरण करके गैर-राजस्व जल (NRW) ह्रास को बहुत हद तक कम किया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- शहरी परियोजनाओं के लिये **वर्षा जल संचयन** और **अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण** को अनिवार्य बनाने से जल संसाधनों में वृद्धि हो सकती है।
- उदाहरण के लिये,**बंगलुरु जैसे शहर,** जहाँ जलापूर्ति का एक बड़ा हिस्सा NRW के कारण नष्ट हो जाता है, **सिंगापुर के स्मार्ट जल प्रबंधन मॉडल से लाभान्वित** हो सकते हैं।

- **जल प्रशासन को बढ़ावा देना:** भारत को एक **एकीकृत जल प्रशासन ढाँचे की आवश्यकता है** जो जवाबदेही सुनिश्चित करने और नौकरशाही विलंब को कम करने के लिये केंद्रीय एवं राज्य नीतियों को एकीकृत करे।
  - **NITI आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI)** प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों के लिये एक रोडमैप प्रस्तुत करता है।
  - **शहरों को स्पंज शहरों** में रूपांतरित करना **अमृत मिशन** का एक प्रमुख लक्ष्य है और इसे ईमानदारी से क्रियान्वित किया जाना चाहिये, न कि **कागज़ी रूप तक ही सीमित कर छोड़ दिया जाना चाहिये।**
  - **राष्ट्रीय जल नीति (वर्ष 2012)** शासन और वित्तपोषण संबंधी समस्याओं के कारण अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई है। पर्याप्त वित्तपोषण के साथ विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन महत्त्वपूर्ण है।
- **फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना:** किसानों को **धान और गन्ना जैसी अधिक जल खपत वाली फसलों के स्थान पर कदन्न, दलहन एवं तिलहन की खेती करने के लिये प्रोत्साहित करने से** कृषि में जल की मांग कम हो सकती है तथा उत्पादकता में सुधार हो सकता है।
  - इस बदलाव के लिये वित्तीय प्रोत्साहन और सुदृढ़ बाज़ार संबंध महत्त्वपूर्ण हैं।
  - हरियाणा की **'मेरा जल, मेरी विरासत'** योजना वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देती है, एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष (2023) के** दौरान कदन्न को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व ने इन जल-कुशल फसलों की क्षमता पर प्रकाश डाला।
- **अपशिष्ट जल उपचार और पुन: उपयोग को बढ़ावा देना: अपशिष्ट जल उपचार के बुनियादी अवसंरचना** में निवेश करके शहरी सीवेज को कृषि, उद्योग एवं भूनिर्माण के लिये उपयोगी जल में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि **सर्वोच्च न्यायालय के *एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ* के निर्णय पर आधारित** है।
  - चेन्नई **अपने उपचारित अपशिष्ट जल का 20% औद्योगिक अनुप्रयोगों** के लिये पुन: उपयोग करता है और यह एक आदर्श के रूप में काम कर सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना: बाढ़ के मैदानों, तटबंधों और भंडारण जलाशयों** जैसे जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करके बाढ़ एवं सूखे जैसे चरम मौसमी प्रभावों को कम किया जा सकता है।
  - जलग्रहण क्षेत्रों में वनरोपण से जल चक्र स्थिर होता है। **असम की जलवायु अनुकूल ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़** और **नदी तट अपरदन जोखिम प्रबंधन परियोजना** एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है।
- **डिजिटल जल प्रबंधन का विस्तार: IoT सेंसर, सैटेलाइट इमेजरी व AI** जैसी डिजिटल तकनीकें जल निगरानी को बेहतर बना सकती हैं, सिंचाई दक्षता में सुधार ला सकती हैं और रिसाव को कम कर सकती हैं। इन साधनों के माध्यम से ससमय निर्णय लेने से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।
  - **इज़रायल की राष्ट्रीय जल कंपनी मेकोरोट (Mekorot), AI-संचालित जल गुणवत्ता निगरानी** स्थापित कर रही है, जो एक मानक स्थापित कर रही है।
- **आर्द्रभूमियों का संरक्षण और पुनर्स्थापन:** आर्द्रभूमियाँ प्राकृतिक जल शोधक और भंडारण प्रणालियों के रूप में कार्य करती हैं, लेकिन शहरीकरण एवं अतिक्रमण के कारण इनकी संख्या में तेज़ी कमी आ रही है।
  - **क्षीण हो चुकी आर्द्रभूमि का पुनर्भरण करने से जल की गुणवत्ता में सुधार** हो सकता है और जलभृतों को पुन:पूरित किया जा सकता है, यह ***मिर्ज़ा आबिद बेग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

है, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि **राज्य का संवैधानिक कर्त्तव्य है कि वह न केवल राज्य के भीतर जल निकायों की रक्षा करे, बल्कि उन जल निकायों का पुनर्भरण भी करे।**

- **एरोबिक अपशिष्ट जल उपचार के लिये बेसिन उपलब्ध कराकर**, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स प्रतिदिन शहर के 910 मिलियन लीटर अनुपचारित सीवेज को प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रित करता है।

- **निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** जल अवसंरचना में निजी क्षेत्र का निवेश, जैसे **विलवणीकरण संयंत्र, अपशिष्ट जल उपचार और स्मार्ट जल प्रबंधन,** सार्वजनिक प्रयासों का पूरक हो सकता है।
  - स्पष्ट विनियमन और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) सफलता की कुंजी हैं।
  - गुजरात में PPP मॉडल के तहत विकसित **नर्मदा विलवणीकरण संयंत्र** एक आदर्श के रूप में काम कर सकता है।
- **अंतर-राज्यीय जल संधि की रूपरेखा विकसित करना: भारत को अंतर-राज्यीय जल विवादों के प्रबंधन और साझा संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने** के लिये सुदृढ़ कानूनी एवं संस्थागत तंत्र स्थापित करना चाहिये।
  - मध्यस्थता, डेटा पारदर्शिता और सहयोगात्मक समझौते आवश्यक हैं।
  - **कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA)** ने मिश्रित परिणाम दर्शाए हैं, लेकिन पारदर्शी डेटा-साझाकरण तंत्र इसकी प्रभावशीलता में सुधार कर सकता है।
  - **सिंधु जल संधि मॉडल** कृष्णा और गोदावरी जैसी अंतर-राज्यीय नदियों के लिये समान ढाँचे को प्रेरित कर सकता है।
- **विभेदक जल मूल्य निर्धारण की शुरूआत: कृषि, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं** के लिये स्तरीकृत जल मूल्य निर्धारण से अपव्ययी प्रथाओं को हतोत्साहित किया जा सकता है, जबकि कमज़ोर आबादी के लिये पहुँच को सब्सिडी दी जा सकती है।
  - चीन के जल मूल्य निर्धारण सुधारों से पता चलता है कि नीति सुधार से **अल्पावधि में वार्षिक आवासीय जल मांग में 3-4% तथा दीर्घावधि में 5% की कमी** आई है।

निष्कर्ष:

भारत के जल संकट के लिये एक **तत्काल, बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो पारंपरिक प्रबंधन रणनीतियों से परे हो। नवीन तकनीकों, नीति सुधारों और समुदाय-संचालित समाधानों को** एकीकृत करके, देश अपनी महत्त्वपूर्ण जल चुनौतियों का समाधान कर सकता है। सूक्ष्म सिंचाई, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और पारंपरिक जल संचयन तकनीकों जैसी संधारणीय प्रथाओं को अपनाना जल संसाधनों को सुरक्षित करने में महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा।

■■■

स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है, जिसमें **140,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और 111 यूनिकॉर्न** विविध क्षेत्रों में तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ा रहे हैं। UAE एक महत्त्वपूर्ण सामरिक साझेदार बन गया है, जिसमें **20 बिलियन डॉलर से अधिक का महत्त्वपूर्ण निवेश** है और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की तलाश कर रहे भारतीय उद्यमियों को महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रहा है। **दुबई के 30% से अधिक स्टार्टअप भारतीयों द्वारा स्थापित** किये गए हैं, जो दोनों देशों के बीच गहन उद्यमशीलता तालमेल को दर्शाता है। हालाँकि, भारत को अपनी स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ाने, **फंडिंग, विनियामक ढाँचे व अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त** बनाए रखने के लिये निरंतर **नवाचार में चुनौतियों का समाधान करने के लिये और अधिक काम करने की आवश्यकता है।**

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के वर्तमान विकास चालक क्या हैं?

- **सरकारी पहल और नीतिगत समर्थन:** भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया **जैसी नीतियों को लागू किया है,** कर छूट, वित्त पोषण और इनक्यूबेटरों के लिये समर्थन की पेशकश की है, जिससे उद्यमशीलता गतिविधि को काफी बढ़ावा मिला है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- जून 2023 तक, **इस पहल के तहत 100,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है,** जो इसके व्यापक प्रभाव को दर्शाता है।

- **डिजिटल अवसंरचना का विस्तार: स्मार्टफोन और किफायती इंटरनेट** के प्रसार ने डिजिटल अभिगम का विस्तार किया है, जिससे स्टार्टअप्स को व्यापक ग्राहक आधार तक पहुँचने में मदद मिली है।
  - मूल उपकरण निर्माताओं और मूल डिज़ाइन से भारी निवेश के कारण भारत अब **मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र है।**
  - इसके अलावा, भारत में वर्तमान में 820 मिलियन से अधिक **सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्त्ता** हैं, जो डिजिटल व्यवसायों के विकास में सहायक हैं।
- **बढ़ता निवेश पारिस्थितिकी तंत्र:** उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश में वृद्धि ने स्टार्टअप्स को आवश्यक वित्तपोषण उपलब्ध कराया है।
  - वर्ष 2014 से 2024 की पहली छमाही के दौरान, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम ने 150 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित किया, जिसमें **ई-कॉमर्स, फिनटेक** और **एंटरप्राइज टेक सबसे आगे** रहे, जिन्होंने **कुल फंडिंग में 52% का योगदान** दिया।
  - **गूगल के लॉन्चपैड और माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स** जैसे कार्यक्रम वित्तपोषण, मार्गदर्शन एवं बाज़ार अभिगम प्रदान करते हैं।
- **विकासशील उपभोक्ता बाज़ार:** बढ़ती प्रयोज्य आय के साथ बढ़ते मध्यम वर्ग ने नए उत्पादों और सेवाओं के लिये एक सुदृढ़ घरेलू बाज़ार का निर्माण किया है।
  - भारत के **फास्ट मूविंग कंज़्यूमर गुड्स (FMCG)** क्षेत्र में **जुलाई-सितंबर 2024** में ग्रामीण मांग के कारण **मूल्य के हिसाब से 5.7%** और **मात्रा के हिसाब से 4.1%** की वृद्धि हुई।
  - अनुमानों से पता चलता है कि भारत का समृद्ध वर्ग **वर्ष 2027 तक 100 मिलियन तक पहुँच जाएगा, जिससे स्टार्टअप के लिये पर्याप्त अवसर** उपलब्ध होंगे।
- **सहायक विनियामक वातावरण:** हाल ही में किये गए विनियामक सुधारों ने व्यवसाय संचालन को सुव्यवस्थित किया है। **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी भारतीय सहायक कंपनियों के साथ 'रिवर्स फ्लिप' विलय** से गुजरने वाली विदेशी कंपनियों के लिये अनुपालन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जिससे समयसीमा **12-18 महीने से घटकर केवल 3-4 महीने** रह गई है।
  - इस कदम से कार्यकुशलता बढ़ेगी और स्टार्टअप्स को भारत में सूचीबद्ध होने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।
- **बढ़ते इनक्यूबेशन और त्वरण कार्यक्रम: IIM बैंगलोर के NSRCEL** जैसे संस्थान मार्गदर्शन, वित्त पोषण और संसाधन उपलब्ध कराते हैं, प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप का पोषण करते हैं तथा नवाचार को बढ़ावा देते हैं।
  - **महिला उद्यमिता कार्यक्रम** जैसे कार्यक्रम गोताखोरी को समर्थन देने में सहायक रहे हैं
- **डीप-टेक और AI स्टार्टअप्स का उदय: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और IoT** जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की मांग डीप-टेक स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा दे रही है।
  - बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) की रिपोर्ट के अनुसार, **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की तैयारी** में भारत शीर्ष दावेदार के रूप में उभरा है, तथा **विश्व स्तर पर शीर्ष 10 देशों में शामिल** है।
  - नैसकॉम के अनुसार, भारत का डीपटेक क्षेत्र में 3,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और **पिछले एक दशक में इसकी वृद्धि दर 53%** रही है।
- **D2C (डायरेक्ट-टू-कंज़्यूमर) मॉडल का विस्तार: डायरेक्ट-टू-कंज़्यूमर मॉडल** ने गति पकड़ी है, जिसमें स्टार्टअप्स बिचौलियों को दरकिनार कर डिजिटल रूप से उपभोक्ताओं से जुड़ रहे हैं।
  - भारतीय **D2C बाज़ार के वर्ष 2025 तक 100 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद** है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और व्यक्तिगत मार्केटिंग टूल को अपनाने से यह प्रवृत्ति बढ़ रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **टियर-2 और टियर-3 शहरों में उद्यमिता का उदय:** उद्यमिता अब **केवल महानगरों तक सीमित नहीं** रह गई है; छोटे शहर भी स्टार्टअप केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।
  - अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहल इनक्यूबेटर और फंडिंग के माध्यम से टियर-2 और टियर-3 शहरों में उद्यमियों को सक्षम बना रही हैं।
  - **वर्ष 2023 में DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त 50% से अधिक स्टार्टअप** गैर-मेट्रो क्षेत्रों से उत्पन्न होंगे, जो इस विकेंद्रीकृत विकास को प्रदर्शित करता है।
- **डिजिटल भुगतान क्रांति और फिनटेक बूम: UPI के अंगीकरण** और **डिजिटल भुगतान के विकास** ने फिनटेक परिदृश्य को बदल दिया है, जिससे स्टार्टअप्स के लिये अवसर उत्पन्न हुए हैं।
  - अकेले अक्तूबर 2023 में 1.1 बिलियन से अधिक **UPI लेनदेन** किये गए, जिससे फोनपे और रेज़रपे जैसे स्टार्टअप को तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद मिली।
  - वैश्विक स्तर पर फिनटेक हब के रूप में प्रचारित भारतीय **फिनटेक बाज़ार** का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक इसकी प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियाँ (AUM) **1 ट्रिलियन डॉलर तक** पहुँच जाएगी, जो वर्ष 2021 के इसके लगभग 100 बिलियन डॉलर के आकार से 10 गुना अधिक है।
- **स्थिरता और हरित स्टार्टअप को बढ़ावा देना:** भारत के **नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट- 2070** जैसी सरकारी प्रतिबद्धताओं से स्थिरता-केंद्रित स्टार्टअप लोकप्रिय हो रहे हैं।
  - **इलेक्ट्रिकपे और ज़िप इलेक्ट्रिक** जैसे स्टार्टअप EV और स्वच्छ ऊर्जा बाज़ारों का लाभ उठा रहे हैं। **भारत में UNDP एक्सेलेरेटर लैब्स** ने हरित नवाचार को और बढ़ावा दिया है।
- **कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल (CVC) का उदय:** बड़ी कंपनियाँ कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल **के माध्यम से स्टार्टअप्स में निवेश** कर रही हैं, न केवल वित्तपोषण की पेशकश कर रही हैं, बल्कि बाज़ार विशेषज्ञता भी प्रदान कर रही हैं।
  - **रिलायंस, टाटा और इंफोसिस** जैसी कंपनियों के पास सक्रिय CVC शाखाएँ हैं। यह एकीकरण स्टार्टअप्स को विस्तार और नवाचार के लिये संसाधन प्रदान करता है।
- **उद्यमिता की ओर सांस्कृतिक बदलाव:** भारत में बढ़ते सांस्कृतिक बदलाव के तहत **स्टार्टअप को आकांक्षापूर्ण करियर विकल्प के रूप में** देखा जा रहा है, जिसमें जोखिम उठाना सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार्य होता जा रहा है।
  - **शार्क टैंक इंडिया** जैसे मीडिया कार्यक्रमों और स्टार्टअप की सफलता की कहानियों ने उद्यमशीलता को लोकप्रिय बनाया है।
  - सर्वेक्षणों से पता चलता है कि **77% भारतीय युवाओं ने अपना स्वयं का उद्यम शुरू करने में रुचि** व्यक्त की।

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **चलनिधि और वित्तपोषण की चुनौतियों में कमी:** भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को वित्तपोषण में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, **जो वैश्विक स्तर पर सतर्क निवेश प्रथाओं** की ओर बदलाव को दर्शाता है।
  - निवेशकों में जोखिम लेने की क्षमता कम होने के कारण वे विकास की तुलना में लाभप्रदता को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स को विस्तार के लिये बाह्य पूंजी पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
  - भारतीय स्टार्टअप्स ने **वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में** फंडिंग में लगभग **73% की गिरावट दर्ज** की है, बढ़ती परिचालन लागत के बीच स्टार्टअप स्थिरता से जूझ रहे हैं।
- **नीतिगत अस्थिरता और कराधान संबंधी समस्याएँ:** कराधान नीतियों में लगातार परिवर्तन और नियामक अस्पष्टता निवेशकों के विश्वास तथा स्टार्टअप्स के लिये परिचालन संबंधी सुविधा को कमज़ोर करती है।
  - **वर्ष 2023 में विदेशी निवेशकों पर** एंजल टैक्स लगाने का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाना है, लेकिन इससे शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स में वैध विदेशी निवेश में बाधा उत्पन्न होगी।
  - **स्टार्टअप इंडिया** जैसी पहल के बावजूद, अधिकांश भारतीय स्टार्टअप अभी भी अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा अनुपालन पर खर्च करते हैं, जिससे **नवाचार पर उनका ध्यान सीमित** हो जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रतिभा प्रतिधारण और कौशल असंतुलन:** जबकि भारत प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में कुशल **स्नातक तैयार** करता है, स्टार्टअप्स को वैश्विक अवसरों और घरेलू वेतन असमानताओं के कारण शीर्ष प्रतिभाओं को बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
  - विदेश में या स्थापित बहुराष्ट्रीय कंपनियों में स्थायी नौकरियों के आकर्षण ने AI व मशीन लर्निंग जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में '**प्रतिभा पलायन**' **को और बदतर** बना दिया है।
  - वर्ष 2015 और 2022 के दौरान **1.3 मिलियन भारतीयों ने देश छोड़ दिया,** जिनमें से कई उच्च शिक्षित पेशेवर थे, **जिससे नवाचार करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिये प्रतिभा की कमी उत्पन्न हो गई।**
- **शहरी बाज़ारों पर अत्यधिक निर्भरता: स्टार्टअप्स मुख्यत: शहर-केंद्रित व्यवसाय मॉडल** पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा ग्रामीण भारत की विशाल संभावनाओं की उपेक्षा करते हैं।
  - यह **अतिनिर्भरता उनकी स्केलेबिलिटी को सीमित करती है और भारत की 65%** से अधिक आबादी वाले बाज़ार से चूक जाती है तथा स्टार्टअप अभी भी रसद एवं बुनियादी अवसंरचना की चुनौतियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिये संघर्ष करते हैं।
- **प्रमुख क्षेत्रों में बाज़ार संतृप्ति और विखंडन:** कुछ उद्योग, जैसे **एडटेक और फिनटेक,** संतृप्त बिंदु पर पहुँच रहे हैं, जिससे तीव्र प्रतिस्पर्द्धा एवं घटते मार्जिन हो रहे हैं।
  - प्रमुख अभिकर्त्ताओं का पतन यह दर्शाता है कि किस प्रकार अति विस्तार और अनियमित प्रतिस्पर्द्धा ने इन क्षेत्रों को अस्थिर कर दिया है।
  - इस संतृप्ति के परिणामस्वरूप **छँटनी और वित्त पोषण में कमी** आई है, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ा है।
- **शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप्स के बीच अपर्याप्त सहयोग:** भारत के शैक्षणिक संस्थान स्टार्टअप्स के लिये नवाचार के इंजन के रूप में अभी भी कम उपयोग में हैं।
  - **सिलिकॉन वैली** के विपरीत, जहाँ शिक्षा व्यावसायीकरण को बढ़ावा देती है, भारतीय स्टार्टअप शायद ही कभी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिये अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करते हैं।
  - वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत भर के 500 औद्योगिक समूहों में से 30-35% के आसपास **कोई शोध संस्थान या विश्वविद्यालय नहीं** है।
- **डिजिटल डिवाइड और बुनियादी अवसंरचना का अंतर: डिजिटल उपकरणों के प्रसार** के बावजूद, स्टार्टअप्स को असंगत बुनियादी अवसंरचना के कारण बाधा आ रही है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
  - **ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट** की अनुपस्थिति अप्रयुक्त बाज़ारों तक पहुँच को सीमित करती है, जिससे कृषि प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों का विकास धीमा हो जाता है।
  - वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि लगभग **60% ग्रामीण आबादी अभी भी सक्रिय रूप से इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रही है,** स्टार्टअप वंचित आबादी को स्केलेबल, तकनीक-संचालित समाधान देने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।
- **संधारणीयता और ESG संरेखण पर ध्यान का अभाव: पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानकों** के साथ संरेखित करने में विफल रहने के कारण स्टार्टअप्स की लगातार जाँच की जा रही है, जिससे प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम एवं नियामक चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।
  - स्विगी और ज़ोमैटो जैसे खाद्य वितरण प्लेटफॉर्मों को **प्लास्टिक पर अत्यधिक निर्भरता के लिये आलोचना** का सामना करना पड़ा।
  - चूँकि भारत एक चक्रीय अर्थव्यवस्था और नेट-शून्य प्रतिबद्धताओं पर ज़ोर दे रहा है, इसलिये संधारणीय प्रथाओं को अपनाने में विफल रहने वाले स्टार्टअप्स के लिये बाज़ार का विश्वास एवं वित्तपोषण खोने का जोखिम है।
- **बढ़ता संरक्षणवाद और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा:** भारत के स्टार्टअप्स को **फिनटेक, गेमिंग और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है,** जहाँ अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्त्ता हावी हैं।
  - साथ ही, स्थानीय संरक्षणवादी नीतियाँ, जैसे **अनिवार्य डेटा स्थानीयकरण,** वैश्विक स्केलेबिलिटी का लक्ष्य रखने वाले स्टार्टअप्स के लिये अनुपालन संबंधी बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण के लिये, जबकि भारतीय स्टार्टअप कम्पनियाँ अनुपालन लागतों से जूझ रही हैं, वहीं **अमेज़न जैसी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धियों ने भारत में आक्रामक बाज़ार विस्तार जारी रखा है।**

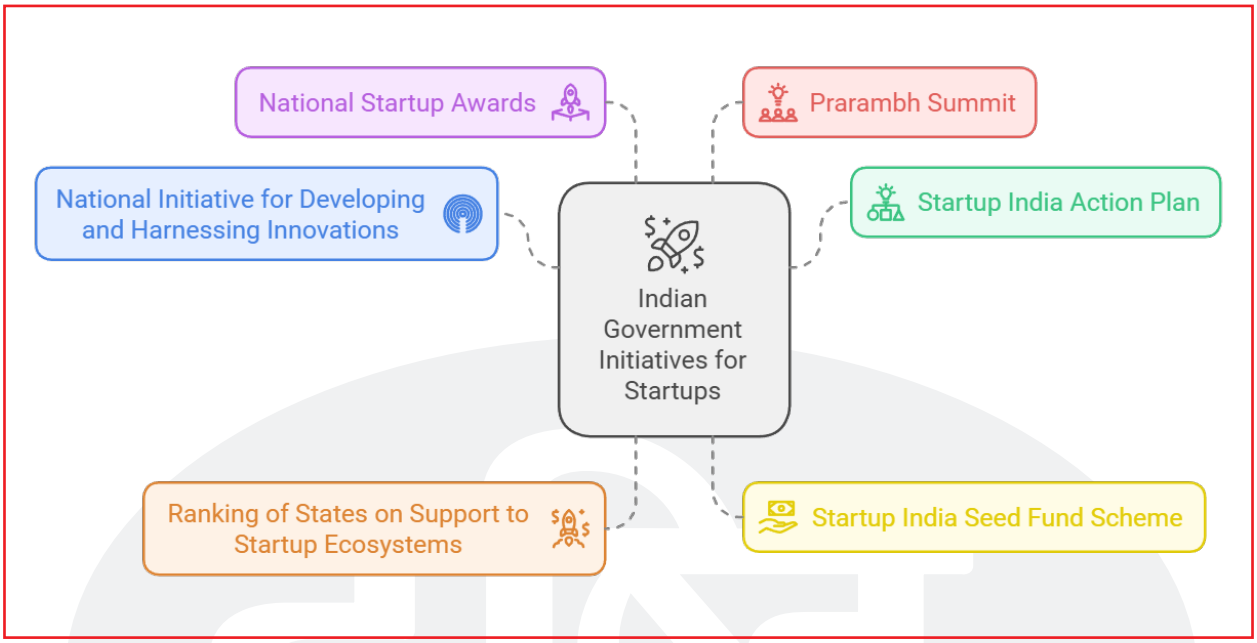

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- **विनियामक और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना: नौकरशाही की अक्षमताओं को कम करने के लिये स्टार्टअप पंजीकरण, कराधान और अनुपालन प्रक्रियाओं** को सरल बनाना महत्त्वपूर्ण है।
  - एक एकीकृत, समयबद्ध एकल खिड़की अनुमोदन प्रणाली विलंब और अस्पष्टता को दूर कर सकती है।
  - **उदाहरण के लिये, व्यवसाय करने में आसानी के लिये सुधार 2.0** के दायरे का विस्तार करने के साथ-साथ **DPIIT की स्टार्टअप इंडिया पहल** के तहत अनुपालन लागत को कम करने से स्टार्टअप्स को सालाना सैकड़ों परिचालन घंटे की बचत हो सकती है और तेज़ी से विस्तार को बढ़ावा मिल सकता है।
- **वित्तपोषण तंत्र तक पहुँच का विस्तार: भारत को क्षेत्र-विशिष्ट उद्यम निधि को बढ़ावा देना चाहिये और स्टार्टअप के लिये फंड ऑफ फंड्स (FFS) कार्यक्रम** के दायरे को व्यापक बनाना चाहिये।
  - **प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप के लिये राजस्व-आधारित वित्तपोषण** जैसे नवीन वित्तपोषण मॉडल को शुरू करने से इक्विटी कमज़ोर पड़ने का बोझ कम हो सकता है।
  - **सिडबी स्टार्टअप फंड** का विस्तार करना तथा इसे **हरित ऊर्जा और डीप-टेक** जैसे उभरते क्षेत्रों से जोड़ना, वित्तपोषण संबंधी अंतराल को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है।
- **शिक्षा जगत और स्टार्टअप के बीच सहयोग बढ़ाना:** संरचित उद्योग-अकादमिक सहयोग नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, विशेष रूप से डीप-टेक और बायोटेक स्टार्टअप में।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) के तहत विश्वविद्यालयों में नवाचार क्षेत्र स्थापित करने से स्टार्टअप्स को अत्याधुनिक अनुसंधान और तकनीकी विशेषज्ञता तक पहुँच प्रदान की जा सकती है।
- इन क्षेत्रों को **अनुसंधान को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करने** तथा बौद्धिक संपदा केंद्रों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- **ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना को मज़बूत करना:** 100% ग्रामीण ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करने के लिये **भारतनेट कार्यक्रम का** विस्तार करना ग्रामीण स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को खोलने की कुंजी है।
  - **कृषि प्रौद्योगिकी, एडटेक और ई-कॉमर्स क्षेत्र** में स्टार्टअप्स इंटरनेट की बढ़ती पहुँच के साथ फल-फूल सकते हैं।
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत अंतिम-मील कनेक्टिविटी के लिये निजी अभिकर्त्ताओं के साथ साझेदारी करने से तेज़ी से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकता है और लागत कम हो सकती है, जिससे ग्रामीण समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।
- **स्थिरता-केंद्रित स्टार्टअप को बढ़ावा देना:** कर लाभ और सब्सिडी के माध्यम से हरित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने से पारिस्थितिकी तंत्र को भारत के जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जा सकता है।
  - राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और नवीकरणीय ऊर्जा सब्सिडी जैसी स्थिरता पहलों को **EVS, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं अपशिष्ट प्रबंधन** में स्टार्टअप्स से जोड़ने से इस क्षेत्र में नवाचार में तेज़ी आ सकती है।
  - उदाहरण के लिये, **बैटरी रीसाइक्लिंग स्टार्टअप के लिये अनुदान,** पर्यावरणीय लक्ष्यों को स्टार्टअप विकास के साथ संरेखित कर सकता है।
- **वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच में सुधार:** सरकार समर्थित निर्यात योजनाओं के माध्यम से स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिये प्रोत्साहित करने से उनके बाज़ार का आकार बढ़ सकता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापार मिशनों में भागीदारी के लिये वित्तपोषण को शामिल करने के लिये **MADE (मेंटरिंग, एक्सेस, डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट)** जैसे कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिये।
  - **वैश्विक स्तर पर वाणिज्य मंडलों** के साथ साझेदारी करने से भारतीय स्टार्टअप्स को सीमा पार नेटवर्क बनाने में भी मदद मिल सकती है।
- **उच्च ग्राहक अधिग्रहण लागत (CAC) से निपटना:** CAC को कम करने के लिये, सरकार डिजिटल कॉमर्स के लिये ओपन नेटवर्क (ONDC) जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा दे सकती है ताकि समान अवसर उपलब्ध कराया जा सके।
  - ONDC छोटे स्टार्टअप्स को साझा संसाधनों का लाभ उठाने में सक्षम बना सकता है तथा भारी विपणन व्यय पर निर्भरता कम कर सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, ग्राहक प्रतिधारण के लिये **डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाने वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने से ग्राहक कमी की दर** कम हो सकती है, जिससे लाभप्रदता में सुधार हो सकता है।
- **महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देना:** महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये लक्षित पहल, जैसे **स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत तरजीही ऋण,** लैंगिक असमानताओं को दूर कर सकते हैं।
  - विशेष रूप से महिला संस्थापकों के लिये मेंटरशिप नेटवर्क का विस्तार करना तथा सब्सिडीयुक्त सहकार्य स्थान उपलब्ध कराना, अधिक समावेशी स्टार्टअप वातावरण का निर्माण कर सकता है।
- **डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं (DPG) का लाभ उठाना:** स्टार्टअप्स स्केलेबल समाधान विकसित करने के लिये भारत के सुदृढ़ डिजिटल बुनियादी अवसंरचना, जैसे **डिजिलॉकर का उपयोग** कर सकते हैं।
  - स्टार्टअप्स के लिये इन प्लेटफॉर्मों पर **ओपन-सोर्स API** को बढ़ावा देने से नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण के लिये, फिनटेक स्टार्टअप व्यक्तिगत वित्तीय उत्पाद बनाने, बाज़ार में लाने के समय को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिये **अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का** उपयोग कर सकते हैं।

- **मजबूत मेंटरशिप नेटवर्क का निर्माण:** राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मेंटरशिप नेटवर्क बनाने से संस्थापकों के बीच ज्ञान के अंतर को कम किया जा सकता है।
  - 'उत्पाद नवाचार, विकास और वृद्धि (SAMRIDH)' कार्यक्रम के लिये MeitY के स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर्स जैसे कार्यक्रमों को क्षेत्र-विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये विस्तारित किया जा सकता है।
  - **संरचित सरकारी नेतृत्व वाले कार्यक्रमों** के माध्यम से सफल उद्यमियों को प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स के साथ जोड़ने से उनकी अधिगम की प्रक्रिया में तेज़ी आ सकती है।

- **गिग इकॉनमी स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिये श्रम कानूनों में सुधार:** गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को समायोजित करने के लिये श्रम सुधार पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ा सकते हैं।
  - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 जैसे कार्यक्रमों के तहत **गिग श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क और स्वास्थ्य लाभ का निर्माण करके कार्यबल की अस्थिरता** को कम किया जा सकता है।
  - इससे विशेष रूप से **खाद्य वितरण, राइड-हेलिंग और लॉजिस्टिक्स** जैसे क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को लाभ होगा।

- **उभरते क्षेत्रों में सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देना: AI, ब्लॉकचेन और स्वच्छ ऊर्जा** जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने से भारतीय स्टार्टअप वैश्विक नवाचार में अग्रणी स्थान पर आ सकते हैं।
  - **अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ** स्टार्टअप एक्सचेंज कार्यक्रमों पर केंद्रित द्विपक्षीय समझौते **ज्ञान अंतरण को सक्षम कर सकते हैं।**
  - इन्हें स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों के साथ एकीकृत करने से भारत की वैश्विक स्टार्टअप उपस्थिति बढ़ सकती है।

निष्कर्ष:

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने सरकारी नीतियों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और उभरते निवेश परिदृश्य के कारण उल्लेखनीय वृद्धि और वैश्विक क्षमता का प्रदर्शन किया है। हालाँकि, **फंडिंग की कमी, नीतिगत अस्थिरता और प्रतिभा प्रतिधारण जैसी चुनौतियाँ** महत्त्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं। इस इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिये, भारत को **विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिये ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना चाहिये और अकादमिक-स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देना चाहिये।**

■■■

भारत में मृदा क्षरण से निपटना

भारत की कृषि स्थिरता मृदा स्वास्थ्य में गिरावट के कारण एक गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। हाल के आकलन से पता चलता है कि 5% से भी कम **भारतीय मृदा में नाइट्रोजन का स्तर अधिक** है, जबकि **केवल 20% में पर्याप्त कार्बनिक कार्बन** है। वर्तमान उर्वरक सब्सिडी प्रणाली, जो मुख्य रूप से **यूरिया पर केंद्रित** है, ने **असंतुलित पोषक तत्त्वों के प्रयोग को बढ़ावा** दिया है, जिसमें अत्यधिक नाइट्रोजन एवं अपर्याप्त फास्फोरस और पोटेशियम का उपयोग शामिल है। यह पोषक तत्त्व असंतुलन न केवल कृषि उत्पादकता को कम करता है बल्कि पर्यावरण क्षरण में भी योगदान देता है। इन चुनौतियों का समाधान करने और दीर्घकालिक मृदा स्वास्थ्य एवं कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये **तत्काल प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता** है।

भारत में मृदा क्षरण की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **वर्तमान स्थिति: भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस (SAC- 2021)** से पता चलता है कि सत्र 2018-19 के दौरान भूमि क्षरण की वर्तमान सीमा **97.85 मिलियन हेक्टेयर** थी, जो **देश के भौगोलिक क्षेत्र का 29.77%** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **भौगोलिक विस्तार और गंभीरता:** अर्द्र-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं तथा **राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एवं तेलंगाना जैसे राज्यों में** महत्त्वपूर्ण भूमि क्षरण देखा गई है।
  - अकेले राजस्थान में **21 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि क्षरित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत** है, जिसका मुख्य कारण यहाँ के शुष्क क्षेत्रों में वायु जनित क्षरण है।
  - **मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि** हुई है तथा अब **83.69 मिलियन हेक्टेयर भूमि** को मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से गुज़र रही शुष्क भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो वर्ष 2003-05 के बाद से 1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक की निवल वृद्धि है।

भारत में मृदा क्षरण के प्रमुख कारण क्या हैं?

- **असंवहनीय कृषि पद्धतियाँ:** रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों **और** एकल फसल उत्पादन **के अत्यधिक प्रयोग** सहित गहन कृषि तकनीकों पर भारत की निर्भरता के परिणामस्वरूप पोषक तत्त्वों की कमी एवं मृदा अम्लीकरण हुआ है।
  - उदाहरण के लिये, पंजाब और हरियाणा को हरित क्रांति की उच्च उपज वाली फसलों की परंपरा के कारण कार्बनिक कार्बन के स्तर में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है।
  - भारत में DDT और HCH जैसे **ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक** वर्तमान में प्रयुक्त **कीटनाशकों का 70% से अधिक हिस्सा** हैं।
- **निर्वनीकरण (वनों की कटाई) और शहरीकरण:** कृषि, बुनियादी अवसंरचना और शहरी विस्तार के लिये तेज़ी से निर्वनीकरण से मृदा क्षरण में वृद्धि होती है तथा जल धारण क्षमता कम हो जाती है।
  - हाल के आँकड़ों से पता चला है कि **भारत के प्राकृतिक वनों में वर्ष 2013 से 2023 तक वृक्षावरण की 95% हानि** हुई है।
    - उदाहरण के लिये, पश्चिमी घाट जो 36 वैश्विक जैवविविधता हॉटस्पॉट में से एक है, में **सदाबहार वन क्षेत्र में 5% की कमी** देखी गई, जिससे स्थानीय मृदा की उर्वरता प्रभावित हुई।
- **अतिचारण और असंवहनीय पशुधन प्रबंधन:** अनियमित चारण से वनस्पति की हानि होती है, **जिससे ऊपरी मृदा का क्षरण** होता है, विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात जैसे शुष्क एवं अर्द्र-शुष्क क्षेत्रों में।
  - भारत में **535 मिलियन से अधिक पशुधन** हैं जो धारणीय वहन क्षमता से अधिक हैं। पशुधन की संख्या में वृद्धि के कारण **चरागाह भूमि पर दबाव** बढ़ गया है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक चारण और वनस्पति आवरण का विनाश हो रहा है।
- **जल कुप्रबंधन और सिंचाई पद्धतियाँ:** अत्यधिक भूजल निष्कर्षण और निम्न स्तरीय सिंचाई तकनीक, **जैसे** गहन सिंचाई (Flood Irrigation) के परिणामस्वरूप मृदा की लवणता बढ़ती है तथा जलभराव होता है।
  - अत्यधिक सिंचाई के कारण जल लवणता में वृद्धि हुई है। देश में **लगभग 6.74 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र लवणता से प्रभावित** है।
    - पंजाब में अत्यधिक सिंचाई के कारण **लवणीकरण के कारण लगभग 50% भूमि क्षरित** हो गई है, जिसके कारण जलभराव हो गया है और सतह पर नमक/लवण संचयन हो गया है।
  - अनुमान बताते हैं कि प्रत्येक वर्ष लगभग **10% अतिरिक्त क्षेत्र लवणीय** हो रहा है और वर्ष 2050 तक **लगभग 50% कृषि योग्य भूमि लवण प्रभावित हो जाएगी।**
- **औद्योगिक प्रदूषण और खनन गतिविधियाँ:** उद्योगों द्वारा **भारी धातुओं, रसायनों और प्रदूषकों को** निकटवर्ती मृदा पारिस्थितिकी तंत्र में उत्सर्जित किया जाता है, विशेष रूप से ओडिशा एवं झारखंड जैसे खनन-प्रधान राज्यों में।
  - **कोयला खनन और फ्लाई ऐश डंप** से उत्पन्न विषाक्त प्रदूषण ने भूमि के बड़े हिस्से को अनुपजाऊ बना दिया है।
  - उदाहरण के लिये, **तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर संयंत्र** द्वारा वायु और आस-पास के जल निकायों में ज़हरीले रसायनों के उत्सर्जन के कारण गंभीर मृदा एवं जल प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम घटनाएँ:** जलवायु परिवर्तन से प्रेरित घटनाएँ, जैसे **अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़,** मृदा अपरदन और पोषक तत्त्वों की कमी को बढ़ाती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ के कारण कृषि क्षेत्रों में मृदा की ऊपरी सतह का भारी क्षय हुआ।**
  - जलवायु परिवर्तन के कारण सदी के अंत तक उच्च या बहुत अधिक मृदा अपरदन दर वाले क्षेत्रों की संख्या **35.3% से बढ़कर 40.3% हो जाने की संभावना** है।
- **स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि** और **कर्तन एवं दहन प्रथाएँ: नगालैंड और मणिपुर** जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित खेती/झूम कृषि के कारण मृदा की उर्वरता में गिरावट जारी है, क्योंकि इसके तहत कर्तन एवं दहन चक्र कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देती हैं।
  - पूर्वोत्तर भारत में कुल 4925 वर्ग किमी क्षेत्र को **झूमिंग हॉटस्पॉट के रूप में अभिनिर्धारित** किया गया है, जिसमें से **62% से अधिक अरुणाचल प्रदेश, असम और मिज़ोरम में** आता है, जिससे व्यापक मृदा क्षरण एवं जैवविविधता का ह्रास होता है।
- **अनियमित निर्माण और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ: सड़कों, बाँधों और शहरी बस्तियों** के लिये बड़े पैमाने पर निर्माण से ऊपरी मृदा नष्ट हो जाती है तथा प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न बाधित हो जाता है।
  - **उदाहरण के लिये, उत्तराखंड में चार धाम राजमार्ग** के निर्माण के कारण मृदा अस्थिरता और भूस्खलन की घटनाएँ हुई हैं, **राजमार्ग के एक भाग पर 300 से अधिक घटनाएँ दर्ज की गई हैं।**
- **आक्रामक प्रजातियाँ:** ***लैंटाना कैमरा*** (पंचफूली) जैसी **आक्रामक वनस्पति प्रजातियों** का प्रसार पोषक तत्त्वों को कम करके और देशी जैव विविधता को बाधित करके मृदा की उर्वरता को कम करता है।
  - **हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि 22% प्राकृतिक क्षेत्रों** में अत्यधिक चिंताजनक आक्रामक वनस्पति दर्ज किये गए हैं तथा अनुमान है कि इनसे **66% प्राकृतिक क्षेत्रों को खतरा** हो सकता है।

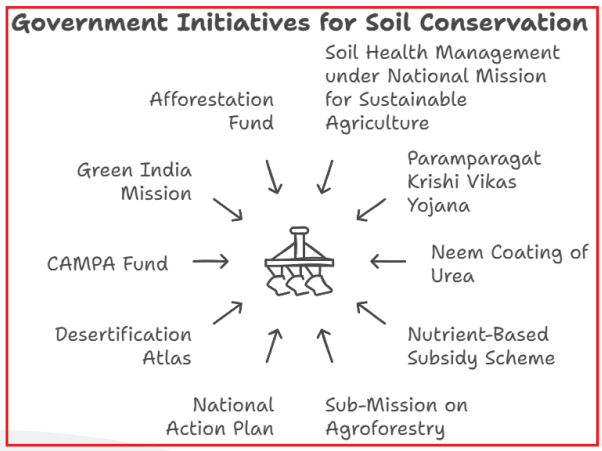

मृदा संरक्षण से संबंधित भारतीय सरकार की पहल आंशिक रूप से ही प्रभावी क्यों रह जाती है?

- **खंडित नीति फ्रेमवर्क:** भारत की मृदा प्रबंधन नीतियाँ **कई मंत्रालयों और योजनाओं में विखंडित** हैं, जिसके कारण समन्वय एवं फोकस की कमी होती है।
  - उदाहरण के लिये, **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सिंचाई) और मनरेगा (भूमि पुनर्भरण)** जैसे कार्यक्रमों से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है।
  - यह दृष्टिकोण **समग्र मृदा प्रबंधन को रोकता है।**
- **अपर्याप्त कार्यान्वयन और निगरानी:** यद्यपि **मृदा स्वास्थ्य कार्ड और परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) जैसी योजनाओं का** उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनके कार्यान्वयन में काफी बाधाएँ आती हैं।
  - वर्ष 2022 के आँकड़ों से पता चलता है कि **केवल 33% किसान ही मृदा स्वास्थ्य संबंधी सिफारिशों का प्रयोग** करते हैं। जवाबदेही व रियल टाइम फीडबैक की कमी से प्रभाव और कम हो जाता है।
- **क्षेत्रीय विशिष्टता की उपेक्षा:** अधिकांश मृदा स्वास्थ्य पहल सामान्य हैं और वे **राजस्थान में मरुस्थलीकरण** या **गुजरात में लवणता जैसी क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने में विफल** रहती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इस एक ही नीति के कारण मृदा प्रबंधन पहल की प्रभावकारिता प्रभावित होती है।

- **अनुसंधान और कार्यान्वयन के बीच कमज़ोर संबंध:** ICAR और IIT जैसे संस्थानों द्वारा भारत में मृदा अनुसंधान के परिणामों को प्रभावी रूप से क्षेत्र-स्तरीय समाधानों में परिवर्तित नहीं किया जाता है।
  - उदाहरण के लिये, बायोचार **और** माइक्रोबियल उर्वरक **जैसे नवाचारों का** व्यावसायीकरण के लिये सरकारी समर्थन की कमी के कारण कम उपयोग किया जाता है। यह वियोग मृदा स्वास्थ्य सुधार पर अनुसंधान एवं विकास के प्रभाव को कम करता है।

भारत में प्रभावी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना: जैविक कृषि, फसल चक्र और कृषि वानिकी** को प्रोत्साहित करने से कार्बनिक पदार्थ एवं सूक्ष्मजीव गतिविधि में वृद्धि करके मृदा के स्वास्थ्य को बहाल किया जा सकता है।
  - **परंपरागत कृषि विकास योजना** जैविक कृषि का समर्थन करती है, लेकिन किसानों को अधिक प्रशिक्षण देकर इसके दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है।
  - **मृदा की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिये PKVY को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के साथ जोड़ने से** क्षेत्र-विशिष्ट सिफारिशें सुनिश्चित हो सकती हैं।
- **वाडी प्रणाली को बढ़ावा देना:** भारत में पारंपरिक वृक्ष-आधारित कृषि पद्धति वाडी प्रणाली के तहत **कृषि, बागवानी और वानिकी को एकीकृत किया जा सकता है।**
  - यह कृषि वानिकी को एक सतत् अभ्यास के रूप में बढ़ावा देता है, **क्षरण को रोककर मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाता है,** जल संरक्षण करता है और जैवविविधता को समृद्ध करता है।
  - यह दृष्टिकोण सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण और संधारणीय कृषि को भी समर्थन देता है, जिससे यह प्रभावी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिये एक मूल्यवान उपाय बन जाता है।
- **जल प्रबंधन तकनीकों में सुधार:** ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों जैसी सूक्ष्म सिंचाई विधियों को अपनाने से **जल संरक्षण के साथ-साथ जलभराव तथा लवणीकरण में कमी आती है।**
  - उदाहरण के लिये, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का उद्देश्य सिंचाई का विस्तार करना है, लेकिन **जल-मृदा संतुलन को अनुकूलित करने के लिये इसे परिशुद्ध कृषि के साथ एकीकृत किया जा सकता है।**
    - वर्तमान में सूक्ष्म सिंचाई कवरेज केवल **19% है, जो इसे बढ़ाने की व्यापक संभावना को दर्शाता है।**
- **रेत खनन के विरुद्ध विनियमन लागू करना:** सख्त निगरानी और संवहनीय रेत खनन नीतियों से नदी तट के अत्यधिक अपरदन को रोका जा सकता है तथा मृदा पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सकती है।
  - **नदी तल की निगरानी के लिये ड्रोन और AI** जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, जैसा कि **आंध्र प्रदेश रेत खनन विनियमन मॉडल** में देखा गया है, अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **बंजर भूमि का पुन: उर्वरता: वनरोपण, चरागाह पुनरुद्धार (जैसे- बन्नी चरागाह पुनरुद्धार) एवं आर्द्रभूमि पुनर्भरण** के माध्यम से भूमि पुनर्ग्रहण से मृदा अपरदन में उल्लेखनीय कमी आ सकती है, **जोकि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये** संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) **के** तहत **वर्ष 2030 तक** भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
  - **राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP)** जैसे कार्यक्रमों को बेहतर अभिगम के लिये समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों को एकीकृत करना चाहिये।
  - भूमि पुनरुद्धार में रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिये **NAP को मनरेगा के साथ** एकीकृत करने से **पारिस्थितिकी पुन:प्राप्ति और ग्रामीण विकास के दोहरे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **संरक्षण कृषि को बढ़ावा देना: शून्य जुताई, मल्चिंग और कवर फसल** जैसी संरक्षण कृषि पद्धतियाँ मृदा की संरचना तथा कार्बनिक कार्बन को बढ़ाती हैं।
  - उदाहरण के लिये, लुधियाना, पंजाब स्थित **बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया (BISA) सक्रिय रूप से शून्य-जुताई कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से 'हैप्पी सीडर' प्रौद्योगिकी** के उपयोग के माध्यम से।
  - PMKSY के अंतर्गत इन विधियों को अन्य उच्च उपज वाले क्षेत्रों में विस्तारित करने से व्यापक प्रभाव सुनिश्चित होगा।
- **दूषित मृदा के लिये जैव-उपचार अपनाना: सूक्ष्मजीवों और पादपों** का उपयोग करके जैव-उपचार से भारी धातुओं एवं औद्योगिक अपशिष्टों से **प्रदूषित मृदा का शोधन** किया जा सकता है।
  - **कृषि भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने के लिये इस तकनीक का गुजरात के अंकलेश्वर औद्योगिक क्षेत्र** में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है।
  - क्रिओसोट प्रभावित मृदा में मिलाने के लिये बचे हुए मशरूम कम्पोस्ट में मछली के तेल का प्रयोग दूषित मृदा के लिये जैव-उपचार का एक उदाहरण है।
    - **इस संयोजन के परिणामस्वरूप पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAH)** का सबसे प्रभावी अपघटन हुआ।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता का विस्तार:** मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना को वितरण से आगे बढ़कर **इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिये किसान शिक्षा पर ध्यान केंद्रित जाना चाहिये।**
  - SHC डेटा को **किसान सुविधा ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने से रियल टाइम परामर्श सेवाएँ** प्रदान की जा सकती हैं।
  - इसे **स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के साथ एकीकृत करने से** किसानों के लिये ज़मीनी स्तर पर समर्थन सुनिश्चित हो सकता है।
- **तटीय मृदा प्रबंधन योजनाएँ बनाना:** तटीय क्षेत्रों के लिये व्यापक मृदा प्रबंधन योजनाएँ मैंग्रोव वनरोपण और लवण प्रतिरोधी फसलों के माध्यम से लवणता की अधिक मात्रा को कम कर सकती हैं।
  - **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के अंतर्गत राष्ट्रीय तटीय मिशन** जैसी परियोजनाओं को आवास संरक्षण के साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देना चाहिये।
  - **तमिलनाडु** के **मैंग्रोव पुनरुद्धार मॉडल** को व्यापक प्रभाव के लिये दोहराया जा सकता है।
- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश: जैव-उर्वरकों और कुशल मृदा परीक्षण** किट जैसी मृदा-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने से मृदा प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है।
  - ICAR जैसे संस्थानों को **किफायती समाधान खोजने के लिये स्टार्टअप के साथ मिलकर काम करना चाहिये।** उदाहरण के लिये, **बायोचार उत्पादन को कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के साथ एकीकृत करने** से अपशिष्ट कम हो सकता है और मृदा भी समृद्ध हो सकती है।
- **शहरी खाद और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना:** नगरपालिका खाद सुविधाओं को प्रोत्साहित करने से **शहरी जैविक अपशिष्ट को उच्च गुणवत्ता वाली खाद में परिवर्तित किया जा सकता है,** जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो सकती है।
  - **कर्नाटक कम्पोस्ट विकास निगम, जो प्रतिदिन 250 टन गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण करता है,** एक अनुकरणीय मॉडल है।
  - खाद की बिक्री पर GST छूट के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने से इसे अपनाने में और अधिक वृद्धि हो सकती है।
- **प्राकृतिक खेती की पहल को सुदृढ़ करना: सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती (SPNF) मॉडल** जैसी प्राकृतिक खेती तकनीकें मृदा की जैवविविधता को बढ़ाने के साथ-साथ बाय कृषि आदान पर निर्भरता को कम करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- SPNF को स्थानीय **कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) से जोड़ने** से किसानों द्वारा इसे अपनाना तथा बेहतर पहुँच सुनिश्चित हो सकती है।

- **एकीकृत पोषक तत्त्व प्रबंधन को बढ़ावा देना: जैविक और जैव-उर्वरकों** के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग से पोषक तत्त्व असंतुलन को दूर किया जा सकता है।
  - **पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS)** को संशोधित कर इसमें **जैव-उर्वरकों** को शामिल करना तथा सुदृढ़ीकृत उर्वरकों को बढ़ावा देना, बेहतर मृदा स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकता है।
  - NBS सुधारों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड डेटा के साथ जोड़ने से किसान-विशिष्ट सिफारिशें सुनिश्चित हो सकती हैं।
- **डिजिटल मृदा स्वास्थ्य मानचित्रण का विकास: मृदा स्वास्थ्य मानचित्रण के लिये** एक **राष्ट्रीय डिजिटल डाटाबेस** क्षरण की प्रवृत्तियों पर नज़र रखने और स्थान-विशिष्ट उपायों की सिफारिश करने में मदद कर सकता है।
  - **आवधिक मृदा मानचित्रण के लिये ISRO के पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों** का लाभ उठाने से कार्यान्वयन योग्य जानकारी प्राप्त होगी।
  - इस तरह के आँकड़ों को कृषि नीतियों में एकीकृत करने से परिशुद्ध मृदा प्रबंधन पद्धतियाँ संभव हो सकती हैं।
- **माइक्रोप्लास्टिक संदूषण से निपटना: एकल-उपयोग प्लास्टिक** पर सख्त **प्रतिबंध के साथ-साथ कृषि प्लास्टिक के बेहतर प्रबंधन पर भी ध्यान** देना चाहिये।
  - जैवनिम्नीकरणीय विकल्पों और पुनर्चक्रण प्रणालियों को बढ़ावा देने से माइक्रोप्लास्टिक मृदा प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
  - **बायोडिग्रेडेबल कृषि-प्लास्टिक विकसित करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने से** इस बदलाव को समर्थन मिल सकता है।
- **सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ बनाना: मृदा संरक्षण में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों एवं पंचायती राज संस्थाओं** को सशक्त बनाना बेहतर पहुँच और कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।
  - उदाहरण के लिये, **गुजरात का सहभागी वाटरशेड कार्यक्रम एक आदर्श हो सकता है।**
  - ऐसे समुदाय-नेतृत्व वाले मॉडलों को देश भर में विस्तारित करने से स्वामित्व और सफलता दर में वृद्धि हो सकती है।
- **जलवायु अनुकूलन को मृदा संरक्षण के साथ एकीकृत करना: वनरोपण** जैसी जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को **मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ संयोजित** करने से जलवायु-प्रेरित क्षरण के विरुद्ध समुत्थानशीलन उत्पन्न किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये, जलवायु परिवर्तन के लिये राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) परियोजनाओं को **वाटरशेड विकास योजनाओं के साथ एकीकृत करने से संतुलन हो सकता है।**
    - राजस्थान जैसे राज्य ऐसी दोहरे उद्देश्य वाली पहल से लाभान्वित हो सकते हैं।

निष्कर्ष:

एकीकृत, संधारणीय कृषि पद्धतियों, प्रभावी जल प्रबंधन और लक्षित संरक्षण प्रयासों के माध्यम से मृदा के क्षरण को नियंत्रित करना भारत के कृषि भविष्य के लिये आवश्यक है। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था, जैसे 57% आजीविका के लिये कृषि पर निर्भरता और **SDG 15 (भूमि पर जीवन) को प्राप्त करने,** दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये मृदा का स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण है।

■■■

लघुपक्षवाद से बदलती वैश्विक कूटनीति

बहुपक्षवाद **की धीमी, प्रायः अप्रभावी** प्रक्रियाओं से हटकर, लघुपक्षवाद/मिनीलेटरलिज़्म, विशेष क्षेत्रीय चिंताओं से निपटने के लिये राष्ट्रों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करके वैश्विक व्यवस्था को पुनर्परिभाषित कर रहा है। भारत इस बदलाव में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो बहुध्रुवीयता को आगे बढ़ाने और अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने के लिये मिनीलेटरल फ्रेमवर्क का लाभ उठाता है। भरोसेमंद भागीदारी और सुरक्षित व्यापार की इच्छा से प्रेरित, **मिनीलेटरलिज़्म देशों को वैश्विक शासन की अनिश्चितताओं का एक विकल्प** प्रदान करता है। जबकि वे चुस्त और केंद्रित समाधान प्रदान करते हैं, उनका सीमित दायरा व्यापक वैश्विक मुद्दों के समाधान में बाधा डाल सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

लघुपक्षवाद/मिनीलेटरलिज़्म क्या है?

- **मिनीलेटरलिज़्म से तात्पर्य** विशिष्ट वैश्विक, क्षेत्रीय या मुद्दा-आधारित चुनौतियों से निपटने के लिये सीमित संख्या में देशों को शामिल करते हुए छोटे, **अधिक केंद्रित गठबंधनों या गठबंधनों के गठन** से है।
  - ये गठबंधन आमतौर पर **साझा हितों, लक्ष्यों या चिंताओं वाले देशों के बीच बनाए जाते** हैं, जिससे निर्णय लेने में तेज़ी आती है एवं अधिक लक्षित परिणाम प्राप्त होते हैं।
- **उदाहरण: अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने वाला** चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) मिनीलेटरलिज़्म/लघुपक्षवाद का एक उदाहरण है, जो एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

मिनीलेटरलिज़्म/लघुपक्षवाद मल्टीलेटरलिज़्म/बहुपक्षवाद से किस प्रकार भिन्न है?

पहलू	मिनीलेटरलिज़्म/लघुपक्षवाद	मल्टीलेटरलिज़्म/बहुपक्षवाद
प्रतिभागियों की संख्या	कुछ देश (जैसे, 3-10 सदस्य राष्ट्र)	व्यापक भागीदारी (प्रायः वैश्विक, जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन)
केंद्र	विशिष्ट मुद्दे या क्षेत्रीय चुनौतियाँ	व्यापक, वैश्विक चुनौतियाँ जिनके लिये सार्वभौमिक सहमति की आवश्यकता है।
निर्णय लेना	कम सदस्यों के कारण अधिक तीव्र और अधिक लचीला।	कई राष्ट्रों के बीच आम सहमति की आवश्यकता के कारण धीमी प्रक्रिया
मुद्दों का दायरा	संकीर्ण, सुपरिभाषित उद्देश्य (जैसे- सुरक्षा, व्यापार)	व्यापक, वैश्विक चिंताओं को दूर करना (जैसे- जलवायु परिवर्तन)
समावेशिता	समान विचारधारा वाले या रणनीतिक रूप से संरेखित राष्ट्रों तक सीमित।	विचारधारा की परवाह किये बिना सभी देशों के लिये खुला है।
क्षमता	उच्च, क्योंकि कम सदस्यों के कारण कार्यवाही शीघ्र होती है।	निम्न, क्योंकि विविध हितों के कारण निर्णय में विलंब हो सकता है।

वैश्विक व्यवस्था बहुपक्षवाद से लघुपक्षवाद की ओर क्यों स्थानांतरित हो रही है?

- **वैश्विक सहमति का विखंडन:** बहुपक्षवाद को प्रायः विविध सदस्य राज्यों के अलग-अलग हितों के कारण आम सहमति प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिसके परिणामस्वरूप अकुशलता और निष्क्रियता उत्पन्न होती है।
  - दोहा विकास एजेंडा को अंतिम रूप देने में **विश्व व्यापार संगठन की असमर्थता** (दो दशक से अधिक समय के बाद भी) **से यह निष्क्रियता स्पष्ट हो रही है।**
  - परिणामस्वरूप, देश व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी समझौते (CPTPP) जैसे छोटे, मुद्दा-विशिष्ट गठबंधनों का विकल्प चुन रहे हैं।
- **शक्ति विषमता और उभरती भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: बहुपक्षीय संस्थाओं में प्रमुख शक्तियों का प्रभुत्व** छोटे राष्ट्रों को दरकिनार कर देता है, जिससे असंतोष और अविश्वास बढ़ता है।
  - उदाहरण के लिये, चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना (BRI) विश्व बैंक जैसे पारंपरिक बहुपक्षीय ढाँचे के बाहर वैश्विक वित्त को नया आयाम दे रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसके अतिरिक्त G-7 जैसे छोटे समूह भी **प्रतिसंतुलन के रूप में उभरे** हैं तथा G-7 के हालिया वक्तव्यों में चीन के आर्थिक दबाव पर भी ध्यान दिया गया है।

- **संकट प्रबंधन में दक्षता और गति:** बहुपक्षीय व्यवस्थाओं की तुलना में, जिनमें प्राय: नौकरशाही संबंधी विलंब का सामना करना पड़ता है, मिनीलेटरल/लघुपक्षीय फ्रेमवर्क संकटों पर तेज़ी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाते हैं।
  - कोविड-19 महामारी के दौरान, WHO जैसे बहुपक्षीय निकायों की **विलंब से प्रतिक्रिया के लिये आलोचना की गई,** जबकि क्वाड देशों ने वैश्विक स्तर पर **कोविड टीकों की 1.2 बिलियन से अधिक खुराक उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की।**
  - यह आपात स्थितियों से निपटने में लघुपक्षीय व्यवस्था की दक्षता को उजागर करता है।
- **केंद्रित एवं अनुकूलित दृष्टिकोण:** मिनीलेटरलिज़्म/लघुपक्षवाद देशों को व्यापक बाधाओं के बिना विशिष्ट, कार्यान्वयन योग्य लक्ष्यों पर सहयोग करने की अनुमति देता है।
  - उदाहरण के लिये, ऑस्ट्रेलिया-यूके-यूएस (AUKUS) साझेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे व्यापक बहुपक्षीय समझौतों की अकुशलताओं को नज़रअंदाज़ करते हुए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **क्षेत्रीय सुरक्षा और तकनीकी साझाकरण सुनिश्चित** करता है।
- **वैश्विक शक्ति में संरचनात्मक बदलावों की प्रतिक्रिया:** चीन और भारत जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के उदय ने क्षेत्रीय हितों के लिये लघु स्तरीय मंचों के निर्माण को बढ़ावा दिया है।
  - क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP), जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है, यह दर्शाती है कि किस प्रकार एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ पश्चिमी प्रभुत्व वाली पारंपरिक बहुपक्षीय प्रणालियों को नज़रअंदाज़ कर रही हैं।
- **बहुपक्षीय संस्थाओं में वैधता का संकट: संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण मुद्दों** (जैसे- रूस-यूक्रेन युद्ध) का समाधान करने में असमर्थता ने उनकी विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया है।
  - संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के विरुद्ध मेज़बान देशों का बढ़ता प्रतिरोध, जो **सूडान द्वारा UNAMID को अस्वीकार करने, माली द्वारा MINUSMA को जबरन वापस लेने तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा MONUSCO को बाहर करने के दबाव** में देखा जा सकता है, विश्वसनीयता की हानि को दर्शाता है।

मिनीलेटरलिज़्म/लघुपक्षवाद के उदय में भारत की क्या भूमिका है?

- **क्षेत्रीय सुरक्षा में नेतृत्व:** भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का प्रतिकार करने के लिये लघु-पक्षीय सुरक्षा फ्रेमवर्क में एक प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है।
  - **क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया)** के माध्यम से भारत समुद्री सुरक्षा, अवैध मत्स्यन का मुकाबला करने और क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर काम कर रहा है।
  - इसके साथ ही, भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) **में शामिल है** तथा क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद निरोध और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- **लक्षित समझौतों के माध्यम से आर्थिक साझेदारी:** भारत क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ाने तथा चीन पर निर्भरता कम करने के लिये लघु-पक्षीय व्यापार और आर्थिक समझौतों में सक्रिय रहा है।
  - उदाहरण के लिये, भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते **के तहत,** दोनों देश वर्ष 2030 तक **गैर-पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को दोगुना** करके **100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने पर सहमत हुए।**
- **रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग:** भारत अपनी प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिये मिनीलेटरल प्लेटफॉर्मों का लाभ उठा रहा है।
  - उदाहरण के लिये, **क्वाड के तहत जापान और अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी सेमीकंडक्टर विनिर्माण** पर केंद्रित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- अमेरिका के साथ समझौते के पश्चात् भारत उत्तर प्रदेश के जेवर में एक **मल्टाइ-मटेरियल सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई** स्थापित करेगा।

- **विशिष्ट गठबंधनों के माध्यम से जलवायु नेतृत्व:** भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसी लघु-पक्षीय जलवायु कार्रवाई पहलों का नेतृत्व करता है, जो विकासशील देशों के लिये सौर ऊर्जा समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - इसके अतिरिक्त, **भारत की G-20 अध्यक्षता** के दौरान शुरू किया गया वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, सतत् ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - यह विशिष्ट वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये जलवायु-केंद्रित लघुपक्षीय फ्रेमवर्क में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग का निर्माण:** भारत ग्लोबल साउथ में विकास को बढ़ावा देने के लिये लघु-पक्षीय **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने में सबसे आगे** है।
  - भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) वार्ता मंच गरीबी उन्मूलन, व्यापार और सतत् विकास पर केंद्रित है।
  - वर्ष 2023 में, **भारत** ने वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट (VOGSS) **की मेज़बानी की**, जिसमें वैश्विक असमानताओं और बहुपक्षीय प्रणालियों में सुधारों पर चर्चा करने के लिये देशों को एक साथ लाया गया।
- **आपूर्ति शृंखला सुदृढ़ीकरण:** भारत लचीली और विविधीकृत वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के निर्माण के लिये लघु-पक्षीय प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण अभिकर्त्ता बन गया है।
  - भारत-ऑस्ट्रेलिया-जापान आपूर्ति शृंखला सुदृढ़ीकरण पहल (SCRI) के माध्यम से भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखला विविधीकरण को सुविधाजनक बना रहा है, **जिसका प्रमुख लाभार्थी भारत** है।

मिनीलेटरलिज़्म/लघुपक्षवाद को आगे बढ़ाने में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

- **सामरिक स्वायत्तता और साझेदारी के बीच संतुलन:** भारत की ऐतिहासिक **गुटनिरपेक्ष नीति,** लघुपक्षीय रूपरेखाओं में अपेक्षित गहन संरेखण के साथ संघर्षरत है।
  - उदाहरण के लिये, **क्वाड गठबंधन** भारत की **रणनीतिक स्वायत्तता** और दीर्घकालिक रक्षा साझेदार रूस के साथ संतुलन बनाने की **संबंधी बाधाएँ:** भारत की संस्थागत क्षमता और वित्तीय संसाधन सीमित हैं, जिससे विभिन्न मिनीलेटरल/लघुपक्षीय मंचों में नेतृत्व करने या सक्रिय रूप से भाग लेने की इसकी क्षमता सीमित हो गई है।
  - उदाहरण के लिये, **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, क्वाड और BRICS में** एक साथ भूमिका निभाने के लिये महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक एवं वित्तीय क्षमता की आवश्यकता होती है।
  - **भारत का रक्षा बजट वर्ष 2023 में 72.6 बिलियन डॉलर रहा, जो पहले से ही तनावपूर्ण है,** जिससे **अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं के लिये सीमित संभावना** शेष है।
- **वैश्विक संस्थाओं में हाशिये पर जाने का जोखिम:** मिनीलेटरलिज़्म/लघुपक्षवाद पर अत्यधिक निर्भरता के कारण **भारत को पारंपरिक बहुपक्षीय मंचों पर हाशिये पर जाने का खतरा** है, जहाँ बड़े सुधार आवश्यक हैं।
  - उदाहरण के लिये, **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिये भारत का प्रयास** रुका हुआ है तथा मिनीलेटरलिज़्म/लघुपक्षवाद में इसकी सक्रिय भूमिका के बावजूद इसमें बहुत कम प्रगति हुई है।
  - इससे यह चिंता उत्पन्न होती है कि छोटे गठबंधनों पर ध्यान केंद्रित करने से वैश्विक संस्थागत सुधार के दीर्घकालिक लक्ष्य कमज़ोर हो सकते हैं।
- **समेकित घरेलू सहमति का अभाव:** संप्रभुता संबंधी चिंताओं और विदेशी गठबंधनों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भारत को गहन लघुपक्षीय प्रतिबद्धताओं के प्रति घरेलू विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
  - उदाहरण के लिये, **RCEP में शामिल होने को लेकर चल रही बहसों में** घरेलू उद्योगों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की आशंकाएँ उजागर हुईं, **जिसके कारण भारत ने वर्ष 2020 में इससे बाहर निकलने का फैसला किया।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह राष्ट्रीय हितों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करने में आंतरिक चुनौतियों को दर्शाता है।

- **अतिव्यापी रूपरेखा और पुनरावृत्ति:** मिनीलेटरल प्लेटफॉर्मों के प्रसार से प्रयासों की पुनरावृत्ति और अकुशलता उत्पन्न होने का खतरा है।
  - उदाहरण के लिये, **भारत क्वाड और I2U2 दोनों का हिस्सा** है, जो प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी अवसंरचना के सहयोग जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
  - इन फ्रेमवर्क के बीच सामंजस्य बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर तब जब साझेदार प्रत्येक समूह में अलग-अलग एजेंडों को प्राथमिकता देते हैं।

भारत बहुपक्षवाद के साथ लघुपक्षवाद को संतुलित करने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- **बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधारों का समर्थन: भारत संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और IMF** जैसे बहुपक्षीय मंचों में सुधारों का समर्थन कर सकता है ताकि उन्हें अधिक समावेशी एवं कुशल बनाया जा सके।
  - उसे अपनी बढ़ती वैश्विक स्थिति और ग्लोबल साउथ में गठबंधनों का लाभ उठाते हुए **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिये प्रयास करना चाहिये।**
  - **IBSA जैसे मंचों पर ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका** जैसे लघुपक्षीय साझेदारों के साथ सहयोग करके भारत इन सुधारों के लिये गति बढ़ा सकता है।
- **क्षेत्रीय बहुपक्षीय फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करना: भारत को विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान** के लिये लघुपक्षवाद का उपयोग करते हुए **SAARC और BIMSTEC** को पुनर्जीवित व सुदृढ़ करने के लिये काम करना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, भारत व्यापक क्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित करने के लिये **क्वाड की समुद्री पहल को BIMSTEC की ब्लू-इकॉनमी परियोजनाओं के साथ जोड़ने का प्रस्ताव** कर सकता है।
- **"हाइब्रिड डिप्लोमेसी" मॉडल विकसित करना:** भारत एक संरचित हाइब्रिड दृष्टिकोण अपना सकता है, जहाँ **लघुपक्षवाद बहुपक्षवाद का पूरक हो तथा यह सुनिश्चित हो कि कोई भी सदस्य अन्य को कमज़ोर न करे।**
  - उदाहरण के लिये, भारत ग्लोबल साउथ के अधिक देशों को एकीकृत करके **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का विस्तार** कर सकता है तथा **प्रौद्योगिकी अंतरण में तीव्रता लाने के लिये क्वाड जैसे छोटे गठबंधनों का उपयोग** कर सकता है।
- **ग्लोबल साउथ गठबंधन में नेतृत्व स्थापित करना:** भारत विशिष्ट चुनौतियों के लिये लक्षित लघुपक्षीय पहलों में संलग्न रहते हुए बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
  - वर्ष 2023 में G-20 की अध्यक्षता के आधार पर भारत **वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट** को एक वार्षिक बहुपक्षीय मंच के रूप में संस्थागत रूप दे सकता है।
  - **विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या दक्षिण में रहती है,** अत: भारत छोटे गठबंधनों और बड़े बहुपक्षीय निकायों के बीच सेतु का काम कर सकता है।
- **बहुपक्षीय लक्ष्यों के साथ लघुपक्षीय एजेंडा को संरेखित करना:** भारत अपने लघुपक्षीय पहलों को **संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (SDG)** जैसे व्यापक बहुपक्षीय लक्ष्यों के साथ संरेखित कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, भारत सतत् विकास लक्ष्य 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी अवसंरचना) को प्राप्त करने के लिये **UNDP कार्यक्रमों के साथ क्वाड की प्रौद्योगिकी-साझाकरण पहलों को एकीकृत कर सकता है।**
  - भारत के घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता हासिल करना है, को भी **ISA के वैश्विक सौर लक्ष्यों के साथ संरेखित** किया जा सकता है।
- **बहुपक्षीय प्रभाव के लिये आर्थिक कूटनीति का लाभ उठाना:** भारत को बहुपक्षीय व्यापार नीतियों को प्रभावित करने के लिये अपनी लघुपक्षीय आर्थिक साझेदारी का उपयोग करना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, भारत, **भारत-यूएई-इज़रायल त्रिपक्षीय व्यापार पहल को अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA)** जैसे बड़े व्यापार ब्लॉक के साथ एकीकृत कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **AfCFTA में 54 देशों को शामिल किये जाने के साथ,** यह संबंध भारत के आर्थिक और बहुपक्षीय प्रभाव को बढ़ा सकता है।

- **बहुपक्षीय एकीकरण के लिये क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना:** भारत क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं में अपने नेतृत्व का उपयोग करके बहुपक्षीय और लघुपक्षीय पहलों के बीच के अंतर को कम कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, भारत **भारत-बांग्लादेश-नेपाल सीमा पार** ऊर्जा व्यापार पहल का विस्तार कर सकता है तथा इसमें **BIMSTEC देशों को भी शामिल कर सकता है,** जो व्यापक बहुपक्षीय ऊर्जा सहयोग के साथ संरेखित होगा।
  - भारत **बांग्लादेश को 1,160 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का निर्यात** कर रहा है, जो एक क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र के रूप में इसकी क्षमता को दर्शाता है।
- **एक सेतुबंधक तंत्र के रूप में बहुपक्षीयता को बढ़ावा देना:** भारत **बहुपक्षीयता और लघुपक्षीयता के बीच एक मध्यवर्ती कदम के रूप में बहुपक्षीय समझौतों का समर्थन** कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, भारत अपनी क्वाड वैक्सीन पहल के आधार पर **वैश्विक वैक्सीन निर्माण मानकों** पर बहुपक्षीय समझौते के लिये दबाव डाल सकता है।
  - भारत पहले से ही **वैश्विक वैक्सीन लीडर है, जो विश्व की 60% से अधिक वैक्सीन का उत्पादन करता है,** जिससे उसे ऐसे प्रयासों का नेतृत्व करने की विश्वसनीयता मिलती है।
- **बहुपक्षीय डिजिटल शासन का समर्थन:** भारत संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक डिजिटल शासन मानदंडों को आगे बढ़ाने के लिये बहुपक्षीय डिजिटल साझेदारी में अपने नेतृत्व का उपयोग कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, भारत, **भारत-यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी को डिजिटल पब्लिक गुड्स अलायंस जैसे बहुपक्षीय फ्रेमवर्क के साथ जोड़ने का प्रस्ताव** कर सकता है।
  - **भारत की आधार प्रणाली,** जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस है, व्यापक डिजिटल गवर्नेंस समाधान के लिये एक ब्लूप्रिंट हो सकती है।

निष्कर्ष:

मिनीलेटरलिज़्म **लक्षित भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय चुनौतियों के लिये त्वरित समाधान** प्रदान करके वैश्विक शासन को नया आयाम दे रहा है। इस बदलाव में भारत का नेतृत्व, विशेष रूप से **क्वाड जैसे फ्रेमवर्क में,** रणनीतिक हितों को सुरक्षित करते हुए अपनी वैश्विक स्थिति को बढ़ाता है। हालाँकि इन गठबंधनों का सीमित दायरा व्यापक वैश्विक मुद्दों का समाधान करने के लिये चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। संतुलन बनाने के लिये, **भारत को बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों को आगे बढ़ाना चाहिये, एक हाइब्रिड कूटनीति मॉडल अपनाना चाहिये** और मिनीलेटरल एजेंडा को व्यापक वैश्विक लक्ष्यों के साथ जोड़ना चाहिये, ताकि क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग दोनों ही विकसित हो सकें।

■■■

भारत के विनिर्माण क्षेत्र में सुधार

भारत अपनी विनिर्माण यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसमें **रणनीतिक विनियामक सुधारों के माध्यम से** सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र के योगदान को 15% से बढ़ाकर 25% करने का एक महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोण है। **मशीनरी और विद्युत उपकरण सुरक्षा (सर्वव्यापी तकनीकी विनियमन) आदेश, 2024** (जो भारत में मशीनरी एवं विद्युत उपकरणों के लिये अनिवार्य सुरक्षा मानक निर्धारित करता है) की शुरुआत **उत्पाद की गुणवत्ता को मानकीकृत करने, वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने तथा औद्योगिक विकास के लिये एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र** बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। यह रणनीतिक हस्तक्षेप एक ऐसे विनिर्माण क्षेत्र के निर्माण के लिये भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो **अभिनव,** संधारणीय **और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी है।**

भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **विनिर्माण** भारत की आर्थिक वृद्धि के एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर रहा है, जो सकल घरेलू उत्पाद और रोज़गार में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
  - महामारी से पूर्व, इस क्षेत्र ने **भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 16-17% का योगदान** दिया था, जिसमें **27.3 मिलियन श्रमिकों को रोज़गार** मिला था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- सरकार का लक्ष्य **वर्ष 2025 तक इस हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना** है।
- वर्ष 2030 तक भारत का लक्ष्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में **प्रतिवर्ष 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक जोड़ना** है, जो **वैश्विक आपूर्ति शृंखला में इसकी रणनीतिक भूमिका** को दर्शाता है।

- **क्षेत्रीय विकास और प्रदर्शन:** भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने हाल के वर्षों में मज़बूत वृद्धि प्रदर्शित की है, जो उत्पादन, निर्यात और घरेलू मांग में वृद्धि से प्रेरित है।
  - **HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI मार्च 2024 में 59.1 के 16 वर्षों के उच्चतम स्तर** पर पहुँच गया जो उत्पादन, नए ऑर्डर और रोज़गार सृजन में प्रबल वृद्धि का संकेत देता है।
  - **वित्त वर्ष 2023 में विनिर्माण निर्यात 447.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो वित्त वर्ष 2022 की तुलना में **6.03% की वृद्धि** दर्ज करता है।
- **निवेश और रोज़गार रुझान: विनिर्माण क्षेत्र में FDI प्रवाह 165.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया, जो **पिछले दशक की तुलना में 69% की वृद्धि** दर्शाता है।
  - विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार में लगातार वृद्धि हुई है, जो सत्र 2017-18 में **5.7 करोड़ से बढ़कर सत्र 2019-20 में 6.24 करोड़** हो गया है तथा PLI प्रोत्साहनों से रोज़गार सृजन में भी वृद्धि हुई है।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र के प्रमुख विकास चालक कौन-से हैं?

- **सरकारी पहल और नीतिगत सुधार:** सरकार ने विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता और बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिये **'मेक इन इंडिया' एवं 'प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना' जैसी प्रमुख पहल** शुरू की हैं।
  - **उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना** 14 क्षेत्रों को कवर करती है, जिससे 500 बिलियन डॉलर मूल्य का विनिर्माण उत्पादन सृजित होने की उम्मीद है।
  - **इसके अलावा, विनिर्माण उद्योग में वित्त वर्ष 2022 में लगभग 21.34 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश** हुआ, जो नीति प्रभावशीलता को दर्शाता है।
- **बढ़ती घरेलू मांग:** भारत का बढ़ता **मध्यम वर्ग, शहरीकरण और बढ़ती प्रयोज्य आय** ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता वस्तुओं एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग को बढ़ाती है, जिससे विनिर्माण के लिये एक मज़बूत घरेलू बाज़ार का निर्माण होता है।
  - भारत का **इलेक्ट्रॉनिक्स का घरेलू बाज़ार वर्ष 2025 तक 400 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद** है, जो स्मार्टफोन और उपकरणों की बिक्री से प्रेरित है।
  - वर्ष 2023 में ऑटो सेक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसे **इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (FAME) योजना** जैसे **सरकारी EV प्रोत्साहनों से समर्थन** मिला।
- **रणनीतिक व्यापार समझौते और निर्यात संवृद्धि: भारत का संयुक्त अरब अमीरात के साथ CEPA** जैसे प्रमुख व्यापार समझौतों और **यूरोपीय संघ व ब्रिटेन के साथ वार्ता पर भारत का ध्यान केंद्रित होने से निर्मित वस्तुओं के लिये नए निर्यात बाज़ार खुलेंगे।**
  - यह चीनी आयात से विविधीकरण द्वारा पूरित है।
  - वित्त वर्ष 2023 में भारत का निर्यात **6% बढ़कर 447 बिलियन डॉलर** हो गया। **अकेले भारत-संयुक्त अरब अमीरात CEPA से** वर्ष 2030 से पूर्व द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर **100 बिलियन डॉलर हो जाने का अनुमान** है।
- **तकनीकी उन्नति और उद्योग 4.0: स्वचालन, IoT, AI और रोबोटिक्स** के अंगीकरण से भारतीय विनिर्माण एक उच्च-मूल्य, प्रौद्योगिकी-संचालित क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, जिससे उत्पादकता बढ़ रही है और लागत कम हो रही है।
  - **भारतीय विनिर्माण में उद्योग 4.0** एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसमें **वर्ष 2025 तक दो तिहाई से अधिक भारतीय निर्माता** डिजिटल परिवर्तन को अपना लेंगे।
  - सरकार का **डिजिटल इंडिया अभियान**, विशेष रूप से SME के बीच तकनीक अपनाने को बढ़ावा देकर, इसकी पूर्ति करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **हरित विनिर्माण में बढ़ता निवेश:** स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान भारत में हरित विनिर्माण प्रथाओं को बढ़ावा दे रहा है।
  - राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ उद्योगों को पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय तरीके अपनाने के लिये प्रोत्साहित करती हैं।
  - **भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सालाना 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 125 गीगावाट (वर्ष 2023) है,** जो सस्ती, हरित/स्वच्छ विद्युत ऊर्जा के साथ विनिर्माण प्रक्रियाओं का समर्थन करती है।
- **वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVC) में समुत्थानशीलन:** वैश्विक विनिर्माण कंपनियों के लिये चीन का विकल्प बनने पर भारत का ध्यान **वैश्विक विविधीकरण प्रवृत्तियों के अनुरूप** है।
  - PLI योजना जैसी नीतियों का उद्देश्य भारत को **इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्त्वपूर्ण GVC में एकीकृत करना है।**
  - अप्रैल 2021 में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने तथा उन्हें सुदृढ़ करने के लिये **आपूर्ति शृंखला सुदृढ़ीकरण पहल (SCRI)** की शुरुआत की।
  - भारत सक्रिय औषधीय अवयवों (API) **का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है, जिसकी **वैश्विक API उद्योग** में **8% हिस्सेदारी** है, जिससे GVC में इसकी स्थिति मज़बूत हुई है।
- **विनिर्माण में MSME के लिये समर्थन:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विनिर्माण की रीढ़ हैं तथा इन्हें आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) और प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम जैसे सरकारी उपायों द्वारा समर्थन दिया जाता है।
  - MSME भारत के **सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30%** और **भारत के निर्यात में 45% से अधिक का योगदान** करते हैं। ECLGS ने 3.68 लाख करोड़ रुपए के **1.19 करोड़ ऋणों की गारंटी** दी है, जिससे इन उद्यमों को महत्त्वपूर्ण वित्तीय सहायता मिली है।
- **क्षेत्र-विशिष्ट विकास उत्प्रेरक: ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल** जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों, निवेश प्रोत्साहनों एवं वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से लक्षित विकास देखा गया है।
  - **भारत अब विश्व का सबसे बड़ा दोपहिया वाहन निर्माता है। वित्त वर्ष 2021-22 में** भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 44.4 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जिसे "तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM)" जैसी योजनाओं से समर्थन मिला।
- **आत्मनिर्भरता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना (आत्मनिर्भर भारत):** आत्मनिर्भरता अभियान **इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण और अर्द्धचालक जैसे महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देता है,** आयात निर्भरता को कम करता है तथा स्थानीय रोज़गार सृजन करता है।
  - भारत ने वर्ष 2023 में 10 बिलियन डॉलर की सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग विकसित करना है।
    - दिसंबर 2021 में, **केंद्र ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब के साथ-साथ चिप पैकेजिंग, असेंबल व परीक्षण केंद्रों** की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना की घोषणा की थी।
  - वित्त वर्ष 2023 में रक्षा विनिर्माण **उत्पादन 1 लाख करोड़ रुपए** तक पहुँच गया, जबकि **सत्र 2017-2022 में निर्यात में 334% की वृद्धि** हुई।

भारत का विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक मानकों से पीछे क्यों है?

- **कमज़ोर बुनियादी अवसंरचना और रसद बाधाएँ:** भारत **निम्न स्तरीय रसद बुनियादी अवसंरचना से ग्रस्त** है, जो लागत बढ़ाती है और प्रतिस्पर्द्धा को प्रभावित करती है। बिजली की कमी और अपर्याप्त परिवहन नेटवर्क आपूर्ति शृंखलाओं एवं उत्पादन दक्षता में बाधा डालते हैं।
  - भारत में **लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद का 14-18%** है, जबकि **विकसित देशों में यह 8-10%** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- गति शक्ति पहल के बावजूद, विश्व बैंक का लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI)- 2023 में भारत **38वें स्थान पर** है।

- **नीतिगत असंगतियाँ और नौकरशाही बाधाएँ: व्यापार और कराधान नीतियों** में लगातार बदलाव, साथ ही बोझिल विनियामक आवश्यकताओं के कारण अस्थिर निवेश वातावरण बनता है। जटिल भूमि अधिग्रहण कानून परियोजनाओं में और विलंब करते हैं।
  - भारत इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग **(वर्ष 2020) में 63वें स्थान पर है** और **अनुबंध प्रवर्तन (163वें स्थान पर)** तथा भूमि अधिग्रहण में विलंब जैसे मुद्दे अभी भी निवेशकों को हतोत्साहित करते हैं।
    - उदाहरणों में **ओडिशा में विलंबित POSCO स्टील संयंत्र परियोजना** (जिसे बाद में निलंबित कर दिया गया) **शामिल है।**
- **श्रम बाज़ार की चुनौतियाँ:** चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन में अवरोध उद्योगों के लिये मापनीयता/स्केलेबिलिटी और लचीलेपन को बाधित करती है। **अनौपचारिक कार्यबल विनिर्माण पर हावी** है, जिससे अकुशलता व कम उत्पादकता होती है।
  - भारत के औपचारिक विनिर्माण कार्यबल में संविदा कर्मचारियों की हिस्सेदारी सत्र 2002-03 में **23.1% से बढ़कर सत्र 2021-22 में 40.2%** हो गई है।
  - उदाहरण के लिये, **अक्तूबर 2024** में, तमिलनाडु में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू उपकरण संयंत्र में 1,000 से अधिक श्रमिकों ने **उच्च वेतन एवं यूनियन मान्यता के लिये विरोध प्रदर्शन किया।**
- **अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी अंगीकरण:** भारत का विनिर्माण **कम अनुसंधान एवं विकास निवेश** तथा **नवाचार की कमी के कारण** बहुत हद तक पुरानी प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। इससे मूल्य संवर्द्धन तथा विविधीकरण में बाधा आती है।
  - भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय सकल घरेलू उत्पाद **का 0.7%** है, जो **दक्षिण कोरिया** (4.8%) या **चीन** (2.4%) **से बहुत कम** है।
  - उदाहरण के लिये, भारत का EV बाज़ार लिथियम-आयन बैटरी के लिये **चीनी आयात पर बहुत अधिक निर्भर** करता है तथा **सॉलिड स्टेट बैटरी या सोडियम-आयन प्रौद्योगिकी जैसे विकल्पों पर स्थानीय अनुसंधान सीमित** है।
- **प्रमुख इनपुट के लिये आयात पर निर्भरता** आयातित कच्चे माल और घटकों पर अत्यधिक निर्भरता वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के प्रति भेद्यता को बढ़ाती है। इससे आत्मनिर्भरता प्रभावित होती है तथा इनपुट लागत बढ़ जाती है।
  - सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्त्वपूर्ण इनपुट पर निर्भरता के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में **चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 85 बिलियन डॉलर** तक पहुँच गया। यह 'मेक इन इंडिया' जैसी पहल को कमज़ोर करता है।
- **वैश्विक व्यापार एकीकरण की कमियाँ:** वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVC) में भारत की सीमित भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने की इसकी क्षमता को सीमित करती है। व्यापार नीतियों पर संरक्षणवादी रुख इस मुद्दे को और भी बढ़ा देता है।
  - **वैश्विक वस्तु निर्यात** में भारत की हिस्सेदारी **1.8%** है, जबकि **चीन की हिस्सेदारी 14.7%** है।
  - **वर्ष 2021** में भारत ने RCEP में शामिल न होने का निर्णय लिया, जिससे इसने संभवत: GVC में एकीकृत होने के अवसर खो दिये।
- **उभरते बाज़ारों से प्रतिस्पर्द्धा: वियतनाम और बांग्लादेश** जैसे देश कम श्रम एवं परिचालन लागत के साथ बेहतर कारोबारी माहौल प्रदान करते हैं, जिससे उद्योग चीन से दूर जा रहे हैं।
  - **बांग्लादेश परिधान क्षेत्र में एक शक्तिशाली देश** है, जिसका **निर्यात** वर्ष 2023 तक **92% बढ़कर 47 बिलियन डॉलर** हो जाएगा (हालाँकि **वर्तमान में राजनीतिक अशांति के कारण इसमें गिरावट आ रही है तथा भारत अभी भी पूरी क्षमता का दोहन करने में पीछे है।**)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **डिजिटल और कौशल अंतराल:** **डिजिटल बुनियादी अवसंरचना और कुशल जनशक्ति** की कमी उन्नत विनिर्माण तकनीकों के अंगीकरण में बाधा डालती है। उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम अपर्याप्त हैं।
  - इंडिया स्किल्स रिपोर्ट- 2023 से पता चला है कि **भारत का केवल 48.7% कार्यबल ही रोज़गार योग्य** है। इस बीच, वर्ष 2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक **सुधर कर 40वें स्थान पर आ गई** है, लेकिन SME में तकनीकों के अंगीकरण की दर कम बनी हुई है।
- **खंडित MSME क्षेत्र:** भारत के विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) का प्रभुत्व है, जिनके पास **ऋण, प्रौद्योगिकी एवं निर्यात बाज़ार तक पहुँच का अभाव** है, जिससे **उनकी विकास क्षमता सीमित** हो जाती है।
  - देश में 64 मिलियन MSME में से **केवल 14% के पास ही ऋण तक पहुँच है।** आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना जैसी पहलों ने इस मुद्दे को केवल आंशिक रूप से ही हल किया है।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक मानक तक बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **बुनियादी अवसंरचना को बढ़ाना और रसद लागत को कम करना:** गति शक्ति पहल के तहत **मल्टी-मॉडल परिवहन प्रणालियों, बंदरगाह संपर्क** और **समर्पित माल गलियारों** में निवेश में तेज़ी लाई जानी चाहिये।
  - बेहतर बुनियादी अवसंरचना से परिवहन लागत कम हो सकती है और आपूर्ति शृंखला दक्षता बढ़ सकती है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।
  - **माल ढुलाई लागत को 25% तक कम करने** के लिये **ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को** सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। प्रमुख बंदरगाहों पर बंदरगाह क्षमता और स्वचालन का विस्तार किया जाना चाहिये, जैसे कि **हाल ही में आधुनिकीकृत JNPT टर्मिनल।**
  - स्थानीय सोर्सिंग को बढ़ाने के लिये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में **"घटक विनिर्माण क्लस्टर" स्थापित** करना चाहिये।
- **विनियामक फ्रेमवर्क को सरल बनाना: श्रम कानूनों, भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय अनुमोदन** को सरल बनाने से अनुपालन लागत कम हो सकती है तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित हो सकता है।
  - विनिर्माण परियोजनाओं के लिये एकीकृत एकल-खिड़की अनुमोदन प्रणाली लागू की जानी चाहिये।
  - ज़मीनी स्तर पर कारोबार को आसान बनाने के लिये MSME के लिये संपूर्ण अनुमोदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाना चाहिये।
- **अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देना:** अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना तथा **कर छूट व सब्सिडी के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित** किया जाना चाहिये।
  - **टेस्ला की गीगाफैक्ट्रीज़** से सीख लेते हुए उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाना चाहिये।
  - **उन्नत सामग्री, AI-संचालित उत्पादन और अर्द्धचालक** जैसे उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को वित्तपोषित करने के लिये **'विनिर्माण नवाचार निधि'** की शुरुआत की जानी चाहिये।
- **प्रौद्योगिकी अंगीकरण और उद्योग 4.0 को बढ़ावा देना: उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार** के लिये विनिर्माण प्रक्रियाओं में स्वचालन, रोबोटिक्स, IoT एवं AI के व्यापक रूप से अंगीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - MSME के लिये सब्सिडी वाली प्रौद्योगिकी अपनाने की योजनाएँ उन्नत उपकरणों तक पहुँच को लोकतांत्रिक बना सकती हैं।
  - **उद्योग 4.0 प्रथाओं को अपनाने वाली फर्मों के लिये प्रोत्साहनों को शामिल करने हेतु PLI योजना** के दायरे का विस्तार किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये, IoT-सक्षम मशीनों में निवेश करने वाले **निर्माताओं के लिये कर क्रेडिट** प्रस्तावित किया जा सकता है।
- **वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVC) में एकीकरण: इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स** में वैश्विक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

आपूर्ति शृंखलाओं के साथ भारत के विनिर्माण को संरेखित करने के लिये व्यापार समझौतों पर वार्ता की जानी चाहिये। निर्यात-उन्मुख बुनियादी अवसंरचना, जैसे कि **SEZ को सुदृढ़ करना इस एकीकरण को और भी सुविधाजनक बना सकता है।**

- कर छूट और त्वरित अनुमोदन के साथ बंदरगाहों के निकट **निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित** किया जाना चाहिये।
- **मध्य पूर्व और अफ्रीका** में भारतीय वस्तुओं की पहुँच बढ़ाने के लिये **भारत-संयुक्त अरब अमीरात CEPA का** लाभ उठाया जाना चाहिये।
- आपूर्ति शृंखला व्यवधान, महामारी या भू-राजनीतिक तनाव जैसे वैश्विक संकटों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिये सुदृढ़ रणनीति विकसित की जानी चाहिये।
  - **अर्द्धचालक और दुर्लभ मृदा तत्त्वों** जैसे क्षेत्रों के लिये एक "महत्त्वपूर्ण इनपुट रिज़र्व" स्थापित किया जाना चाहिये।

- **क्षेत्र-विशिष्ट रणनीति विकसित करना: इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स** और रक्षा विनिर्माण जैसे उच्च-संभावना वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - इन क्षेत्रों में उच्च मूल्य विनिर्माण और उत्पाद विविधीकरण के लिये लक्षित प्रोत्साहन लागू किया जाना चाहिये।
  - एक सुदृढ़ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिये **फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी करके** सेमीकंडक्टर मिशन **को** आगे बढ़ाया जाना चाहिये।
  - **EV बैटरी विनिर्माण हेतु प्रोत्साहनों को शामिल करने के लिये FAME-II योजना का** विस्तार किया जाना चाहिये।
  - मेगा फूड पार्क योजना और **टेक्सटाइल क्लस्टर** जैसी पहलों का विस्तार किया जाना चाहिये।
- **प्रौद्योगिकी और ऋण सुलभता के साथ MSME को सशक्त बनाना:** MSME, जो भारतीय विनिर्माण की रीढ़ है, के लिये किफायती वित्तपोषण और आधुनिक प्रौद्योगिकी अंगीकरण की सुविधा प्रदान किया जाना चाहिये।
  - MSME को वैश्विक बाज़ारों से जोड़ने के लिये **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का भी लाभ** उठाया जाना चाहिये।
- **कौशल विकास पर ध्यान: अपस्किलिंग और रीस्किलिंग कार्यक्रमों को आयरलैंड की औद्योगिक अपस्किलिंग पहलों के अनुरूप उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों** एवं वैश्विक उत्पादन मानकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिये।
  - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कार्यक्रमों में **विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल को एकीकृत किया जाना चाहिये।**
  - विशिष्ट प्रशिक्षण के लिये वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के सहयोग से **उत्कृष्टता केंद्र (CoE)** स्थापित किया जाना चाहिये।
- **हरित-संधारणीय-चक्रीय विनिर्माण को प्रोत्साहन: भारतीय विनिर्माण को वैश्विक पर्यावरण मानकों के अनुरूप बनाने** के लिये हरित प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - स्टील और सीमेंट जैसे **ऊर्जा-गहन उद्योगों को कार्बन-मुक्त करने के लिये राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का** विस्तार किया जाना चाहिये। संधारणीय विनिर्माण प्रथाओं के वित्तपोषण के लिये **ग्रीन बॉण्ड में तीव्रता लाने की आवश्यकता है।**
  - इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) फ्रेमवर्क को अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- **डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाना: आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के लिये ब्लॉकचेन** जैसे डिजिटल उपकरणों को अपनाने और **बाज़ार के रुझानों का पूर्वानुमान लगाने के लिये बड़े डेटा विश्लेषण** की आवश्यकता है। हितधारकों के बीच कुशल समन्वय के लिये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - **विनिर्माण इकाइयों, विशेष रूप से SME को डिजिटल बनाने** के लिये डिजिटल इंडिया पहल का विस्तार किया जाना चाहिये। पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिये फार्मास्यूटिकल्स जैसे उच्च-निर्यात क्षेत्रों में ब्लॉकचेन को लागू किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना:** PPP मॉडल का लाभ उठाकर **बुनियादी अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास** में निजी उद्यमों की भूमिका का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - जापान के सहयोगी विनिर्माण केंद्रों के समान **स्मार्ट विनिर्माण पार्कों** में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) विकसित की जानी चाहिये।
  - बंगलूरू-**BIAL ITIR (सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र)** बुनियादी अवसंरचना और औद्योगिक विकास के लिये एक सफल PPP मॉडल है।
- **गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन को बढ़ावा देना: ISO और CE** जैसे अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन के अनुपालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिये तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि भारतीय उत्पाद वैश्विक मानदंडों पर खरे उतरें।
  - वस्त्र, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिये **क्षेत्र-विशिष्ट "गुणवत्ता उन्नयन मिशन"** शुरू किया जाना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, यूरोपीय संघ को निर्यात के लिये CE प्रमाणन प्राप्त करने हेतु सब्सिडी से उत्पाद की स्वीकार्यता में सुधार हो सकता है।
- **पारंपरिक एवं विरासत उद्योगों को पुनर्जीवित करना:** प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाकर, उनका विस्तार करके भारत के समृद्ध हस्तशिल्प और चीनी मिट्टी जैसे पारंपरिक उद्योगों को **मुख्यधारा की विनिर्माण अर्थव्यवस्था में एकीकृत** किया जाना चाहिये।
  - तकनीक-सक्षम हस्तशिल्प इकाइयों को शामिल करने के लिये '**SFURTI योजना**' **(कारीगरों के लिये क्लस्टर विकास)** का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - वैश्विक प्रीमियम बाज़ारों को लक्षित करने के लिये **आधुनिक खादी और हथकरघा उत्पादों के लिये निर्यात प्रोत्साहन** प्रदान किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत के विनिर्माण क्षेत्र में **आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएँ हैं।** बुनियादी अवसंरचना की कमी, नीतिगत विसंगतियों और तकनीकी पिछड़ेपन जैसी महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करके, यह **क्षेत्र वैश्विक मानकों के अनुरूप हो सकता है। PLI योजना, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति और हरित विनिर्माण प्रयास** जैसी सरकारी पहल सतत विकास के लिये एक मज़बूत आधार तैयार कर रही हैं।

■■■

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की दिशा में भारत की यात्रा महत्त्वपूर्ण चुनौतियों और वृद्धिशील प्रगति से चिह्नित है। वर्ष 1948 से विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने के बावजूद, **केवल 41% भारतीय परिवारों के पास स्वास्थ्य बीमा** है और आधे लोग **स्वास्थ्य देखभाल की निम्न गुणवत्ता व अपर्याप्तता के कारण सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से बचते हैं।** वास्तव में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का मार्ग एक केंद्रित दृष्टिकोण की मांग करता है जो **असमानताओं को कम करने, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने और** सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों व क्षेत्रों में सुसंगत स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने को प्राथमिकता दे।

भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के संदर्भ में:** स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र वर्ष 2023 में 372 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन पर पहुँच गया, जिसमें 7.5 मिलियन लोगों को रोज़गार मिला, साथ ही **टेलीमेडिसिन, स्वास्थ्य-तकनीक एवं चिकित्सा पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि** हुई।
  - भारत का अस्पताल बाज़ार, जिसका मूल्य वर्ष **2023 में 98.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा,** वर्ष 2032 तक दोगुना होने का अनुमान है।
  - टेलीमेडिसिन बाज़ार वर्ष **2025 तक 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगा,** जबकि ई-हेल्थ बाज़ार उसी अवधि में **10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है।**
- **डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात और चिकित्सा पर्यटन:** भारत का डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:854 है, जिसमें एलोपैथिक और आयुष चिकित्सक दोनों शामिल हैं।
  - इसके अतिरिक्त, **मेडिकल टूरिज़्म ने भारत को एक वैश्विक केंद्र** के रूप में स्थापित कर दिया है, जो **वर्ष**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

2024 में 7.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा तथा वर्ष 2029 तक 14.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।

- **विदेशी निवेश:** मार्च 2024 तक ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में विदेशी निवेश **22.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक** पहुँच गया, जो भारत के स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रबल विकास और वैश्विक विश्वास का संकेत है।

भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में बाधा डालने वाले मुद्दे क्या हैं?

- **अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय और कमज़ोर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली:** विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद, भारत अपने **सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.9% स्वास्थ्य सेवा पर खर्च (** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 **)** करता है।
  - भारत का स्वास्थ्य देखभाल संरचना विपरीत है, जिसमें तृतीयक देखभाल पर अत्यधिक निर्भरता **और प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालियों की उपेक्षा की जाती है।**
    - मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियाँ, जिन्हें प्रारंभिक जाँच तथा इंटरवेंशन के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर प्रबंधित किया जा सकता है, प्राय: तब तक निदान नहीं हो पातीं, जब तक जटिलताएँ उत्पन्न नहीं हो जाती, जिससे रोगियों को उच्च स्तरीय देखभाल की आवश्यकता पड़ती है।
    - **उत्तर प्रदेश** एवं **बिहार** जैसे राज्यों में प्राथमिक स्तर पर **सुदृढ़ स्क्रीनिंग कार्यक्रमों का अभाव** इस समस्या को और बढ़ा देता है।
- **स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में क्षेत्रीय असमानताएँ:** स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी अवसंरचना असमान रूप से वितरित है, **शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर सुविधाएँ** हैं।
  - उदाहरण के लिये, **यद्यपि भारत के 70% स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर शहरी क्षेत्रों में केंद्रित** हैं, 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
  - हाल ही में जारी **ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी** में ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बहुत बड़ी कमी को उजागर किया गया है, जहाँ **शल्य चिकित्सकों, फिज़ीशियनों, बाल रोग विशेषज्ञों की संख्या में 80% से अधिक** तथा **प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों की संख्या में लगभग 75% की कमी है।**
- **गैर-संक्रामक रोगों का उच्च बोझ:** भारत में गैर-संक्रामक रोगों की ओर तीव्र बदलाव **(WHO, 2022)** देखने को मिल रहा है, जो अब **कुल मौतों का 65-66% है।**
  - **मधुमेह, हृदय संबंधी विकार और कैंसर** जैसी बीमारियाँ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव डालती हैं, जो अभी भी संक्रामक रोगों पर ही केंद्रित है।
  - प्रदूषण, अपर्याप्त स्वच्छता और कुपोषण जैसे कारक स्वास्थ्य असमानताओं को बढ़ाते हैं।
    - अकेले वायु प्रदूषण के कारण **भारत में** वर्ष **2019 में 1.67 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई।** इसके अलावा **40% ग्रामीण परिवारों के पास सुरक्षित पेयजल की सुलभता नहीं है, जिससे हैज़ा और टाइफाइड** जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।
- **सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अकुशलता:** आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख योजनाओं का लक्ष्य **50 करोड़ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज** प्रदान करना है, फिर भी उनका अभिगम अपर्याप्त जागरूकता और असमान कार्यान्वयन से बाधित है।
  - हाल ही में आई CAG रिपोर्ट के अनुसार, **आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी डेटाबेस में लगभग 7.5 लाख लोग एक ही सेल फोन नंबर** से जुड़े हुए थे।
  - रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि **जिन मरीज़ों को पहले मृत दिखाया गया था, वे भी इस योजना के तहत उपचार प्राप्त कर रहे हैं।**
    - ऐसे मामलों की अधिकतम संख्या छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश में थी।
- **स्वास्थ्य बीमा की अपर्याप्त सुलभता:** भारत की **95% आबादी बीमा रहित** है, 73% के पास स्वास्थ्य कवरेज नहीं है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- असंगठित क्षेत्र और अनौपचारिक श्रमिक, जो **कार्यबल का 90% हिस्सा हैं,** नियोक्ता-आधारित बीमा से बाहर रखे गए हैं।
- परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य पर उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय **के कारण** प्रतिवर्ष लगभग **55 मिलियन भारतीय गरीब हो रहे हैं** तथा 17% से अधिक परिवार स्वास्थ्य पर अत्यधिक व्यय कर रहे हैं।

- **स्वास्थ्य सेवा प्रशासन में विखंडन:** भारत का संघीय संरचना प्राय: विखंडित स्वास्थ्य सेवा नीतियों की ओर ले जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सीमित समन्वय होता है।
  - उदाहरण के लिये, कोविड-19 के दौरान **एक समान परीक्षण नीति की कमी से रोग प्रबंधन में भ्रम और अकुशलता** की स्थिति उत्पन्न हुई।
  - **केरल** जैसे बेहतर स्वास्थ्य प्रशासन वाले राज्यों ने प्रकोपों के प्रबंधन में अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया, **जो प्रशासनिक क्षमता में असमानताओं** को दर्शाता है।
- **निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर कम ध्यान: टीकाकरण, जाँच और जीवनशैली में हस्तक्षेप** जैसे निवारक उपायों का लागत-प्रभावशीलता के बावजूद कम उपयोग किया जाता है।
  - वर्ष 2021 (NFHS-5) में केवल 76.4% भारतीय बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया, जिससे लाखों बच्चे ऐसी बीमारियों के जोखिम में पड़ गए, जिनसे बचा जा सकता था।
  - इसके अतिरिक्त, फिट इंडिया मूवमेंट **और** पोषण अभियान **का कार्यान्वयन धीमा है,** जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य बोझ को कम करने पर उनका प्रभाव सीमित हो रहा है।
- **प्रौद्योगिकी और डिजिटल स्वास्थ्य का सीमित उपयोग:** यद्यपि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) जैसी पहलों का **उद्देश्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना** है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच अभी भी कम है।
  - **मानकीकृत डेटा विनिमय प्रोटोकॉल का अभाव** विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल तंत्रों के बीच निर्बाध सूचना साझाकरण को जटिल बनाता है, जिससे समन्वित रोगी देखभाल और ABDM जैसी राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है।
- **निजी क्षेत्र पर निर्भरता:** अत्यधिक बोझ से दबे सार्वजनिक अस्पताल प्राय: लोगों को महंगे निजी क्षेत्र में उपचार कराने के लिये विवश करते हैं।
  - निजी क्षेत्र **70% बाह्य रोगी देखभाल** और **60% से अधिक अस्पताल-भर्ती सेवाएँ** (स्वास्थ्य के सामाजिक उपभोग पर NSSO का 75वें दौर का सर्वेक्षण, 2017-18) **प्रदान** करता है।
  - निजी स्वास्थ्य सेवा की अनियमित प्रकृति के कारण **मूल्य संवृद्धि और असमान अभिगम को बढ़ावा मिलता है,** जिससे किफायती UHC का लक्ष्य कमज़ोर होता है।

भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में तेज़ी लाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय और स्वास्थ्य बीमा में वृद्धि: भारत को** राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति- 2017 में परिकल्पित अनुसार वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2.5% तक बढ़ाना होगा।
  - इससे बेहतर बुनियादी अवसंरचना, **अधिक स्वास्थ्य कर्मियों के लिये धन** जुटाया जा सकेगा तथा **सार्वजनिक सुविधाओं पर आवश्यक दवाएँ** उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
  - **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन** जैसे कार्यक्रमों का विस्तार, जो प्रत्येक ज़िले में गहन देखभाल अस्पताल बनाने पर केंद्रित है, अवसंरचना संबंधी अंतराल को कम कर सकता है।
  - **लक्षित योजनाओं के माध्यम से बीमा का विस्तार करने से** कमज़ोर आबादी पर वित्तीय बोझ और कम हो जाएगा।
  - भारत करों के माध्यम से वित्तपोषित सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को लागू करके तथा आवश्यक सेवाओं तक समान अभिगम सुनिश्चित करके **बेवरिज मॉडल (यू.के., नॉर्डिक देश)** से सीख ले सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **बिस्मार्क मॉडल (फ्राँस, जापान) से सीख लेते हुए,** भारत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के योगदान के साथ बीमा-आधारित स्वास्थ्य सेवा की रूपरेखा अपना सकता है।

- **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ बनाना:** प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और उप-केंद्रों को **पर्याप्त स्टाफ, उपकरण तथा दवाओं के साथ पुनर्जीवित करना आवश्यक है।**
  - आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसी पहलों का विस्तार किया जाना चाहिये तथा गैर-संक्रामक रोगों (NCD) **की निवारक देखभाल और प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।**
  - उदाहरण के लिये, **ई-संजीवनी जैसी टेलीमेडिसिन सेवाओं को इन केंद्रों के साथ एकीकृत करने से** ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच में सुधार हो सकता है।
  - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NCD और अन्य बीमारियों के लिये अनिवार्य निवारक स्वास्थ्य जाँच से दीर्घकालिक रोग बोझ को कम किया जा सकता है।
    - **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)** के समान बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करके समस्याओं का शीघ्र पता लगाया जा सकता है, विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में।

- **कार्यबल की कमी को दूर करना: एक सुदृढ़ स्वास्थ्य कार्यबल के लिये** कार्य स्थितियों में सुधार के साथ-साथ **चिकित्सा और पैरामेडिकल शिक्षा** को प्रोत्साहन की आवश्यकता है।
  - **नर्सों, प्रसाविकाओं** और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के लिये स्वास्थ्य देखभाल-विशिष्ट प्रशिक्षण को शामिल करने की दिशा में कौशल भारत पहल **का विस्तार** करने से यह कमी दूर हो जाएगी।
  - उदाहरण के लिये, **मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाना** तथा **उच्च वेतन और कैरियर उन्नति के** अवसरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण-शहरी विभाजन को समाप्त कर सकता है।
    - **असम ने दूर-दराज़ के क्षेत्रों में डॉक्टरों के लिये वित्तीय प्रोत्साहन** की शुरुआत की, जिससे एक अनुकरणीय मिसाल कायम हुई।

- **डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य ID बनाने के लिये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)** के क्रियान्वयन में तीव्रता लाने से रोगी रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित किया जा सकता है और स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार किया जा सकता है।
  - भारतनेट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थापित करना और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करना समावेशिता सुनिश्चित करेगा।
  - मानसिक स्वास्थ्य के लिये टेली-मानस जैसे टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्मों का एकीकरण **अपूर्ण आवश्यकताओं** को पूरा कर सकता है।

- **निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रन: टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा और जीवनशैली में संशोधन** जैसे निवारक उपाय रोग के बोझ एवं लागत को कम कर सकते हैं।
  - **बाल कुपोषण के साथ-साथ वयस्क कुपोषण को दूर करने के लिये पोषण अभियान** के दायरे का विस्तार करने से बढ़ती गैर-संक्रामक बीमारियों से निपटा जा सकेगा।
  - स्वच्छ भारत मिशन 2.0 **के तहत शहरी स्वच्छता** को सुदृढ़ करने और **गैर-संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NPCDCS)** जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिये वित्तपोषण बढ़ाने से दूरगामी प्रभाव होंगे।

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** बुनियादी अवसंरचना के विकास, निदान और तृतीयक देखभाल के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी का लाभ उठाया जा सकता है।
  - **वंचित क्षेत्रों में निजी अस्पतालों के लिये** व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना जैसी योजनाएँ अत्यधिक लागत के बिना पहुँच में सुधार ला सकती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **राजस्थान की** मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना ने सस्ती दवाइयों की आपूर्ति के लिये **फार्मा कंपनियों के साथ साझेदारी** की। **इसी तरह के सहयोग का विस्तार करके सेवा वितरण को बढ़ाया जा सकता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना:** केंद्रीय योजनाओं को **कम स्वास्थ्य सूचकांक वाले राज्यों को** स्वास्थ्य सेवा बुनियादी अवसंरचना और कार्यबल विकास में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - NITI आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक रैंकिंग को 15वें वित्त आयोग के तहत प्रदर्शन-आधारित अनुदानों के साथ जोड़ने से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों को सुधार के लिये प्रेरित किया जा सकता है।
  - **केरल का विकेंद्रीकृत शासन मॉडल,** जो स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं को अधिक बजट आवंटित करता है, सफलता का रोडमैप प्रदान करता है।
- **नियामक तंत्र को सुदृढ़ करना:** आवश्यक दवाओं के मूल्य नियंत्रण को सुनिश्चित करना और निजी अस्पतालों में उपचार लागत का मानकीकरण करना आवश्यक है।
  - **राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)** के दायरे का विस्तार करने तथा क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम के तहत अस्पतालों के लिये पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रदर्शन अनिवार्य करने से शोषण पर अंकुश लगेगा।
  - हृदय संबंधी स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतों में कमी से पहले ही मरीज़ों के व्यय में कमी आई है, जो विनियमन की प्रभावकारिता को दर्शाती है।
- **अनुसंधान और स्वदेशी नवाचारों में निवेश: भारत को किफायती, स्वदेशी स्वास्थ्य देखभाल समाधान विकसित करने** के लिये ICMR जैसे संस्थानों को वित्तपोषित करके अनुसंधान और नवाचार को सुदृढ़ करना चाहिये।
  - **कोविड-19 के दौरान स्थानीय स्तर पर विकसित कोवैक्सिन** जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य नवाचार, आत्मनिर्भरता की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं।
  - क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों की स्थापना से स्थानीय स्वास्थ्य चुनौतियों, जैसे कि पूर्वोत्तर में रोगवाहक जनित रोगों का समाधान किया जा सकता है।
- **पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ एकीकृत करना:** आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) के माध्यम से भारत की पारंपरिक चिकित्सा का विशाल भंडार आधुनिक स्वास्थ्य सेवा का पूरक बन सकता है।
  - आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयुष चिकित्सकों को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (HWC) में एकीकृत करने से एलोपैथिक चिकित्सकों पर बोझ कम हो सकता है तथा सामाजिक रूप से स्वीकार्य विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।
- **व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कवरेज:** बढ़ती आवश्यकताओं के बावजूद मानसिक स्वास्थ्य को अपर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त है तथा इसे सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है।
  - राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) **का विस्तार** करना तथा इसे टेली-मानस जैसे टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ एकीकृत करना, सेवाओं को सुलभ बना सकता है।
- **एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को एकीकृत करना:** एक **स्वास्थ्य दृष्टिकोण,** जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अंतर्संबंध का अभिनिर्धारण करता है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिये आवश्यक है।
  - **निपाह और एवियन इन्फ्लूएंज़ा** जैसी **ज़ूनोटिक बीमारियों के लिये एकीकृत निगरानी तंत्र** स्थापित किया जाना चाहिये, ताकि त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित हो सके।
  - पशु चिकित्सा और वन्यजीव विभागों के साथ सहयोग करने के लिये **राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के दायरे का** विस्तार किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

यद्यपि **भारत ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में प्रगति** की है, फिर भी कई महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इनमें अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय, क्षेत्रीय असमानताएँ, बीमा की अपर्याप्त सुलभता और अत्यधिक बोझ वाली स्वास्थ्य सेवा प्रणाली शामिल हैं। UHC को प्राप्त करने के लिये, भारत को **सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय बढ़ाने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने और सरकारी योजनाओं में अक्षमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

एक राष्ट्र, एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्त्वाकांक्षी '**एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE)**' योजना को मंज़ूरी दे दी है, जो पूरे भारत में चुनावी प्रक्रियाओं को समन्वित करने की दिशा में एक **ऐतिहासिक कदम** है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले एक उच्च-स्तरीय पैनल की सिफारिशों के आधार पर, प्रस्ताव में **लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिये एक साथ चुनाव कराने के लिये कई संवैधानिक अनुच्छेदों में संशोधन करने का प्रयास** किया गया है। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य **दो चरणों में एक साथ चुनाव मॉडल को लागू करना** है, जो संभावित रूप से **भारत के चुनावी परिदृश्य में क्रांति** ला सकता है।

भारत में ONOE का ऐतिहासिक विकास क्या है?

- **स्वतंत्रता-पूर्व संदर्भ**
  - एक साथ चुनाव की अवधारणा **भारत सरकार अधिनियम, 1935** के तहत औपनिवेशिक चुनावी प्रणाली में निहित है।
  - यद्यपि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विधायी निकायों के लिये विघटन के बावजूद चुनाव संरेखित थे।
- **स्वतंत्रता-उपरांत युग (वर्ष 1952-1967)**
  - **पहला आम चुनाव (1952):** भारत ने लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिये समकालिक चुनावों के साथ अपनी लोकतांत्रिक यात्रा शुरू की।
  - **निरंतरता:** वर्ष 1957, 1962 और 1967 में एक साथ चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किये गए, जिससे राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित हुई।
- **एक साथ चुनाव का विघटन (वर्ष 1968-1969)**
  - वर्ष 1968-1969 में कुछ राज्य विधानसभाओं के समय-पूर्व भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया, विशेष रूप से हरियाणा और केरल में।
  - वर्ष 1970 में, लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही भंग हो गई, जिसके कारण लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के लिये अलग-अलग चुनाव कराए गए।
- **ONOE पर पुनः विचार करने का प्रयास**
  - **भारतीय विधि आयोग (170वीं रिपोर्ट, 1999):** एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया गया, चुनाव से संबंधित व्यवधानों और लागतों को कम करने पर ज़ोर दिया गया।
  - **संसदीय स्थायी समिति (वर्ष 2015):** चुनावी खर्चों पर अंकुश लगाने और निर्बाध शासन सुनिश्चित करने सहित ONOE के लाभों पर प्रकाश डाला गया।
  - **NITI आयोग रिपोर्ट (वर्ष 2017):** ONOE को पुनः शुरू करने के लिये एक रोडमैप प्रस्तावित किया गया।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के मुख्य लाभ क्या हैं?

- **चुनावी लागत में उल्लेखनीय कमी:** एक साथ चुनाव कराने से सरकार और राजनीतिक दलों पर पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ में भारी कमी आ सकती है।
  - उदाहरण के लिये, **लोकसभा चुनाव- 2019** एक ऐतिहासिक चुनाव रहा, क्योंकि वर्ष 1998 में चुनाव खर्च ₹9,000 करोड़ से बढ़कर ₹55,000 करोड़ हो गया।
  - अनुमान है कि चुनावों की आवृत्ति कम करने से 7,500 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ तक की बचत हो सकती है।
    - इसके बजाय इस पैसे को बुनियादी अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिये आवंटित किया जा सकता है।
- **शासन को सुव्यवस्थित करना और नीतिगत पक्षाघात को कम करना:** बार-बार होने वाले चुनाव सरकारों को लगातार अभियान चलाने के लिये मजबूर करते हैं, जिससे दीर्घकालिक निर्णय लेने में विलंब होता है।
  - उदाहरण के लिये, हाल ही में हुए चुनावों के दौरान, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में आदर्श आचार संहिता के प्रतिबंधों के कारण 24 से अधिक प्रमुख विकास परियोजनाएँ रुकी हुई थीं।
  - ONOE **आदर्श आचार संहिता** के लागू होने को प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार तक सीमित कर देगा, जिससे निर्बाध शासन सुनिश्चित होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसके अतिरिक्त, नीति-निर्माण अधिक कुशल हो जाता है क्योंकि सरकारें अल्पकालिक चुनावी लाभों के बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

- **मतदाताओं की भागीदारी और मतदान में वृद्धि:** बार-बार चुनाव होने से मतदाता थक जाते हैं, प्राय: उपचुनावों और स्थानीय चुनावों में भागीदारी कम हो जाती है।
  - वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में 65.79% मतदान हुआ। यह देश भर में **चुनावी भागीदारी के मध्यम स्तर** को दर्शाता है।
  - चुनावों को समेकित करके, ONOE लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से सक्रिय कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि **मतदाता कम लेकिन अधिक प्रभावशाली चुनावी आयोजनों में भाग लें,** संभावित रूप से **कुल मतदान में 5-10% की वृद्धि** हो सकती है।
- **चुनावी कदाचार पर अंकुश:** चुनावों की पुनरावृत्ति वोट खरीदने, राज्य के संसाधनों के दुरुपयोग और धनबल के इस्तेमाल के कई अवसर उत्पन्न करती है।
  - उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र और झारखंड में वर्ष 2024 के राज्य विधानसभा चुनावों के साथ-साथ विभिन्न उपचुनावों में, **प्रवर्तन एजेंसियों ने 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, शराब, मादक पदार्थ एवं निशुल्क सामान ज़ब्त किये।**
  - ONOE चुनाव की समय-सीमा को सीमित करके ऐसी प्रथाओं को बहुत हद तक कम कर सकता है, जिससे चुनाव आयोग की निगरानी अधिक केंद्रित और प्रभावी हो जाएगी।
- **सुरक्षा बलों का इष्टतम उपयोग:** चुनावों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की आवश्यकता होती है, जिससे उनके **प्राथमिक कर्त्तव्य प्रभावित** होते हैं।
  - उदाहरण के लिये, भारत के निर्वाचन आयोग ने **लोकसभा चुनाव- 2024** और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम में विधानसभा चुनावों के दौरान चरणबद्ध तरीके से तैनाती के लिये 3.4 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कर्मियों की मांग की, जिससे **सीमा एवं आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन में कमी रह गई।**
  - ONOE इन तैनाती को एक चक्र में समेकित करेगा, जिससे **संसाधनों का बेहतर उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों में वृद्धि** सुनिश्चित होगी।
- **आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान को कम करना:** बार-बार होने वाले चुनावों से स्थानीय **अर्थव्यवस्थाओं में व्यवधान** उत्पन्न होता है, क्योंकि इससे **व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध** लग जाता है, जैसे- परिवहन प्रतिबंध, शराब की बिक्री और श्रम डायवर्जन।
  - उदाहरण के लिये, कर्नाटक सरकार को वर्ष 2023 के राज्य चुनावों के दौरान शराब पर प्रतिबंध लगाने के कारण ₹150 करोड़ के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा।
  - चुनावी कार्यक्रमों को संरेखित करके, ONOE निर्बाध आर्थिक गतिविधि सुनिश्चित कर सकता है।
- **विकास लक्ष्यों में अधिक संरेखण:** एक साथ चुनाव केंद्र और राज्य सरकारों की शर्तों को संरेखित करके सहकारी संघवाद को सुदृढ़ कर सकते हैं।
  - वस्तु एवं सेवा कर (वर्ष 2017) के कार्यान्वयन के दौरान, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वित प्रयासों ने नीति के क्रियान्वयन में तेज़ी लाई।
  - ONOE ऐसे सहयोग को संस्थागत बना सकता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में एकीकृत रणनीति सुनिश्चित हो सके, जिससे अधिक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय विकास हो सके।

एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ी मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

- **संवैधानिक और विधिक जटिलताएँ:** ONOE को लागू करने के लिये कई संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता होती है, जैसे कि अनुच्छेद 83, 85, 172 और 356, जो विधानसभाओं के कार्यकाल तथा विघटन को नियंत्रित करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, राज्य चुनावों को एक साथ कराने के लिये कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करना या बढ़ाना आवश्यक होगा, जिससे उनकी लोकतांत्रिक वैधता पर प्रश्न उठेंगे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का दुरुपयोग होने पर समन्वित कार्यकाल बाधित हो सकता है।

- **संघवाद के लिये संभावित खतरा:** आलोचकों का तर्क है कि ONOE राज्यों की स्वायत्तता को कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय अभियानों और एजेंडों से प्रभावित हो सकते हैं।
  - वर्ष 2019 के लोकसभा और ओडिशा विधानसभा चुनावों के दौरान, अभियान मुख्य रूप से बालाकोट हवाई हमले जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित थे।
    - परिणामस्वरूप, ओडिशा में कृषि संकट और जनजातीय क्षेत्रों में बेरोज़गारी सहित महत्त्वपूर्ण राज्य-स्तरीय मुद्दों पर सार्वजनिक बहस में सीमित ध्यान दिया गया।
  - सरकारिया आयोग (वर्ष 1988) ने भी अत्यधिक केंद्रीकरण के विरुद्ध चेतावनी दी थी। यह संविधान में निहित सहकारी संघवाद की भावना को नष्ट कर सकता है।
- **तार्किक और परिचालन संबंधी चुनौतियाँ:** लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिये एक साथ चुनाव कराने के लिये बड़े पैमाने पर प्रशासनिक एवं तार्किक योजना की आवश्यकता होगी।
  - भारत के चुनाव आयोग (ECI) का अनुमान है कि एक साथ चुनाव कराने के लिये प्रत्येक 15 वर्ष में नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की खरीद और प्रतिस्थापन के लिये ₹10,000 करोड़ की आवश्यकता होगी।
  - इसके अतिरिक्त, 1 मिलियन मतदान केंद्रों (वर्ष 2019 तक) पर एक साथ 900 मिलियन से अधिक मतदाताओं का प्रबंधन करना बहुत-सी चुनौतियों का सामना करता है, खासकर दूर-दराज़ एवं संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में।
- **लोकतांत्रिक जवाबदेही में व्यवधान:** बार-बार चुनाव एक निरंतर जवाबदेही तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जिससे मतदाता नियमित रूप से सरकारों का आकलन कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में शासन के प्रति जनता का असंतोष झलकता है, जिसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से शासन बदल गया।
  - ONOE, चुनाव आवृत्ति को कम करके, आवधिक जाँच की इस प्रणाली को कमज़ोर कर सकता है, जिससे सरकारों को अपने कार्यकाल के अंत तक दबाव वाले मुद्दोंका हल करने में विलंब करने की अधिक छूट मिल सकती है।
- **राजनीतिक प्रतिरोध और आम सहमति का अभाव:** ONOE के विचार को विभिन्न राजनीतिक दलों, विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो एक समन्वित प्रणाली में अपनी प्रासंगिकता खोने से डरते हैं।
  - पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अनुसार, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर विचार-विमर्श के दौरान 32 राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 15 ने इसका विरोध किया।
- **समय से पूर्व विघटन के कारण व्यवधान:** यदि किसी राज्य या केंद्र में सरकार का समय से पहले पतन हो जाता है, तो समकालिक चुनाव चक्र बाधित हो जाएगा।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 में कर्नाटक सरकार और वर्ष 2022 में महाराष्ट्र सरकार के पतन के कारण अनियोजित चुनाव हुए।
  - समय-सीमाओं को समकालिक करने के लिये या तो बार-बार राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा, जिससे **लोकतांत्रिक अखंडता के संदर्भ में चिंताएँ बढ़ेंगी**, या अंतरिम चुनाव कराने होंगे, जिससे **ONOE की लागत-दक्षता कम होगी।**
- **विलंबित चुनावी न्याय और विवाद समाधान:** एक साथ चुनाव होने से न्यायपालिका के लिये चुनाव संबंधी विवादों को निपटाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
  - वर्तमान में, चरणों में चुनाव कराने से न्यायालय मामलों को चरणों में निपटा सकते हैं, लेकिन ONOE के कारण एक साथ याचिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे समाधान में विलंब होगा।
  - वर्ष 2019 के चुनावों में 130 चुनाव याचिकाएँ दायर की गईं, जो सभी आम चुनावों में सबसे अधिक है। ONOE के कारण परिणामों की घोषणा में और विलंब हो सकता है तथा शासन की निरंतरता बाधित हो सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

एक राष्ट्र, एक चुनाव पैनल की सिफारिशें क्या हैं?

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र, एक चुनाव पैनल ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ कराने के लिये 11 सिफारिशें प्रस्तावित कीं।

- चरणबद्ध समन्वय:
  - **चरण I:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिये चुनाव तिथियों को एक साथ कराना।
  - **चरण II:** नगरपालिका और पंचायत चुनावों को इनके साथ एक साथ कराना, जो राज्य तथा लोकसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर कराए जाने चाहिये।
- समन्वय की निरंतरता:
  - राष्ट्रपति लोकसभा की पहली बैठक की तिथि को 'नियत तिथि' के रूप में घोषित कर सकते हैं, जिससे समन्वय की निरंतरता सुनिश्चित हो सके।
- **नई विधानसभाओं के लिये कार्यकाल समायोजन:** अगले आम चुनावों के साथ तालमेल बिठाने के लिये नवगठित राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल छोटा किया जा सकता है।
- **शासन और कार्यान्वयन:**
  - **कार्यान्वयन समूह:** एक समर्पित समूह को एक साथ चुनाव सुधारों के क्रियान्वयन की देखरेख और सुविधा प्रदान करनी चाहिये।
  - **विधायी संशोधन:**
    - **अनुच्छेद 324A:** पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिये एक साथ चुनाव कराने की सुविधा के लिये प्रस्तावित प्रस्ताव।
    - **अनुच्छेद 325:** सभी चुनावों के लिये एकीकृत मतदाता सूची और फोटो पहचान-पत्र स्थापित करने के लिये सुझाया गया संशोधन।
- **अस्थिर सदन और अविश्वास परिदृश्यों का प्रबंधन**
  - **अस्थिर सदन के मामले में चुनाव:** यदि अस्थाई सदन या अविश्वास प्रस्ताव होता है, तो नए चुनाव कराए जाएंगे।
    - नव-निर्वाचित निकाय केवल तब तक कार्य करेगा जब तक कि मौजूदा लोकसभा या राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता।
  - **कार्यकाल सीमा:** नव निर्वाचित लोकसभा के लिये, कार्यकाल केवल अगले समकालिक आम चुनाव तक ही बढ़ाया जाएगा। राज्य विधानसभाएँ तब तक जारी रहेंगी जब तक कि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त न हो जाए और उसे पहले भंग न कर दिया जाए।
- **परिचालन संवर्द्धन**
  - **चुनाव उपकरणों की खरीद:** चुनाव आयोग को सुचारु चुनाव प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये **EVM और VVPAT जैसे आवश्यक उपकरणों की खरीद** के लिये सक्रिय रूप से योजना बनानी चाहिये।
  - **एकीकृत चुनावी अवसंरचना:** पैनल ने सभी चुनावों में एकीकृत मतदाता सूची और पहचान-पत्र प्रणाली की सिफारिश की है, जिसके लिये संवैधानिक संशोधन एवं राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के मामले में भारत अन्य देशों से क्या सीख सकता है?

- **इंडोनेशिया:** इंडोनेशिया ने वर्ष 2019 में '**एक राष्ट्र, एक चुनाव**' प्रारूप अपनाया, जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दोनों विधायी निकायों के सदस्यों का चुनाव एक ही दिन होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- वर्ष 2024 में, इंडोनेशिया ने विश्व के सबसे बड़े एकल-दिवसीय चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिसमें पाँच स्तरों पर: **राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, क्षेत्रीय विधानसभाएँ और नगरपालिका चुनाव में** लगभग 200 मिलियन मतदाता शामिल थे।

- **दक्षिण अफ्रीका:** मतदाता राष्ट्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानमंडल दोनों के लिये एक साथ मतदान करते हैं। हालाँकि नगरपालिका चुनाव पाँच वर्ष के चक्र के बाद अलग-अलग आयोजित किये जाते हैं।
- **स्वीडन:** स्वीडन एक आनुपातिक चुनावी प्रणाली संचालित करता है जहाँ संसद (रिक्सडैग), काउंटी परिषदों और नगर परिषदों में सीटें वोट शेयर के आधार पर आवंटित की जाती हैं।
  - ये चुनाव प्रत्येक चार वर्ष में होते हैं। नगरपालिका चुनाव पाँच वर्ष के चक्र का पालन करते हैं, जो प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार होता है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **संघ शासित प्रदेशों में ONOE का पायलट:** अवधारणा के प्रमाण के रूप में संघ शासित प्रदेशों (UT) में ONOE सुधारों को लागू करना शुरू किया जाना चाहिये।
  - दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़ जैसे केंद्रशासित प्रदेशों में छोटे निर्वाचन क्षेत्र एवं सरल शासन संरचनाएँ हैं, जो उन्हें पायलट के लिये आदर्श बनाती हैं।
  - इससे राष्ट्रीय स्तर पर रोलआउट से पहले ONOE मॉडल को परिष्कृत करने की अनुमति मिलती है।
- **क्षेत्रीय तत्परता के आधार पर लचीले चुनाव चक्र:** संघ शासित प्रदेशों को समन्वयित करने के बाद, राष्ट्रव्यापी एकरूपता लागू करने के बजाय क्षेत्र-विशिष्ट चुनाव समन्वय शुरू करने के साथ संक्रमण किया जाना चाहिये।
  - राज्यों को क्षेत्रीय रूप से समूहीकृत किया जा सकता है (जैसे- उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम) ताकि 5-10 वर्षों में उन क्षेत्रों के भीतर चुनावों को समन्वयित किया जा सके।
  - इससे झारखंड या जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य, जो शासन या सुरक्षा मुद्दों का सामना करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय को बाधित किये बिना धीरे-धीरे चुनाव चक्रों को संरेखित करने की अनुमति मिलती है।
  - यह दृष्टिकोण संघीय चिंताओं के साथ तार्किक व्यवहार्यता को संतुलित करता है।
- **डिजिटल चुनावी प्रबंधन प्रणाली बनाना:** ONOE के जटिल लॉजिस्टिक्स को प्रबंधित करने के लिये एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाना चाहिये।
  - DEMS मतदाता सूची, मतदान केंद्र आवंटन, उम्मीदवार दाखिल करना और परिणाम प्रबंधन को एकीकृत कर सकता है। पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाने के लिये वोट रिकॉर्डिंग एवं गिनती के लिये ब्लॉकचेन-आधारित तकनीक के पायलट की आवश्यकता है।
  - यह प्रशासनिक विलंब को कम करता है और सुदृढ़ चुनाव प्रबंधन सुनिश्चित करता है।
- **क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिये संघीय सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना:** सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि राज्य-स्तरीय मुद्दों को प्रभावित होने से रोकने के लिये तंत्र मौजूद हैं।
  - स्थानीय मुद्दों को दृश्यता देने के लिये समकालिक चुनावों के दौरान अनिवार्य क्षेत्रीय बहस या टेलीविज़न राज्य-विशिष्ट मंचों की शुरुआत की जानी चाहिये।
  - बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय अभियानों के बावजूद क्षेत्रीय दलों को प्रतिस्पर्द्धी बनाए रखने के लिये राजनीतिक फंडिंग कैप को अनुकूलित किया जा सकता है।
    - यह भारत के संघीय ढाँचे के लिये महत्त्वपूर्ण लोकतांत्रिक विविधता की रक्षा करता है।
- **चुनाव संसाधन आवंटन के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग:** AI क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कार्मिक, EVM और सुरक्षा बलों जैसे चुनाव संसाधनों को आवंटित करने में मदद कर सकता है।
  - AI-संचालित सिमुलेशन मतदाता मतदान का पूर्वानुमान कर सकते हैं, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों (जैसे- संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्र) की पहचान कर सकते हैं और संसाधन अनुकूलन सुनिश्चित कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, आपदा प्रबंधन प्रणालियों में उपयोग किये जाने वाले एल्गोरिदम को चुनावों के लिये अनुकूलित किया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह अक्षमताओं को कम करता है और एक साथ चुनाव प्रबंधन में विलंब को रोकता है।

- **राज्यों को शर्तों को संरेखित करने के लिये सशर्त वित्तीय प्रोत्साहन:** राज्यों को अपने चुनाव चक्रों को ONOE के साथ संरेखित करने के लिये केंद्रीय निधियों के उच्च विकेंद्रीकरण जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये।
  - अपने विधानसभा कार्यकाल को छोटा या बढ़ाने के लिये सहमत होने वाले राज्य विकास परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, 15वें वित्त आयोग ने राज्य प्रदर्शन-लिंक्ड अनुदान की सिफारिश की, एक मॉडल जिसे ONOE अनुपालन के लिये फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जनादेश लगाए बिना सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- **विकेंद्रीकृत चुनाव निगरानी प्रकोष्ठ:** विकेंद्रीकृत तरीके से एक साथ चुनावी प्रक्रिया की देखरेख के लिये क्षेत्रीय चुनाव निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिये।
  - ये प्रकोष्ठ चुनाव आयोग के अधीन काम करेंगे, लेकिन विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे केंद्रीय चुनाव आयोग पर बोझ कम होगा।
  - यह स्थानीय दृष्टिकोण रियल टाइम समस्या-समाधान और सुचारु संचालन सुनिश्चित करता है।
- **सहभागी लोकतंत्र तंत्र के माध्यम से नागरिक जुड़ाव:** नागरिकों को समकालिक चुनावों को आकार देने में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - जागरूकता बढ़ाने और जनता की राय जानने के लिये सार्वजनिक परामर्श, ऑनलाइन जनमत सर्वेक्षण एवं हितधारक मंचों की मेज़बानी की जानी चाहिये।
    - उदाहरण के लिये, केरल के सहभागी बजट मॉडल को ONOE सुधारों पर नागरिक इनपुट एकत्र करने के लिये अनुकूलित किया जा सकता है।
  - समकालिक चुनावों के बीच जवाबदेही बनाए रखने के लिये सरकारों के लिये अनिवार्य मध्यावधि समीक्षा शुरू की जानी चाहिये।
  - इन समीक्षाओं में सार्वजनिक प्रतिक्रिया सर्वेक्षण, संसदीय प्रदर्शन ऑडिट और RTI-आधारित पारदर्शिता तंत्र शामिल हो सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये, MyGov जैसा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निर्वाचित अधिकारियों के लिये नागरिक स्कोरकार्ड होस्ट कर सकता है, जिससे निरंतर जवाबदेही सुनिश्चित होती है। यह इस चिंता को कम करता है कि ONOE शासन पर मतदाता की निगरानी को कम करता है।
- **आकस्मिक चुनाव निधि की स्थापना:** सरकार के पतन के कारण अप्रत्याशित चुनावों से निपटने के लिये विशेष रूप से आकस्मिक निधि बनाए जाने चाहिये।
  - इस निधि का प्रबंधन चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग सिंक्रोनाइजेशन प्रयासों को बाधित किये बिना मध्य-चक्र चुनाव या उपचुनावों का प्रबंधन करने के लिये किया जाएगा।
  - इससे आपातकालीन स्थितियों के दौरान वित्तीय तनाव से बचा जा सकता है और साथ ही ONOE समय-सीमा को बरकरार रखा जा सकता है।
- **डिजिटल वोटिंग प्लेटफॉर्म का क्रमिक एकीकरण:** NRI या शहरी प्रवासियों जैसे कुछ श्रेणियों के मतदाताओं के लिये सुरक्षित डिजिटल वोटिंग तंत्र पेश किये जाने चाहिये।
  - डिजिटल वोटिंग से लॉजिस्टिक बोझ कम हो सकता है और सिंक्रोनाइज्ड चुनावों में व्यापक भागीदारी हो सकती है।
  - **एस्टोनिया का वर्ष 2005 का डिजिटल वोटिंग मॉडल** एक बेंचमार्क के रूप में काम कर सकता है। यह नवाचार समावेशिता को बढ़ाता है और भौतिक संसाधन आवश्यकताओं को कम करता है।

निष्कर्ष:

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" प्रस्ताव भारत के चुनावी परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य अधिक दक्षता, कम लागत और सुव्यवस्थित शासन लाना है। ONOE के कार्यान्वयन के लिये सावधानीपूर्वक योजना, विधायी संशोधन और संघीय स्वायत्तता को राष्ट्रीय हितों के साथ संतुलित करने की क्षमता

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

की आवश्यकता होगी। वैश्विक उदाहरणों से सीखकर और चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाकर, यह सुनिश्चित करते हुए कि सुधार एक अधिक सुसंगत एवं कार्यात्मक चुनावी प्रणाली की ओर ले जाएँ, भारत इन चुनौतियों का समाधान कर सकता है।

■■■

वैश्वीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता में संतुलन

वैश्वीकरण का विकास जारी है, जो **वित्तीय संकटों, महामारी और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद उल्लेखनीय समुत्थानशीलता** प्रदर्शित करता है। **भारत एक ऐसे महत्त्वपूर्ण मोड़ पर** है, जहाँ इसकी **आर्थिक क्षमता आंशिक रूप से साकार** हुई है, फिर भी **कम श्रम भागीदारी, आयात प्रतिबंध और सामाजिक-राजनीतिक जटिलताओं** जैसी चुनौतियों से बाधित है। **स्वतंत्रता काल के दौरान 2% से वर्ष 2023 में 7.93% तक** अपनी वैश्विक आर्थिक हिस्सेदारी बढ़ाने के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश का भविष्य **अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण के साथ आत्मनिर्भरता के संतुलन पर** टिका हुआ है।

भारत में वैश्वीकरण के प्रमुख चरण क्या हैं?

- **पूर्व-औपनिवेशिक काल (प्राचीन और मध्यकालीन भारत):**
  - **समृद्ध व्यापार:** भारत एक प्रमुख वैश्विक व्यापार केंद्र था, जो **सिल्क रोड** और **हिंद महासागर व्यापार नेटवर्क** के माध्यम से मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों का निर्यात करता था (रोमन बाज़ारों में **उत्तम भारतीय मलमल की** बहुत मांग थी)।
  - **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** व्यापार और यात्रा के माध्यम से **बौद्ध धर्म का** भारत से **चीन, जापान एवं दक्षिण पूर्व एशिया तक विस्तार हुआ।**
  - **वैज्ञानिक योगदान:** भारतीय ज्ञान, जैसे **दशमलव प्रणाली का प्रसार अरब व्यापारियों के माध्यम से विश्व स्तर पर हुआ।**
- **औपनिवेशिक युग (18वीं - 20वीं शताब्दी):**
  - **आर्थिक पुनर्गठन: भारत** ब्रिटिश उद्योगों के लिये कच्चे माल (जैसे- **कपास**) के आपूर्तिकर्त्ता के रूप में परिवर्तित हो गया।
    - **उदाहरण:** तैयार उत्पाद का आयात करते हुए **ब्रिटेन को कपास और नील** का निर्यात।
  - **बुनियादी अवसंरचना का विकास:** रेलवे और बंदरगाहों का विकास किया गया, लेकिन इससे औपनिवेशिक हितों को लाभ मिला।
    - **उदाहरण: मुंबई बंदरगाह** ब्रिटिश साम्राज्य के लिये एक प्रमुख व्यापार केंद्र बन गया।
- **स्वतंत्रता के बाद संरक्षणवाद (वर्ष 1947-1991):**
  - **आर्थिक अलगाव: आयात प्रतिस्थापन** और **पंचवर्षीय योजनाओं** जैसी नीतियों के तहत **आत्मनिर्भरता** पर ध्यान केंद्रित किया गया।
    - **उदाहरण:** आर्थिक संप्रभुता के लिये **BHEL** और **LIC जैसे सार्वजनिक उपक्रमों** की स्थापना की गई।
  - **सीमित विदेशी संपर्क: व्यापार और FDI प्रतिबंधित थे;** भारत वैश्विक बाज़ारों से बहुत हद तक अलग-थलग था।
  - **चुनौतियाँ:** अकुशल उद्योग, **कम वृद्धि (जिसे "हिंदू विकास दर" कहा जाता है) और कम निर्यात** होते थे।
- **आर्थिक सुधार और उदारीकरण (वर्ष 1991 से आगे):**
  - **ट्रिगर: भुगतान संतुलन के गंभीर संकट** के कारण **मनमोहन सिंह** के मार्गदर्शन में **नरसिम्हा राव सरकार** के तहत व्यापक सुधार किये गए।
- **प्रमुख नीतियाँ:**
  - टैरिफ और व्यापार बाधाओं में कमी।
  - कुछ क्षेत्रों में **100% FDI** की अनुमति।
  - निजीकरण और बाज़ार-संचालित नीतियों की ओर बदलाव।
- **21वीं सदी में वैश्वीकरण (वर्ष 2000 के बाद):**
  - **डिजिटल एकीकरण:** भारत एक वैश्विक **IT आउटसोर्सिंग केंद्र के रूप में उभरा** है, जो फॉर्च्यून 500 कंपनियों को सेवाएँ प्रदान कर रहा है।
  - **आर्थिक साझेदारियाँ: विश्व व्यापार संगठन, BRICS** और **G20** जैसे बहुपक्षीय मंचों में भूमिका में वृद्धि।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** बॉलीवुड फिल्मों और भारतीय व्यंजनों को वैश्विक मान्यता मिली। (**स्लमडॉग मिलियनेयर** जैसी फिल्मों ने भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया)।
- **स्टार्ट-अप क्रांति: ओला, फ्लिपकार्ट** और **BYJU जैसे भारतीय स्टार्ट-अप** का वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकरण।

- **पोस्ट-कोविड-19 और आत्मनिर्भर भारत:**
  - **आर्थिक राष्ट्रवाद:** महामारी ने आपूर्ति श्रृंखला की कमज़ोरियों को उजागर किया, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला। (**PLI योजनाओं के तहत स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा**)
  - **डिजिटल वैश्वीकरण:** यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने वैश्विक फिनटेक प्रणालियों में क्रांति ला दी है। (**सिंगापुर और UAE जैसे देशों के साथ UPI साझेदारी**)।

भारत पर वैश्वीकरण के प्रमुख सकारात्मक प्रभाव क्या हैं?

- **आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन:** वैश्वीकरण ने भारत को वैश्विक बाज़ारों में एकीकृत करके, **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तक पहुँच** को सक्षम करके और **IT तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे निर्यात-संचालित उद्योगों का विस्तार** करके भारत की **GDP वृद्धि को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ावा** दिया है।
  - उदाहरण के लिये, भारत का IT निर्यात **वित्त वर्ष 2023 में 194 बिलियन डॉलर** तक पहुँच गया, जिससे यह **विश्व का सबसे बड़ा IT आउटसोर्सिंग हब** बन गया, जबकि **वित्त वर्ष 2022 में FDI प्रवाह रिकॉर्ड 83.57 बिलियन डॉलर** तक पहुँच गया।
  - इससे लाखों नौकरियों का सृजन हुआ है, विशेषकर बंगलूरू और हैदराबाद जैसे शहरी केंद्रों में।
- **तकनीकी उन्नति और नवाचार:** वैश्वीकरण ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के आगमन को सुगम बनाया है, जिससे अंतरिक्ष, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिला है।
  - **ISRO की विशेषज्ञता और लागत प्रभावी प्रक्षेपण तकनीकों** ने कई विदेशी देशों को आकर्षित किया है। अपने **वाणिज्यिक प्रभागों के माध्यम से, ISRO ने** विभिन्न देशों के लिये लगभग **430 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया** है।
    - **वर्ष 2023 में अपने चंद्रयान- 3 मिशन** के साथ इसने वैश्विक ख्याति प्राप्त की और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरने वाला पहला देश बन गया।
  - **इसी प्रकार, UPI** के नेतृत्व में डिजिटल भुगतान प्रणालियों के अंगीकरण से **सितंबर 2023 में 10.58 बिलियन लेन-देन** दर्ज किये गए, जिससे भारत वित्तीय प्रौद्योगिकी में अग्रणी के रूप में सामने आया।
- **उन्नत जीवन स्तर:** वैश्वीकरण के उदय ने लाखों भारतीयों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया है, विशेष रूप से वैश्विक ब्रांडों तक पहुँच, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और उच्च आय के माध्यम से।
  - IMF के अनुमान के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय **2,730 डॉलर तक पहुँचने में 75 वर्ष लग गए,** जबकि **इसमें 2,000 डॉलर और जोड़ने में केवल पाँच वर्ष लगेंगे।**
  - मध्यम वर्ग की संख्या सत्र 2020-21 में 432 मिलियन से बढ़कर **सत्र 2030-31 में 715 मिलियन (47%)** हो जाने की उम्मीद है।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सॉफ्ट पावर संवर्द्धन:** वैश्वीकरण ने वैश्विक स्तर पर भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाया है, जिससे इसकी कला, भोजन और परंपराओं को बढ़ावा मिला है, जबकि घरेलू स्तर पर वैश्विक विविधता को अपनाया गया है।
  - **ए.आर. रहमान** के संगीत के साथ विदेशी निर्देशक द्वारा निर्देशित **स्लमडॉग मिलियनेयर** और **वर्ष 2023 में ऑस्कर जीतने वाली RRR** जैसी फिल्मों ने विश्व मंच पर **भारत की सिनेमाई प्रतिभा का प्रदर्शन** किया है।
    - **इसी प्रकार, स्पाइडर-मैन और जुरासिक वर्ल्ड** में अभिनय करने वाले **इरफान खान** जैसे अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सफलता ने भारत की सांस्कृतिक पहुँच को और सुदृढ़ किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसके अतिरिक्त, भारतीय व्यंजनों की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति से पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है।

- **उद्यमशीलता और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि:** वैश्विक एकीकरण ने भारत के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित किया है तथा नवाचार, वित्तपोषण और वैश्विक बाज़ार तक पहुँच को बढ़ावा दिया है।
  - भारत **विश्व स्तर पर** तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप हब बन गया।
  - भारतीय स्टार्टअप्स ने **वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 2.3 बिलियन डॉलर से अधिक की धनराशि** जुटाई, जिसमें स्टार्ट-अप इंडिया जैसी पहल ने **युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा** दिया।
- **मज़बूत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक कूटनीति:** वैश्वीकरण ने भारत को एक व्यापार महाशक्ति में बदल दिया है, जिससे वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में उसका एकीकरण संभव हो गया है।
  - G20 और **FTA (जैसे, वर्ष 2022 में** UAE CEPA **)** में भारत की सक्रिय भागीदारी ने इसके **वैश्विक आर्थिक प्रभाव** एवं **व्यापार प्रतिस्पर्द्धा** को बढ़ाया है।
- **उन्नत बुनियादी अवसंरचना और शहरीकरण:** वैश्वीकरण ने भारत के बुनियादी अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा दिया है, शहरों का आधुनिकीकरण किया है और स्मार्ट शहरी केंद्रों का निर्माण किया है।
  - भारत 100 स्मार्ट शहरों **का विकास** कर रहा है। विदेशी प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित **दिल्ली और मुंबई** जैसे शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं ने शहरी गतिशीलता को बढ़ाया है।
- **सुदृढ़ रक्षा और सामरिक क्षमताएँ:** वैश्वीकरण ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपने रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाने और अपनी सामरिक स्थिति को बढ़ाने में सक्षम बनाया है।
  - फ्राँस से राफेल जेट विमानों की खरीद के साथ **वित्त वर्ष 2023-24 में** रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।
- **पर्यावरण सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा विकास:** वैश्वीकरण ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में भारत के सहयोग को बढ़ावा दिया है।
  - **121 देशों के साथ साझेदारी में शुरू की गई** अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसी पहल, भारत को सतत् विकास में अग्रणी बनाती है।
  - भारत ने 8 देशों **(अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इटली, मॉरीशस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात** और **अमेरिका) के साथ मिलकर,** भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अद्वितीय बहु-हितधारक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन **(GBA) का शुभारंभ** किया।

वैश्वीकरण से भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **आर्थिक असमानता में वृद्धि:** वैश्वीकरण ने धन के संकेंद्रण को तीव्र कर दिया है, **जिससे शहरी अभिजात वर्ग को लाभ** हुआ है, जबकि **ग्रामीण और सीमांत आबादी पीछे रह गई है।**
  - विदेशी निवेश के आगमन और बाज़ार उदारीकरण ने अकुशल श्रमिकों को दरकिनार करते हुए कुशल श्रमिकों एवं निगमों को अनुपातहीन रूप से समृद्ध किया है।
  - एक अध्ययन से भारत की संपत्ति असमानता का पता चलता है, जिसमें सबसे धनी 1% लोगों के पास कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। 10,000 सबसे धनी व्यक्तियों के पास राष्ट्रीय औसत से 16,763 गुना अधिक संपत्ति है, जबकि शीर्ष 1% लोगों के पास औसतन 54 मिलियन रुपए की संपत्ति है।
  - असमानता का मापक गिनी गुणांक सत्र **2022-23 में 0.402 तक बढ़ गया,** जो बढ़ती असमानताओं को दर्शाता है।
- **बेरोज़गारी वृद्धि और स्वचालन:** सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि के बावजूद, वैश्वीकरण ने **स्वचालन और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा** दिया है, जिसके परिणामस्वरूप श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोज़गार सृजन में ठहराव आ गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **विनिर्माण और वस्त्र** जैसे उद्योग तीव्र गति से मशीनीकरण पर निर्भर हो रहे हैं, जिससे अकुशल श्रमिक विस्थापित हो रहे हैं।
- नवीनतम वार्षिक PLFS रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में 15-29 आयु वर्ग के **युवाओं के लिये बेरोज़गारी दर सत्र 2023-24 के लिये 10.2%** होगी।

- **पारंपरिक उद्योगों का पतन:** वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा ने भारत के पारंपरिक और लघु उद्योगों को हाशिये पर धकेल दिया है, जिनके पास वैश्विक दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का अभाव है।
  - **हस्तशिल्प, हथकरघा और लघु उद्योग** प्रासंगिकता खो रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर आयातित उत्पाद बाज़ार पर हावी हो रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, कोविड-19 महामारी के तुरंत बाद **भारत के हथकरघा क्षेत्र से निर्यात में 30% की गिरावट** आई, जबकि **लाखों कारीगरों** को चीन से आने वाले सस्ते मशीन-निर्मित विकल्पों के कारण **कम आय का सामना** करना पड़ा।
- **वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर अत्यधिक निर्भरता:** वैश्वीकरण ने भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर अत्यधिक निर्भर बना दिया है, जिससे यह व्यवधानों के प्रति संवेदनशील हो गया है।
  - **कोविड-19 महामारी** और **भू-राजनीतिक तनावों** ने इस निर्भरता को उजागर किया है, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स तथा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में।
  - उदाहरण के लिये, भारत 70% सक्रिय औषधि घटक **(API) के लिये चीन पर निर्भर** है, जबकि भारत में सेमीकंडक्टर आयात सत्र 2023-24 में 18.5% **बढ़कर 1.71 लाख करोड़ रुपए** हो गया।
- **सांस्कृतिक समरूपीकरण: मीडिया और उपभोक्ता वस्तुओं** द्वारा संचालित वैश्विक सांस्कृतिक प्रभुत्व ने भारत की स्वदेशी सांस्कृतिक पहचान एव्न मूल्यों को कमज़ोर कर दिया है।
  - विशेष रूप से शहरी युवाओं के बीच **पश्चिमी खान-पान की आदतें, फैशन और मीडिया** तेज़ी से पारंपरिक प्रथाओं का स्थान ले रहे हैं।
    - उदाहरण के लिये, **वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन रिपोर्ट** के अनुसार, भारत में वयस्कों में मोटापा **तीन गुना से भी अधिक** बढ़ गया है, जबकि बच्चों में मोटापे की वृद्धि विश्व स्तर पर सबसे अधिक है तथा यह केवल वियतनाम एवं नामीबिया से ही पीछे है।
  - इसके अलावा, **क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचलन कम** हो रहा है। AICTE के आँकड़ों से पता चलता है कि **पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक में 3 से 4 कॉलेजों** ने क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम बंद कर दिये हैं।
- **विदेशी पूंजी पर निर्भरता:** वैश्विक वित्तीय प्रणालियों में भारत के एकीकरण ने **अस्थिर विदेशी निवेशों पर इसकी निर्भरता** बढ़ा दी है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक झटकों के प्रति संवेदनशील हो गई है।
  - **वैश्विक मंदी के दौरान पूंजी का बहिर्गमन** बाज़ारों को अस्थिर कर देता है तथा रुपए का अवमूल्यन कर देता है।
  - भारत ने अक्तूबर 2024 में **इक्विटी बाज़ार से सबसे अधिक FPI बहिर्वाह** दर्ज किया, जो **कुल 10,428 मिलियन डॉलर** था।
- **बढ़ते साइबर सुरक्षा खतरे:** वैश्वीकरण ने **डिजिटल अंगीकरण में तेज़ी** ला दी है, जिससे कमज़ोर विनियमनों के कारण भारत साइबर हमलों एवं डेटा उल्लंघनों के प्रति संवेदनशील हो गया है।
  - ऑनलाइन लेनदेन और डेटा निर्भरता में वृद्धि के साथ, साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं।
  - वर्ष 2023 में, **भारत पर साइबर हमलों में 138% की वृद्धि** हुई, जिसमें **बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा (AIIMS दिल्ली रैनसमवेयर अटैक)** जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बनाया गया।
  - वर्ष 2023 में **CoWIN डेटा लीक** ने लाखों लोगों के व्यक्तिगत विवरण को उजागर कर दिया, जिससे **सख्त डेटा गोपनीयता कानूनों की आवश्यकता** पर प्रकाश डाला गया।
- **कृषि स्वायत्तता की हानि:** वैश्विक व्यापार समझौतों और **कॉर्पोरेट-संचालित वैश्वीकरण** ने **आयातित कृषि इनपुट एवं अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर निर्भरता** बढ़ा दी है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- कृषि रसायनों और बीजों में बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभुत्व ने पारंपरिक खेती के तरीकों को खत्म कर दिया है। उदाहरण के लिये, भारत ने सत्र 2023-24 में **चीन से 18.65 लाख टन यूरिया** और **22.58 लाख टन P&K उर्वरक आयात** किया।
- इसके अलावा, मोनसेंटो जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों द्वारा आनुवंशिकत: रूपांतरित बीजों पर निर्भरता ने **स्वदेशी बीज किस्मों को हाशिये पर** डाल दिया है, जिससे जैव विविधता और किसानों की स्वायत्तता कम हो गई है।

भारत आत्मनिर्भरता के लिये प्रयास के साथ वैश्वीकरण को किस प्रकार संतुलित कर सकता है?

- **मेक इन इंडिया** और **मेक फॉर द वर्ल्ड:** उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना का विस्तार **सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और उन्नत सामग्री जैसे उभरते क्षेत्रों तक** किया जाना चाहिये।
  - स्थानीय MSME के साथ सुदृढ़ संबंध बनाते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - इससे वैश्विक प्रौद्योगिकी अंगीकरण के साथ-साथ घरेलू उत्पादन और रोज़गार को बढ़ावा भी मिलता है।
  - PLI के तहत स्मार्टफोन निर्माण में हाल की सफलता इसकी मापनीयता को उजागर करती है।
- **अनुसंधान एवं विकास (R&D) पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण:** नवाचार को बढ़ावा देने के लिये **अनुसंधान एवं विकास में सकल घरेलू उत्पाद** का कम से कम **2% निवेश** किया जाना चाहिये, विशेष रूप से अग्रणी प्रौद्योगिकियों जैसे कि AI, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग में।
  - बड़े पैमाने पर नवाचारों का व्यावसायीकरण करने के लिये वैश्विक सहयोग से **अधिक सार्वजनिक-निजी अनुसंधान पार्क** स्थापित किये जाने चाहिये।
  - **भारत सेमीकंडक्टर मिशन** जैसी पहलों को **ताइवान** जैसे तकनीकी अभिकर्त्ताओं की साझेदारी के साथ और अधिक गति की आवश्यकता है।
  - इससे निर्भरता के बिना वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित होती है। अनुसंधान को औद्योगिक अनुप्रयोगों से जोड़ने से भारत को मूल्य शृंखला में ऊपर जाने में मदद मिल सकती है।
- **क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समुत्थानशील आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण: वियतनाम, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया** जैसे देशों के साथ गहरे आर्थिक संबंध बनाकर आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाई जानी चाहिये।
  - **चीन-केंद्रित आपूर्ति शृंखलाओं के विकल्प** बनाए जाने चाहिये, विशेष रूप से दुर्लभ मृदा तत्त्वों और फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में।
  - **क्वाड और G20 की वैश्विक मूल्य शृंखला पहलों** में भागीदारी निर्भरता को संतुलित करने के अवसर प्रदान करती है। घरेलू स्तर पर, निर्बाध व्यापार एकीकरण सुनिश्चित करने के लिये बंदरगाह और रसद बुनियादी अवसंरचना में निवेश किया जाना चाहिये।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के लिये कौशल पर ध्यान केंद्रन: नवीकरणीय ऊर्जा, रोबोटिक्स और लॉजिस्टिक्स** जैसे उभरते उद्योगों में कार्यबल को प्रशिक्षित करने के लिये विशेष कौशल केंद्र विकसित किया जाना चाहिये।
  - कौशल भारत मिशन को विकसित देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से वैश्विक प्रशिक्षुता कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
  - जैसे-जैसे दूरस्थ कार्य बढ़ता है, **वैश्विक सेवाएँ प्रदान करने के लिये भारत के विशाल IT भंडार का लाभ** उठाया जाना चाहिये।
  - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020** के तहत भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन को सुविधाजनक बनाया जाना चाहिये।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने से वैश्विक मूल्य शृंखला में समावेशिता सुनिश्चित होती है, साथ ही घरेलू रोज़गार चुनौतियों का समाधान भी होता है।
- **कृषि उत्पादकता और निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि: कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिये सटीक खेती, ड्रोन और ब्लॉकचेन** जैसे कृषि-तकनीक समाधानों में निवेश किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **निर्यातोन्मुख जैविक खेती को** बढ़ावा दिया जाना चाहिये, क्योंकि भारत के उत्पादों को प्राय: **स्वच्छता संबंधी चिंताओं के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है,** जिससे अंतत: देश की छवि को नुकसान पहुँचता है।
- **भारत की (खेत से लेकर खाने तक की) आपूर्ति शृंखला को** सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये तथा उन्हें वैश्विक निर्यात मानकों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
- संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल के व्यापार समझौतों का लाभ उठाकर **कृषि निर्यात को बढ़ाया जा सकता है।**

- **हरित विकास अर्थव्यवस्था का विकास करना:** हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिये भारत की G20 अध्यक्षता प्रतिबद्धताओं का लाभ उठाने के साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात पर बल दिया जाना चाहिये।
  - स्वच्छ ऊर्जा में तकनीकी अंतरण के लिये **जर्मनी और जापान** जैसे देशों के साथ सहयोग किया जाना चाहिये। **वैश्विक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानकों को पूरा करने के लिये घरेलू हरित उद्योगों को सशक्त कर, निर्यात को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये।
  - यह रणनीति भारत को एक वैश्विक अग्रणी और आत्मनिर्भर हरित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करती है।
- **वैश्विक और स्थानीय तालमेल के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: वैश्वीकरण के लिये UPI और ONDC** जैसे प्लेटफॉर्मों का विस्तार किया जाना चाहिये, साथ ही घरेलू डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - **डिजिटल भुगतान अवसंरचना के लिये अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों** के साथ सहयोग से भारत की सॉफ्ट पावर एवं आर्थिक एकीकरण को बल मिलेगा।
  - घरेलू स्तर पर, **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** जैसे फ्रेमवर्क के माध्यम से **सुदृढ़ डेटा संरक्षण कानून सुनिश्चित करने से** संप्रभुता की रक्षा हो सकती है, साथ ही निर्बाध वैश्विक तकनीकी साझेदारी को सक्षम किया जा सकता है।
- **सामरिक स्वायत्तता के लिये व्यापार नीतियों में सुधार:** व्यापार नीतियों को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिये ताकि उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जहाँ भारत को तुलनात्मक लाभ हो, जैसे कि **वस्त्र उद्योग, फार्मा और IT सेवाएँ।**
  - **प्रतिस्पर्द्धा को बाधित किये बिना नवोदित उद्योगों की रक्षा के लिये चुनिंदा रूप से टैरिफ बाधाओं को** लागू किया जाना चाहिये। विनियामक बाधाओं को कम करके और वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाकर निर्यात को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये सुरक्षात्मक उपायों के साथ **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP)** पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
- **घरेलू नियंत्रण के साथ वित्तीय एकीकरण: रूस और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ रुपया व्यापार समझौतों** के माध्यम से वैश्विक वित्तीय भागीदारी को बेहतर किया जाना चाहिये।
  - विकास परियोजनाओं हेतु वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिये **सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड का** विस्तार किया जाना चाहिये। साथ ही, **गुजरात में GIFT-IFSC जैसे और शहरों का विकास** किया जाना चाहिये।
  - इसके साथ ही, MSME की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **SIDBI और NABARD जैसी घरेलू वित्तीय संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाएगी।**
  - यह हाइब्रिड मॉडल रणनीतिक मौद्रिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए मज़बूत वित्तीय एकीकरण सुनिश्चित करता है।
- **संतुलित शहरी-ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रन: टियर-2 और टियर-3 शहरों को विनिर्माण एवं नवाचार केंद्रों के रूप में** सुदृढ़ करके आर्थिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT जैसी पहलों के माध्यम से इन्हें वैश्विक बाज़ारों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **वैश्विक ई-कॉमर्स प्लेटफार्म** के लिये ग्रामीण उद्यमिता का दोहन करने हेतु भारतनेट जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- इससे क्षेत्रीय असमानताएँ कम होती हैं और साथ ही वैश्वीकरण एवं आत्मनिर्भरता में संतुलन बना रहता है।

निष्कर्ष:

वर्ष 1947 में 2% से वर्ष 2023 में 7.93% वैश्विक हिस्सेदारी तक भारत की आर्थिक यात्रा, **वैश्वीकरण के साथ आत्मनिर्भरता को संतुलित करने पर निर्भर करती है।** यद्यपि वैश्वीकरण अवसर प्रदान करता है, फिर भी **असमानता, रोज़गार-असुरक्षा और सांस्कृतिक क्षरण जैसी चुनौतियाँ बनी रहती हैं।** भारत को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहिये, **समुत्थानशील आपूर्ति शृंखलाओं की स्थापना की जानी चाहिये, अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना चाहिये और वैश्विक एकीकरण का लाभ उठाने के लिये कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।** वैश्वीकृत विश्व में भारत की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिये रणनीतिक स्वायत्तता और घरेलू विकास को प्राथमिकता देने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

■■■

सतत् पर्यटन की ओर मार्ग

भारत का पर्यटन क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसमें अपार आर्थिक क्षमता है, जो **सकल घरेलू उत्पाद में 6.8% का योगदान** देता है और **9.2% कार्यबल को रोज़गार** देता है, फिर भी महत्त्वपूर्ण स्थिरता चुनौतियों का सामना कर रहा है। आगे की राह एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की मांग करती है जो **सामुदायिक स्वामित्व, पर्यावरण संरक्षण और प्रामाणिक अनुभवों को प्राथमिकता** देती है। जैसे-जैसे वैश्विक पर्यटन परिदृश्य विकसित हो रहा है, भारत की सफलता **सांस्कृतिक अखंडता, पर्यावरण संरक्षण और सतत् पर्यटन के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने में निहित है।**

भारत में पर्यटन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **स्थिति: महामारी के बाद** पर्यटन क्षेत्र में प्रबल **सुधार और वृद्धि की संभावना** देखी जा रही है, जिसमें **घरेलू पर्यटन अग्रणी** है।
  - **यात्रा और पर्यटन GDP योगदान** में भारत विश्व स्तर पर 10वें स्थान पर है और वर्ष 2028 तक **अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन 30.5 मिलियन तक** पहुँचने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य को दर्शाता है।
- **योगदान:** भारत में पर्यटन क्षेत्र का **आर्थिक योगदान** महत्त्वपूर्ण है, वर्ष 2022 में **सकल घरेलू उत्पाद में इसका कुल योगदान 199.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर** दर्ज किया गया है, जिसके वर्ष **2028 तक 512 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँचने का अनुमान है।
  - यह क्षेत्र प्रतिवर्ष **7.1% की दर से बढ़ रहा** है और वर्ष **2029 तक 53 मिलियन नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद** है, जो एक प्रमुख रोज़गार प्रदाता के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है।
- **विदेशी पर्यटकों का आगमन (FTA):** FTA में तीव्र वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2022 में 6.43 मिलियन से बढ़कर **2023 में 9.24 मिलियन** हो गई है।
  - सबसे अधिक FTA **बांग्लादेश (24.5%), अमेरिका (20.4%)** और **यूके (6.9%)** से आए।

भारत के लिये पर्यटन क्षेत्र का क्या महत्त्व है?

- **आर्थिक उत्प्रेरक और रोज़गार चालक:** पर्यटन, आय को बढ़ाकर और आतिथ्य, परिवहन एवं खुदरा जैसे क्षेत्रों में रोज़गार सृजित करके आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष योगदान देता है।
  - इससे वर्ष 2024 के अंत तक लगभग 39.5 मिलियन नौकरियाँ सृजित होने का अनुमान है।
  - वर्ष 2023 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय **(FEE) 28.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर** रही, जो विदेशी मुद्रा को बढ़ाने में इस क्षेत्र की भूमिका को उजागर करती है।
- **सांस्कृतिक संरक्षण और वैश्विक सॉफ्ट पावर:** पर्यटन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को प्रदर्शित करते हुए सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को सुनिश्चित करता है।
  - स्वदेश दर्शन जैसी पहल ने **रामायण सर्किट** जैसे सर्किट को पुनर्जीवित कर दिया है।
  - भारत के **43** यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिनमें हाल ही में शामिल 'होयसल के पवित्र समूह' भी शामिल हैं, लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **बुनियादी अवसंरचना और क्षेत्रीय विकास:** पर्यटन अविकसित क्षेत्रों में सड़कों, हवाई अड्डों और कनेक्टिविटी सहित बुनियादी अवसंरचना के विकास को गति देता है।
  - **उड़ान योजना ने वर्ष 2023 तक** क्षेत्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर 148 कर दी है, जिससे दूरस्थ गंतव्यों तक पहुँच आसान हो गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- जम्मू और कश्मीर में वर्ष 2023 में **2 करोड़ से अधिक पर्यटक आए,** जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला एवं भौगोलिक असमानताएँ कम हुईं।

- **इकोटूरिज़्म के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता:** इकोटूरिज़्म पर्यटन विकास को पर्यावरण संरक्षण, जैवविविधता की सुरक्षा और स्थायी आजीविका सृजन के साथ जोड़ता है।
  - काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2024 में **8.8 करोड़ रुपए का राजस्व** प्राप्त हुआ, जो कि बढ़ी हुई इकोटूरिज़्म गतिविधि से प्रेरित है।
  - ट्रैवल फॉर लाइफ जैसे कार्यक्रम **कम प्रभाव वाले पर्यटन को प्रोत्साहित करते हैं** तथा विकास एवं पारिस्थितिकी के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं।

- **स्वास्थ्य सेवा और कल्याण केंद्र:** भारत की किफायती और उन्नत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली वैश्विक चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित करती है, जिससे कल्याण पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है।
  - चिकित्सा **पर्यटन क्षेत्र वर्ष 2022 में 9 बिलियन डॉलर** तक पहुँच गया, जिसमें वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय रोगियों को 6,50,000 से अधिक चिकित्सा वीज़ा जारी किये गए।
  - **ई-वीज़ा और** आयुष वीज़ा जैसी पहल **तथा आयुर्वेद-आधारित सम्मेलन,** स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूत करते हैं।

- **कूटनीति और बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना:** पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान अपनी संस्कृति और बुनियादी अवसंरचना का प्रदर्शन करके भारत की वैश्विक छवि को सुदृढ़ करता है।
  - वर्ष 2023 में 50 से अधिक शहरों द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में **गुवाहाटी, इंदौर, जोधपुर और खजुराहो** जैसे स्थलों पर प्रकाश डाला गया, जिससे भारत की वैश्विक मान्यता बढ़ी।
  - प्रवासी भारतीय दिवस जैसे आयोजन **कूटनीति और सहभागिता के लिये पर्यटन को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता** पर ज़ोर देते हैं।

- **ग्रामीण विकास और सामाजिक समानता:** पर्यटन दूर-दराज़ के क्षेत्रों में आय के अवसरों को बढ़ावा देकर और स्थानीय परंपराओं को संरक्षित करके ग्रामीण-शहरी असमानताओं को कम करता है।
  - **कोचई के निकट कुंबलंगी** को भारत का पहला आदर्श पर्यटन गाँव घोषित किया गया। **मध्य प्रदेश** राज्य के **लाडपुरखास गाँव को** संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चुना गया।
  - ऐसे प्रयास सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की सुरक्षा करते हुए ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाते हैं।

- **महामारी के बाद की रिकवरी और समुत्थानशीलता:** घरेलू यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय आगमन को पुनर्जीवित करके पर्यटन भारत की महामारी के बाद की रिकवरी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
  - भारत भर में घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़कर 1,731 मिलियन हो गई, जो वर्ष 2021 में 677 मिलियन से तीव्र वृद्धि है, जो समुत्थानशक्ति और अनुकूलनशीलता को दर्शाती है।
  - इसके अलावा, वर्ष 2023 में भारत में **92 लाख विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ** (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24), जिसे **'**देखो अपना देश**' और G20 पहल जैसे अभियानों से बढ़ावा** मिला।

- **स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा:** पर्यटन **स्थानीय सेवाओं की मांग करके उद्यमिता को बढ़ावा देता है,** जिसमें होमस्टे से लेकर निर्देशित पर्यटन तक शामिल हैं, विशेष रूप से **एडवेंचर तथा इकोटूरिज़्म जैसे उभरते क्षेत्रों** में।
  - राष्ट्रीय पर्यटन नीति- 2022 सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करती है, ग्रामीण उद्यमियों को वित्त पोषण और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है।
  - भारत में **1,500 से अधिक पर्यटन स्टार्टअप** हैं जो यात्रा योजना, बुकिंग और सुविधा प्रबंधन के लिये प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं।
    - **क्लाउड समाधानों** और **SaaS प्रौद्योगिकियों** के अंगीकरण में वृद्धि से नवाचार एवं विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- **भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि: आतिथ्य** और **लॉजिस्टिक्स** जैसे सहायक उद्योगों को बढ़ावा देकर पर्यटन, इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग को बढ़ाता है।
  - विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी **ट्रेवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स-2024** विकास सूचकांक में भारत **119 देशों में 39वें स्थान पर** पहुँच गया है, जो वर्ष 2021 में 54वें स्थान पर था।
- **शहरी पुनरोद्धार को सुदृढ़ करना:** शहरी पर्यटन विरासत शहरों के पुनरोद्धार को बढ़ावा देता है, रोज़गार सृजन करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
  - **जयपुर का हेरिटेज पर्यटन मॉडल,** जिसमें प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन से अधिक पर्यटक आते हैं, पर्यटन द्वारा संचालित शहरी नवीनीकरण के आर्थिक लाभों को दर्शाता है।
- **महिला सशक्तीकरण में योगदान:** पर्यटन महिलाओं को रोज़गार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से ग्रामीण एवं सांस्कृतिक पर्यटन में।
  - उदाहरण के लिये, पारंपरिक रेशम बुनाई के केंद्र, **असम के सुआलकुची में हथकरघा उद्योग को पर्यटन पहलों में एकीकृत** किया गया।
  - राजस्थान के **"पधारो म्हारे देश"** अभियान से पर्यटन-संचालित हस्तशिल्प बिक्री में **महिला कारीगरों की भागीदारी** बढ़ गई है।
- **खेल और आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देना:** खेल और आयोजनों के लिये एक वैश्विक मेज़बान के रूप में भारत का उदय इसकी छवि एवं पर्यटन राजस्व को बढ़ाता है।
  - **ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप- 2023** में 1 लाख से अधिक अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों ने भाग लिया, जिससे **11,637 करोड़ रुपए** का राजस्व प्राप्त हुआ।
  - **गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI)** जैसे बड़े आयोजन भारत की अपनी विकास रणनीति में इवेंट पर्यटन को एकीकृत करने की क्षमता को उजागर करते हैं।

भारत के पर्यटन क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **असंगत पर्यटन अवसंरचना विकास:** भारत का पर्यटन अपर्याप्त एवं असमान अवसंरचना से ग्रस्त है, जो वैश्विक मानकों को पूरा करने में विफल रहता है।
  - **निम्नस्तरीय गुणवत्ता वाली सड़कें, उच्च स्तरीय आवासों का अभाव** तथा **विरासत एवं पारिस्थितिकी पर्यटन स्थलों** में अपर्याप्त सुविधाएँ इस क्षेत्र की संभावनाओं को सीमित करती हैं।
    - उदाहरण के लिये, **समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व** वाले **बिहार एवं झारखंड जैसे राज्यों में राजस्थान** की तुलना में पर्यटकों की संख्या काफी कम है।
  - **तीव्र अवसंरचना विकास के परिणामस्वरूप प्रायः भयावह परिणाम** सामने आते हैं, जैसा कि जोशीमठ के मामले में देखा गया।
  - इसी प्रकार, **पूर्वोत्तर में परिवहन संबंधी बाधाएँ और उग्रवाद संबंधी समस्याएँ** क्षेत्र की पर्यटन क्षमता के बावजूद अनसुलझी हुई हैं।
- **पर्यावरणीय चुनौतियाँ और अति-पर्यटन: भारत में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को अनियमित विकास और अति-पर्यटन** के कारण गंभीर पर्यावरणीय क्षरण का सामना करना पड़ रहा है।
  - उदाहरण के लिये, **शिमला में वर्ष 2018 में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ा,** जिसका मुख्य कारण **इस शहर की वहन क्षमता से अधिक पर्यटकों का आगमन** था।
  - इसी प्रकार, सफाई अभियान के बावजूद गोवा में वर्तमान में प्रति माह लगभग **2700 टन गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट** उत्पन्न होता है (प्लास्टिक अपशिष्ट इसका एक बड़ा हिस्सा है), जो **सतत् पर्यटन प्रथाओं की कमी** को उजागर करता है।
- **घरेलू पर्यटन पर उच्च निर्भरता:** घरेलू पर्यटन पर भारत की निर्भरता विदेशी मुद्रा अर्जन और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सीमित करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत में घरेलू आगंतुकों का खर्च वर्ष 2019 की तुलना में 15% बढ़कर ₹14.64 ट्रिलियन तक पहुँच गया।
  - हालाँकि पिछले वर्ष **विदेशी पर्यटकों द्वारा 0.4 ट्रिलियन रुपए कम खर्च किये जाने के कारण,** विदेशी आगंतुकों द्वारा किया गया व्यय वर्ष 2019 के स्तर से कम (14% से अधिक) रहा।
- इससे घरेलू पर्यटन पर भारत की भारी निर्भरता उजागर होती है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने की उसकी क्षमता कम हो जाती है और उसकी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रभावित होती है।

- **सुरक्षा और संरक्षा संबंधी चिंताएँ:** पर्यटन-अनुकूल गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिष्ठा **बढ़ती सुरक्षा समस्याओं के कारण धूमिल** हो रही है, विशेष रूप से महिलाओं और अकेले यात्रियों के लिये।
  - NCRB के आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2022 में विदेशियों **(पर्यटकों और निवासियों)** के साथ हुए अपराध के 192 मामले दर्ज किये गए, जिनमें **राजस्थान और गोवा** की घटनाओं ने व्यापक वैश्विक ध्यान आकर्षित किया।
  - इसके अतिरिक्त, **वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड)** जैसी आपदाओं ने पर्यटकों के लिये आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों की कमज़ोरियों को उजागर किया।
- **पर्यटन क्षेत्र में कुशल कार्यबल की कमी:** पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र **कुशल पेशेवरों की कमी से ग्रस्त** है, जिससे सेवा की गुणवत्ता और भारत की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने की क्षमता प्रभावित हो रही है।
  - भारत के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को 3.5 मिलियन से अधिक कुशल श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ेगा, विशेष रूप से होटल प्रबंधन, पाक कला और यात्रा संचालन जैसे क्षेत्रों में।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण और नीति विखंडन:** भारत में पर्यटन को अपर्याप्त वित्तपोषण मिलता है और यह असंगत नीति कार्यान्वयन से ग्रस्त है।
  - भारत सरकार ने हाल ही में पर्यटन बजट में वृद्धि की है, लेकिन **वैश्विक संवर्द्धन आवंटन में 97% की कटौती** कर दी है।
  - इसके अतिरिक्त, **राष्ट्रीय पर्यटन नीति को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण** राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास विफल हो गए हैं।
- **सांस्कृतिक क्षरण और प्रामाणिकता की हानि:** अनियमित पर्यटन प्राय: सांस्कृतिक अनुभवों का व्यवसायीकरण कर देता है, जिससे उनकी प्रामाणिकता नष्ट हो जाती है।
  - उदाहरण के लिये, **जयपुर की पारंपरिक कला और शिल्प,** बड़े पैमाने पर उत्पादित स्मृति चिह्नों के कारण लुप्त हो गए हैं तथा कारीगरों को पर्यटन राजस्व का केवल एक अंश ही प्राप्त हो पाता है।
  - **भारत के विरासत शहरों के 'अति-व्यावसायीकरण'** के बारे में यूनेस्को की चेतावनियाँ सांस्कृतिक संरक्षण रणनीतियों की आवश्यकता को और अधिक उजागर करती हैं।
- **डिजिटल और स्मार्ट पर्यटन पर ध्यान का अभाव:** भारत पर्यटन प्रबंधन और संवर्द्धन में प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करने में पिछड़ रहा है।
  - जबकि 'अतुल्य भारत' जैसे अभियान डिजिटल मार्केटिंग को शामिल करते हैं, **नगालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों में** पर्यटकों को आकर्षित करने एवं प्रबंधित करने के लिये सुदृढ़ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव है।
  - वैश्विक स्तर पर, सिंगापुर जैसे देश पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये **AI और बड़े डेटा का लाभ उठा रहे हैं,** जिससे उन्हें भारत पर प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त मिल रही है।

भारत में सतत् पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **सतत् पर्यटन अवसंरचना का विकास:** भारत को **पर्यावरण अनुकूल और सतत् अवसंरचना विकास को प्राथमिकता** देनी चाहिये, विशेष रूप से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में।
  - **हरित भवन निर्माण पद्धतियाँ, सौर ऊर्जा चालित आवास और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ** पर्यटन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ‘**स्वदेश दर्शन 2.0**’ योजना स्थिरता को मुख्य सिद्धांत के रूप में रखते हुए गंतव्य विकास पर केंद्रित है, जो सही दिशा में उठाया गया एक कदम है।
- **पर्यटन प्रतिष्ठानों के लिये हरित प्रमाणन का विस्तार** पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार प्रथाओं को प्रोत्साहित करेगा।

- **समुदाय-आधारित और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना:** स्थानीय समुदायों को पर्यटन अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए स्थिरता सुनिश्चित होती है।
  - राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना जैसे कार्यक्रमों को देश भर में विस्तारित किया जा सकता है ताकि ग्राम-आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों को सहायता मिलेगी।
  - उदाहरण के लिये, **गुजरात का होदका गाँव,** जो प्रतिवर्ष हज़ारों पर्यटकों को आकर्षित करता है, समुदाय-प्रबंधित पर्यटन का एक सफल मॉडल है।
  - **स्थानीय शिल्पकला को पर्यटन सर्किटों से** जोड़ने से अतिरिक्त राजस्व स्रोत सृजित हो सकते हैं तथा शहरी प्रवासन में कमी आ सकती है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन:** सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग से सतत् पर्यटन परियोजनाओं के लिये निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है।
  - सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) से इको-पार्कों के विकास, **विरासत स्थलों के जीर्णोद्धार तथा पर्यटन अवसंरचना के आधुनिकीकरण** में मदद मिल सकती है।
  - उदाहरण के लिये, **गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी** परियोजना के लिये साझेदारी से **स्थानीय पर्यावरण को संरक्षित करते हुए** रोज़गार के अवसर सृजित हुए।
    - इसी प्रकार के मॉडल को कम प्रसिद्ध स्थलों तक विस्तारित करने से विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन वृद्धि में संतुलन स्थापित होगा।

- **अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण को सुदृढ़ करना:** पर्यटन केंद्रों को सुदृढ़ अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अपनानी चाहिये और **प्रभावी नीतियों के माध्यम से प्रदूषण** को कम करना चाहिये।
  - **प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र** जैसी पहल को सभी गंतव्यों पर दोहराया जाना चाहिये।
  - **गोवा और केरल जैसे समुद्र तटीय पर्यटन स्थल जापान के समुद्र तटीय सफाई अभियानों** के समान समुद्री प्रदूषण नियंत्रण रणनीतियों को लागू कर सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मिशन LiFE (पर्यावरण के लिये जीवनशैली)** के तहत सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान पर्यटकों को संधारणीय यात्रा व्यवहार के बारे में शिक्षित कर सकते हैं।

- **स्मार्ट पर्यटन के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: भारत को स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम, AI-संचालित भीड़ प्रबंधन और आभासी पर्यटन अनुभवों** के माध्यम से सतत् पर्यटन के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, **ताजमहल जैसे विरासत स्थलों पर QR कोड** कागज़ की बर्बादी को कम करते हैं और आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाते हैं।
  - **अतुल्य भारत** जैसे प्लेटफॉर्म, AR/VR प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करके, भारत में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये आभासी पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को एकीकृत करना:** पर्यटन प्रतिष्ठानों, विशेष रूप से दूरदराज़ और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में, अपने कार्बन फूटप्रिंट्स को न्यूनतम करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण करना चाहिये।
  - **लद्दाख में सौर ऊर्जा आधारित लॉज** सतत् पर्यटन के सफल उदाहरण हैं।
  - सौर चरखा मिशन के अंतर्गत सब्सिडी का विस्तार कर पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को भी इसमें शामिल करने से इस परिवर्तन को गति मिल सकती है।
  - **कर छूट के माध्यम से कार्बन-शून्य परिचालन** को प्रोत्साहित करने से नवीकरणीय ऊर्जा के अंगीकरण को और अधिक बढ़ावा मिल सकता है।
- **लोकप्रिय स्थलों पर क्षमता प्रबंधन लागू करना:** वहन क्षमता अध्ययनों को सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्रों और भीड़भाड़ वाले स्थलों में पर्यटकों की संख्या के विनियमन का मार्गदर्शन करना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, **शिमला और मनाली, जो अति-पर्यटन की समस्या** से जूझ रहे हैं, ऑनलाइन परमिट का उपयोग करके दैनिक पर्यटक प्रवाह को सीमित कर सकते हैं, जैसा कि **भूटान के सतत् पर्यटन मॉडल** में देखा गया है।
  - ऐसे तंत्रों की स्थापना से यह सुनिश्चित होता है कि **प्राकृतिक संसाधन और बुनियादी अवसंरचना पर अधिक बोझ न पड़े** तथा इन स्थलों को भावी पीढ़ियों के लिये संरक्षित रखा जा सके।
- **कम प्रभाव वाले परिवहन नेटवर्क का विकास:** इलेक्ट्रिक बसों और साइकिलों जैसे संधारणीय परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने से पर्यटन के कार्बन उत्सर्जन में कमी आ सकती है।
  - **केरल के "ई-मोबिलिटी" कार्यक्रम** जैसी पहल, जिसके तहत बैकवाटर्स में इलेक्ट्रिक नौकाएँ शुरू की गईं, को अन्य पर्यटक स्थलों तक विस्तारित किया जा सकता है।
  - पर्यावरण अनुकूल विमानन प्रथाओं के साथ **क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान)** की पहुँच का विस्तार करने से भी कम प्रभाव वाले पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
    - इन उपायों को एकीकृत करके **भारत के शुद्ध-शून्य कार्बन लक्ष्य**- 2070 को पूरा किया जा सकता है।
- **हरित पर्यटन क्षेत्र स्थापित करना: विशिष्ट क्षेत्रों को हरित पर्यटन क्षेत्र** के रूप में अभिनिर्धारित करना और नामित करना संधारणीय प्रथाओं और संसाधन संरक्षण को सुनिश्चित कर सकता है।
  - **उत्तराखंड** जैसे राज्यों ने ऐसी पहलों में अग्रणी भूमिका निभाई है, जो संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करते हुए **ईको-टूरिज़्म को बढ़ावा** दे रहे हैं।
  - इन क्षेत्रों को **स्वदेश दर्शन और तीर्थयात्रा पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्द्धन अभियान** योजना से जोड़ने से पर्यावरण के प्रति जागरूक यात्री आकर्षित हो सकते हैं।
- **सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक प्रथाओं का संरक्षण:** सतत् पर्यटन में भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण शामिल होना चाहिये।
  - स्थानीय सांस्कृतिक उत्सवों को प्रामाणिकता पर ज़ोर देते हुए **पर्यटन सर्किट में एकीकृत** किया जा सकता है।
  - इसके अलावा, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये **रामायण सर्किट** जैसे और अधिक पर्यटन सर्किट विकसित किये जा सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सर्वोत्तम प्रथाओं के लिये वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना:** भारत को स्थायी पर्यटन में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले देशों, जैसे **भूटान** और **कोस्टा रिका** के साथ सहयोग करना चाहिये ताकि सिद्ध मॉडलों को अपनाया जा सके।
  - **भूटान का उच्च-मूल्य, कम-प्रभाव वाला पर्यटन मॉडल,** जो सतत् विकास शुल्क वसूलता है, कुछ भारतीय गंतव्यों के लिये अनुकूलित किया जा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, भारत तकनीकी सहायता के लिये **संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़ सकता है।
  - **पर्यटन विकास क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम** ज्ञान के आदान-प्रदान और नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **साहसिक और कल्याण पर्यटन को ज़िम्मेदारी से बढ़ावा देना:** एडवेंचर एंड वेलनेस टूरिज़्म को स्थिरता को केंद्र में रखकर विकसित किया जाना चाहिये।
  - मालदीव से सीख लेकर **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** जैसे साहसिक पर्यटन सर्किट विकसित किये जा सकते हैं।
  - **हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड** जैसे पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों में परमिट तथा अपशिष्ट प्रबंधन मानदंडों के माध्यम से ट्रैकिंग व कैम्पिंग को विनियमित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - स्वास्थ्य पर्यटन के लिये, आयुर्वेदिक रिज़ॉर्ट्स को **अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष- 2023** जैसी पहलों से जोड़ने से जैविक एवं संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा मिल सकता है।
  - **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन के लिये कड़े गुणवत्ता मानक** स्थापित करने से अधिक वैश्विक पर्यटक आकर्षित होंगे।

निष्कर्ष:

भारत का पर्यटन क्षेत्र मुख्य सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) जैसे कि **सभ्य कार्य (SDG 8), पर्यावरणीय स्थिरता (SDG 13 और SDG 12) तथा सांस्कृतिक संरक्षण (SDG 11 और SDG 16) के साथ जुड़कर सतत् विकास को आगे बढ़ा सकता है।** समावेशी और ज़िम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देकर, भारत रोज़गार का सृजन कर सकता है, अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकता है तथा सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा दे सकता है। यह दृष्टिकोण **भारत को विश्व भर में सतत् पर्यटन में अग्रणी** बना सकता है।

■■■

एकीकृत ESG फ्रेमवर्क की ओर भारत का रुख

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) रिपोर्टिंग का वैश्विक परिदृश्य एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन से गुज़र रहा है, जिसमें वर्ष 2024 में **हरित-वित्तपोषण केंद्रित फंड से लगभग 24 बिलियन डॉलर का बहिर्वाह** हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, राजनीतिक ध्रुवीकरण एवं रूढ़िवादी राज्यों के प्रतिरोध ने **ESG उत्साह** को स्थिर करने में योगदान दिया है। भारत एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, जो नौकरशाही विलंब और स्पष्ट नियामक फ्रेमवर्क की कमी के कारण **संवहनीय निवेश में संभावित अरबों डॉलर से चूक गया** है। जैसे-जैसे वैश्विक निवेश का माहौल अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, भारत को संवहनीय निवेश बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिये **व्यापक, अंतर-संचालन योग्य ESG विनियमन** विकसित करने के लिये तेज़ी से कार्य करना चाहिये।

ESG रिपोर्टिंग क्या है?

- **पर्यावरण, सामाजिक और शासन के संदर्भ में: पर्यावरण, सामाजिक और शासन** तीन प्रमुख क्षेत्रों में किसी कंपनी की संवहनीयता एवं नैतिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण फ्रेमवर्क है:
  - पर्यावरणीय प्रभाव
  - सामाजिक ज़िम्मेदारी
  - निगम से संबंधित शासन प्रणाली
- बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों के बीच, **निवेशक एवं हितधारक** तीव्रता से मांग कर रहे हैं कि व्यवसाय ज़िम्मेदार व्यवहार अपनाएँ।
  - दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता, जोखिम न्यूनीकरण और निवेशकों के विश्वास में वृद्धि के लिये प्रभावी ESG प्रदर्शन आवश्यक हो गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत में ESG विनियम किस प्रकार विकसित हुए?

- **वर्ष 2009:** नैगम कार्य मंत्रालय (MCA) ने **'नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पर स्वैच्छिक दिशा-निर्देश'** जारी किये।
- **वर्ष 2011:** MCA ने **"व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक दायित्वों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश (NVG)"** प्रस्तुत किया, जो रिपोर्टिंग के लिये एक संरचित फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
- **वर्ष 2012:** भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने **शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों** (बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर) को **व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (BRR) दाखिल करने का आदेश** दिया।
  - BRR आवश्यकता का विस्तार कर वर्ष 2016 में **शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों को** इसमें **शामिल किया गया** है।
- **वर्ष 2019:** MCA ने NVG को अद्यतन किया और उनका नाम बदलकर **'ज़िम्मेदार व्यावसायिक आचरण के लिये राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (NGRBC)" रखा।**
- **वर्ष 2021:** SEBI ने व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्टिंग **(BRSR)** फ्रेमवर्क पेश किया:
  - शीर्ष 1000 कंपनियों के लिये **स्वैच्छिक अंगीकरण।**
  - **वित्त वर्ष 2023 से** यह **अनिवार्य** हो गया है।
- **वर्ष 2023:** SEBI ने **BRSR कोर लॉन्च** किया, जो वित्त वर्ष 2024 से **शीर्ष 150 सूचीबद्ध कंपनियों** (बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर) पर लागू होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत के लिये मज़बूत पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक फ्रेमवर्क क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **जलवायु संकट और भारत की भेद्यता:** भारत **जलवायु परिवर्तन के प्रति 7वाँ सबसे सुभेद्य देश है (** ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स-2019), जहाँ भीषण बाढ़, सूखा और हीट वेव्स जनजीवन तथा GDP वृद्धि को बाधित कर रही हैं।
  - भारत को वर्ष 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्रों में **159 बिलियन डॉलर, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद का 5.4% है,** की आय का नुकसान हुआ।
  - ESG सिद्धांतों को एकीकृत करने से **प्रबल अनुकूलन और शमन रणनीतियों** को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता और व्यापार मानक: भारत के निर्यात उद्योगों पर ESG आवश्यकताओं** के अनुरूप ढलने का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि **यूरोपीय संघ** कार्बन सीमा समायोजन तंत्र **(CBAM)** जैसे वैश्विक बाज़ार संवहनीय प्रथाओं की मांग कर रहे हैं।
  - CBAM 1 जनवरी, 2026 से 7 **कार्बन-गहन क्षेत्रों के लिये लागू** होगा, जिनमें **इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम और हाइड्रोकार्बन उत्पाद** शामिल हैं।
  - भारत के लौह अयस्क **छर्रों, लोहा, इस्पात और एल्युमीनियम** उत्पादों के निर्यात का 26.6% हिस्सा यूरोपीय संघ को जाता है। ये उत्पाद CBAM से प्रभावित होंगे। ESG की उपेक्षा भारत के लिये गंभीर चिंता का विषय होगी।

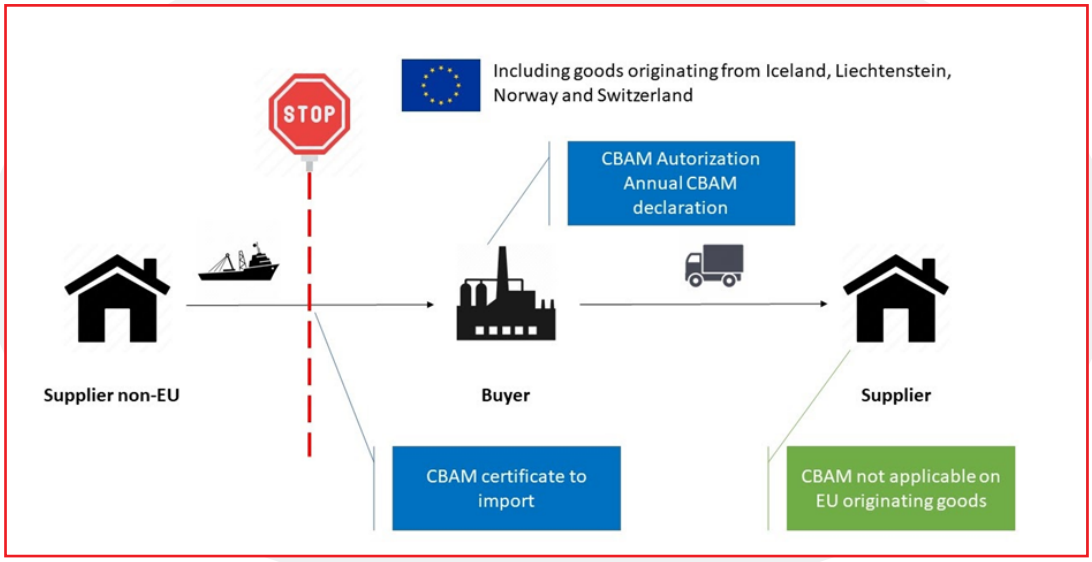

- **आर्थिक विकास और सतत् विकास: 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनने की भारत की आर्थिक महत्त्वाकांक्षा **सतत् विकास पर निर्भर** है।
  - विनिर्माण, **ऊर्जा और रियल एस्टेट** जैसे क्षेत्रों में ESG के अंगीकरण से संसाधन दक्षता तथा दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित होता है।
  - **अडानी ग्रीन** जैसी **ESG फ्रेमवर्क** में निवेश करने वाली कंपनियों ने **वित्त वर्ष 2024 में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में 30% की वृद्धि** देखी, जिससे संवहनीयता लक्ष्यों के साथ लाभ का संरेखण हुआ।
- **ऊर्जा सुरक्षा और हरित परिवर्तन:** भारत की जीवाश्म ईंधन आयात पर भारी निर्भरता **(तेल का 85%** और **प्राकृतिक गैस का 50%)** अर्थव्यवस्था पर दबाव डालती है जो कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **वर्ष 2023** में भारत **जापान** को पीछे छोड़ते हुए **विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक** बन जाएगा। सौर ऊर्जा का **वैश्विक स्तर पर 5.5% योगदान** है, भारत का उत्पादन काफी बढ़ रहा है।
- **ESG नवीकरणीय ऊर्जा** की ओर संक्रमण को गति प्रदान करता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और रोज़गार सृजन में वृद्धि होती है।

- **रोज़गार सृजन और हरित रोज़गार: ESG-संचालित क्षेत्रों** में परिवर्तन से **स्वच्छ ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और संवहनीय उद्योगों** में लाखों रोज़गार का सृजन होता हैं।
  - भारत का हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का आर्थिक प्रभाव डाल सकता है, साथ ही **50 मिलियन से अधिक नौकरियाँ** भी उत्पन्न कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, केवल **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से 6 लाख नौकरियाँ** सृजित होंगी, जबकि **FAME II योजना** के तहत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण से वर्ष 2030 तक 10 मिलियन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होगा।
- **वायु और जल गुणवत्ता में सुधार:** भारत के नगर गंभीर वायु प्रदूषण का सामना कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य, उत्पादकता और जीवन प्रत्याशा प्रभावित हो रही है।
  - उदाहरण के लिये, **दिल्ली का AQI** वर्ष 2024 में प्राय: 400+ के स्तर को पार कर लेता है। **भारत की आधी से अधिक नदियाँ** अत्यधिक प्रदूषित हैं और कई अन्य नदियाँ आधुनिक मानकों के अनुसार असुरक्षित माने जाने वाले स्तर पर हैं।
  - ESG के अंगीकरण से **स्वच्छ ऊर्जा, कुशल उद्योग और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन** को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अंतत: प्रदूषण में कमी आएगी।
- **निगमित प्रशासन और जोखिम शमन: ESG** के तहत सुदृढ़ प्रशासन **पारदर्शिता, नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और हितधारक विश्वास** सुनिश्चित करता है।
  - अच्छे प्रशासन वाली कंपनियों का स्टॉक प्रदर्शन बेहतर होता है और जोखिम कम होता है।
  - उदाहरण के लिये, शीर्ष 1,000 कंपनियों के लिये SEBI की व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्टिंग (BRSR) ने **निगमित ESG प्रकटीकरण में सुधार** किया, जिससे **इंफोसिस जैसी कंपनियों को लाभ** हुआ।
- **अपशिष्ट प्रबंधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था: ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में **प्रतिवर्ष 62 मिलियन टन (MT) से अधिक अपशिष्ट** उत्पन्न होता है।
  - कुल उत्पन्न अपशिष्ट में से केवल **43 मीट्रिक टन** ही एकत्रित किया जाता है, जिसमें से **12 मीट्रिक टन अपशिष्ट को निपटान से पहले संसाधित** किया जाता है, तथा शेष 31 मीट्रिक टन को अपशिष्ट-गृहों में ही फेंक दिया जाता है।
  - ESG **अपशिष्ट को न्यूनतम करने और पुनर्चक्रण को अधिकतम करने** के लिये **चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर** केंद्रित है।
  - हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियाँ **अब प्लास्टिक-शून्य** हो गई हैं, वे अपने उत्पादन से अधिक प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करती हैं, जो **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) मानदंडों के अनुरूप** है।
- **स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक विकास:** ESG सामाजिक घटक पर ज़ोर देता है, **स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामुदायिक विकास में निवेश को बढ़ावा** देता है, जो भारत के **जनसांख्यिकीय लाभांश के लिये महत्त्वपूर्ण** है।
  - उदाहरण के लिये, वित्त वर्ष 2023 में **भारत का स्वास्थ्य व्यय** सकल घरेलू उत्पाद का **2.1%** हो गया, जिसमें भारत की लगभग **68% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है,** फिर भी इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा बुनियादी अवसंरचना की स्थिति दयनीय है, जिसके लिये आगे **ESG हस्तक्षेप की आवश्यकता** है।
- **निवेशक भावनाएँ और सतत् वित्त:** वैश्विक निवेशक तीव्रता से **ESG-अनुरूप बाज़ारों का पक्ष** ले रहे हैं, और भारत को बुनियादी अवसंरचना एवं विकास के लिये सतत् वित्त की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- अब तक, भारत **एशिया प्रशांत क्षेत्र में GSS+ (हरित, सामाजिक, संवहनीयता और संवहनीयता-लिंक्ड) बॉण्ड का छठा सबसे बड़ा जारीकर्त्ता** है, भारत में जारी किये गए समग्र GSS+ बॉण्ड में **हरित बॉण्ड का हिस्सा 62% से अधिक** है, जो सतत् विकास में दृढ़ निवेशक विश्वास को प्रदर्शित करता है।

भारत में प्रभावी ESG कार्यान्वयन में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ क्या हैं?

- **विनियामक स्पष्टता और प्रवर्तन का अभाव:** भारत के ESG फ्रेमवर्क में **एकीकृत, वैधानिक रूप से बाध्यकारी संरचना का अभाव** है, और **प्रवर्तन तंत्र** कमज़ोर हैं, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों (SME) के लिये।
  - कंपनियाँ प्राय: **ESG को रणनीतिक परिवर्तन के बजाय अनुपालन के रूप में** देखती हैं, जिसके कारण इसे केवल सतही तौर पर ही अपनाया जाता है।
  - उदाहरण के लिये, **शीर्ष 1,000 फर्मों के लिये SEBI के BRSR अधिदेश के बावजूद,** कई सूचीबद्ध लघु और मध्यम उद्यम ESG रिपोर्टिंग के साथ संघर्ष करते हैं।
- **ESG अंगीकरण की उच्च लागत और सीमित पूंजी:** संवहनीय प्रथाओं को अपनाने के लिये **बहुत बड़े वित्तीय निवेश की आवश्यकता** होती है, जिससे नकदी की कमी वाले उद्योगों, विशेष रूप से **MSME जैसे ऊर्जा-गहन क्षेत्रों के लिये यह अव्यवहारिक** हो जाता है।
  - **किफायती ग्रीन फाइनेंस** की सुलभता में कमी इस मुद्दे को और बढ़ा देती है। उदाहरण के लिये, सीमेंट और स्टील जैसे उद्योगों के लिये ESG-संबंधित लागत **25-75%** (ग्रीन सीमेंट व ग्रीन स्टील के लिये) तक बढ़ सकती है।
- **अपर्याप्त जागरूकता और ESG कौशल अंतराल:** उद्योगों और निवेशकों के बीच जागरूकता एवं विशेषज्ञता की कमी है, **विशेष रूप से टियर-2 तथा टियर-3 क्षेत्रों** में, जहाँ ESG फ्रेमवर्क के बारे में ज्ञान न्यूनतम है।
  - भारत के कार्यबल में ESG रणनीतियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिये **तकनीकी कौशल का भी अभाव** है।
  - वर्तमान में, **शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों को अकेले 5,000 मध्यम से वरिष्ठ ESG विशेषज्ञों एवं जूनियर टीम, लेखा परीक्षकों** तो वहीं **भागीदारों के लिये संभावित रूप से 100,000 अतिरिक्त पेशेवरों** की आवश्यकता है।
    - वर्ष 2022 तक लगभग 7,000 सूचीबद्ध संस्थाओं और वर्ष 2032 तक अनुमानित 10,000 के साथ, भारत को **1 मिलियन से अधिक ESG पेशेवरों की आवश्यकता** होगी।
- **नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण के लिये कमज़ोर बुनियादी अवसंरचना:** भारत के महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य विशेष रूप से ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों में **निम्न स्तरीय बुनियादी अवसंरचना, ग्रिड सीमाओं और असंगत नीतियों के कारण बाधित** हो रहे हैं।
  - उद्योगों को स्थिर विद्युत आपूर्ति के लिये नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर रहना चुनौतीपूर्ण लगता है।
  - भारत की **नवीकरणीय क्षमता 203 गीगावाट (अक्तूबर, 2024) तक पहुँचने के बावजूद,** ट्रांसमिशन घाटा **15-17% पर बना हुआ** है, और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ, सस्ती ऊर्जा की सुलभता नहीं है।
- **ESG लक्ष्यों के साथ आर्थिक विकास का संतुलन:** भारत की विकासात्मक प्राथमिकताएँ, जैसे औद्योगीकरण और रोज़गार सृजन, **कभी-कभी ESG उद्देश्यों के साथ असंगत** होती हैं।
  - उद्योग प्राय: **संवहनीयता की तुलना में लाभ और अल्पकालिक विकास को प्राथमिकता** देते हैं, जिससे ESG अंगीकरण की गति धीमी हो जाती है।
  - उदाहरण के लिये, **कोयला भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में 50% का योगदान** देता है, तथा जलवायु संबंधी चिंताओं के बावजूद ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिये **नए ताप विद्युत संयंत्रों** (जैसे अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन) को मंज़ूरी दी जा रही है।
- **पारंपरिक उद्योगों से प्रतिरोध: इस्पात, सीमेंट, वस्त्र एवं खनन** जैसे उद्योग, जो भारत की आर्थिक रीढ़ हैं, **पुरानी प्रक्रियाओं और लाभ-संचालित मॉडलों के कारण** ESG अंगीकरण में भारी प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों के अंगीकरण से प्रतिस्पर्द्धात्मकता और लाभप्रदता को खतरा है। उदाहरण के लिये, **सीमेंट क्षेत्र वैश्विक CO_2 उत्सर्जन में 8% का योगदान** देता है, लेकिन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है।

- **सामाजिक असमानता और खराब कार्यबल की स्थिति:** भारत गहन सामाजिक-आर्थिक असमानता से जूझ रहा है, जहाँ **श्रम प्रथाओं में ESG कार्यान्वयन को प्राय: अनदेखा** किया जाता है। अनौपचारिक क्षेत्रों में लाखों श्रमिकों को उचित वेतन, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा मानदंडों की सुलभता की कमी है।
  - उदाहरण के लिये, **भारत का 90% कार्यबल असंगठित क्षेत्र** में है, और निर्माण जैसे क्षेत्रों में अभी भी कार्यस्थल सुरक्षा उल्लंघन की बड़ी घटनाएँ सामने आती हैं।
- **पर्यावरण नीति में अंतराल और विलंबित कार्यान्वयन:** प्रगतिशील नीतियों के बावजूद, भारत को नौकरशाही बाधाओं और लापरवाह निगरानी के कारण पर्यावरण नियमों के कार्यान्वयन में विलंब एवं विसंगतियों का सामना करना पड़ता है।
  - परियोजनाएँ प्राय: **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) को नज़रअंदाज़** कर देती हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश के **विशाखापत्तनम में वर्ष 2020 विज़ाग गैस रिसाव**, जो सख्त प्रवर्तन, ससमय अनुमोदन और सख्त उत्तरदायित्व तंत्र की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **निवेशक अरूचि और ESG का गलत संरेखण:** भारतीय निवेशक प्राय: **अल्पकालिक वित्तीय रिटर्न को प्राथमिकता** देते हैं, तथा ESG को मुनाफे के मुकाबले गौण मानते हैं।
  - अध्ययन से पता चला है कि **80%** भारतीय निवेशकों ने संवहनीय नीतियों को अपनाया है, जिनमें से **केवल 14% ने उन्हें 5 वर्षों से अधिक समय तक** और **58% ने 2 वर्षों से अधिक समय तक लागू** किया है।
  - वित्तीय परिणामों के मुकाबले ESG प्रदर्शन के आकलन में भी संरेखण का अभाव है।

ESG के संबंध में भारत अन्य देशों से क्या सीख सकता है?

- **कड़े ESG विनियमों के अंगीकरण- यूरोपीय संघ की ग्रीन डील:** यूरोपीय **संघ की ग्रीन डील और कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM)** सख्त उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं, तथा कंपनियों को संवहनीयता और नवाचार को प्राथमिकता देने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।
  - भारत ग्रीनवाशिंग को रोकने के लिये बाध्यकारी विनियमनों और गैर-अनुपालन के लिये दंड को लागू करने जैसे प्रयासों को सीख सकता है।
- **हरित वित्त को बढ़ावा देना- जर्मनी के स्थायित्व बॉण्ड:** **जर्मनी हरित "ट्विन बॉण्ड"** जैसे बॉण्ड के साथ हरित वित्त में अग्रणी है, जो नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिये बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करता है।
- **पारदर्शी ESG रिपोर्टिंग - जापान के प्रकटीकरण मानक:** जापान ने अपने कॉर्पोरेट प्रशासन संहिता के तहत **स्पष्ट, मानकीकृत ESG प्रकटीकरण को अनिवार्य** किया है, जिससे निवेशकों का विश्वास और कॉर्पोरेट जवाबदेही में सुधार होता है।
- **ESG संक्रमण के लिये कौशल विकास - डेनमार्क का कार्यबल मॉडल: डेनमार्क हरित कार्यबल** के लिये कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, तथा श्रमिकों को पवन ऊर्जा जैसे स्थायी उद्योगों में स्थानांतरित करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है।
- **विकेंद्रीकृत नवीकरणीय परियोजनाएँ - अफ्रीका के सामुदायिक सौर ग्रिड:** अफ्रीका के देश विकेंद्रीकृत सौर ग्रिड को क्रियान्वित कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण समुदायों के लिये ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित हो रही है और ऊर्जा की कमी कम हो रही है।
  - भारत अपने सुदूर क्षेत्रों को स्थायी रूप से बिजली उपलब्ध कराने के लिये विकेंद्रीकृत नवीकरणीय मॉडल का अनुकरण कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

ESG फ्रेमवर्क को बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **एक सुदृढ़ और एकीकृत ESG फ्रेमवर्क तैयार करना:** भारत को सुसंगत ESG कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये MSME सहित सभी क्षेत्रों में लागू एक **व्यापक, एकीकृत नियामक फ्रेमवर्क** तैयार करना चाहिये।
  - इस फ्रेमवर्क में **क्षेत्र-विशिष्ट ESG लक्ष्य, स्पष्ट रिपोर्टिंग दिशानिर्देश, अनिवार्य प्रकटीकरण** और **गैर-अनुपालन के लिये दंड** को परिभाषित किया जाना चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, **ESG विनियामक प्राधिकरण जैसा एकल निरीक्षण निकाय** प्रवर्तन को सुव्यवस्थित कर सकता है और अस्पष्टता को रोकने के लिये उद्योग-विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।
- **हरित वित्तपोषण पहल को बढ़ावा देना:** ESG को सुचारू रूप से अपनाने के लिये, भारत को सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड, ESG-संबद्ध ऋण और समर्पित ग्रीन फाइनेंस संस्थानों जैसे तंत्रों के माध्यम से **हरित वित्तपोषण को बढ़ावा देने को प्राथमिकता** देनी चाहिये।
  - **कर प्रोत्साहन, कम ब्याज दर वाले ऋण, और** ESG-अनुपालन व्यवसायों के लिये सब्सिडी निवेशकों एवं उद्योगों को स्थायी रूप से बदलाव के लिये आकर्षित करेगी।
  - **ग्रीन ट्रांज़िशन फंड** बनाने के लिये निजी वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग से MSME और बड़े उद्योगों के लिये पूंजी आसानी से सुलभ हो सकती है।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाने को बढ़ावा देना:** भारत को संवहनीय उत्पादन, संसाधन दक्षता और अपशिष्ट न्यूनीकरण को बढ़ावा देकर **चक्रीय अर्थव्यवस्था** की ओर बढ़ना चाहिये।
  - प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों के लिये **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)** जैसी पहलों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।
  - इसके अलावा, **अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं,** पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र और पुन: विनिर्माण उद्योगों को प्रोत्साहित करने से लैंडफिल दबाव को कम करने तथा संसाधन संवहनीयता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
- **ESG से जुड़ी सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सुदृढ़ करना:** भारत को नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी बुनियादी अवसंरचना और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में **ESG से संबंधित परियोजनाओं में तीव्रता लाने के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी को** बढ़ाना चाहिये।
  - **उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)** जैसी सरकारी योजनाओं में स्वच्छ उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिये ESG घटकों को शामिल किया जा सकता है।
  - ये साझेदारियाँ **बड़े पैमाने पर सौर और पवन फार्मों, हरित शहरी परिवहन** एवं कार्बन-शून्य औद्योगिक केंद्रों में निवेश को प्राथमिकता दे सकती हैं।
- **कार्बन मूल्य निर्धारण और कराधान नीतियों को लागू करना: भारत को कार्बन कर या उत्सर्जन व्यापार प्रणाली** सहित कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र के अंगीकरण चाहिये, ताकि उद्योगों को उनके **कार्बन फूटप्रिंट के लिये जवाबदेह** बनाया जा सके और साथ ही हरित विकल्पों को प्रोत्साहित किया जा सके।
  - कार्बन करों से प्राप्त राजस्व को **स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना और प्रौद्योगिकी में पुनर्निवेशित** किया जा सकता है।
  - **कार्बन मूल्य निर्धारण को प्रदर्शन, उपलब्धि, व्यापार (PAT) योजना** जैसे मौजूदा कार्यक्रमों के साथ जोड़ने से क्षेत्र-व्यापी जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती है।
- **ESG जागरूकता और उद्योग क्षमता का निर्माण:** भारत को उद्योगों, विशेष रूप से MSME और ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिये व्यापक ESG **जागरूकता कार्यक्रम एवं कौशल निर्माण पहल** शुरू करने की आवश्यकता है।
  - **स्किल इंडिया 2.0** जैसे मौजूदा कार्यक्रमों के अंतर्गत ESG-विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल को शामिल करने से हरित नौकरियों के लिये आवश्यक कौशल से लैस कार्यबल तैयार होगा।
  - क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को उद्योग जगत के नेताओं को ESG अंगीकरण के **आर्थिक और सामाजिक लाभों के संदर्भ में** शिक्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन के लिये ऊर्जा अवसंरचना का आधुनिकीकरण: भारत को बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को** सुनिश्चित करने के लिये अपनी ऊर्जा अवसंरचना को उन्नत करने में निवेश करना चाहिये।
  - इसमें ट्रांसमिशन ग्रिड का आधुनिकीकरण, **बैटरी जैसे ऊर्जा भंडारण समाधानों का विस्तार,** और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये माइक्रो-ग्रिड प्रणालियों का निर्माण शामिल है।
  - स्वच्छ ईंधन की ओर संक्रमण को गति देने के लिये **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन** जैसी पहलों को सहायक बुनियादी अवसंरचना के साथ बढ़ाया जाना चाहिये।
  - टाटा स्टील का लक्ष्य **वित्त वर्ष 2030 तक सभी इस्पात निर्माण स्थलों पर 100% सामग्री दक्षता प्राप्त करना** है और यह **एक मॉडल** के रूप में काम कर सकता है।
- **अनिवार्य ESG रिपोर्टिंग और तृतीय-पक्ष ऑडिट सुनिश्चित करना:** भारत को **सभी सूचीबद्ध कंपनियों और बड़े उद्योगों के लिये ESG प्रकटीकरण अनिवार्य** करना चाहिये, साथ ही विश्वसनीयता सुनिश्चित करने एवं ग्रीनवाशिंग को रोकने के लिये तृतीय पक्ष के ऑडिट भी कराने चाहिये।
  - **व्यवसाय उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्टिंग (BRSR)** जैसे साधनों के माध्यम से रिपोर्टिंग को मानकीकृत करना SME के लिये अधिक सुलभ बनाया जा सकता है।
  - **राष्ट्रीय ESG रेटिंग प्रणाली** शुरू करने से व्यवसायों को अपना प्रदर्शन सुधारने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहन:** सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छतर औद्योगिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तीव्रता लाने के लिये **कर छूट, सब्सिडी एवं प्रौद्योगिकी-साझाकरण पहल जैसे लक्षित प्रोत्साहन** प्रदान करने चाहिये।
  - **हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा-कुशल मशीनरी और EV** बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा देने वाली नीतियों को प्रभावी किया जाना चाहिये।
  - **हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के शीघ्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (FAME)** जैसी योजनाओं का विस्तार करने से संवहनीय परिवर्तनों को और भी बढ़ावा मिलेगा।
- **श्रम कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक समानता को बढ़ावा देना: भारत को श्रम कानूनों को सख्त करके, कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करके और समावेशिता को बढ़ावा देकर** ESG के सामाजिक आयाम को प्राथमिकता देनी चाहिये।
  - **वेतन अंतर को कम करने (श्रम संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से), स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने और विविधता सुनिश्चित करने (विशेष रूप से महिलाओं एवं सीमांत समूहों के लिये)** के कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हैं।
  - **कॉर्पोरेट प्रोत्साहनों को सामाजिक प्रभाव मापदंडों,** जैसे लिंग विविधता और उचित वेतन से जोड़ने से अधिक समतापूर्ण कार्यबल का निर्माण हो सकता है।
- **ESG निगरानी और कार्यान्वयन के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** भारत **ESG अनुपालन की रियल टाइम मॉनिटरिंग, कार्बन उत्सर्जन पर नज़र रखने और संवहनीयता प्रदर्शन के आकलन के लिये AI, IoT तथा ब्लॉकचेन** जैसी उन्नत तकनीकों को अपना सकता है।
  - एक **केंद्रीकृत ESG डेटा रिपॉज़िटरी** बनाने से उद्योगों, निवेशकों और नियामकों को निर्णय लेने के लिये विश्वसनीय डेटा तक पहुँच बनाने में मदद मिलेगी।
  - **प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी उपकरण** भी ESG मानकों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित कर सकते हैं।
- **सरकारी खरीद नीतियों में ESG को एकीकृत करना:** सरकार को **खरीद प्रक्रियाओं में ESG मानदंड अपनाना** चाहिये, यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अनुबंध मज़बूत ESG अनुपालन वाले व्यवसायों को दिये जाएँ।
  - सरकारी वित्तपोषण को ESG प्रदर्शन से जोड़ने से उद्योग संवहनीयता की ओर अग्रसर होंगे।
  - उदाहरण के लिये, **हरित खरीद दिशानिर्देश** लागू करने से सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिये ESG अनुपालन अनिवार्य हो सकता है।
- **स्मार्ट शहरों के माध्यम से शहरी संवहनीयता पर ध्यान केंद्रित करना:** भारत को **स्मार्ट सिटीज़ मिशन** जैसे कार्यक्रमों के तहत **शहरी विकास परियोजनाओं** में ESG सिद्धांतों को एकीकृत करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **हरित भवन, संवहनीय शहरी परिवहन** और **जल-कुशल तंत्रों** पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।
- **कार्बन-शुन्य शहरी क्षेत्रों का विकास** भविष्य के शहरों के लिये एक मॉडल हो सकता है, जो भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्यों के अनुरूप हो।

निष्कर्ष

भारत को अपने ESG विनियामक फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने के लिये एक दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, ताकि **स्थायी निवेश को आकर्षित करने के लिये नीतियों में स्पष्टता और संवहनीयता सुनिश्चित हो सके।** इसमें **विनियमनों को सुव्यवस्थित करना, ESG अंगीकरण की लागत को कम करना और आवश्यक बुनियादी अवसंरचना में निवेश** करना शामिल है। वैश्विक अभिकर्त्ताओं के साथ नवाचार और साझेदारी पर ज़ोर देने से भारत ESG क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त हासिल कर सकेगा। इन चुनौतियों का सक्रिय रूप से समाधान करके, भारत **वैश्विक स्थायी निवेश परिदृश्य में स्वयं को एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित कर सकता है।**

■■■

AI और भारत का कानूनी परिदृश्य

भारत तेज़ी से **AI-संचालित निगरानी ढाँचे का विस्तार** कर रहा है, व्यापक कानूनी सुरक्षा उपायों के बिना कानून प्रवर्तन में **फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली** और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकें तैनात कर रहा है। वर्तमान **विनियामक परिदृश्य**, जिसका उदाहरण डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम- 2023 है, **व्यापक सरकारी छूट** प्रदान करता है जो संभावित रूप से व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों से समझौता करता है। यूरोपीय संघ के AI विनियमन के जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के विपरीत, भारत में **इन तकनीकों को नियंत्रित करने के लिये स्पष्ट विधायी तंत्र का अभाव** है, जिससे नागरिक अनियंत्रित डाटा संग्रह और संभावित नागरिक स्वतंत्रता उल्लंघन के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

वर्तमान में भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किस प्रकार विनियमित किया जाता है?

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** यह इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा, सूचना और रिकॉर्ड को अनधिकृत या गैर-कानूनी प्रयोग से बचाने के लिये नियम शामिल हैं।

  - **IT अधिनियम 2000** तथा सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा पद्धतियाँ एवं प्रक्रियाएँ तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना) नियम 2011।
  - इन्हें **डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023** द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है, जो वर्तमान में प्रारूप रूप में है और इसमें **AI से संबंधित प्रमुख प्रावधान** शामिल होने की उम्मीद है।
  - सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ संस्थानों के लिये दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)- 2021 सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार मीडिया की निगरानी के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- **AI और** लार्ज लैंग्वेज मॉडल **पर सरकारी सलाह (मार्च 2024): पूर्वाग्रह, चुनावी हस्तक्षेप** या **अज्ञात AI-जेनरेटेड**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मीडिया को रोकने के लिये महत्त्वपूर्ण प्लेटफॉर्म को अपरीक्षित AI मॉडल को इंस्टॉल करने से पहले MeitY की मंज़ूरी लेनी होगी।

- छूट स्टार्टअप्स और छोटे प्लेटफॉर्म पर लागू होती है।
- संशोधित दिशा-निर्देशों में **अविश्वसनीय AI मॉडलों की अनिवार्य लेबलिंग,** कंटेंट की अशुद्धियों के लिये उपयोगकर्त्ता अधिसूचना और डीप फेक **का पता लगाने के उपायों** पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- **डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम (DPDP), 2023** डाटा संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण को विनियमित करने वाला प्राथमिक कानून है।
  - **सीमाएँ:** इसमें AI से संबंधित चुनौतियों जैसे एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह या AI-जेनरेटेड डाटा दुरुपयोग के लिये विशिष्ट प्रावधानों का अभाव है।
    - **AI ऑडिट या जवाबदेही के लिये कोई स्पष्ट तंत्र नहीं** है।
- **उत्तरदायी AI के लिये सिद्धांत (वर्ष 2021):** सात मुख्य सिद्धांत: **सुरक्षा और विश्वसनीयता, समावेशिता, गैर-भेदभाव, गोपनीयता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सकारात्मक मानवीय मूल्यों का सुदृढ़ीकरण।**
  - सरकार, निजी क्षेत्र और अनुसंधान संस्थाओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया गया।
- राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति **(वर्ष 2018):** NITI आयोग द्वारा #AIFORALL टैगलाइन के तहत लॉन्च की गई।
  - **फोकस क्षेत्र:** स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, स्मार्ट शहर और परिवहन।
  - **कार्यान्वित की गई सिफारिशें:** उच्च गुणवत्ता वाले डाटासेट निर्माण और डाटा संरक्षण एवं साइबर सुरक्षा के लिये विधायी रूपरेखा।
  - यह देश में भविष्य में AI विनियमन के लिये एक आधारभूत दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है।
- **मसौदा राष्ट्रीय डाटा शासन रूपरेखा नीति (वर्ष 2022):** सरकारी डाटा संग्रहण और प्रबंधन को आधुनिक बनाता है।
  - इसका उद्देश्य एक व्यापक डाटासेट भंडार के माध्यम से AI-संचालित अनुसंधान और स्टार्टअप को समर्थन प्रदान करना है।

AI प्रौद्योगिकियाँ भारत के कानूनी परिदृश्य को कैसे मज़बूत कर सकती हैं?

- **न्याय का समय पर और प्रभावी वितरण:** AI दस्तावेज़ीकरण, केस वर्गीकरण और शेड्यूलिंग जैसे **पुनरावृत्ति वाले कार्यों को स्वचालित** करके केस प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है।
  - भारतीय न्यायालयों में **5 करोड़ से अधिक लंबित मामलों** के साथ, AI-संचालित उपकरण **प्रक्रियाओं में तेज़ी ला सकते हैं,** जिससे न्यायाधीशों को मूल मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये स्वतंत्रता मिलेगी।
    - AI कानूनी उदाहरणों और केस कानूनों का भी विश्लेषण कर सकता है तथा **ऐतिहासिक डाटा** प्रदान कर सकता है जो **सूचित निर्णय** लेने एवं मुकदमेबाज़ी रणनीति विकास में सहायक होता है।
  - **AI साक्ष्य संग्रहण, सत्यापन और विश्लेषण में सहायता** कर सकता है, विशेष रूप से बड़े डाटासेट, फोरेंसिक साक्ष्य या डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े जटिल मामलों में।
    - गुजरात स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण करने के लिये AI को एकीकृत कर रहा है, जिससे **साइबर अपराध की जाँच में तेज़ी** आएगी।
    - **दिल्ली के तीस हज़ारी ज़िला न्यायालय ने** स्पीच-टू-टेक्स्ट सुविधा से युक्त अपना पहला AI-सुसज्जित 'पायलट हाइब्रिड कोर्ट' शुरू किया।
  - AI-संचालित प्लेटफॉर्म संचार और संवाद ट्रैकिंग को स्वचालित करके **मध्यस्थता एवं पंचनिर्णय प्रक्रियाओं को सरल बना सकते हैं।**
    - ODR इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म **ऑनलाइन विवाद समाधान** की सुविधा के लिये AI का उपयोग करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **विधायी प्रक्रियाओं को बढ़ाना:** AI विधि निर्माताओं को कानूनी और सार्वजनिक नीति संबंधी डाटा का विशाल मात्रा में प्रसंस्करण करके **कानून का प्रारूप तैयार करने, उसका विश्लेषण करने तथा संशोधन करने में सहायता** कर सकता है।
  - **AI-संचालित सिमुलेशन प्रस्तावित कानूनों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव** का पूर्वानुमान कर सकते हैं, जिससे उनकी सटीकता एवं प्रासंगिकता बढ़ जाती है।
    - उदाहरण के लिये, कुछ देशों में **यूरोपीय संघ के विधान संपादन ओपन सॉफ्टवेयर (LEOS) जैसे उपकरणों** को AI के साथ उन्नत किया गया है।
  - AI-संचालित कानूनी उपकरण अब **उन लोगों के लिये भी वकीलों के साथ संवाद करना आसान बनाते हैं जो वकील नहीं हैं:** वे प्रक्रियाओं को गति दे सकते हैं और कानूनी शोध एवं अनुपालन विश्लेषण के लिये आवश्यक समय में कटौती कर सकते हैं।
- **बेहतर कानून प्रवर्तन और अपराध रोकथाम:** AI पूर्वानुमानित शासन, अपराध की रियल टाइम मॉनिटरिंग और साक्ष्य विश्लेषण को सक्षम करके कानून प्रवर्तन की दक्षता को बढ़ा सकता है।
  - हाल ही में, **दिल्ली पुलिस ने एक अज्ञात हत्या के शिकार व्यक्ति के चेहरे को पुन: निर्मित करने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग** किया तथा उसकी पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये एक पोस्टर पर उसकी छवि का उपयोग किया।
    - इस नवीन दृष्टिकोण से न केवल **पीड़ित की पहचान** हो सकी, बल्कि इसने **अपराधियों को पकड़ने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाई।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुपालन को सुगम बनाना:** AI **सीमा-पार विनियमों और व्यापार कानूनों** का विश्लेषण करके भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय निगमों के लिये अनुपालन को सरल बना सकता है।
  - स्वचालित अनुपालन उपकरण **दंड के जोखिम को कम करते हैं** और भारत की व्यापार सुगमता रैंकिंग में सुधार करते हैं।
  - **TCS** और **इन्फोसिस** जैसी कंपनियाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के लिये **AI अनुपालन उपकरण** विकसित कर रही हैं।
- **कॉर्पोरेट अनुपालन को सुदृढ़ करना:** AI **निगरानी, रिपोर्टिंग** और **फाइलिंग प्रक्रियाओं को**, विशेष रूप से कई अधिकार क्षेत्रों में संचालित व्यवसायों के लिये स्वचालित करके **कानूनी अनुपालन को सरल बनाता है।**
  - **भारत में ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) रिपोर्टिंग** पर बढ़ते ज़ोर के साथ, AI समय पर अनुपालन सुनिश्चित करता है और उल्लंघनों को रोकता है।
  - **कंपनियाँ SEBI के ESG प्रकटीकरण मानदंडों** के अनुपालन के लिये AI का उपयोग कर सकती हैं, जिससे मैनुअल त्रुटियाँ कम हो जाएंगी।
- **उपभोक्ता संरक्षण तंत्र में सुधार:** AI उपभोक्ता शिकायतों पर कार्रवाई कर सकता है, धोखाधड़ी गतिविधियों की निगरानी कर सकता है और उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ाने के लिये **बाज़ार के रुझान का पूर्वानुमान** कर सकता है।
  - **बढ़ते ई-कॉमर्स** और **डिजिटल प्लेटफॉर्म** के साथ, AI अधिकारियों को शिकायतों का कुशलतापूर्वक निवारण करने तथा धोखाधड़ी को रोकने में सक्षम बनाता है।
  - **भारतीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण** अनुचित व्यापार प्रथाओं पर नज़र रखने के लिये AI का उपयोग कर सकता है।
- **पर्यावरण कानून प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाना: AI सेंसर, उपग्रहों और फील्ड रिपोर्टों** से डाटा का विश्लेषण करके पर्यावरण अनुपालन की निगरानी कर सकता है तथा विनियमों का पालन सुनिश्चित कर सकता है।
  - AI उपकरण अवैध खनन या वनों की कटाई जैसे उल्लंघनों का अभिनिर्धारण करने में मदद करते हैं, जिससे त्वरित नियामक कार्रवाई संभव हो पाती है।
  - **कर्नाटक वन विभाग** ने केवल 4 महीनों में AI-संचालित विश्लेषण और उपग्रह इमेजरी की मदद से **अतिक्रमण के 167 मामलों** की पहचान की है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **बौद्धिक संपदा अधिकारों को अनिवार्य करना:** AI उपकरण पेटेंट खोज, प्रारूपण और कॉपीराइट उल्लंघन का पता लगाने में सहायता करके IPR प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकते हैं।
  - **जटिल अन्वेषण और फाइलिंग** को स्वचालित करके, AI तेज़ी से अनुमोदन सुनिश्चित करता है तथा फार्मास्यूटिकल्स व IT जैसे IP-गहन उद्योगों में विवादों को कम करता है।
  - AI में प्रगति के साथ, **अमेरिकन पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस (USPTO)** ने AI-सहायता प्राप्त आविष्कारों के लिये पेटेंट आवेदनों में वृद्धि देखी है, जिन्हें भारत में भी दोहराया जा सकता है।

AI प्रौद्योगिकियाँ भारत के कानूनी फ्रेमवर्क को कैसे चुनौती दे रही हैं?

- **गोपनीयता और डाटा संरक्षण कमज़ोरियाँ:** AI प्रणालियाँ प्राय: पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना, बड़े पैमाने पर **व्यक्तिगत डाटा एकत्र** करती हैं, उसका **विश्लेषण** करती हैं **और उसका मुद्रीकरण** करती हैं, जिससे नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों को खतरा उत्पन्न होता है।
  - **डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम (वर्ष 2023)** एक कदम आगे है, लेकिन इसमें **सख्त प्रवर्तन तंत्र का अभाव** है, विशेष रूप से AI-संचालित निगरानी के संबंध में।
  - **सार्वजनिक स्थानों पर** फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नॉलजी **(FRT)** का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्मार्ट शासन मिशन के तहत **हैदराबाद पुलिस द्वारा** इसका उपयोग, जिससे बड़े पैमाने पर निगरानी की चिंता बढ़ गई है।
  - साइबर हमलों में भारत **विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है** (PwC 2022), **AI का उपयोग करने वाली 40% भारतीय फर्मों में उचित डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल का अभाव** (NASSCOM, 2023) **है**।
- **एल्गोरिदम संबंधी निर्णय लेने में पूर्वाग्रह और भेदभाव:** AI प्रणालियाँ प्राय: **त्रुटिपूर्ण डाटासेट के कारण सामाजिक पूर्वाग्रहों को मज़बूत** करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप नियुक्ति, उधार और शासन में भेदभावपूर्ण परिणाम सामने आते हैं।
  - एल्गोरिदम संबंधी निष्पक्षता के लिये व्यापक दिशा-निर्देशों के बिना, **AI प्रणालीगत असमानताओं को कायम** रखता है तथा समानता के संवैधानिक सिद्धांतों को कमज़ोर करता है।
  - भारत में AI-संचालित भर्ती उपकरणों के कारण तकनीकी भूमिकाओं में महिला अभ्यर्थियों को असमान रूप से बाहर रखा गया है।
    - वर्ष 2018 में, अमेज़न ने महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रहों के कारण अपने **गुप्त AI भर्ती इंजन** को बंद कर दिया, फिर भी भारत भर में इसी तरह की प्रणालियाँ अभी भी चल रही हैं।
- **बौद्धिक संपदा संघर्ष:** AI-जनित कार्यों में स्वामित्व की रेखाओं को धुँधला करके AI आईपी कानून के मूलभूत सिद्धांतों को चुनौती देता है।
  - **भारत के कॉपीराइट फ्रेमवर्क में AI-जनरेटेड कंटेंट पर स्पष्टता का अभाव** है, जिससे रचनाकारों को शोषण का खतरा बना रहता है।
    - **कॉपीराइट अधिनियम, 1957** के अनुसार, कोई भी रचना तभी कॉपीराइट के लिये योग्य है जब वह मौलिक हो और मानव द्वारा लिखी गई हो। इसलिये, **AI बनाए जनरेटेड कंटेंट को कॉपीराइट योग्य नहीं** माना जाता है।
  - **एंडरसन बनाम स्टेबिलिटी AI लिमिटेड मामला** अस्पष्ट कॉपीराइट सुरक्षा के बीच कलाकारों की कमज़ोरियों को उजागर करता है।
- **आर्थिक असमानता और श्रम कानून चुनौतियाँ:** AI-संचालित स्वचालन से **बेरोज़गारी और आर्थिक असमानता बढ़ने का खतरा** है, जिससे भारत की श्रम सुरक्षा को चुनौती मिल रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत के श्रम कानून, जिनमें चार श्रम संहिताएँ भी शामिल हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण होने वाले रोज़गार विस्थापन पर ध्यान नहीं देते हैं।
- **मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट** के अनुसार, स्वचालन के कारण वर्ष 2030 तक भारत के विनिर्माण क्षेत्र में **60 मिलियन** तक श्रमिकों को बेरोज़गार होना पड़ सकता है, जिसमें वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योग विशेष रूप से प्रभावित होंगे।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे:** साइबर हमलों, डीप फेक और गलत सूचना अभियानों में AI का दुरुपयोग भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा है।
  - लोकसभा चुनाव- 2024 के दौरान, चुनावी अखंडता को कमज़ोर करते हुए **गलत सूचना फैलाने के लिये डीप-फेक वीडियो का इस्तेमाल** किया गया।
  - वर्ष 2023 में, भारत को साइबर हमले की घटनाओं में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा, वर्ष 2022 की तुलना में **प्रति संगठन साप्ताहिक हमलों में 1.5% की वृद्धि** होगी।
  - **भारत में AI-विशिष्ट साइबर सुरक्षा विनियमों का अभाव** है, जिससे बैंकिंग और रक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र असुरक्षित हैं।
- **नैतिक और जवाबदेही संबंधी चिंताएँ: स्वास्थ्य सेवा, कानून प्रवर्तन और सार्वजनिक सेवाओं** में AI अनुप्रयोग नैतिक मानकों एवं उत्तरदायित्व को लेकर प्रश्न उठाते हैं।
  - AI प्रणालियों की त्रुटियों के कारण स्पष्ट जवाबदेही तंत्र का अभाव होता है, जिसके कारण विवादों में कानूनी शून्यता उत्पन्न होती है।
  - JAMA में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में चिकित्सकों की निदान सटीकता पर व्यवस्थित रूप से पक्षपाती कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रभाव की जाँच की गई है।
    - निष्कर्षों से पता चलता है कि **पक्षपाती AI मॉडल से किये गे पूर्वानुमानों ने** आधारभूत स्तर की तुलना में **चिकित्सकों की सटीकता को 11.3% तक कम** कर दिया।
- **AI परिनियोजन के पर्यावरणीय प्रभाव: AI प्रशिक्षण मॉडल की ऊर्जा-गहन प्रकृति** भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों को बढ़ाती है, जिसमें बढ़ती कार्बन उत्सर्जन भी शामिल है।
  - **ChatGPT-3** जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिये पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें **10 गीगावाट-घंटे (GWh) विद्युत की खपत** होती है।
  - भारत के कानूनी तंत्र में **संवहनीय AI प्रथाओं के लिये अनिवार्यताओं का अभाव** है, जो इसकी जलवायु प्रतिबद्धताओं के विपरीत है।

भारत में AI विनियमन को दृढ़ करने और ज़िम्मेदार AI उपयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- **एक व्यापक AI-विशिष्ट कानून बनाना:** भारत को एक समर्पित कानून की आवश्यकता है जो **नैतिक दिशा-निर्देशों, जवाबदेही तंत्र और जोखिम वर्गीकरण सहित AI-संबंधित चुनौतियों का समाधान** करना चाहिये।
  - **यूरोपीय संघ का AI अधिनियम (जो वर्ष 2024 में लागू होगा)** AI अनुप्रयोगों के लिये एक स्तरीय जोखिम फ्रेमवर्क प्रदान करता है; **भारत स्थानीय संदर्भों के अनुरूप ऐसे ही दृष्टिकोण अपना सकता है।**
- **स्वतंत्र AI विनियामक प्राधिकरण की स्थापना:** AI की तैनाती की देखरेख, अनुपालन सुनिश्चित करने और शिकायतों का समाधान करने के लिये **भारतीय AI नैतिकता एवं शासन प्राधिकरण** जैसे केंद्रीकृत निकाय का निर्माण किया जाना चाहिये।
  - एक समर्पित नियामक विभिन्न क्षेत्रों में AI शासन में एकरूपता सुनिश्चित कर सकता है, जिससे विखंडन और दुरुपयोग में कमी आएगी।
  - यूके का **सेंटर फॉर डाटा एथिक्स एंड इनोवेशन,** नैतिक AI उपयोग के लिये एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।
- **एल्गोरिदम संबंधी जवाबदेही और ऑडिट को अनिवार्य बनाना:** AI डेवलपर्स के लिये **पूर्वाग्रहों, अकुशलताओं**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

और नैतिक कमियों का पता लगाने के लिये एल्गोरिदम का नियमित ऑडिट को आवश्यक बनाने वाले कानून लागू किये जाने चाहिये।

- **यदि नियुक्ति, ऋण देने या निगरानी** के लिये उपयोग किये जाने वाले AI उपकरणों में एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रहों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे प्रणालीगत भेदभाव को जन्म दे सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2023 में, भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर एल्गोरिदम मूल्य निर्धारण के कारण होने वाले मूल्य भेदभाव** पर चिंताओं को उजागर किया।
- स्वास्थ्य सेवा और वित्त जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में AI जीवनचक्र प्रबंधन के भाग के रूप में अधिदेश **पूर्वाग्रह प्रभाव आकलन (BIA) और व्याख्यात्मकता मानक** लागू किये जाने चाहिये।

- **AI प्रणालियों के लिये साइबर सुरक्षा विनियमों को मज़बूत करना: संवेदनशील डाटा की सुरक्षा और AI-सक्षम साइबर खतरों से बचाव** हेतु AI अनुप्रयोगों के लिये दृढ़ साइबर सुरक्षा मानकों का विकास किया जाना चाहिये।
  - CERT-In को **नियमित भेद्यता आकलन को अनिवार्य बनाना चाहिये** तथा जोखिमों से निपटने के लिये AI-विशिष्ट खतरा निगरानी प्रणालियों को अपनाना चाहिये।
- **विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से ज़िम्मेदार AI उपयोग को बढ़ावा देना:** सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करते हुए **AI नवाचारों के नियंत्रित परीक्षण की अनुमति देने** के लिये विनियामक सैंडबॉक्स के उपयोग का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - सैंडबॉक्स बड़े पैमाने पर जोखिम उत्पन्न किये बिना **AI प्रौद्योगिकियों के पुनरावृत्त परीक्षण और परिशोधन को सक्षम बनाता है।**
  - **NITI आयोग** के तहत **क्रॉस-सेक्टरल सैंडबॉक्स** स्थापित करने से **इसकी शुरुआत** की जा सकती है, ताकि **स्वास्थ्य देखभाल निदान, स्मार्ट शहरों और पर्यावरण निगरानी** जैसे क्षेत्रों में AI का परीक्षण किया जा सके।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण में नैतिक AI सिद्धांतों को एकीकृत करना: उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम और कॉर्पोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रमों** में नैतिक AI विकास एवं ज़िम्मेदार इंस्टॉलेशन को शामिल किया जाना चाहिये।
  - डेवलपर्स और निर्णयकर्त्ताओं को AI नैतिकता के बारे में शिक्षित करने से यह सुनिश्चित होता है कि **भविष्य की प्रौद्योगिकियाँ समावेशिता एवं निष्पक्षता को प्राथमिकता देंगी।**
  - **सभी सरकारी वित्तपोषित AI परियोजनाओं के लिये AI नैतिकता प्रशिक्षण को अनिवार्य** बनाया जाना चाहिये और निजी फर्मों को समान कार्यक्रम अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **डाटा पारदर्शिता और पहुँच नियंत्रण सुनिश्चित करना: डाटा उपयोग, मॉडल प्रशिक्षण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर अनिवार्य प्रकटीकरण को** लागू करके AI प्रणालियों में पारदर्शिता बढ़ाया जाना चाहिये।
  - पारदर्शिता के बिना, AI प्रणालियाँ **ब्लैक-बॉक्स निर्णय लेने को जारी रखने का जोखिम उठाती हैं,** जिससे जनता का विश्वास कम होता है।
  - **स्पष्टीकरण के अधिकार के प्रावधानों को शामिल करने के लिये DPDP अधिनियम, 2023** में संशोधन किया जाना चाहिये, जिससे उपयोगकर्त्ता उन AI-संचालित परिणामों को समझ सकेंगे जो उन्हें प्रभावित करते हैं।
- **हरित AI प्रथाओं को प्रोत्साहित करना: पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये ऊर्जा-कुशल AI प्रणालियों के** विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - बड़े AI मॉडलों को प्रशिक्षित करने में भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है, जो पेरिस समझौते के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के विपरीत है।
  - **हरित कंप्यूटिंग प्रथाओं को अपनाने वाली AI फर्मों को कर लाभ** प्रदान किया जाना चाहिये और संवहनीय AI विकास के लिये मानक स्थापित किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निष्कर्ष:

जबकि AI में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है, लेकिन **तीव्रता से इसके अंगीकरण से गोपनीयता, जवाबदेही और पूर्वाग्रह के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण चिंताएँ** उत्पन्न होती हैं। भारत को AI को विनियमित करना चाहिये लेकिन नवाचार की कीमत पर नहीं। मौजूदा कानूनी ढाँचे, विशेष रूप से **डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम (वर्ष 2023)** को AI प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न अद्वितीय चुनौतियों का समाधान करने के लिये सुदृढ़ किया जाना चाहिये। भारत को **नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये एक व्यापक AI-विशिष्ट कानून अपनाना चाहिये, नियामक निकायों की स्थापना करनी चाहिये और नैतिक AI प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिये।**

■■■

भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र में सुधार

जेनेरिक दवाएँ भारत की स्वास्थ्य सेवा पहुँच के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जिससे **वर्ष 2024 तक सरकारी पहलों के माध्यम से उपभोक्ताओं को अनुमानित ₹30,000 करोड़ की बचत** हुई है। ब्रांडेड दवाओं के समतुल्य होने के बावजूद, इनकी गुणवत्ता की चिंता बनी हुई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और **राज्य औषधि नियामक प्राधिकरणों** के बीच विभाजित वर्तमान नियामक फ्रेमवर्क निर्माताओं को **कमज़ोर निगरानी का फायदा उठाने** की अनुमति देता है, जिससे **दवा की गुणवत्ता कमज़ोर** होती है। वर्ष 1954 से कई समितियों की अनुशंसा के बावजूद, भारत में अभी भी केंद्रीकृत फार्मास्युटिकल विनियमन **का अभाव** है, जो इसके **फार्मास्युटिकल क्षेत्र में** सामर्थ्य और गुणवत्ता दोनों को सुनिश्चित करने के लिये **व्यापक सुधार की तत्काल आवश्यकता** को दर्शाता है।

भारत में फार्मास्युटिकल विनियमन की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **नियामक निकाय**
  - **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO):** वर्ष 1940 में स्थापित, CDSCO फार्मास्युटिकल क्षेत्र की देखरेख करने वाला **प्राथमिक नियामक प्राधिकरण** है।
    - यह सुनिश्चित करता है कि दवाएँ सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरण सुरक्षा मानकों को पूरा करें।
  - **रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग:** वर्ष 1991 में स्थापित, **DCP रसायन, पेट्रोरसायन और फार्मास्यूटिकल्स के नीति एवं योजना पहलुओं का प्रबंधन** करता है तथा इस क्षेत्र के विकास में सहायता करता है।
  - राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण: वर्ष 1994 में स्थापित NPPA मूल्य निर्धारण, संशोधन और मूल्य नियंत्रण के तहत **दवाओं की सूची** को अद्यतन करने के लिये जिम्मेदार है।
    - यह सुनिश्चित करता है कि आवश्यक दवाओं की कीमतों को विनियमित और निगरानी की जाए।
- **प्रमुख नीतियाँ और विनियमन**
  - **औषधि मूल्य नियंत्रण: औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO),** जिसे पहली बार वर्ष 1970 में लागू किया गया था, सरकार को 74 थोक औषधियों और उनके फॉर्मूलेशन के मूल्यों को विनियमित करने की अनुमति देता है।
    - यद्यपि यह सामर्थ्य की गारंटी देता है, लेकिन **प्रत्यक्ष मूल्य प्रतिबंध** उद्योग को इन दवाओं का उत्पादन करने से रोक सकता है।
  - **उत्पाद की गुणवत्ता और विनिर्माण मानक:** CDSCO द्वारा अच्छे विनिर्माण अभ्यास (GMP) को लागू किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **फार्मास्युटिकल संयंत्र और सामग्री उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन** करें।
    - **राष्ट्रीय औषधि नीति** का उद्देश्य GMP मानदंडों को और सख्त करना है।
  - **पेटेंट और बौद्धिक संपदा विनियमन:** पेटेंट अधिनियम, 1970 (वर्ष 2005 में संशोधित) औषधियों की पेटेंट योग्यता को नियंत्रित करता है तथा रॉयल्टी, जेनेरिक उत्पादन प्रतिरक्षा, पेटेंट विरोध, अनिवार्य लाइसेंसिंग और निर्यात **के प्रावधानों की रूपरेखा** तैयार करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलू)** नैदानिक परीक्षणों से संबंधित अघोषित जानकारी के लिये सुरक्षा प्रदान करता है।

- **प्रमुख विनियामक दिशा-निर्देश**
  - **औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940:** भारत में औषधियों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है।
    - **अनुसूची M:** कुछ दवाओं के निर्माण में कारखाना परिसर, सामग्री और उपकरणों के लिये सामान्य एवं विशिष्ट आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है।
    - **अनुसूची T:** आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के विनिर्माण के लिये GMP विनिर्देश निर्धारित करता है।
    - **अनुसूची Y:** नैदानिक परीक्षणों के लिये विधायी आवश्यकताओं को निर्धारित करती है।
  - **अच्छे नैदानिक अभ्यास (GCP) दिशा-निर्देश:** स्वास्थ्य मंत्रालय, DCGI और ICMR द्वारा तैयार किये गए ये दिशा-निर्देश, **हेलसिंकी घोषणा एवं मानव उपयोग के फार्मास्यूटिकल्स हेतु तकनीकी आवश्यकताओं के सामंजस्य के लिये अंतर्राष्ट्रीय परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार** पर, मानव विषयों में नैदानिक अनुसंधान को विनियमित करते हैं।
  - **फार्मेसी अधिनियम, 1948:** भारत में फार्मेसी व्यवसाय को विनियमित करता है।
  - **औषधि एवं जादुई/चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954:** यह अधिनियम चमत्कारी गुणों का दावा करने वाली औषधियों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है।
  - **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985:** स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों से संबंधित कार्यों को विनियमित करता है।

अपर्याप्त फार्मास्युटिकल विनियमन से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **निम्न स्तरीय और नकली दवाओं का प्रसार:** कमज़ोर प्रवर्तन के कारण निम्न गुणवत्ता वाली और नकली दवाएँ बाज़ार में प्रभावी हो जाती हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं मरीज़ों का विश्वास कमज़ोर होता है।
  - यह समस्या **निम्न आय वाले देशों को असमान रूप से प्रभावित** करती है, जहाँ नियामक निगरानी न्यूनतम है, जिसके परिणामस्वरूप रुग्णता और मृत्यु दर अधिक होती है।
  - भारत में, विनियामक खामियों के कारण छोटे निर्माताओं के प्रभुत्व वाले खंडित बाज़ार में **निम्न स्तरीय उत्पाद विकसित हो रहे हैं।**
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि **निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 10% दवाइयाँ निम्न स्तरीय या नकली** हैं।
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित कफ सिरप को **गाम्बिया में बच्चों की तीव्र किडनी फेलियर** और **मृत्यु** से संबद्ध बताया है।
- **निर्यात में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास का क्षरण:** वैश्विक मानकों का असंगत पालन **निर्यातक देशों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाता है,** जिससे वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम हो जाती है।
  - **डाटा निर्माण और अपर्याप्त गुणवत्ता जाँच सहित नियामक चूक,** अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के बीच विश्वास को कम करती है।
    - इससे भारत जैसे दवा निर्यातक देशों के दीर्घकालिक आर्थिक लाभ में बाधा उत्पन्न होती है।
  - वर्ष 2022 की शुरुआत से अब तक भारतीय दवा निर्माताओं को **9 से अधिक FDA चेतावनी पत्र** जारी किये गए हैं, जिसके कारण अमेरिका में नए उत्पादों पर प्रतिबंध लग सकता है।
    - **रैनबैक्सी घोटाला** अंतर्राष्ट्रीय नियामक विफलता का एक ऐतिहासिक मामला बना हुआ है।
- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) संकट:** एंटीबायोटिक दवाओं का अनियमित उत्पादन और अतार्किक उपयोग AMR को बढ़ाने में योगदान देता है, जो एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **AMR स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को कमज़ोर** करता है, क्योंकि सामान्य संक्रमण उपचार योग्य नहीं रह जाते, जिससे बीमारी लंबे समय तक बनी रहती है और मृत्यु दर बढ़ जाती है।
- कठोर निगरानी के अभाव के कारण दवा कंपनियाँ पर्याप्त नैदानिक परीक्षणों के बिना ही निश्चित खुराक वाले एंटीबायोटिक संयोजनों का उत्पादन कर लेती हैं।
- एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि बड़ी संख्या में भारतीय रोगियों को अनेक एंटीबायोटिक दवाएँ दी जाती हैं, जिसके कारण एंटीबायोटिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है।
  - भारत में बिकने वाली लगभग **64% एंटीबायोटिक्स अस्वीकृत** हैं, जिससे प्रतिरोध बढ़ रहा है।

- **प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया और फार्माकोविजिलेंस का अभाव:** अपर्याप्त निगरानी प्रणालियाँ **प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं (ADR) को ट्रैक करने और कम करने में विफल** रहती हैं, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं।
  - विनियामक प्राधिकरणों के पास प्राय: सटीक समय पर औषधि सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिये संसाधनों और तंत्रों का अभाव होता है, जिसके कारण अनावश्यक जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं।
  - यह विकासशील देशों में विपणन-पश्चात निगरानी प्रणालियों की खराब स्थिति को भी दर्शाता है।
  - 895 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी के बावजूद वैश्विक ADR डेटाबेस में भारत का योगदान **केवल 2%** है।
    - **वर्ष 2019 में,** N-नाइट्रोसोडिमिथाइलएमाइन संदूषण के कारण रैनिटिडिन को वापस ले लिये जाने से फार्माकोविजिलेंस प्रणालियों में अंतराल को रेखांकित किया गया।
- **वैश्विक बाज़ार में प्रवेश में बाधाएँ:** असंगत विनियामक फ्रेमवर्क और **मानक-निर्धारण में पारदर्शिता की कमी,** उभरती हुई दवा कंपनियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक अभिगम में बाधा डालती है।
  - ये बाधाएँ छोटे निर्माताओं को अपना परिचालन बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने से रोकती हैं।
    - **अच्छे विनिर्माण प्रथाओं (GMP) का गैर-अनुपालन** एक महत्त्वपूर्ण बाधा है।
  - भारत में वर्तमान में 10,500 दवा विनिर्माण इकाइयों में से **केवल 19% के पास ही WHO-GMP प्रमाणन** है।
    - इससे अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विनियमित बाज़ारों में प्रवेश करने की भारत की क्षमता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
- **फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट से पर्यावरणीय क्षति: फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट के अनियमित निपटान** से गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण होता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
  - **विनिर्माण इकाइयों से मुक्त होने वाला अपशिष्ट,** विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, नदियों और भूजल प्रदूषण का कारण बनता है।
    - पर्यावरणीय नियमों के **लापरवाह क्रियान्वयन** से यह **समस्या और भी जटिल** हो गई है।
  - एक हालिया अध्ययन में **वैश्विक नदियों के 43.5% में दवा प्रदूषकों की पहचान** की गई है, जिसमें यमुना नदी सबसे प्रदूषित है।
    - **भारत** वैश्विक एंटीबायोटिक प्रदूषण **में प्रमुख योगदानकर्त्ता** है, जिससे AMR संकट और भी गंभीर हो गया है।
- **आवश्यक दवाओं की सुलभता में असमानताएँ: अपर्याप्त मूल्य विनियमन** और **एकाधिकारवादी प्रथाओं** के कारण आवश्यक दवाएँ सीमांत आबादी के लिये अप्राप्य रह जाती हैं।
  - **दवा मूल्य** नियंत्रण के लापरवाह कार्यान्वयन से कंपनियों को अत्यधिक कीमतें वसूलने में मदद मिलती है, जिससे स्वास्थ्य असमानता की स्थिति और भी बदतर हो जाती हैं।
    - दूर-दराज़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता की कमी से समस्या और भी गंभीर हो जाती है

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- सरकारी मेडिकल स्टोर पर सस्ती दवाओं की उपलब्धता ग्रामीण आबादी के लिये एक चुनौती है।
  - एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, **केवल 12.2% प्रत्यर्थियों को (अपने गाँवों से आने-जाने योग्य दूरी के भीतर) प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर सब्सिडी वाली दवाओं की सुलभता** है।
- **अनुपालन मानकों की अप्रभावीता: खंडित और जटिल नियामक प्रणालियाँ** निर्माताओं को भ्रमित करती हैं, अनुपालन दरों को कम करती हैं तथा वैश्विक बाज़ारों में उत्पाद अस्वीकृति को बढ़ाती हैं।
  - **FSSAI, BIS और APEDA** जैसी एजेंसियों के अलग-अलग मानक अनावश्यकता एवं अक्षमता उत्पन्न करते हैं। इससे भारतीय दवा उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम स्वीकार्यता होती है।

भारत में औषधि विनियमन को बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **विनियामक फ्रेमवर्क को सुव्यवस्थित करना: भारत को ओवरलैप्स को खत्म करने और जवाबदेही सुनिश्चित** करने के लिये एकीकृत एवं पारदर्शी विनियामक फ्रेमवर्क की आवश्यकता है।
  - CDSCO और राज्य स्तरीय निकायों जैसी एजेंसियों को एक **केंद्रीकृत औषधि प्राधिकरण में विलय करने से** समन्वय एवं अनुपालन में सुधार हो सकता है।
  - **इससे अनुमोदन, परीक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं का** मानकीकरण होगा, जिससे अकुशलताएँ कम होंगी।
  - अमेरिका जैसे देशों में **FDA जैसी केंद्रीकृत प्रणालियाँ** हैं, जो **राज्यों में दवा विनियमन और प्रवर्तन में एकरूपता** सुनिश्चित करती हैं।
- **फार्माकोविजिलेंस और विपणन-पश्चात् निगरानी को सुदृढ़ करना: प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं (ADR)** की निगरानी और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार के लिये सुदृढ़ फार्माकोविजिलेंस प्रणालियों की स्थापना आवश्यक है।
  - **भारतीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम (PvPI) का विस्तार** करके इसमें निजी अस्पतालों, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों और ई-फार्मेसियों को शामिल करने से ADR रिपोर्टिंग में वृद्धि हो सकती है।
  - **उन्नत डाटा विश्लेषण और AI** संभावित दवा जोखिमों का पहले ही अनुमान लगा सकते हैं।
- **अच्छे विनिर्माण व्यवहार (GMP) के अनुपालन को लागू करना:** विनिर्माण सुविधाओं की आवधिक ऑडिट और रियल टाइम मॉनिटरिंग GMP मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित कर सकती है।
  - उल्लंघन के लिये कठोर दंड तथा अनुपालन के लिये प्रोत्साहन लागू करने से **उत्तरदायित्व को बढ़ावा** मिलेगा।
  - दवा पैकेजिंग पर QR कोड लागू करने से आपूर्ति शृंखला में अनुपालन का पता लगाने और सत्यापन में मदद मिल सकती है।
- **पारदर्शिता के लिये राष्ट्रीय औषधि डेटाबेस का निर्माण: अनुमोदित औषधियों, निर्माताओं और नियामक स्थितियों** को सूचीबद्ध करने वाला एक केंद्रीकृत, सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटाबेस पारदर्शिता को बढ़ा सकता है।
  - इससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं को दवा की प्रामाणिकता सत्यापित करने तथा अस्वीकृत या नकली उत्पादों की बिक्री को रोकने में मदद मिलेगी।
    - ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने से डेटा इंटीग्रिटी को और अधिक सुरक्षित किया जा सकता है।
- **नियामक क्षमता और बुनियादी अवसंरचना में सुधार: उन्नत परीक्षण प्रयोगशालाओं, कुशल कार्यबल और डिजिटल उपकरणों** में निवेश से भारत की नियामक क्षमता सुदृढ़ होगी।
  - **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत** विनियामक बुनियादी अवसंरचना के लिये धन आवंटित करने से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में अंतराल को कम किया जा सकता है।
  - नियामक कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रथाओं में नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता है।
- **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानकों में सामंजस्य: भारत को अपने औषधि मानकों को अमेरिकी FDA और यूरोपीय औषधि एजेंसी (EMA)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- मानकों की पारस्परिक मान्यता के लिये द्विपक्षीय समझौतों से निर्यात अस्वीकृतियों में कमी आ सकती है तथा बाज़ार पहुँच में वृद्धि हो सकती है।
- निर्यात प्रमाणन के लिये **"एकल खिड़की अनुमोदन प्रणाली"** शुरू करने से अनुमोदन को सुचारु बनाया जा सकता है।

- **नैतिक नैदानिक परीक्षणों और अनुसंधान एवं विकास निरीक्षण को प्रोत्साहित करना:** नैदानिक परीक्षणों के लिये सख्त दिशा-निर्देश, साथ ही रियल टाइम मॉनिटरिंग, नैतिक प्रथाओं और रोगी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं।
  - AI-सक्षम निगरानी उपकरणों के साथ एक **राष्ट्रीय निरीक्षण समिति की स्थापना** प्रभावी रूप से परीक्षण अनुपालन को ट्रैक कर सकती है। नैतिक अनुसंधान एवं विकास के लिये कर छूट जैसे प्रोत्साहन नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **ऑनलाइन फार्मेसियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को विनियमित करना: नकली और बिना लाइसेंस वाली दवाओं की बिक्री पर अंकुश** लगाने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्मों को सख्त नियामक निगरानी के तहत लाया जाना चाहिये।
  - **ई-फार्मेसियों का अनिवार्य पंजीकरण** और उन्हें आधार-सक्षम सत्यापन प्रणालियों से जोड़ने से जवाबदेही में सुधार हो सकता है।
    - AI उपकरण ऑनलाइन लेनदेन में अनियमितताओं की निगरानी कर सकते हैं।
- **संवहनीय औषधि प्रथाओं को प्रोत्साहित करना: हरित विनिर्माण प्रथाओं** को अपनाने से औषधि अपशिष्ट से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को कम किया जा सकता है।
  - **अपशिष्ट उपचार मानदंडों का सख्ती से पालन** तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिये सब्सिडी अनुपालन को बढ़ावा दे सकती है।
  - CPCB और MoEFCC जैसी एजेंसियों के साथ सहयोग करके पर्यावरणीय दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **जन-जागरूकता और उपभोक्ता सशक्तीकरण का निर्माण:** उपभोक्ताओं को **सुरक्षित दवा उपयोग के बारे में शिक्षित** करना, **नकली दवाओं की पहचान** करना और **प्रतिकूल प्रभावों की रिपोर्ट करना** आवश्यक है।
  - जनसंचार माध्यमों, स्कूलों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से **सार्वजनिक अभियान जागरूकता बढ़ा सकते हैं।** मादक पदार्थों दवाओं से संबंधित शिकायतों के लिये एक **टोल-फ्री हेल्पलाइन** और **मोबाइल ऐप** उपभोक्ताओं को सशक्त बना सकता है।
  - भारत में ***"जागरूक रहें, नकली सामान की सूचना दें"*** **अभियान** शुरू किया जा सकता है, जिससे अधिकाधिक जन भागीदारी सुनिश्चित होगी।
- **क्षेत्रीय औषधि विनियमन केंद्रों का विकास: उन्नत प्रयोगशालाओं और विनियामक कार्यालयों** वाले क्षेत्रीय केंद्र निगरानी को विकेंद्रित कर सकते हैं और दक्षता में सुधार कर सकते हैं।
  - ये केंद्र वंचित क्षेत्रों में दवा परीक्षण, निरीक्षण और निगरानी जैसी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
    - इससे समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा और केंद्रीय एजेंसियों पर बोझ कम होगा।
- **आपूर्ति शृंखला पारदर्शिता के लिये ब्लॉकचेन का अंगीकरण:** ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी **दवा आपूर्ति शृंखला की इंड-टू-इंड विज़िबिलिटी** सुनिश्चित कर सकती है, जिससे नकली दवाओं को बाज़ार में प्रवेश करने से रोका जा सकता है।
  - यह प्रौद्योगिकी **उत्पाद की ट्रेसेबिलिटी** को भी बढ़ा सकती है, जिससे **प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता और अनुपालन** सुनिश्चित हो सकेगा।
    - सरकार समर्थित ब्लॉकचेन प्रणाली हितधारकों का विश्वास बढ़ा सकती है।
- **ठीक समय पर औषधि वापसी तंत्र का निर्माण:** भारत को निम्न स्तरीय या हानिकारक औषधियों को प्रचलन से शीघ्र हटाने के लिये एक **दृढ़, प्रौद्योगिकी-सक्षम औषधि रिकॉल प्रणाली** की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं** से जुड़ी एक केंद्रीकृत चेतावनी प्रणाली तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कर सकती है। नियमित मॉक ड्रिल बड़े पैमाने पर रिकॉल के लिये तत्परता बढ़ा सकती है।

- **प्रदर्शन-आधारित निर्माता प्रमाणन की शुरुआत: प्रदर्शन-आधारित प्रमाणन प्रणाली** निर्माताओं को उच्च गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है।
  - GMP, पर्यावरण मानकों और नवाचार अनुपालन पर आधारित रैंकिंग द्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिया जा सकता है।
  - मान्यता मानदंडों के नियमित अद्यतन से प्रथाओं को वैश्विक प्रगति के साथ संरेखित किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत में दवा विनियमन को सुदृढ़ करना **स्वास्थ्य सेवा में सामर्थ्य और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक** है। एक एकीकृत विनियामक फ्रेमवर्क, बेहतर **फार्माकोविजिलेंस और विनिर्माण मानकों के साथ सख्त अनुपालन** दवा सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को बढ़ाएगा। पारदर्शिता, तकनीकी प्रगति एवं संवाह्यिता पर जोर देने से भारत के दवा क्षेत्र को और बढ़ावा मिल सकता है। सक्रिय सुधारों के साथ, **भारत घरेलू स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है और वैश्विक बाज़ार में अपनी स्थिति मज़बूत कर सकता है।**

भारत-रूस संबंधों की प्रगति

भारत-रूस संबंध वैश्विक कूटनीति में शायद सबसे महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारी के रूप में उभरे हैं, जो केवल रणनीतिक सहयोग से कहीं आगे निकल गए हैं। रूस **उच्च तकनीक रक्षा और तेल आपूर्ति** में भारत का सबसे अधिक अनुकूल भागीदार बना हुआ है। इस साझेदारी के माध्यम से, भारत **रूस को चीन की ओर पूरी तरह से बढ़ने से रोकता है**, वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में स्थिरता सुनिश्चित करता है, और **BRICS जैसे उभरते हुए शक्ति ब्लॉक में एक उदारवादी समर्थक** बनाए रखता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हालाँकि भारत के लिये **पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने जैसी चुनौतियों** का सामना करना पड़ रहा है। भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करने और बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच इस महत्त्वपूर्ण साझेदारी को बनाए रखने के लिये सक्रिय रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

समय के साथ भारत और रूस के संबंध किस प्रकार विकसित हुए?

- **शीत युद्ध की एकजुटता (वर्ष 1950-1991):**
  - कश्मीर और गोवा की मुक्ति जैसे प्रमुख मुद्दों पर भारत के लिये सोवियत समर्थन साझा रणनीतिक हितों को दर्शाता है।
  - **वर्ष 1971 की शांति, मित्रता और सहयोग संधि** बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान महत्त्वपूर्ण थी।
- **सोवियत संघ-विघटन के बाद का समायोजन (वर्ष 1991-2000):**
  - सोवियत संघ के विघटन के बाद, भारत और रूस ने रक्षा तथा रणनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिये अपने संबंधों को फिर से संतुलित किया।
- **रणनीतिक साझेदारी:**
  - वर्ष 2000: **सामरिक साझेदारी घोषणा** ने सभी क्षेत्रों में सहयोग को संस्थागत रूप दिया।
  - वर्ष 2010: साझेदारी को **एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी** में बदल दिया गया, जो इसकी विशिष्ट गहनता को दर्शाता है।
- **हाल ही में हुए व्यापार विस्तार:**
  - वित्त वर्ष 2023-24 में **द्विपक्षीय व्यापार 65.7 बिलियन डॉलर** के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया, जिसमें **भारत के निर्यात में 42.7% की वृद्धि** हुई और **आयात में 39.9% की गिरावट** आई, जो रूसी तेल पर निर्भरता में कमी को दर्शाता है।
    - भारत से प्रमुख निर्यात: फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक रसायन और मशीनरी।
    - रूस से प्रमुख आयात: तेल, उर्वरक और खनिज। अक्तूबर 2024 में, भारत और रूस ने उत्तरी समुद्री मार्ग पर अपनी पहली कार्य समूह बैठक बुलाई।

बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत-रूस संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच रणनीतिक स्वायत्तता:** रूस के साथ भारत के संबंध **रणनीतिक स्वायत्तता का उदाहरण** हैं, क्योंकि नई दिल्ली **किसी भी गुट के साथ गठबंधन किये बिना वैश्विक स्तर पर साझेदारी** को सुदृढ़ कर रही है।
  - पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच, **भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ** मज़बूत संबंध बनाए रखते हुए **रूस के साथ ऊर्जा एवं रक्षा संबंधों को गहन किया** है।
  - जुलाई 2024 में **भारतीय प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा** के दौरान, दोनों देशों ने **भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी** की रूपरेखा तैयार की, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना है।
- **आधारशिला के रूप में ऊर्जा सुरक्षा:** भारत ने विश्वसनीय ऊर्जा पहुँच, वहनीयता और आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये **एशिया में रूस की धुरी का लाभ** उठाया है।
  - रूसी आयात पर यूरोपीय प्रतिबंधों ने **भारत को कम लागत पर ऊर्जा सुरक्षित करने का अवसर** प्रदान किया, जिससे उसे वैश्विक तेल कीमतों की अस्थिरता से सुरक्षा मिली।
    - **रूसी तेल** अब भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 35% हिस्सा है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 65.7 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो व्यावहारिक आर्थिक जुड़ाव को दर्शाता है।
  - **कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रूसी सहायता साझेदारी** की आधारशिला बनी हुई है।
    - **सखालिन और टॉम्स्क** जैसे रूसी तेल क्षेत्रों में भारत के निवेश से ऊर्जा संसाधनों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है।
- **रक्षा सहयोग- खरीददार से सह-विकासकर्त्ता तक:** रक्षा साझेदारी **खरीद से सह-विकास तक** परिवर्तित हो गई है, जिससे भारत की स्वदेशी क्षमताओं और रणनीतिक स्वायत्तता में वृद्धि हुई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **ब्रह्मोस मिसाइल** और **Su-30 MKI** उत्पादन जैसे प्रमुख कार्यक्रम इस विकास को मूर्त रूप देते हैं।
- **रूस अभी भी भारत के रक्षा आयात का 45% आपूर्ति करता है,** भले ही भारत **फ्राँस और इज़रायल जैसे अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं** के साथ विविधता ला रहा हो।
- वर्ष 2024 में, भारत और रूस ने **भारतीय रेलवे हेतु हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेनों के संयुक्त उत्पादन** को शामिल करने के लिये मेक इन इंडिया पहल का विस्तार किया।

- **ऊर्जा से परे आर्थिक विविधीकरण:** आर्थिक संबंध अब प्रौद्योगिकी, कृषि और विनिर्माण पर केंद्रित हो गए हैं, जिससे **तेल पर निर्भरता कम होती है** तथा **आपसी विकास को बढ़ावा** मिलता है।
  - **रुपया-रूबल व्यापार तंत्र** और **यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU)** के साथ **FTA वार्ता** इस बदलाव को दर्शाती है।
  - वर्ष 2024 में **रूस को निर्यात में 42.7% की वृद्धि** हुई, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी सबसे आगे रहे।
- **वैश्विक व्यापार को नया स्वरूप देने के लिये कनेक्टिविटी:** **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा** और **चेन्नई-व्लादिवोस्तोक गलियारा** जैसी भारत-रूस कनेक्टिविटी परियोजनाएँ पारंपरिक मार्गों को दरकिनार करती हैं, जिससे अस्थिर समुद्री चोकपॉइंट्स पर निर्भरता कम होती है।
  - ये मार्ग **रसद दक्षता को बढ़ाते हैं** और **व्यापार समय को कम करते हैं।**
  - **INSTC शिपिंग समय को 40% तक कम** करता है, जबकि **चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर पारगमन दिनों को 40 से घटाकर 24 कर देता है,** जिससे द्विपक्षीय व्यापार दक्षता को बढ़ावा मिलता है।

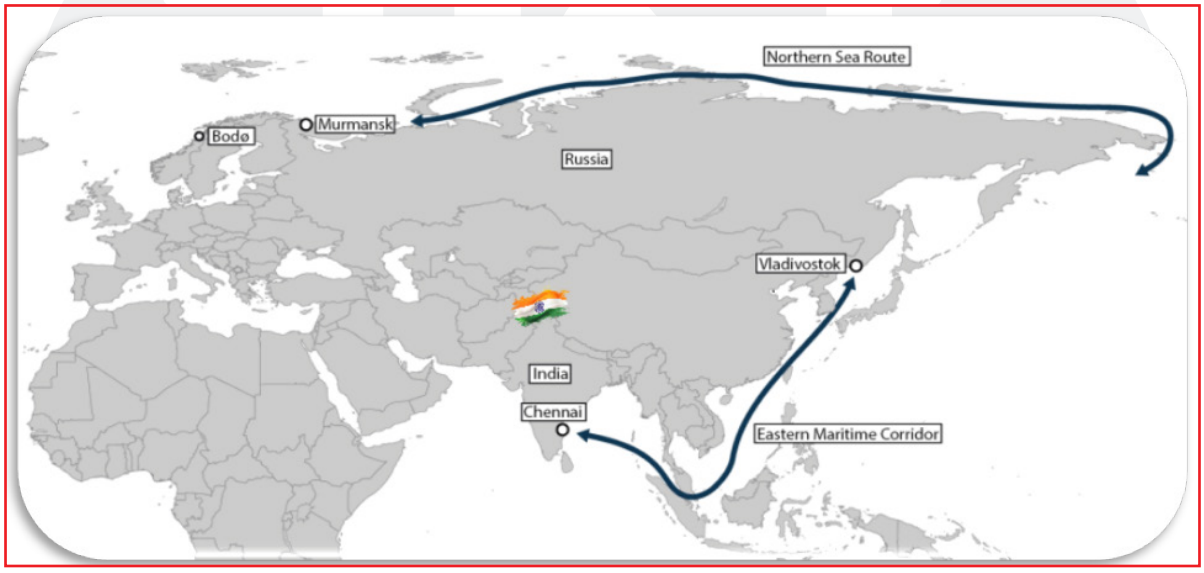

- **बहुपक्षीय मंचों में भू-राजनीतिक तालमेल:** भारत और रूस **बहुध्रुवीय विश्व के लिये एक दृष्टिकोण साझा** करते हैं तथा पश्चिमी प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिये **BRICS**, **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** तथा **G20** जैसे मंचों पर सहयोग करते हैं।
  - वे डॉलर के वर्चस्व को कम करने के लिये स्थानीय मुद्रा व्यापार का समर्थन करते हैं। **BRICS शिखर सम्मेलन 2024** में, भारत और रूस ने वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों पर ज़ोर दिया, जो भारत के रुपया-मूल्यवान व्यापार के लिये जोर के साथ संरेखित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सहयोग:** साझेदारी **AI, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण** जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों तक फैली हुई है, जो **एक दूरदर्शी आयाम** को दर्शाती है। भारत और रूस **संयुक्त रूप से उपग्रह नेविगेशन तथा चंद्र मिशन** को बढ़ाते हैं।
  - **GLONASS उपग्रह नेविगेशन** पर साझेदारी उच्च तकनीक तालमेल को प्रदर्शित करती है।
  - **वर्ष 2024 में,** भारत और रूस ने **चंद्र तथा मानव अंतरिक्ष मिशनों** सहित उन्नत अंतरिक्ष अनुसंधान पर सहयोग करने की प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत किया।

रूस के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में भारत के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **पश्चिमी देशों और रूस के साथ संबंधों में सामंजस्य:** भारत के **अमेरिका और यूरोपीय संघ** के साथ बढ़ते संबंध, विशेष रूप से **क्वाड जैसे मंचों तथा यूरोपीय संघ तथा ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौतों की वार्ता** के माध्यम से, रूस के साथ उसके संबंधों को जटिल बनाते हैं।
  - रूस के विरुद्ध प्रतिबंधों का समर्थन करने के **पश्चिमी दबाव के परिणामस्वरूप भारत की सामरिक स्वायत्तता खतरे में** है।
  - पश्चिमी देशों की आलोचना के बावजूद, रूस वर्ष 2023 में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्त्ता रहा। **रूस से ऊर्जा आपूर्ति** की भारत की वृहद् खरीद ने **अमेरिकी अधिकारियों को चिंतित कर दिया** है, जिन्होंने **'परिणामों' की धमकी** भी दी है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे **भारत के तेल आयात पर 'लाल रेखाएँ' नहीं** लगाएंगे।
- **व्यापार घाटे का प्रबंधन: रूस के साथ भारत का व्यापार** बहुत अधिक विषम है, आयात (अधिकतर तेल और उर्वरक) **निर्यात से बहुत अधिक** है, जिससे एक महत्त्वपूर्ण व्यापार असंतुलन होता है। निर्यात का सीमित विविधीकरण इस मुद्दे को और जटिल बनाता है।
  - वित्त वर्ष 2023-24 में, रूस को भारत का निर्यात 4.26 बिलियन डॉलर रहा, जबकि **आयात 61.44 बिलियन डॉलर** तक पहुँच गया, जिसके परिणामस्वरूप **57.18 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा** हुआ।
  - हालाँकि **दवा निर्यात में 42.7% की वृद्धि** हुई, लेकिन अंतर को कम करने के लिये अपर्याप्त है।
- **वित्तीय और रसद संबंधी चुनौतियाँ:** रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने भारत-रूस व्यापार के लिये वित्तीय लेन-देन, निवेश और रसद को जटिल बना दिया है, जिससे लागत एवं अनिश्चितता बढ़ गई है।
  - **रुपया-रूबल व्यापार** जैसी व्यवस्थाओं को **क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का सामना** करना पड़ रहा है।
  - स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिये वोस्ट्रो खाता प्रणाली बनाई गई थी, लेकिन द्वितीयक प्रतिबंधों के भय से **निजी बैंकों** की अनिच्छा के कारण इसका **अंगीकरण धीमा रहा है।**
- **रूस-चीन निकटता को समझना:** रूस का **चीन के साथ बढ़ता गठबंधन**, विशेष रूप से **आर्कटिक और ऊर्जा परियोजनाओं** में, **भारत के लिये रणनीतिक दुविधाएँ** प्रस्तुत करता है।
  - रूस के सुदूर पूर्व में **चीन का बढ़ता प्रभाव** भारत की कनेक्टिविटी महत्त्वाकांक्षाओं को भी प्रभावित करता है।
  - वर्ष 2023 में रूस-चीन व्यापार आर्कटिक में प्रमुख निवेश के साथ $200 बिलियन से अधिक हो गया। जबकि भारत ने **चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर को चालू कर दिया** है, उत्तरी समुद्री मार्ग में चीन की भागीदारी भारत की पहुँच को सीमित कर सकती है।
- **बहुपक्षीय दबाव और मतदान से परहेज:** यूक्रेन जैसे वैश्विक संकटों पर अलग-अलग रुख के कारण भारत का संतुलन बिगड़ गया है, जहाँ भारत की तटस्थ स्थिति **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** जैसी **बहुपक्षीय संस्थाओं की अपेक्षाओं के विपरीत** है।
  - उदाहरण के लिये, जुलाई 2024 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव से परहेज किया जिसमें **रूस से यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता बंद करने** और **ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र से हटने की मांग** की गई थी। इससे **भारत की कूटनीतिक भागीदारी ध्रुवीकृत** हो गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- वर्ष 2024 के G20 शिखर सम्मेलन में, भारत ने तटस्थता बनाए रखते हुए रूस की निंदा करने से परहेज किया।

- **मध्य एशिया में भू-राजनीतिक अनिश्चितता:** भारत की रणनीतिक पहल, जैसे INSTC, **मध्य एशिया** (एक ऐसा क्षेत्र जो हाल ही में **चीनी उपस्थिति से काफी प्रभावित** हो रहा है) **के माध्यम से स्थायी कनेक्टिविटी** पर निर्भर करती है।
  - इन राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता भारत की पहुँच को जटिल बनाती है। उदाहरण के लिये, INSTC व्यापार की मात्रा में **ईरान के आंतरिक व्यवधानों** और इस गलियारे के लिये एक **प्रमुख पारगमन देश कज़ाकिस्तान में भू-राजनीतिक तनाव** के कारण **विलंब का सामना** करना पड़ता है।

भारत अस्त-व्यस्त वैश्विक व्यवस्था के बीच रूस के साथ संबंधों को संतुलित करने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- ऊर्जा से परे आर्थिक जुड़ाव में विविधता लाना: भारत को प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि जैसे क्षेत्रों का लाभ उठाकर **तेल एवं रक्षा से परे रूस के साथ व्यापार का विस्तार** करना चाहिये।
  - भारत-यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) मुक्त व्यापार समझौते में तेज़ी लाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने से गैर-ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है।
  - मशीनरी और रसायन जैसे क्षेत्रों में **सुव्यवस्थित व्यापार तंत्र के तहत** आगे विस्तार की संभावना दिखाई देती है।
- **मेक इन इंडिया के तहत रक्षा सह-विकास को बढ़ावा:** भारत रूस के साथ अपनी रक्षा **साझेदारी को खरीद से सह-विकास में बदल सकता है,** जो मेक इन इंडिया लक्ष्यों के साथ संरेखित संयुक्त उद्यमों पर केंद्रित है।
  - **सह-उत्पादन न केवल प्रौद्योगिकी अंतरण** सुनिश्चित करता है **बल्कि निर्भरता को भी कम करता है,** जो भारत के वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य के साथ संरेखित है।
- **आर्कटिक सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा पहल का विस्तार:** भारत को रूस के साथ संयुक्त आर्कटिक परियोजनाओं में शामिल होना चाहिये, जो **उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) के माध्यम से ऊर्जा अन्वेषण और शिपिंग** पर केंद्रित है।
  - **LNG अवसंरचना और ध्रुवीय नेविगेशन प्रशिक्षण** में निवेश भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा एवं व्यापार हितों को सुरक्षित करेगा।
  - **अक्तूबर 2024 आर्कटिक सहयोग कार्यसमूह** ने ऊर्जा संसाधनों के आयात के लिये **NSR का प्रयोग करने के भारत के उद्देश्य** पर प्रकाश डाला, जिससे रणनीतिक और आर्थिक लाभ मिल सके।
- **सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा:** सांस्कृतिक कूटनीति और लोगों के बीच संबंधों का विस्तार दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत कर सकता है।
  - **रूस में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र** स्थापित करने और **रूसी छात्रों को भारत में अध्ययन करने के लिये प्रोत्साहित करने** जैसी पहल **सद्भावना का निर्माण** कर सकती हैं।
  - वर्ष 2024 में **भारत द्वारा कज़ान और एकातेरिनबर्ग में दो नए वाणिज्य दूतावासों की घोषणा** गहन शैक्षिक तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिये एक मंच प्रदान करती है।
- **अक्षय ऊर्जा सहयोग पर ध्यान:** भारत को **सौर, पवन और हाइड्रोजन सहित अक्षय ऊर्जा में संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा** देकर रूस के साथ अपनी ऊर्जा साझेदारी में विविधता लानी चाहिये।
  - यह रूस के साथ अपने ऊर्जा सहयोग को बनाए रखते हुए **भारत के हरित संक्रमण लक्ष्यों के अनुरूप** है।
  - भारत का **अक्षय ऊर्जा क्षेत्र 250 बिलियन डॉलर से अधिक निवेश** आकर्षित करने के लिये तैयार है, जो रूस को भारत की **हरित ऊर्जा महत्त्वाकांक्षाओं में भागीदार** बनने के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।
- **क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों के माध्यम से व्यापार घाटे को कम करना:** व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिये, भारत को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जहाँ उसे प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ हैं, जैसे कि IT सेवाएँ, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारतीय निर्यातकों के लिये **रूस में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)** स्थापित करने से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है।

- **सामरिक कूटनीति के साथ रूस-चीन गतिशीलता को नेविगेट करना:** भारत को यह सुनिश्चित करने के लिये रूस के साथ युक्तिपूर्वक जुड़ना चाहिये कि **रूस-चीन संबंधों के कारण उसके रणनीतिक हित प्रभावित न हों।**
  - **आर्कटिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दुर्लभ मृदा तत्त्व और अंतरिक्ष अन्वेषण** जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में वैकल्पिक निवेश एवं सहयोग की पेशकश भारत की प्रासंगिकता बनाए रख सकती है।
- **उर्वरक उत्पादन में संयुक्त उद्यम स्थापित करना:** भारत **कच्चे माल के निष्कर्षण में रूसी विशेषज्ञता का लाभ** उठाते हुए आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिये भारत में उर्वरक **विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने में रूसी निवेश** को आमंत्रित कर सकता है।
  - वर्ष 2023 में, रूस से भारत के **आयात में उर्वरकों की हिस्सेदारी 2.63 बिलियन डॉलर** थी। उत्पादन को स्थानीय बनाने से लागत में कमी आएगी और भारत की कृषि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
- **साइबर सुरक्षा और डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देना:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर बढ़ती वैश्विक निर्भरता को देखते हुए, भारत **साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क, AI अनुसंधान और डिजिटल बुनियादी अवसंरचना को मज़बूत करने के लिये रूस के साथ साझेदारी** कर सकता है।
  - **डेटा सुरक्षा प्रौद्योगिकियों में संयुक्त उद्यम** द्विपक्षीय संबंधों में विविधता लाते हुए पारस्परिक लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं।
  - साइबर सुरक्षा उपकरणों में **रूस की विशेषज्ञता** भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था का पूरक है।
- **रणनीतिक पर्यटन गठबंधनों को बढ़ावा देना:** भारत और रूस विशेष यात्रा पैकेज, संयुक्त सांस्कृतिक उत्सव तथा **सरलीकृत वीज़ा प्रक्रियाएँ बनाकर द्विपक्षीय पर्यटन** को बढ़ावा दे सकते हैं।
  - सीधे हवाई मार्गों और पर्यटन विपणन अभियानों का विस्तार **लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा** दे सकता है।
- **यूरेशियन अध्ययनों पर केंद्रित अकादमिक अनुसंधान केंद्र बनाना:** भारत **रूसी राजनीति, संस्कृति और अर्थशास्त्र पर अध्ययन को बढ़ावा** देने के लिये **यूरेशियन अनुसंधान केंद्र** स्थापित कर सकता है।
  - ये केंद्र भारतीय नीति-निर्माताओं और व्यवसायों को रूस व उसके पड़ोसियों के बारे में **सूचित निर्णय लेने के लिये मार्गदर्शन** कर सकते हैं।
  - **जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और रूसी विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों के बीच साझेदारी** विद्वानों के आदान-प्रदान को बढ़ा सकती है, जिससे क्षेत्र की गहन समझ में योगदान मिल सकता है।

निष्कर्ष:

भारत-रूस संबंध बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच भारत की रणनीतिक विदेश नीति की आधारशिला है। यद्यपि **रक्षा, ऊर्जा और बहुपक्षीय कूटनीति जैसे क्षेत्रों में साझेदारी** लगातार बढ़ रही है, फिर भी व्यापार असंतुलन, रसद बाधाओं एवं रूस की चीन के साथ बढ़ती निकटता जैसी चुनौतियों से सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता है। आर्थिक संबंधों में विविधता लाकर, कनेक्टिविटी बढ़ाकर और उभरते क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देकर, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि रूस के साथ उसके संबंध मज़बूत बने रहें एवं वैश्विक कूटनीति में सकारात्मक योगदान दें।

खाड़ी देशों के साथ भारत का रणनीतिक सहयोग

भारत और कुवैत ने अपने सदियों **पुराने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया** है, जो चार दशकों में **किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की पहली यात्रा** है। यह साझेदारी पारंपरिक ऊर्जा व्यापार गतिशीलता से आगे निकल गई है, जिसमें कुवैत के पास **वैश्विक तेल भंडार का 6.5% हिस्सा** है और यह **भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्त्ता** है, जिसमें रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी अंतरण और बुनियादी अवसंरचना का विकास शामिल है। यह रणनीतिक उन्नयन खाड़ी क्षेत्र **में व्यापक भू-**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

राजनीतिक बदलावों को दर्शाता है, जहाँ भारत का बढ़ता आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के लिये तेजी से महत्त्वपूर्ण हो गया है।

खाड़ी क्षेत्र क्या है?

- **खाड़ी क्षेत्र के संदर्भ में: खाड़ी क्षेत्र,** जिसे **फारस की खाड़ी क्षेत्र** या **अरब की खाड़ी क्षेत्र** के रूप में भी जाना जाता है, **फारस की खाड़ी** के आसपास के क्षेत्र को संदर्भित करता है, जो **अरब प्रायद्वीप और दक्षिण-पश्चिमी ईरान** के बीच स्थित हिंद महासागर का एक सीमांत सागर है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- **खाड़ी क्षेत्र की मुख्य विशेषताएँ:**
  - **भूगोल:** इसमें फारस की खाड़ी के सीमावर्ती देश शामिल हैं: **बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब** और **संयुक्त अरब अमीरात (UAE)**।
- **सामरिक महत्त्व:** फारस की खाड़ी **होर्मुज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से ओमान की खाड़ी** और **अरब सागर** से जुड़ी हुई है, जो वैश्विक तेल परिवहन के लिये एक महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।
  - खाड़ी **भू-राजनीतिक तनावों का केंद्र** है, जिसमें **अमेरिका और ईरान के बीच विवाद, सऊदी-ईरान प्रतिद्वंद्विता** और **यमन गृह युद्ध** शामिल हैं।
- **आर्थिक विविधीकरण के प्रयास:** **सऊदी अरब और UAE** जैसे देश प्रौद्योगिकी, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के माध्यम से तेल पर निर्भरता कम करने के लिये आर्थिक विविधीकरण योजनाओं (जैसे, **सऊदी अरब का विज़न- 2030**) **का अनुसरण** कर रहे हैं।
- **वैश्विक प्रभाव:** खाड़ी देश **पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC), G-20 और संयुक्त राष्ट्र** जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रभावशाली भागीदार हैं।
  - वे महत्त्वपूर्ण व्यापारिक एवं वित्तीय केंद्र (जैसे, **दुबई, अबू धाबी, दोहा**) हैं और वहाँ विशेष रूप से दक्षिण एशिया से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक रहते हैं।

भारत के लिये खाड़ी क्षेत्र का क्या महत्त्व है?

- **ऊर्जा सुरक्षा:** खाड़ी क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है, जिसने सत्र **2022-23 में भारत की कच्चे तेल की मांग की 55.3%** की पूर्ति की है और यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी आयात में वृद्धि के कारण आई गिरावट से उबर रहा है।
  - हाल के समझौते, जैसे कि **कतर के साथ वर्ष 2048 तक प्रतिवर्ष 7.5 मिलियन टन LNG** आयात करने के लिये 78 बिलियन डॉलर का समझौता, आर्थिक विकास और ऊर्जा परिवर्तन को बनाए रखने के लिये खाड़ी संसाधनों पर भारत की निर्भरता को रेखांकित करते हैं।
- **व्यापार और आर्थिक संबंध:** खाड़ी भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक साझेदार है, जिसने **वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यापार में 15.8% का योगदान** दिया, जो **यूरोपीय संघ** के साथ व्यापार से अधिक है।
  - संयुक्त अरब अमीरात भारत का **तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है, तथा सऊदी अरब **भारत के बुनियादी अवसंरचना** और **विनिर्माण क्षेत्रों में चौथे स्थान पर** है।
  - इन सहयोगों के परिणामस्वरूप **विश्वास-निर्माण** हुआ है, जिसका **उदाहरण 44 बिलियन डॉलर की रत्नागिरी रिफाइनरी** जैसी संयुक्त अवसंरचना परियोजनाएँ और **क्षेत्रीय स्थिरता पर सक्रिय वार्ता है।**
- **प्रवासी और धन प्रेषण:** लगभग **8.8 मिलियन भारतीय** खाड़ी देशों में रहते हैं, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं तथा भारत में **प्रतिवर्ष लगभग 60 बिलियन डॉलर का धन प्रेषण** करते हैं।
  - यह प्रवासी आबादी भारत-खाड़ी संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण सेतु का काम करती है, विशेषकर **कोविड-19 महामारी जैसे संकट के दौरान, जब भारत ने वंदे भारत मिशन** के तहत प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान की थी।
- **सामरिक और रक्षा सहयोग:** **डेज़र्ट फ्लैग (UAE) जैसे द्विपक्षीय अभ्यास** और **भारत-फ्राँस- UAE हवाई युद्ध अभ्यास (डेज़र्ट नाइट) जैसे त्रिपक्षीय सहयोग** के साथ रक्षा संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं।
  - प्रमुख समुद्री चौकियों से खाड़ी की निकटता, **अदन की खाड़ी और अरब सागर की** सुरक्षा के लिये भारत की **"मिशन-आधारित नौसैनिक तैनाती" में इसके महत्त्व** को सुनिश्चित करती है।
- **उभरते भू-आर्थिक फ्रेमवर्क:** भारत **कनेक्टिविटी बढ़ाने और व्यापार मार्गों में विविधता लाने** के लिये **भारत-इज़रायल- UAE-यूएसए (I2U2)** और **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (IMEC)** जैसी पहलों में **सक्रिय रूप से भाग ले रहा** है।
  - **हमास-इज़रायल युद्ध** की चुनौतियों के बावजूद, ये रूपरेखाएँ **क्षेत्र में भारत के बढ़ते भू-आर्थिक प्रभाव का प्रतीक** हैं।
- **गैर-तेल व्यापार और प्रौद्योगिकी:** भारत और खाड़ी क्षेत्र व्यापार में विविधता ला रहे हैं, जिसमें **प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र** केंद्र बिन्दु के रूप में उभर रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरणों में **'मेड इन इंडिया' ऑटोमोबाइल** का बढ़ता निर्यात और UAE का **15.3 बिलियन डॉलर का FDI** शामिल है, जो इसे भारत में निवेश का **7वाँ सबसे बड़ा स्रोत** बनाता है।
- इसके अलावा, हाल ही में वर्ष 2024 **IPL की नीलामी सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित** की गई थी, जो पहली बार देश में इस पैमाने का क्रिकेट आयोजन आयोजित किया गया था।

भारत और खाड़ी के बीच टकराव के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

- **भू-राजनीतिक संरेखण और भिन्न हित: I2U2 (भारत-इज़रायल- UAE-USA)** में भागीदारी और रक्षा सहयोग सहित इज़रायल के साथ भारत के बढ़ते संबंध, कभी-कभी फिलिस्तीन मुद्दे के प्रति संवेदनशील खाड़ी देशों के बीच असहजता उत्पन्न करते हैं।
  - जबकि भारत ने **द्वि-राज्य समाधान का समर्थन** किया है, विशेष रूप से **वर्ष 2023 के हमास-इज़रायल युद्ध** के दौरान खाड़ी देशों द्वारा **इज़रायल की कार्रवाइयों की आलोचना,** भारत के अधिक तटस्थ रुख के विपरीत है जिससे रणनीतिक तनाव उत्पन्न होने का खतरा है।
  - उदाहरण के लिये, भारत ने **गाज़ा में युद्ध विराम के लिये संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया,** इस निर्णय पर खाड़ी भागीदारों की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रिया आई।
- **ऊर्जा आपूर्ति की कमज़ोरियाँ:** यूक्रेन युद्ध के बाद भारत द्वारा तेल आयात में विविधता लाने से, जिसमें **वर्ष 2024 में भारत के कच्चे तेल के आयात का 55% हिस्सा रूस द्वारा पूरा किया जा रहा है,** खाड़ी देशों की हिस्सेदारी कम हो गई है।
  - जबकि मध्य पूर्व के तेल आयात में वर्ष 2023 के मध्य में वृद्धि हुई है, खाड़ी आपूर्तिकर्त्ताओं को प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे **भारत के ऊर्जा बाज़ार पर उनका पारंपरिक प्रभुत्व प्रभावित** हो रहा है।
    - **जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन साझेदारी** पर भारत का ध्यान, भारत के ऊर्जा परिदृश्य में खाड़ी की भूमिका को और कम कर सकता है।
- **व्यापार और FTA वार्ता में गतिरोध:** वर्ष 2022 में **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)** के साथ **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** के लिये वार्ता को पुनर्जीवित करने की घोषणाओं के बावजूद, टैरिफ कटौती और गैर-तेल व्यापार विविधीकरण पर असहमति के कारण प्रगति धीमी रही है।
  - GCC के साथ व्यापार **भारत के कुल व्यापार का 15.8%** है, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों को **मूल्य निर्धारण नीतियों** और **बाज़ार अभिगम प्रतिबंधों सहित बाधाओं का सामना** करना पड़ता है।
- **समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक अंतराल: जबकि भारत** अरब सागर में **समुद्री सुरक्षा** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समन्वित समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और क्षेत्रीय नौसैनिक साझेदारियों में अंतराल बना हुआ है, जिसका आंशिक कारण खाड़ी देशों की **अमेरिका के नेतृत्व वाली सुरक्षा रूपरेखा पर निर्भरता** है।
  - **लाल सागर और अदन की खाड़ी में तनाव** के प्रत्युत्तर में वर्ष 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा **12 जहाज़ों की तैनाती** भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा नीतियों पर इसके सीमित प्रत्यक्ष प्रभाव को भी उजागर करती है।
  - **संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास** जैसी पहल आगे की दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन यह पूरी तरह से एकीकृत **खाड़ी-भारत समुद्री सुरक्षा सहयोग** से पीछे है।
- **प्रवासी-संबंधी वीज़ा और रोज़गार नीतियाँ:** खाड़ी देश **सऊदी अरब के विज़न- 2030** और **UAE के अमीरातीकरण** जैसी **राष्ट्रीयकरण नीतियों को प्राथमिकता** दे रहे हैं, जिनका उद्देश्य भारतीयों सहित विदेशी श्रमिकों पर निर्भरता कम करना है।
  - इस बदलाव से **8.8 मिलियन भारतीय प्रवासियों की आजीविका को खतरा** है, जिनके द्वारा प्रतिवर्ष भेजी जाने वाली धनराशि **60 बिलियन डॉलर** है तथा जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण के लिये, **सऊदी अरब की नितकत नीति** के कारण वीज़ा नियम कड़े हो गए हैं, जिसके कारण कुछ भारतीय कामगारों को या तो स्वदेश लौटना पड़ा है या कम वेतन वाली नौकरियाँ करनी पड़ी हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसके अलावा, वेतन में विलंब और असुरक्षित कार्य स्थितियों के मामलों ने, विशेष रूप से **कतर में वर्ष 2022 फीफा विश्व कप के दौरान,** घरेलू और वैश्विक छंटनी को जन्म दिया है।

- **आर्थिक गलियारा और संपर्क प्रतिद्वंद्विता: जबकि भारत, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC)** में एक प्रमुख भागीदार है, **वहीं चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI)** पर खाड़ी देशों का ध्यान क्षेत्रीय संपर्क के लिये प्रतिस्पर्द्धात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है।
  - उदाहरण के लिये, **वर्ष 2024 में चीन के साथ सऊदी अरब का 50 बिलियन डॉलर का समझौता** इसकी रणनीतिक धुरी को रेखांकित करता है, जो बीजिंग के नेतृत्व वाली रूपरेखाओं से परे **विविधीकरण की भारत की प्राथमिकता के विपरीत** है।
  - इन प्रतिस्पर्द्धी गठबंधनों के कारण **IMEC जैसी संयुक्त पहल कमज़ोर** पड़ने और भू-राजनीतिक जटिलताओं के कारण कार्यान्वयन में विलंब होने का खतरा है।

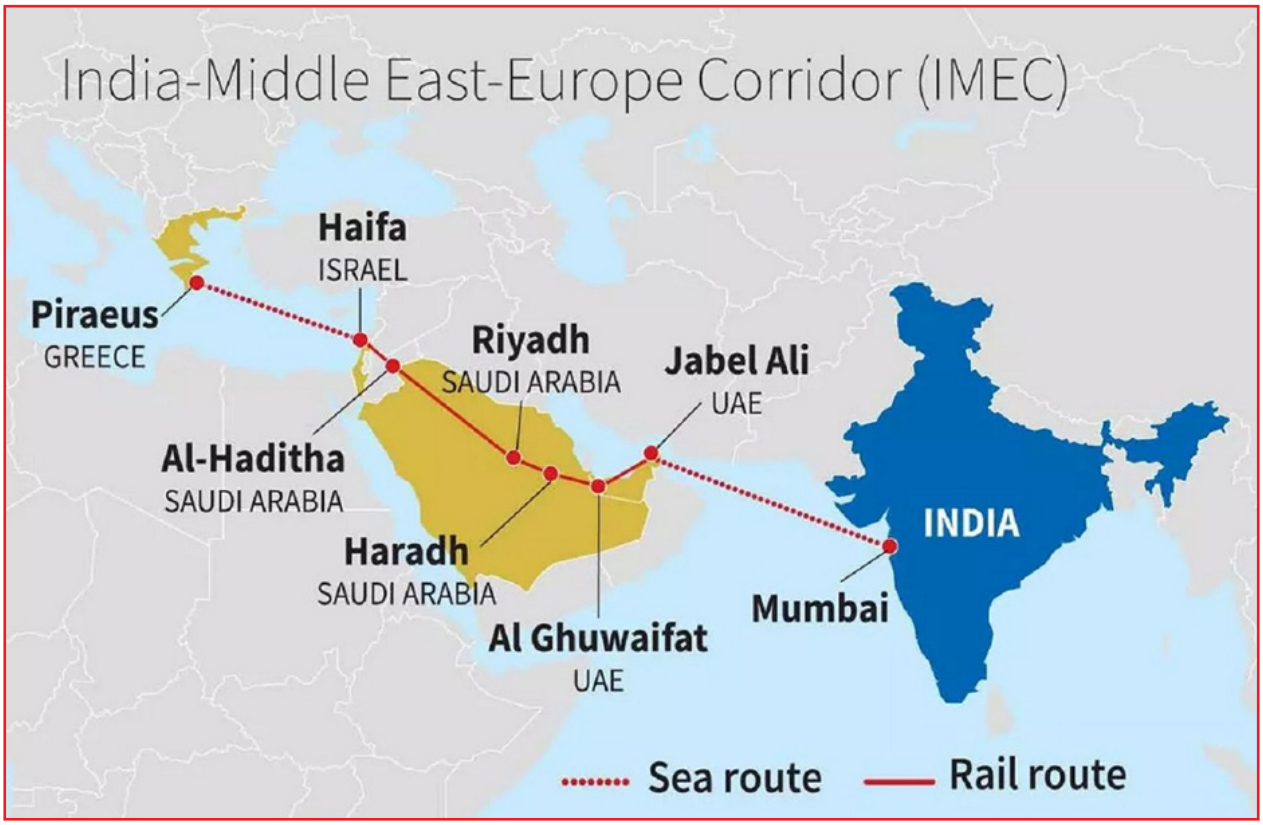

- **सीमा सुरक्षा और अवैध व्यापार:** यमन जैसे संघर्ष क्षेत्रों के साथ खाड़ी की निकटता के कारण भारत की समुद्री सीमाओं में **अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी** जैसी चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई हैं।
  - **समुद्री चौकियों** की निगरानी में भारत के प्रयासों के बावजूद, वर्ष 2022 जैसी घटनाओं में, 10 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही एक पाकिस्तानी नाव, हथियार, गोला-बारूद और **300 करोड़ रुपए मूल्य के 40 किलोग्राम मादक पदार्थों के** साथ, गुजरात तट पर रोक दी गई, जिससे खाड़ी भागीदारों के साथ समन्वित सुरक्षा प्रयासों में हुई कमी पर प्रकाश डाला गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- एक संरचित **GCC-भारत तस्करी विरोधी फ्रेमवर्क की कमी** इस क्षेत्र में कमज़ोरियों को और बढ़ा देती है।

- **खाद्य सुरक्षा और कृषि नीतियाँ:** खाड़ी देश खाद्य आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं, लेकिन भारत द्वारा **गेहूँ और चावल के निर्यात पर लगातार प्रतिबंध**, जैसा कि **वर्ष 2022 और 2023 के मुद्रास्फीति दबावों के दौरान** देखा गया है, संबंधों में तनाव उत्पन्न करता है।
  - उदाहरण के लिये, **वर्ष 2023 में** गैर-बासमती चावल के निर्यात पर भारत के प्रतिबंध **से खाड़ी बाज़ारों में व्यवधान** उत्पन्न हो गया, जो अपनी खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिये भारतीय खाद्य वस्तुओं पर निर्भर हैं।
  - दीर्घकालिक, स्थिर खाद्य व्यापार समझौते का अभाव अनिश्चितताओं को जन्म देता है, जिसका प्रभाव खाड़ी उपभोक्ताओं और भारतीय किसानों दोनों पर पड़ता है।

- **साइबर सुरक्षा और डिजिटल शासन:** खाड़ी देशों ने प्राय: **पश्चिमी मानकों को अपनाते हुए** या **चीन की डिजिटल पहलों के साथ सहयोग करते हुए,** विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात ने **साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क में काफी** प्रगति की है जो भारत के स्वदेशी दृष्टिकोणों के साथ संघर्ष कर सकते हैं।
  - डेटा स्थानीयकरण कानूनों और डिजिटल पारिस्थितिकी प्रणालियों पर सख्त नियंत्रण के लिये भारत का प्रयास, वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिये **खाड़ी देशों की मुक्त प्रणालियों पर निर्भरता के साथ टकराव** उत्पन्न करता है।
  - उदाहरण के लिये, **चीन के डिजिटल सिल्क रोड में संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों सहित भारत को शामिल न करना,** डिजिटल सहयोग में उभरते अंतराल को उजागर करता है।

खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **तेल से परे ऊर्जा सहयोग को गहन करना: क्रेता-विक्रेता संबंध** से ध्यान हटाकर ऊर्जा में सह-विकास मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, जैसे कि हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में संयुक्त उद्यम।
  - **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन** जैसी पहलों के तहत भारत के नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी अवसंरचना में निवेश करने के लिये **संयुक्त अरब अमीरात के मुबाडाला और सऊदी अरब के PIF जैसे खाड़ी संप्रभु धन कोषों (SWF)** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
    - उदाहरण के लिये, भारत **खाड़ी देशों** के साथ मिलकर **हरित हाइड्रोजन सुविधाओं का विकास कर सकता है,** जिससे उनकी वित्तीय पूंजी और सौर ऊर्जा में भारत की तकनीकी बढ़त का लाभ उठाया जा सके।
- **FTA के माध्यम से आर्थिक साझेदारी को मज़बूत करना: फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी** जैसे क्षेत्रों में व्यापार क्षमता के लिये खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता को गति दी जानी चाहिये।
  - **मुख्य खाद्य व्यापार स्थिरता** के लिये दीर्घकालिक रूपरेखा विकसित किया जाना चाहिये, **चावल और गेहूँ जैसे भारतीय निर्यात** पर निर्भर खाड़ी देशों के लिये निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
  - **भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA)** का उपयोग अन्य खाड़ी देशों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिये एक टेम्पलेट के रूप में कर सकता है।
- **समुद्री एवं रसद अवसंरचना का सह-विकास: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)** जैसी पहलों का लाभ उठाते हुए समुत्थानशील और कुशल समुद्री गलियारों के निर्माण पर खाड़ी देशों के साथ सहयोग किया जाना चाहिये।
  - आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने तथा अफ्रीका और यूरोप से संपर्क बढ़ाने के लिये प्रमुख खाड़ी बंदरगाहों **(जैसे, दुबई, जेद्दा)** में संयुक्त लॉजिस्टिक्स केंद्र स्थापित किया जाना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, **भारतीय IT विशेषज्ञता** और खाड़ी पूंजी का उपयोग करके स्मार्ट बंदरगाहों का सह-विकास आर्थिक एवं रणनीतिक अंतरनिर्भरता को मज़बूत किया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना: होर्मुज़ जलडमरूमध्य** जैसे महत्त्वपूर्ण **अवरोधक बिंदुओं की सुरक्षा करने** तथा **अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती से निपटने के लिये** संयुक्त नौसैनिक कार्य बलों की स्थापना करके समुद्री सुरक्षा पर सहयोग किया जाना चाहिये।
  - भारत की IT क्षमताओं और डिजिटल बुनियादी अवसंरचना में खाड़ी देशों के निवेश का लाभ उठाते हुए **साइबर खतरों का संयुक्त रूप से मुकाबला करने के लिये साइबर सुरक्षा समझौते** विकसित किया जाना चाहिये।
- **प्रवासी कूटनीति का लाभ उठाना: रोज़गार, धन प्रेषण और श्रम अधिकारों** जैसे मुद्दों को सहयोगात्मक रूप से हल करने के लिये **खाड़ी-भारत प्रवासी परिषद की** स्थापना की जानी चाहिये।
  - कुशल श्रमिकों की गतिशीलता के लिये द्विपक्षीय समझौतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों, जहाँ खाड़ी देशों को कमी का सामना करना पड़ रहा है, पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, **भारत की ई-माइग्रेट प्रणाली का दायरा** बढ़ाकर इसमें खाड़ी श्रम बाज़ार के पूर्वानुमानों को शामिल किया जाएगा, जिससे कुशल भारतीय श्रमिकों का सुगम प्रवाह संभव हो सकेगा।
- **स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल्स में सहयोग का विस्तार:** खाड़ी देशों में फार्मा हब का सह-विकास किया जाना चाहिये, जिससे संयुक्त उत्पादन सुविधाओं के माध्यम से **भारतीय जेनेरिक दवाओं और टीकों तक तेज़ी से पहुँच** सुनिश्चित हो सके।
  - भारतीय औषधि निर्यात के लिये विनियामक अनुमोदन को सरल बनाया जाना चाहिये, **खाड़ी-व्यापी स्वास्थ्य सेवा समझौते के तहत त्वरित मार्ग तैयार** किया जाना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, भारत पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी बाज़ारों की जरूरतों को पूरा करने के लिये **खाड़ी देशों में वैक्सीन विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित कर सकता है।**
- **खाद्य एवं जल सुरक्षा संबंधों को बढ़ाना:** कृषि-तकनीक समाधानों पर साझेदारी करना, जैसे कि **फसल विविधीकरण में भारतीय विशेषज्ञता का उपयोग करना तथा खाद्य उत्पादन** एवं आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ाने के लिये खाड़ी देशों से वित्तपोषण प्राप्त किया जाना चाहिये।
  - जल की कमी की साझा चुनौतियों का समाधान करते हुए, **अलवणीकरण और जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों** का सह-विकास किया जाना चाहिये।
  - भारत इन प्रयासों को **अरब प्रायद्वीप जैसे क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिये संयुक्त अरब अमीरात के जल गठबंधन के साथ सहयोग कर सकता है।**
- **जलवायु लक्ष्यों और स्थिरता पर समन्वय: कार्बन कैप्चर, सौर विलवणीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों** में सह-निवेश के लिये **खाड़ी-भारत स्थिरता मंच का** विकास किया जाना चाहिये।
  - भारत के ऊर्जा परिवर्तन और खाड़ी देशों की विविधीकरण रणनीतियों के साथ तालमेल बिठाते हुए, स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान, विशेष रूप से हाइड्रोजन और जैव ईंधन में पहल को संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, **भारत वृक्षारोपण** और रेगिस्तान को हरा-भरा बनाने की प्रौद्योगिकियों के विस्तार के लिये सऊदी अरब की हरित पहल में उसके साथ साझेदारी कर सकता है।
- **बहुपक्षीय सहभागिता को सुदृढ़ बनाना:** ऊर्जा मूल्य निर्धारण, जलवायु परिवर्तन और व्यापार में साझा हितों के समर्थन के लिये **G20, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)** जैसे वैश्विक मंचों पर खाड़ी देशों के साथ दृढ़ समन्वय का निर्माण किया जाना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, भारत की 2023 G20 अध्यक्षता और वैश्विक ऊर्जा प्रशासन पर सऊदी अरब एवं UAE के साथ साझेदारी ने गहन बहुपक्षीय संबंधों की संभावना को प्रदर्शित किया।
- **सांस्कृतिक और शैक्षिक कूटनीति - प्रमुख खाड़ी शहरों में BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी** जैसे भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना किया जाना चाहिये, ताकि त्योहारों, भाषा प्रशिक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को गहरा किया जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- खाड़ी देशों में भारतीय विश्वविद्यालयों की शाखाएँ खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाना चाहिये, जिससे भारतीय प्रवासियों और खाड़ी नागरिकों दोनों को लाभ मिल सके।
- उदाहरण के लिये, **STEM-केंद्रित शिक्षा कार्यक्रमों का सह-विकास** खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कौशल की कमी को दूर कर सकता है, साथ ही भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत-कुवैत संबंधों का रणनीतिक उन्नयन **भारत-खाड़ी संबंधों में एक परिवर्तनकारी चरण** को दर्शाता है, जो समकालीन चुनौतियों और अवसरों का संतुलन बनाने के लिये सदियों पुराने संबंधों का लाभ उठाता है। **ऊर्जा, व्यापार, रक्षा एवं प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके,** भारत और खाड़ी **वैश्विक व क्षेत्रीय गतिशीलता के साथ अपनी पूरी क्षमता का लाभ** उठा सकते हैं। जन-जन के बीच संबंधों को मज़बूत करना और साझा विकास लक्ष्यों को अपनाना उनकी साझेदारी में दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा।

■■■

जलवायु परिवर्तन से हरित अर्थव्यवस्था में उभरते अवसर

भारत जलवायु परिवर्तन से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें बाढ़ और कृषि अस्थिरता शामिल है, लेकिन इसके साथ ही **हरित आर्थिक परिवर्तन के लिये विशिष्ट अवसर** भी हैं। **वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा** के लक्ष्य और **हरित हाइड्रोजन एवं संवहनीय कृषि** में प्रगति के साथ, भारत विकासशील देशों के लिये एक मॉडल बन सकता है। हालाँकि, इसे प्राप्त करने के लिये **सीमित** वैश्विक जलवायु वित्त को देखते हुए **सार्वजनिक निधियों से परे अभिनव वित्तपोषण की आवश्यकता** है। बाधाओं के बावजूद, **नवीकरणीय ऊर्जा, संवहनीयता** और **शहरी समुत्थानशीलन** पर भारत का ध्यान इसके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है तथा एक हरित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिये वैश्विक मानक स्थापित कर सकता है।

हरित अर्थव्यवस्था क्या है?

- हरित अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जिसका उद्देश्य **पर्यावरणीय संवहनीयता, सामाजिक समावेशन** और **आर्थिक विकास को एक साथ बढ़ावा** देना है।
- **यह नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता** और **संवहनीय कृषि** जैसे हरित क्षेत्रों में निवेश करके पर्यावरणीय जोखिमों एवं पारिस्थितिकीय अभावों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इसका लक्ष्य रोज़गार सृजन, **जीवन स्तर में सुधार**, तथा पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम करते हुए सतत् विकास को बढ़ावा देना है।

जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता भारत की हरित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार परिवर्तन को प्रेरित कर रही है?

- **निरंतर आपदाओं के कारण नवीकरणीय ऊर्जा का अंगीकरण : बाढ़, हीट वेव्स और चक्रवातों** जैसी चरम जलवायु घटनाओं के प्रति भारत के बढ़ते जोखिम ने **ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित** कर दिया है तथा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के कारण सुभेद्यता को रेखांकित किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश बाढ़ के कारण ऊर्जा नेटवर्क सहित व्यापक बुनियादी अवसंरचना को **व्यापक नुकसान** हुआ।
- भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता केवल एक वर्ष में 13.5% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ **अक्तूबर 2024 में 203.18 गीगावाट** तक पहुँच गई, जो वर्ष **2030 तक 500 गीगावाट तक पहुँचने के लक्ष्य** का हिस्सा है।

- **कृषि में होने वाले नुकसान से स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहन:** जलवायु परिवर्तन से जुड़े अनियमित मानसून और **बढ़ते तापमान** ने **फसल की उपज व किसानों की आय पर भारी प्रभाव** डाला है।
  - जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष **2050 तक गेहूँ की उपज में 19.3%** तथा वर्ष **2080 तक 40% की कमी** आ सकती है, जबकि खरीफ मक्का की उपज में समान अवधि में **18% व 23% की कमी** आ सकती है, जिसमें क्षेत्रीय तथा समय के अनुसार महत्त्वपूर्ण भिन्नताएँ होंगी।
  - इस संवेदनशीलता ने **आंध्र प्रदेश** में परिशुद्ध कृषि, शून्य बजट प्राकृतिक कृषि और जलवायु-अनुकूल बीजों के लिये अंगीकरण जैसी पहलों को प्रेरित किया है, जिससे संवहनीय कृषि पद्धतियों के लिये बाज़ार का निर्माण हुआ है।
    - **अगस्त 2024** में, भारतीय प्रधानमंत्री ने **109 जलवायु-अनुकूल** और **जैव-फोर्टिफाइड** फसलों की किस्मों को लॉन्च करने की घोषणा की, जिनमें **34 क्षेत्र फसलें एवं 27 बागवानी फसलें** शामिल हैं।
- **समुद्र का बढ़ते स्तर से तटीय अनुकूलन परियोजनाओं को बढ़ावा:** भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण खतरे का सामना कर रही है, जिससे **मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में आजीविका एवं बुनियादी अवसंरचना को खतरा** हो रहा है।
  - एक हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि तटीय जलप्लावन के कारण वर्ष **2050 तक 36 मिलियन भारतीय विस्थापित** हो सकते हैं।
  - इसे कम करने के लिये, तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिये मैंग्रोव पहल (MISHTI) के तहत **मैंग्रोव वनीकरण** जैसी परियोजनाओं ने गति पकड़ी है, जो प्रकृति-आधारित समाधानों के माध्यम से भारत की हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के साथ संरेखित है।
- **हीटवेव-प्रेरित शहरी ऊर्जा दक्षता:** बढ़ते हीट वेव्स के कारण, भारत में वर्ष 2022 में **200 से अधिक हीटवेव दिन दर्ज किये गए,** जिससे शीतलन की मांग बढ़ गई है और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर दबाव बढ़ गया है।
  - बढ़ती हुई कमज़ोरियों ने शहरी क्षेत्रों को **हरित भवन संहिता** और **ऊर्जा-कुशल शीतलन प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण** के लिये प्रेरित किया है।
  - राष्ट्रीय शीतलन कार्य योजना (NCAP) जैसी पहलों का लक्ष्य वर्ष 2037-38 तक शीतलन ऊर्जा आवश्यकताओं को 20-25% तक कम करना है, जिससे शहरी आर्थिक विकास में स्थिरता को एकीकृत किया जा सके।
  - प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करती है, जबकि **नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात क्षेत्र** हरित विनिर्माण को बढ़ावा देते हैं।
- **जल की कमी से हरित नवाचारों को बढ़ावा:** भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता वर्ष **1951 में 5,177 m^3 से घटकर वर्ष 2022 में 1,486 m^3 रह गई** है, जलवायु-प्रेरित जल संकट ने अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और सौर ऊर्जा चालित सिंचाई जैसी हरित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है।
  - उदाहरण के लिये, भूजल प्रबंधन पर केंद्रित अटल भूजल योजना, **जल निकासी के लिये नवीकरणीय ऊर्जा समाधान** को बढ़ावा देती है।
- **जैवविविधता ह्रास से पारिस्थितिकी तंत्र आधारित समाधान:** जलवायु पैटर्न में परिवर्तन के कारण वनों की कटाई और जैवविविधता के ह्रास ने **आजीविका के लिये महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवाओं को प्रभावित किया** है।
  - भारत ने वर्ष 2030 तक **26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि के पुन: सृजन करने की प्रतिबद्धता** जताई है, जैसा कि

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

COP15 में वादा किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप **पारिस्थितिकी पर्यटन और कृषि वानिकी जैसी हरित अर्थव्यवस्था की पहल** को बढ़ावा मिला है, जिससे रोज़गार सृजन के साथ-साथ जलवायु जोखिमों से निपटने में भी मदद मिली है।

- **हरियाणा के गुड़गाँव में अरावली जैवविविधता पार्क** एक पुनर्स्थापित पारिस्थितिक हॉटस्पॉट के रूप में कार्य करता है जो मरुस्थलीकरण से लड़ते हुए जैवविविधता का पोषण कर रहा है।

- **जलवायु वित्त पहल को बढ़ावा देने वाले वित्तीय जोखिम:** लगातार जलवायु संबंधी आपदाओं ने वित्तीय कमज़ोरियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। भारत में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिये संचयी कुल व्यय वर्ष **2030 तक ₹85.6 लाख करोड़ (सत्र 2011-12 की कीमतों पर) तक पहुँचने का अनुमान** है।
  - हरित वित्त तंत्र, जैसे कि वर्ष 2023 में जारी किये जाने वाले 16,000 करोड़ रुपए मूल्य के सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और संधारणीय बुनियादी अवसंरचना को वित्तपोषित करते हैं, जो जलवायु अनुकूलन आर्थिक नीति का एक मुख्य घटक बन जाता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से जलवायु कार्रवाई में तीव्रता:** जलवायु परिवर्तन से प्रेरित स्वास्थ्य संकट, जैसे तापमान में वृद्धि के कारण **वेक्टर जनित रोगों में वृद्धि, स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि** कर रहे हैं।
  - अध्ययनों से पता चलता है कि प्रतिवर्ष लगभग **37.7 मिलियन भारतीय जल जनित रोगों से प्रभावित** होते हैं।
  - इसने भारत को हरित अवसंरचना समाधानों को अपनाने के लिये प्रेरित किया है, जैसे कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (अमृत), जो समुत्थानशील शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों पर केंद्रित है।
  - इसके अतिरिक्त, **नमामि गंगे कार्यक्रम** जैसी पहलों का उद्देश्य नदियों को साफ और पुनर्जीवित करना, जल प्रदूषण एवं उससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है।

हरित अर्थव्यवस्था की ओर भारत के कदम बढ़ाने में क्या बाधाएँ हैं?

- **अपर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना:** वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के भारत के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को **अपर्याप्त अवसंरचना** और **ग्रिड एकीकरण** के मुद्दों के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
  - वर्तमान में, भारत में ऑन-ग्रिड अक्षय ऊर्जा का प्रतिशत **केवल 28.04%** है। इसके अलावा, **ग्रिड कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC)** जैसी परियोजनाओं में विलंब नीतिगत लक्ष्यों और निष्पादन के बीच अंतर को उजागर करता है।
- **जीवाश्म ईंधन पर उच्च निर्भरता:** नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति के बावजूद, **भारत का 77% बिजली उत्पादन** (वित्त वर्ष 2023 तक) **कोयले से** होता है, जिससे जीवाश्म ईंधन से आर्थिक विकास को अलग करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
  - **कोयला मंत्रालय** ने समग्र कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है, जो **अगस्त 2024 तक 384.08 मिलियन टन (अनंतिम)** तक पहुँच गया है, जो भारत के ऊर्जा मिश्रण में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
  - कोयला संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे बंद करने के लिये एक **सुदृढ़ रणनीति का अभाव,** हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के प्रयासों को कमज़ोर करता है।
- **वित्तीय बाधाएँ और जलवायु वित्त का अभाव:** इस परिवर्तन के लिये बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है, NITI आयोग का अनुमान है कि ***शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये वर्ष 2070 तक 10.1 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।***
  - हालाँकि, हरित वित्तपोषण सीमित है, भारत का स्वच्छ ऊर्जा निवेश वर्ष **2022 में 17 बिलियन डॉलर** रहा।
  - वर्ष **2023 के लिये 16,000 करोड़ रुपए मूल्य का सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड** जारी करना एक अगला कदम है, लेकिन मांग के पैमाने को पूरा करने के लिये यह अपर्याप्त है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **नीतिगत एवं विनियामक अनिश्चितता:** नवीकरणीय ऊर्जा शुल्कों में लगातार परिवर्तन और अस्पष्ट विनियमन, हरित परियोजनाओं में निजी निवेश को बाधित करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, सौर आयात पर मूल सीमा शुल्क (BCD) **लगाए जाने के कारण सौर डेवलपर्स को नुकसान** उठाना पड़ा, जिससे **परियोजना लागत में 20-25% की वृद्धि** हुई।
  - ऐसी अनिश्चितता निवेशकों के विश्वास को कमज़ोर करती है और हरित पहल में विलंब करती है।
- **कार्यबल में परिवर्तन की चुनौतियाँ: कार्बन-प्रधान उद्योगों से हरित क्षेत्रों की ओर** संक्रमण से लाखों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, विशेष रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे कोयला-निर्भर राज्यों में।
  - त्वरित डीकार्बनाइज़ेशन से वर्ष 2050 तक **30 मिलियन से अधिक नौकरियाँ समाप्त हो सकती हैं।** सुदृढ़ कौशल विकास कार्यक्रमों की अनुपस्थिति श्रमिकों की हरित नौकरियों में बदलाव की **क्षमता को बाधित** करती है।
- **जन-जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन का अभाव:** शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च ऊर्जा अपव्यय के साथ, सतत् उपभोग प्रथाएँ अविकसित बनी हुई हैं।
  - ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद के अनुसार विद्युतीकृत घरों में से केवल एक-चौथाई ने ही ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के स्टार लेबल (मई, 2006 में शुरू) का व्यवहार किया है, तथा **ग्रामीण उपभोक्ताओं में तो इसकी जानकारी और भी कम है।**
  - सीमित जन जागरूकता अभियान और LED अंगीकरण के लिये **उजाला जैसे कार्यक्रमों** का अपर्याप्त क्रियान्वयन, **संक्रमण की गति को धीमा** कर देता है।
- **तकनीकी अंतराल और आयात पर निर्भरता:** विशेष रूप से **बैटरी भंडारण** और **सौर पैनलों** के लिये भारत का हरित प्रौद्योगिकी परिदृश्य, मुख्य रूप से **चीन से आयात पर बहुत अधिक निर्भर** है।
  - वित्त वर्ष 2024 में भारत का सौर क्षेत्र का आयात **7 बिलियन डॉलर** तक पहुँच गया, जिसमें से **3.89 बिलियन डॉलर अकेले चीन से** आया, जिससे भारत भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति भेद्य हो गया है।
  - **घरेलू विनिर्माण क्षमता का अभाव सौर विनिर्माण के लिये** सरकार की PLI योजना को कमज़ोर करता है, जिससे हरित प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता धीमी पड़ जाती है।
- **नवीकरणीय परियोजनाओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** विडंबना यह है कि जलवायु संबंधी कमज़ोरियाँ, जैसे कि **अनियमित मौसम** और **चरम घटनाएँ,** नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बाधित करती हैं।
  - उदाहरण के लिये, अप्रत्याशित पवन पैटर्न के कारण तमिलनाडु में पवन ऊर्जा उत्पादन सत्र 2023-24 की तुलना में **सत्र 2024-2025 में 5% कम होने का अनुमान** है।
  - इसी प्रकार, **बढ़ते तापमान के कारण सौर पैनलों की दक्षता कम** हो रही है, तथा अध्ययनों से पता चलता है कि प्रत्येक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण दक्षता में महत्त्वपूर्ण कमी आ रही है।
- **शहरीकरण और संसाधनों की कमी:** तीव्र शहरीकरण, जिसके वर्ष 2031 तक **600 मिलियन शहरी निवासियों के जुड़ने की उम्मीद** है, संसाधनों पर दबाव उत्पन्न करता है जो सतत् लक्ष्यों को कमज़ोर करता है।
  - खराब शहरी अपशिष्ट प्रबंधन, जहाँ केवल **22-28% ठोस अपशिष्ट का ही प्रसंस्करण** किया जाता है, पर्यावरणीय क्षरण का कारण बनता है।
  - स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत **परियोजनाओं में विलंब** हुआ है, जिससे हरित शहरी विकास में प्रगति सीमित हो गई है।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कार्बन सीमा कर:** यूरोपीय संघ की कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) **जैसी उभरती नीतियाँ** भारत के निर्यात, विशेष रूप से इस्पात और एल्यूमीनियम के लिये चुनौतियाँ खड़े करती हैं।
  - **CBAM से यूरोप को होने वाले भारतीय स्टील निर्यात का 15-40% हिस्सा** प्रभावित होगा। इससे आर्थिक और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष कर रही भारतीय कंपनियों के लिये प्रतिस्पर्द्धात्मक नुकसान की स्थिति उत्पन्न होगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **खंडित शासन और समन्वय अंतराल: पर्यावरण, ऊर्जा** और **वित्त** जैसे मंत्रालयों के बीच अंतर-विभागीय समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप प्राय: नीति कार्यान्वयन खंडित हो जाता है।
  - उदाहरण के लिये, **नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और राज्य विद्युत बोर्डों के बीच क्षेत्राधिकार का अतिव्यापन** नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में विलंब का कारण बनता है।
- **हरित प्रौद्योगिकियों में सीमित अनुसंधान एवं विकास निवेश:** नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों के लिये अनुसंधान एवं विकास पर भारत का व्यय **सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7%** है, जो जर्मनी और अमेरिका जैसे वैश्विक भागीदारों से बहुत कम है।
  - **वित्त पोषण की कमी से** हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण और कार्बन कैप्चर जैसे क्षेत्रों में **नवाचार धीमा** हो जाता है।
  - उदाहरण के लिये, भारत वैश्विक स्तर पर CO_2 का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक होने के बावजूद **कार्बन कैप्चर परियोजनाओं में पिछड़ रहा है।**
- **विद्युतीकरण लक्ष्यों में परिवहन चुनौतियाँ:** परिवहन क्षेत्र, जो **उत्सर्जन में 14% का योगदान** देता है, अपर्याप्त चार्जिंग बुनियादी अवसंरचना और उच्च वाहन लागत के कारण EV के लिये संक्रमण में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है।
  - वर्ष 2024 तक भारत में केवल 25,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन होंगे। इसके अलावा, **FAME-II योजना के तहत सब्सिडी बंद होने से** इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण की गति और भी धीमी हो गई है।
- **नवीकरणीय परियोजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण के प्रति सामाजिक प्रतिरोध:** भूमि संबंधी विवादों के कारण प्राय: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में विलंब होता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा फार्मों के लिये बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है।
  - उदाहरण के लिये, **राजस्थान में स्थित भड़ला सौर पार्क**, जो विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक है, को विस्थापन की चिंताओं के कारण स्थानीय समुदायों के विरोध का सामना करना पड़ा।

हरित अर्थव्यवस्था की ओर तेज़ी से बढ़ने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **ग्रिड आधुनिकीकरण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना का विस्तार: भारत को सौर और पवन** जैसे अस्थायी स्रोतों को एकीकृत करने के लिये ग्रिड अवसंरचना को उन्नत करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - **ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर** के अंतर्गत परिकल्पित **क्षेत्रीय ग्रिड-संतुलन प्रणालियों की** स्थापना से नवीकरणीय ऊर्जा के कम उपयोग की समस्या का समाधान हो सकता है तथा स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकती है।
  - **वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG)** पहल के साथ बढ़ा हुआ सहयोग निवेश को और बढ़ा सकता है तथा भारत को वैश्विक अक्षय ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है।
- **हरित प्रौद्योगिकियों के लिये घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना: उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना** के माध्यम से **सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के स्थानीय विनिर्माण को** बढ़ावा देने से आयात पर निर्भरता कम हो सकती है।
  - यह **सत्र 2025-26 तक 110 गीगावाट सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता** का उत्पादन करने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है, जिससे चीनी आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी।
  - इसे **मेक इन इंडिया पहल के साथ जोड़ने से** रोज़गार सृजन और हरित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।
- **नवीन तंत्रों के माध्यम से हरित वित्त को बढ़ावा देना: भारत को अधिक संप्रभु हरित बॉण्ड** जारी करके हरित वित्तपोषण तक पहुँच का विस्तार करना चाहिये।
  - **MSME के लिये ग्रीन क्रेडिट गारंटी फंड** की स्थापना से संवहनीय प्रथाओं को प्रोत्साहन मिल सकता है और उधार लेने की लागत कम हो सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) जैसे मंचों के माध्यम से निजी निवेश का एकीकरण बड़े पैमाने पर हरित परियोजनाओं के लिये संसाधन जुटा सकता है।

- **नवीकरणीय परियोजनाओं के लिये एकीकृत भूमि उपयोग नीतियाँ विकसित करना:** भूमि अधिग्रहण चुनौतियों से निपटने की दिशा में, **भारत को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु** एक एकीकृत नीति फ्रेमवर्क की आवश्यकता है जो पारिस्थितिक और सामाजिक चिंताओं में संतुलन बनाए रखे।
  - राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) को नवीकरणीय विकास के साथ जोड़ने से भूमि आवंटन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
  - **थार रेगिस्तान और गुजरात के शुष्क क्षेत्रों** जैसी बंजर भूमि का उपयोग सौर एवं पवन फार्मों के लिये करने से विस्थापन एवं पर्यावरणीय क्षति न्यूनतम हो जाती है।
- **इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार: चार्जिंग नेटवर्क और बैटरी रीसाइक्लिंग इकाइयों सहित सुदृढ़ EV बुनियादी अवसंरचना का निर्माण,** परिवहन क्षेत्र में संक्रमण की गति को तीव्र कर सकता है।
  - भारत को प्रतिवर्ष नए EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का लक्ष्य रखना चाहिये, **उन्हें ढाबों और पेट्रोल पंपों से जोड़ना चाहिये,** तथा शहरी एवं राजमार्ग नेटवर्क पर विशेष ध्यान देते हुए महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन देना चाहिये।
  - **FAME योजना को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम (वर्ष 2022)** के साथ जोड़ने से एक चक्रीय EV अर्थव्यवस्था बनाई जा सकती है, जिससे संधारणीयता को बढ़ावा मिलेगा और लिथियम-आयन सेल पर आयात निर्भरता कम हो सकती है।
- **जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना: परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)** के तहत **जैविक खेती और सूक्ष्म सिंचाई** जैसी संवहनीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने से जलवायु-अनुकूल कृषि में सुधार हो सकता है और उत्सर्जन में कमी आ सकती है।
  - इसे **जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचारों (NICRA) के साथ जोड़ने से** किसान जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे फसल हानि में कमी आएगी।
  - उदाहरण के लिये, **ड्रोन दीदी योजना** में प्रोत्साहित **ड्रोन का उपयोग करके परिशुद्ध कृषि,** संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित कर सकती है।
- **राष्ट्रीय कार्बन मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क की स्थापना: उत्सर्जन व्यापार योजना (ETS)** सहित एक व्यापक कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र को लागू करने से उद्योगों को कम कार्बन प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  - **गुजरात और महाराष्ट्र में पायलट ETS कार्यक्रमों** को राष्ट्रव्यापी मंच पर विस्तारित करने से प्रतिवर्ष एक बड़ी राशि प्राप्त हो सकती है, **जिससे अक्षय ऊर्जा** और **जलवायु अनुकूलन को वित्तपोषित** किया जा सकता है। **कार्बन मूल्य निर्धारण भारत को यूरोपीय संघ के CBAM** जैसे वैश्विक व्यापार फ्रेमवर्क के साथ भी जोड़ता है।
- **औद्योगिक प्रक्रियाओं में चक्रीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना:** भारत को अपशिष्ट को न्यूनतम करने के लिये निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में **चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं को** अपनाना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, **स्मार्ट सिटी मिशन के तहत निर्माण परियोजनाओं में 30% पुनर्चक्रित सामग्रियों के उपयोग को अनिवार्य** करने से **स्थायित्व को बढ़ावा** मिल सकता है।
  - **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम** जैसी पहलों के माध्यम से **अपशिष्ट प्रबंधन में स्टार्टअप** को प्रोत्साहित करने से नवाचार और रोज़गार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है।
- **शहरी हरित अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना:** स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हरित शहरी परियोजनाओं जैसे **ग्रीन रूफ्स, सोलर रूफटॉप** और **अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों का विस्तार** करके शहरों को समुत्थानशील बनाया जा सकता है।
  - इस मिशन को **राष्ट्रीय सौर मिशन के साथ एकीकृत** करने से, विशेष रूप से मेट्रो शहरों में, **रूफटॉप सोलर पैनल** के अंगीकरण को प्रोत्साहन मिल सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **सूरत की एकीकृत अपशिष्ट-से-ऊर्जा और सौर पहल** ने शहरी उत्सर्जन को कम कर दिया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **ज़मीनी स्तर पर ग्रीन मूवमेंट्स के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना:** पर्यावरण के लिये जीवनशैली (LiFE) जैसे कार्यक्रमों के तहत नागरिक-नेतृत्व वाली पहलों को बढ़ावा देने से **ज़मीनी स्तर पर हरित प्रथाओं को बढ़ावा मिल सकता है।**
  - इसमें संवहनीय उपभोग और अपशिष्ट पृथक्करण पर जागरूकता अभियान शामिल हैं।
  - **LiFE को स्वच्छ भारत मिशन** के साथ जोड़ने से व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा मिल सकता है, तथा सामुदायिक स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण में सुधार हो सकता है।
- **मैंग्रोव और आर्द्रभूमि पुनरुद्धार कार्यक्रमों का विस्तार:** भारत को कार्बन अवशोषण और तटीय अनुकूलन को बढ़ाने के लिये मैंग्रोव एवं आर्द्रभूमि पुनर्भरण करके प्रकृति-आधारित समाधानों को आगे बढ़ाना चाहिये।
  - आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिये **तटीय आवास और मूर्त आय के लिये मैंग्रोव पहल (MISHTI)** को महात्मा **गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)** के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
- **बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण समाधान में निवेश: लिथियम-आयन और सोडियम-आयन** जैसी उन्नत बैटरी भंडारण प्रौद्योगिकियों का विकास, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिये आवश्यक है।
  - **ऊर्जा भंडारण के लिये PLI योजना के अंतर्गत गीगाफैक्ट्रियों की स्थापना** से भारत की वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट भंडारण की अनुमानित मांग को पूरा किया जा सकता है।
  - टेस्ला और CATL जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ सहयोग करके **इस पहल को त्वरित** किया जा सकता है।
- **हरित कौशल कार्यबल का विकास करना: राष्ट्रीय हरित कौशल विकास मिशन** का शुभारंभ भारत के कार्यबल को नवीकरणीय ऊर्जा, EV और संधारणीय विनिर्माण में हरित अर्थव्यवस्था की नौकरियों के लिये तैयार कर सकता है।
  - इसे **स्किल इंडिया जैसे मौजूदा कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करने से** पारंपरिक उद्योगों के श्रमिकों को कुशल बनाया जा सकता है, **जिससे सुचारू परिवर्तन** संभव हो सकेगा।
  - उदाहरण के लिये, **झारखंड में कोयला क्षेत्र के श्रमिकों को सौर पैनल स्थापना के लिये प्रशिक्षण देने से** समावेशी अवसरों का सृजन हो सकता है।

निष्कर्ष:

भारत का **हरित अर्थव्यवस्था में संक्रमण केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं है, बल्कि सतत् विकास का मार्ग भी है,** जो सीधे संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) से जुड़ा हुआ है। SDG, विशेष रूप से **SDG7: किफायती और स्वच्छ ऊर्जा** और **SDG 13: क्लाइमेट एक्शन** भारत की हरित अर्थव्यवस्था की आकांक्षाओं के केंद्र में हैं। अक्षय ऊर्जा स्रोतों को आगे बढ़ाकर, हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देकर और संवहनीय कृषि को बढ़ावा देकर, भारत कृषि अस्थिरता से निपटते हुए तथा जलवायु जोखिमों को कम करते हुए **SDG7 में योगदान** देता है।

■■■

ग्रामीण समुत्थानशक्ति और विकास

भारत की 65% से अधिक आबादी गाँवों में निवास करती है, इसलिये ग्रामीण भारत की लचीलापन देश के भविष्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। **अनियमित मानसून** एवं **भूजल की कमी** से लेकर कृषि बाज़ार में उतार-चढ़ाव **और तेज़ी से हो रहे तकनीकी बदलाव** तक, भारतीय गाँवों को चुनौतियों के जटिल संजाल का सामना करना पड़ रहा है, जो सदियों पुरानी कृषि परंपराओं को खतरे में डाल रहा है। फिर भी, पूरे देश में केरल के कुदुम्बश्री आंदोलन **से लेकर** गुजरात की जल संरक्षण क्रांति तक, **ग्रामीण समुदाय उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता और नवाचार का प्रदर्शन** कर रहे हैं। भारत में **ग्रामीण समुत्थानशक्ति** बनाना **केवल कृषि संधारणीयता के संदर्भ में ही नहीं** है, बल्कि यह **विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सांस्कृतिक आधारशिला को संरक्षित करने** के संदर्भ में भी है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- **बुनियादी अवसंरचना का विकास:** PM ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और जल जीवन मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना के विस्तार से कनेक्टिविटी एवं आधारभूत सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है।
  - उन्नत बुनियादी अवसंरचना से बाज़ार तक अभिगम आसान होता है, स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिलता है और क्षेत्रीय असमानताएँ कम होती हैं।
  - पिछले 21 वर्षों में PMGSY के तहत **7 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण** किया गया है। ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में **सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये महत्त्वपूर्ण** हैं।
- **डिजिटल समावेशन और फिनटेक पैठ: स्मार्टफोन की बढ़ती सुलभता** और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस व **आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS)** जैसे प्लेटफॉर्म की सफलता वित्तीय समावेशन तथा ई-कॉमर्स को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बदल रही है।
  - **BharatNet** और **कम लागत वाले स्मार्टफोन** के माध्यम से सस्ती इंटरनेट अभिगम के कारण वर्ष 2023 में ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी भारत में खुदरा स्टोरों पर एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के लेनदेन में **118% की वृद्धि** हुई।
- **कृषि सुधार और संबद्ध गतिविधियाँ:** PM-किसान और राष्ट्रीय पशुधन मिशन जैसी योजनाओं के तहत कृषि व्यवसाय, बागवानी तथा मात्स्यिकी जैसे संबद्ध क्षेत्रों के लिये समर्थन से ग्रामीण आय में विविधता सुनिश्चित हुई है।
  - राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (eNAM) ने किसानों को उनकी उपज के लिये बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाया, जिससे **खेत से बाज़ार तक की दक्षता में वृद्धि** हुई।
  - **जनवरी 2024** तक कृषि को वितरित कुल ऋण राशि **₹22.84 लाख करोड़ थी,** जो बढ़े हुए निवेश को दर्शाती है।
- **ग्रामीण MSME और स्टार्ट-अप का उदय: स्टार्टअप इंडिया ग्रामीण कार्यक्रम व** मुद्रा योजना के माध्यम से नीतिगत समर्थन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के विकास को बढ़ावा दिया है।
  - ये पहल **ऋण और** कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, जिससे **उद्यमशीलता को बढ़ावा** मिलता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) **के 73वें दौर** के अनुसार, **कुल MSME में से 31% विनिर्माण क्षेत्र में** संलग्न हैं, जबकि **50% से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में संलग्न** हैं, जो स्थायी आजीविका का सृजन करते हैं।
- **विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा पहल: PM-कुसुम जैसी योजनाओं के तहत** विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने से ग्रामीण **ऊर्जा लागत एवं परंपरागत ईंधन पर निर्भरता कम हो गई है।**
  - **भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि** देखी गई, जो अक्तूबर 2024 तक 24.2 गीगावाट (13.5%) से **बढ़कर 203.18 गीगावाट तक पहुँच गई** और PM-कुसुम ने सौर पंपों तक पहुँच सुनिश्चित करके, इनपुट लागत को कम करके तथा कृषि स्थिरता को बढ़ाकर **2.46 लाख किसानों को लाभान्वित किया।**
- **स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण विस्तार:** आयुष्मान भारत **(हाल ही में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिये विस्तार)** और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिणामों एवं सामाजिक सुरक्षा में सुधार किया है।
  - गरीबों के लिये किफायती स्वास्थ्य देखभाल और बीमा ने उनकी जेब से होने वाले खर्च को कम कर दिया है, जिससे उनकी प्रयोज्य आय में वृद्धि हुई है।
  - मई 2023 में, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पर पहुँच गई, इस योजना के तहत कुल 61,501 करोड़ रुपए के व्यय के साथ **5 करोड़ अस्पताल में भर्ती होने का रिकॉर्ड** दर्ज किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **ग्रामीण पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत:** 'देखो अपना देश' पहल के तहत प्रोत्साहित ग्रामीण पर्यटन से भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाकर और विशेष रूप से ग्रामीण लघु उद्योगों से जुड़े GI टैग के माध्यम से राजस्व के नए स्रोतों का सृजन हो रहा है।
  - **राजस्थान और केरल** जैसे राज्यों ने इको-पर्यटन सर्किट विकसित किये हैं, जो घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं।
- **महिला सशक्तीकरण और स्वयं सहायता समूह:** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन **(NRLM) के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG)** ने आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर ग्रामीण समाज में बदलाव लाया है।
  - अब **8.7 करोड़ से अधिक महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा** हैं, तथा स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या **81 लाख से अधिक** हो गई है।
  - इस सशक्तीकरण से बेहतर **निर्णय लेने, बेहतर परिवार कल्याण** और **ग्रामीण घरेलू आय में वृद्धि** होती है।

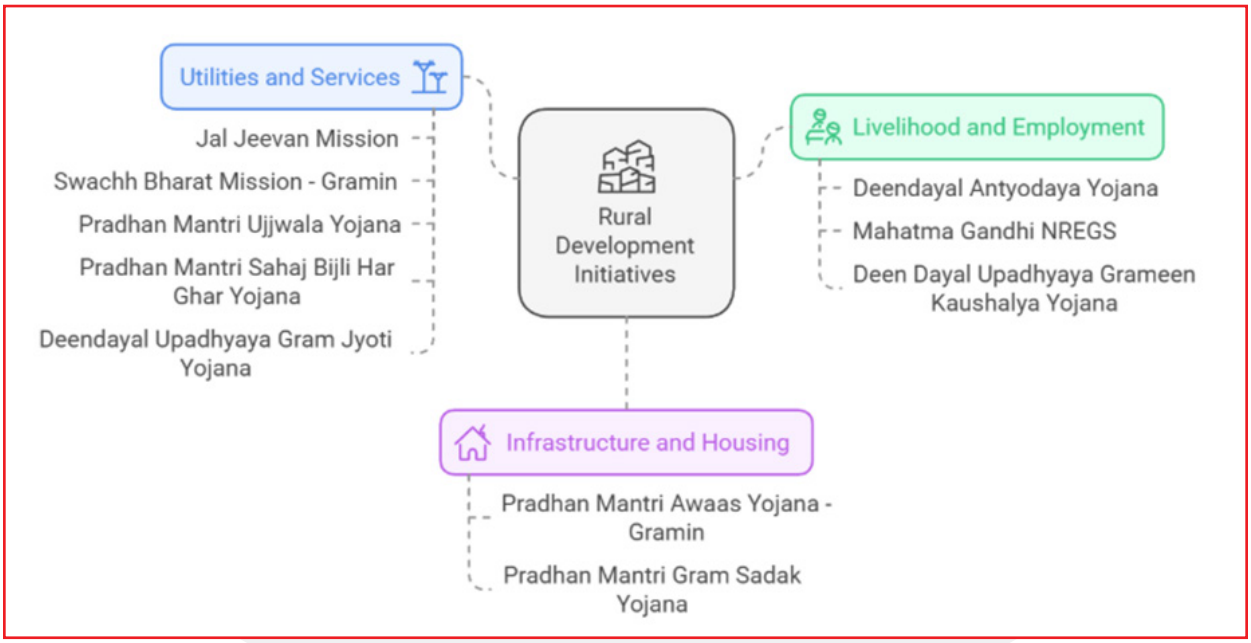

भारत के ग्रामीण परिदृश्य से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **कृषि संकट और निम्न आय स्तर:** भारत की **ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर बहुत अधिक निर्भर** है, फिर भी इस क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के कारण **खंडित भूमि जोत, कम उत्पादकता और अनियमित मौसम पैटर्न जैसी समस्याओं का सामना** करना पड़ रहा है।
  - सरकारी सहायता योजनाओं के बावजूद किसान घटती आय से जूझ रहे हैं।
  - **NABARD की रिपोर्ट** से पता चला है कि सत्र 2021-22 में सभी स्रोतों से एक कृषक परिवार की औसत मासिक आय सिर्फ **₹13,661** थी।
  - इसके अलावा, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान **सत्र 1990-91 में 35% की तुलना में वर्ष 2022 में घटकर 15% रह गया।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना:** ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, प्रशिक्षित पेशेवरों और जागरूकता की गंभीर कमी है, जिसके कारण स्वास्थ्य स्थितियाँ और भी बिगड़ जाती हैं।
  - **यहाँ तक कि आयुष्मान भारत जैसे प्रमुख कार्यक्रम भी** दूरदराज़ के क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना की कमी को पूरा करने में संघर्ष करते हैं।
  - एक सर्वेक्षण के अनुसार **भारत में केवल 25% अर्द्ध-ग्रामीण व ग्रामीण आबादी को** अपने इलाकों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है।
  - लगभग **75% स्वास्थ्य अवसंरचना और संसाधन** शहरी क्षेत्रों, जहाँ केवल 27% आबादी निवास करती है, में केंद्रित हैं **जिससे ग्रामीण आबादी वंचित रह जाती है।**
- **शैक्षिक असमानता और डिजिटल डिवाइड:** यद्यपि **समग्र शिक्षा अभियान** जैसी योजनाओं के तहत स्कूल नामांकन में सुधार हुआ है, ग्रामीण शिक्षा अभी भी **अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना, शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त डिजिटल अभिगम से ग्रस्त** है।
  - **प्रथम फाउंडेशन** की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि **14-18 वर्ष की आयु के लगभग 43% बच्चों को अंग्रेज़ी में वाक्य पढ़ने में कठिनाई** होती है।
    - इसके अतिरिक्त, ASER सर्वेक्षण में बताया गया है कि 25% ग्रामीण बच्चों को अपनी क्षेत्रीय भाषा में **कक्षा 2 स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने में कठिनाई** होती है तथा इंटरनेट की निरंतर सुलभता का अभाव ऑनलाइन शिक्षा तक अभिगम को बाधित करता है।
- **बेरोज़गारी और अल्प-रोज़गार:** मनरेगा जैसी योजनाओं के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से युवाओं में, उच्च बेरोज़गारी और प्रच्छन्न अल्प-रोज़गार की समस्या है।
  - मौसमी कृषि कार्य से नियमित आय नहीं हो पाती, जिससे शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन बढ़ जाता है।
  - **जून 2024 में** ग्रामीण बेरोज़गारी दर बढ़कर 9.3% हो गई (CMIE), जबकि **ग्रामीण कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा प्रच्छन्न रोज़गार से संघर्षरत** है।
- **सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता अभिगम का अभाव:** जल जीवन मिशन के तहत प्रगति के बावजूद, कई ग्रामीण परिवारों में अभी भी **स्वच्छ पेयजल और उचित स्वच्छता सुविधाओं तक निरंतर अभिगम का अभाव** है।
  - व्यवहारगत और बुनियादी अवसंरचना संबंधी कमियों के कारण कुछ क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रथा जारी है।
  - सितंबर 2023 तक, **67% से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल-जल सुविधा के माध्यम से स्वच्छ पेय जल उपलब्ध** हो चुका है। इसके अलावा, **12 भारतीय राज्यों** के भूजल में यूरेनियम का स्तर अनुमेय सीमा से अधिक है।
- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण:** ग्रामीण आजीविका जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है, जो **सूखे, बाढ़ और मृदा अपरदन** को बढ़ाता है, तथा कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिये खतरा उत्पन्न करता है।
  - निम्न स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन और निर्वनीकरण पर्यावरण संकट को बढ़ा रहे हैं।
  - हाल के वर्षों में मध्य भारत में व्यापक रूप से **अतिवृष्टि की घटनाओं में तीन गुना वृद्धि** देखी गई है, जिसके कारण विशेष रूप से **ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक सामाजिक-आर्थिक नुकसान** के साथ **आकस्मिक बाढ़ की घटनाओं में लगातार वृद्धि** हुई है।
- **सामाजिक असमानताएँ और लैंगिक विषमताएँ:** जाति आधारित भेदभाव, लैंगिक असमानता और सीमांत समुदायों के लिये अवसरों की कमी ग्रामीण भारत में व्यापक रूप से व्याप्त है।
  - महिलाओं को प्राय: **शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोज़गार तक सीमित अभिगम का सामना** करना पड़ता है।
  - WEF ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट- 2017 में कहा गया है कि भारत में औसतन **66% महिलाओं का काम अवैतनिक** है, उनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, जो वित्तीय वंचन को उजागर करता है।
- **वित्तीय अपवर्जन और ऋण संबंधी बाधाएँ:** औपचारिक ऋण की सुलभता एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि ग्रामीण परिवार प्राय: अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भर रहते हैं जो अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **MUDRA योजना** जैसी पहल के बावजूद, लघु और सीमांत किसानों को पर्याप्त संस्थागत ऋण सहायता नहीं मिल पाती है।
- वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऋण लेने वाले लघु और सीमांत किसानों (SMF) में से **59% (या 36 मिलियन) ने औपचारिक स्रोतों की ओर रुख किया**, जबकि **41% अभी भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर** हैं।

- **कमज़ोर स्थानीय शासन और नौकरशाही अकुशलता:** पंचायती राज संस्थाओं (PRI) में प्राय: ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये **धन, क्षमता और स्वायत्तता का अभाव** होता है।
  - भ्रष्टाचार और नौकरशाही की अकुशलता के कारण योजनाओं का लाभ मिलने में विलंब होता है।
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार और अकुशलता के कारण **ग्रामीण परिवारों के लिये निर्धारित खाद्यान्न को या तो अन्यत्र भेज दिया जाता है या इनकी कालाबाज़ारी होती है।**
    - उदाहरण के लिये, **उत्तर प्रदेश** में जाँच में एक घोटाला सामने आया, जिसमें स्थानीय अधिकारियों ने राशन दुकान मालिकों के साथ मिलीभगत करके वांछित लाभार्थियों को उनके हक से वंचित कर दिया।

ग्रामीण विकास और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **जलवायु-स्मार्ट कृषि (CSA) का विस्तार करना:** जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिये फसल विविधीकरण, कृषि वानिकी और परिशुद्ध खेती जैसी CSA प्रथाओं को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  - **PM-कुसुम** जैसी योजनाओं को स्थानीय सिंचाई समाधान और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, **गुजरात के बनासकाँठा ज़िले में किसान सौर ऊर्जा चालित सिंचाई** से कृषि कर रहे हैं, जिससे जल की बर्बादी कम हो रही है तथा फसल की उपज में भी सुधार हो रहा है।

- **ग्रामीण शासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण:** पारदर्शी निधि आवंटन और निगरानी हेतु **ई-ग्राम स्वराज** जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण शासन की दक्षता में सुधार करने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाये जाने की आवश्यकता है।
  - **डिजिटल इंडिया** पहल को पंचायती राज के साथ जोड़ने से जवाबदेही और सेवा वितरण में वृद्धि हो सकती है।
  - पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से **ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (MMP) का क्रियान्वयन** कर रहा है, जो **एक महत्त्वपूर्ण कदम** है।

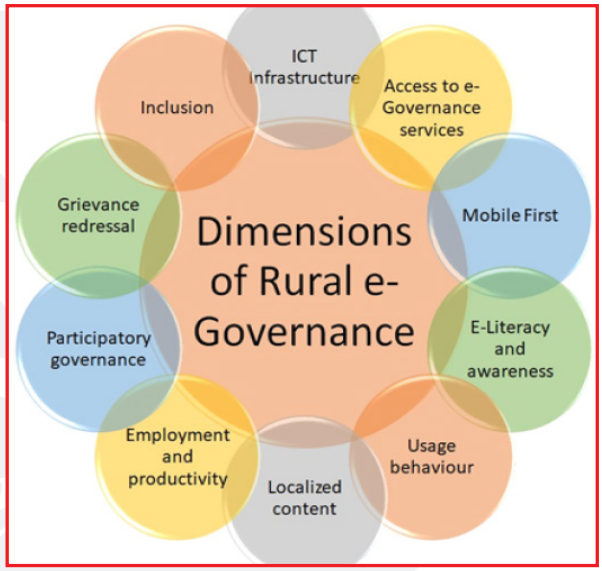

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को सुदृढ़ करना:** ग्रामीण-केंद्रित PPP मॉडल बनाकर कौशल विकास, बुनियादी अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।
  - **CSR पहल के तहत कंपनियों के साथ साझेदारी** करने से सरकारी योजनाओं का प्रभाव बढ़ सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **ITC की ई-चौपाल किसानों को बाज़ारों से जोड़ती है, जिससे किसानों को** ठीक समय पर बाज़ार जानकारी और गुणवत्तापूर्ण इनपुट उपलब्ध कराकर लाभ मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **एकीकृत ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना:** कृषि प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और इको-टूरिज़्म के लिये ग्रामीण केंद्र बनाकर विविध ग्रामीण उद्यमिता को समर्थन दिये जाने की आवश्यकता है।
  - **मुद्रा ऋणों को क्षमता निर्माण पहलों के साथ** जोड़ने से परिणाम बेहतर हो सकते हैं।
  - **राजस्थान में दस्तकार पहल,** जो ग्रामीण कारीगरों को राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाती है, ने उनकी **घरेलू आय में वृद्धि** की है।
- **स्थानीय जल प्रशासन को बढ़ावा देना:** जल संरक्षण परियोजनाओं जैसे **वाटरशेड प्रबंधन, वर्षा जल संचयन** और **विकेंद्रीकृत जल वितरण प्रणाली** को लागू करने के लिये **ग्राम पंचायतों एवं स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने** की आवश्यकता है।
  - महाराष्ट्र में **जलयुक्त शिवार अभियान** जैसी सफल परियोजनाओं को गति देने से **11,000 गाँवों का कायाकल्प हुआ,** भूजल स्तर बढ़ा और फसल विफलताओं में कमी आई।
- **ग्रामीण विकास में नवीकरणीय ऊर्जा को मुख्यधारा में लाना:** बिजली की मांग को स्थायी रूप से पूरा करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में सौर माइक्रो-ग्रिड, बायोगैस संयंत्र और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को लागू किये जाने की आवश्यकता है।
  - **PM-कुसुम** जैसी योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिये और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये।
  - **बिहार में धरनई** जैसे गाँव, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हैं, **आत्मनिर्भरता के मॉडल** हैं, जहाँ ऊर्जा विश्वसनीयता उद्यमिता और शिक्षा को बढ़ावा दे रही है।
- **कृषि विपणन प्रणालियों में सुधार:** किसानों के लिये डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर और भौतिक बाज़ार बुनियादी अवसंरचना का विस्तार करके **ई-नाम मंच को सुदृढ़** किये जाने की आवश्यकता है।
  - कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) के माध्यम से प्रत्यक्ष किसान-से-उपभोक्ता बिक्री मॉडल को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - **महाराष्ट्र में सह्याद्रि फार्म्स की सफलता**, जिसने बिचौलियों को समाप्त कर दिया और किसानों को उच्च आय प्रदान की, मज़बूत ग्रामीण विपणन सुधारों की क्षमता को दर्शाती है।
- **ग्रामीण परिवहन और संपर्क में परिवर्तन: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत ग्रामीण सड़क अवसंरचना का विस्तार** तथा बेहतर बाज़ार पहुँच के लिये बहुविध परिवहन प्रणाली को विकसित किये जाने की आवश्यकता है।
  - निर्बाध ई-कॉमर्स एकीकरण के लिये **BharatNet** जैसे डिजिटल बुनियादी अवसंरचना के साथ इसे पूरक बनाया जाना चाहिये।
  - **बिहार में भागलपुर रेशम केंद्र,** जो अब उन्नत सड़कों के माध्यम से सुलभ है, **के निर्यात में वृद्धि** देखी गई है, जो आजीविका पर कनेक्टिविटी के प्रभाव को दर्शाता है।
- **संधारणीय ग्रामीण आवास का विकास: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के अंतर्गत आधुनिक तरीकों के साथ स्थानीय सामग्रियों को मिलाकर आपदा-रोधी आवास प्रौद्योगिकियों को लागू किये जाने की आवश्यकता है।
  - ऊर्जा लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिये **हरित आवास डिज़ाइन को** बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - **वर्ष 2014 की बाढ़ के बाद कश्मीर में पर्यावरण अनुकूल कंक्रीट** का उपयोग करके पुनर्निर्मित किये गए गाँव अब भविष्य के जलवायु आपदाओं के प्रति प्रतिरोधी हैं तथा लागत प्रभावी और समुत्थानशील साबित हो रहे हैं।
- **ज़मीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रणाली का निर्माण:** ग्रामीण समुदायों को प्रशिक्षण, पूर्व चेतावनी प्रणाली और स्थानीय कमज़ोरियों के अनुरूप निकासी योजनाओं से सुसज्जित किये जाने की आवश्यकता है।
  - **राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)** का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया जाना चाहिये।
  - **ओडिशा के चक्रवात आश्रय नेटवर्क ने** सामुदायिक प्रशिक्षण के साथ मिलकर **वर्ष 2019 में चक्रवात फैनी के दौरान हजारों लोगों की जान बचाई,** जिससे सक्रिय आपदा प्रबंधन की प्रभावकारिता सिद्ध हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सहकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित करना:** ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण, विपणन और खरीद संबंधी कमियों को दूर करने के लिये सहकारी समितियों को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।
  - डिजिटल परिचालन और कौशल संवर्द्धन कार्यक्रमों के साथ उनके कामकाज़ को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिये।
  - **अमूल मॉडल- सहकारी समितियों** ने डेयरी क्षेत्र में **आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएँ** बनाई हैं, जिससे किसानों की आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित हुई है।
- **ज्ञान आधारित कृषि को बढ़ावा देना: किसानों को हाइड्रोपोनिक्स, जैविक कृषि और डिजिटल उपकरणों** जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिये गाँवों में ज्ञान केंद्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।
  - अनुसंधान-समर्थित समाधानों के लिये ये केंद्र **कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK)** से जोड़े जाने चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, **परिशुद्ध कृषि का प्रयोग करने वाले गाँवों ने उर्वरक का उपयोग कम कर दिया है,** जिससे लागत बचत और पर्यावरणीय लाभ सुनिश्चित हुआ है।
- **डिजिटल और हरित कौशल के साथ युवाओं को सशक्त बनाना: कौशल भारत मिशन** के तहत विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को हरित नौकरियों और डिजिटल अर्थव्यवस्था के अवसरों से परिचित कराये जाने की आवश्यकता है।
  - नवीकरणीय ऊर्जा, IT और लॉजिस्टिक्स में प्रमाणन के लिये निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की जानी चाहिये।
- **समावेशी सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना:** व्यापक ग्रामीण कल्याण के लिये **POSHAN अभियान** और **मिशन शक्ति जैसे स्वास्थ्य, पोषण और लिंग-केंद्रित कार्यक्रमों को एकीकृत** किये जाने की आवश्यकता है। **रियल टाइम मॉनिटरिंग** और **स्थानीय जवाबदेही के माध्यम से लास्ट-माइल डिलीवरी** सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।
  - **केरल कुदुम्बश्री मॉडल,** जो महिला समूहों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक कल्याण को एकीकृत करता है, ने राज्य में गरीबी एवं कुपोषण की दर को सफलतापूर्वक कम किया है।
- **ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को सुदृढ़ करना:** स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी अवसंरचना, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों और टेलीमेडिसिन में निवेश से ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में सुधार हो सकता है।
  - **आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (HWC) का विस्तार** कर उनमें निदान और विशेषज्ञ परामर्श की सुविधा शामिल करने से यह कमी दूर हो जाएगी।
  - **कर्नाटक में करुणा ट्रस्ट के टेलीमेडिसिन मॉडल** की सफलता दर्शाती है कि प्रौद्योगिकी-संचालित स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण समुत्थानशक्ति के लिये एक व्यापक समाधान है।
- **ग्रामीण शासन को मज़बूत बनाना: पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को अधिक स्वायत्तता** और संसाधनों के साथ सशक्त बनाना योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को बढ़ावा दे सकता है। PRI सदस्यों के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम, पारदर्शिता तंत्र के साथ मिलकर जवाबदेही में सुधार कर सकते हैं।
  - **पुणे में सहभागी शासन मॉडल** ने प्रदर्शित किया है कि समावेशी शासन किस प्रकार ग्रामीण विकास परिणामों को बेहतर करता है।

निष्कर्ष:

भारत में ग्रामीण समुत्थानशक्ति बनाना **देश के भविष्य के लिये आवश्यक है।** इसके लिये एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो **बुनियादी अवसंरचना के विकास, तकनीकी प्रगति और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण** को एकीकृत करता है। यद्यपि कृषि संकट और स्वास्थ्य बुनियादी अवसंरचना की कमी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, **भारत का ग्रामीण विकास पथ अभिनव समाधानों और नीति समर्थन के माध्यम से आशा प्रदान करता है।** सरकारी योजनाओं, निजी क्षेत्र की भागीदारी और समुदाय द्वारा संचालित पहलों के बीच तालमेल से अपार संभावनाएँ खुल सकती हैं।

■■■

भारत में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत

डिजिटल मुद्राओं के विकास ने **स्थिर सिक्कों के उद्भव** के साथ एक महत्त्वपूर्ण मोड़ लिया है, जो परंपरागत परिसंपत्तियों से जुड़े

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

होने के कारण **मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए क्रिप्टोकरेंसी के लाभ** प्रदान करते हैं। भारत में, डिजिटल वित्त का परिदृश्य दो समानांतर विकासों द्वारा परिवर्तित हो रहा है: **RBI की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (ई-रुपया)** और **रुपया-समर्थित स्थिर सिक्के**। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अनुसार, डिजिटल मुद्राएँ **लेन-देन की लागत को 50% तक कम** कर सकती हैं, जिससे वे व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों के लिये एक आकर्षक विकल्प बन जाती हैं। जैसा कि भारत इस महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, **ई-रुपया** और **रुपया-समर्थित स्थिर सिक्कों** का **सह-अस्तित्व** संभावित रूप से अधिक समावेशी एवं कुशल डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकता है, बशर्ते उचित नियामक निगरानी हो।

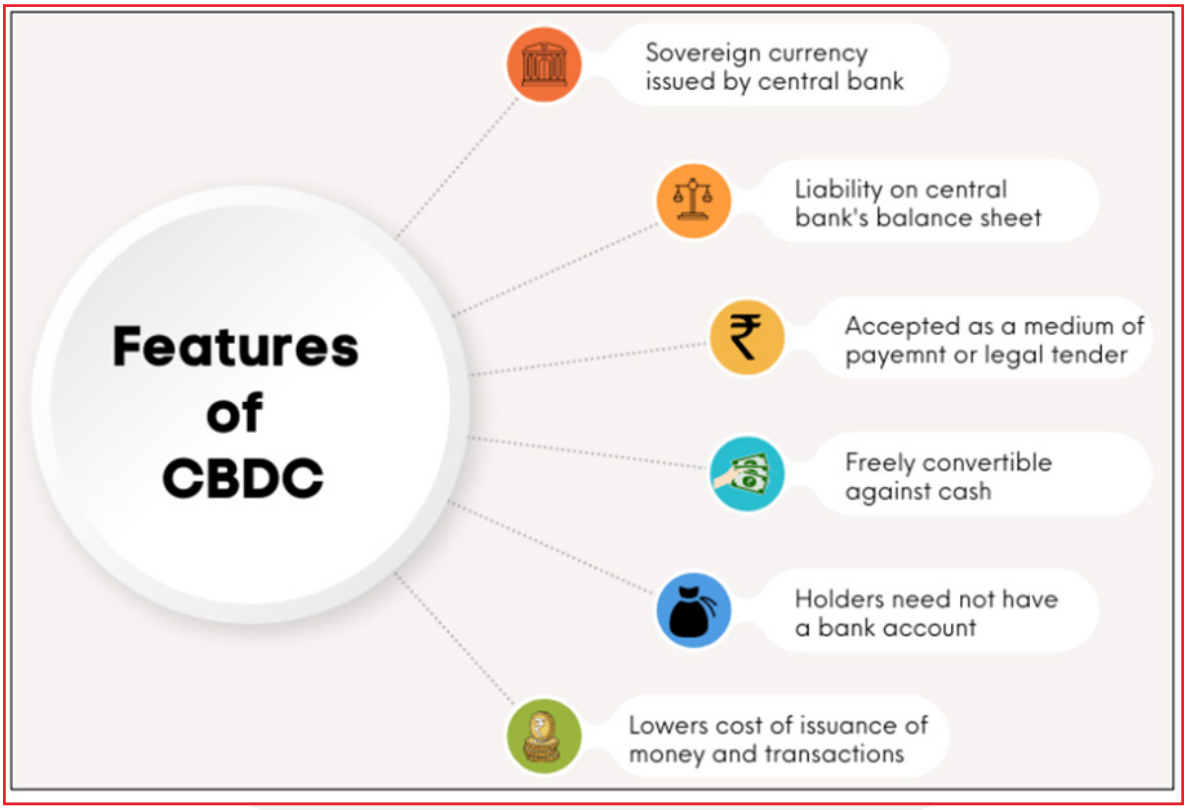

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है?

- **परिचय: सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)** किसी देश की फियेट करेंसी का डिजिटल रूप है, जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और विनियमित किया जाता है।
  - यह नकदी के लिये एक **सुरक्षित, निर्बाध** और **कुशल विकल्प** के रूप में कार्य करता है, जो मुद्रण, वितरण एवं भंडारण से जुड़ी लागतों को कम करता है, साथ ही जालसाज़ी तथा चोरी जैसे जोखिमों को भी कम करता है।
  - CBDC **वित्तीय समावेशन को बढ़ा सकते हैं, सीमा पार भुगतान को सुव्यवस्थित कर सकते हैं,** और **डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव का समर्थन कर सकते हैं,** क्योंकि उनका डिज़ाइन वित्तीय प्रणाली में व्यवधानों को न्यूनतम करने के लिये तैयार किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- CBDC (ई-रुपी) के प्रकार:
  - **खुदरा CBDC:** गैर-वित्तीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों सहित निजी क्षेत्र के उपयोगकर्त्ताओं के लिये डिज़ाइन किया गया।
    - खुदरा लेन-देन के लिये नकदी के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के रूप में कार्य करता है।
    - विशेषताएँ:
- केंद्रीय बैंक की प्रत्यक्ष देयता के रूप में कार्य करता है।
- 24/7 उपलब्धता के साथ सुरक्षित धन उपलब्ध कराता है।
- सटीक समय पर या लगभग ठीक समय पर भुगतान निपटान की सुविधा प्रदान करता है।
  - **थोक CBDC:** मुख्य रूप से अंतर-बैंक ट्रांसफर और थोक वित्तीय लेन-देन के लिये।
    - बॉण्ड निपटान और नॉस्ट्रो ट्रांसफर जैसी गतिविधियों के लिये उपयोग किया जाता है।
    - विशेषताएँ:
- चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं तक सीमित।
- सुरक्षा और दक्षता में सुधार करके निपटान प्रणालियों को उन्नत करता है।
- जारी करने का तरीका:

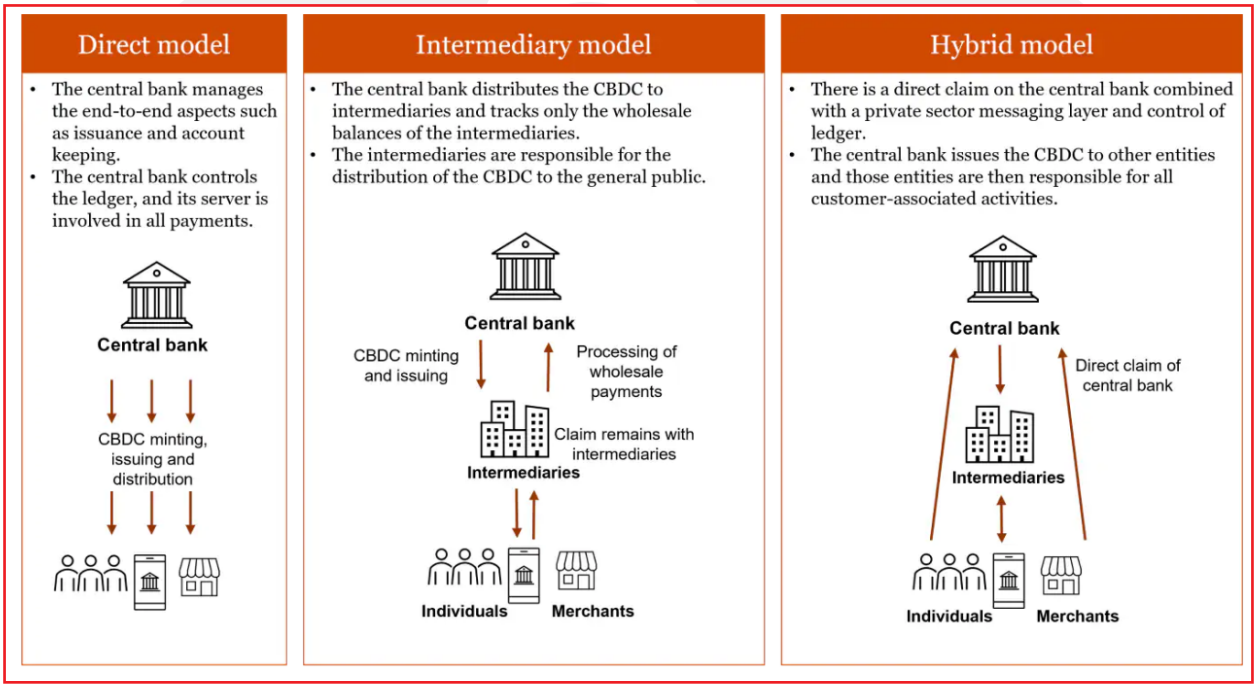

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के प्रमुख लाभ क्या हैं?

- **उन्नत वित्तीय समावेशन:** CBDC भौतिक बैंक शाखाओं पर निर्भरता को कम करके बैंकिंग सेवाओं से वंचित एवं अल्प बैंकिंग सुविधा वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मोबाइल आधारित डिजिटल वॉलेट** के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक आसानी से अभिगम किया जा सकता है।
- RBI ने अपर्याप्त या सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में लेन-देन को सक्षम करने के लिये **CBDC-R में ऑफलाइन कार्यक्षमता शुरू करने का भी प्रस्ताव** रखा।

- **लेन-देन लागत में कमी:** CBDC मध्यवर्तियों को खत्म करके **मुद्रण एवं परिवहन की घरेलू लागत को काफी कम कर सकता है।**
  - बाज़ार के अनुमान के अनुसार, वर्तमान में प्रत्येक 100 रुपए के नोट के लिये, चार वर्ष के जीवन चक्र में लागत लगभग **15-17 रुपए (प्रत्येक नोट पर 15-17%)** आती है। CBDC के साथ इसे निश्चित रूप से कम किया जा सकता है।
- **बेहतर मौद्रिक नीति कार्यान्वयन:** CBDC केंद्रीय बैंकों को **ठीक समय में धन प्रवाह की निगरानी करने की अनुमति** देता है, जिससे लक्षित चलनिधि इंजेक्शन जैसे सटीक नीति उपाय संभव हो पाते हैं।
  - इससे **जमाखोरी या कालाबाज़ारी** जैसी समस्याओं पर अंकुश लग सकता है, तथा नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2022 में अंतर-बैंक निपटान को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और चलनिधि प्रबंधन दक्षता को बढ़ावा देने के लिये अपने थोक **CBDC पायलट (e₹-W) का प्रदर्शन** किया।
- **पारदर्शिता में वृद्धि और अवैध गतिविधियों में कमी:** ट्रेस करने योग्य लेन-देन के साथ, CBDC धन की बेहतर निगरानी को सक्षम करके **भ्रष्टाचार, कर चोरी और वित्तीय अपराधों पर अंकुश** लगा सकता है।
  - वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) का अनुमान है कि **प्रत्येक वर्ष खरबों डॉलर** का धन शोधन होता है, तथा **वैश्विक अवैध वित्तीय प्रवाह का 1% से भी कम हिस्सा** ज़ब्त या अवरूद्ध किया जाता है।
  - CBDC **अधिक पारदर्शिता के माध्यम से एक महत्त्वपूर्ण हिस्से की वसूली** में मदद कर सकते हैं।
    - भारत में **ई-इनवॉयस प्रणाली** की शुरूआत इसी **कर-चोरी विरोधी दृष्टिकोण के अनुरूप** है।
- **सीमा पार भुगतान को बढ़ावा: CBDC सीमा पार भुगतान प्रणालियों** को आधुनिक एवं सुव्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे तेज़, सस्ता और अधिक सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन संभव हो सकेगा।
  - बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) **का मानना है कि CBDC धन प्रेषण लागत को कम कर सकते हैं।**
  - डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत का G20 प्रयास इस लक्ष्य को रेखांकित करता है, जिसमें वर्ष 2027 तक वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - **थाईलैंड, हॉन्गकॉन्ग और UAE को शामिल करते हुए M- CBDC ब्रिज परियोजना** ने दिखाया है कि CBDC किस प्रकार इन समस्याओं को लगभग तत्काल निपटान तक कम कर सकता है।
- **वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना:** CBDC की शुरुआत **नए भुगतान समाधानों** और **सेवाओं की मांग** उत्पन्न करके **फिनटेक नवाचार** को प्रोत्साहित करती है।
  - यह पारिस्थितिकी तंत्र विकास भारत में दिखाई दे रहा है, जहाँ UPI प्रणाली ने ई-कॉमर्स क्षेत्र **और** फिनटेक **में प्रगति** को प्रेरित किया है।
  - उदाहरण के लिये, CBDC **स्मार्ट शहरों में माइक्रोपेमेंट के लिये IoT के साथ एकीकृत** हो सकता है, जिससे भारत के स्मार्ट बुनियादी अवसंरचना के लक्ष्यों में तेज़ी आएगी।
  - वर्ष 2021 तक, भारत में **फिनटेक अंगीकरण की दर** विश्व में सबसे अधिक 87% है, जबकि वैश्विक औसत **64%** है एवं CBDC इस प्रवृत्ति को और भी बढ़ा सकता है।
- **आर्थिक समुत्थानशक्ति और संकट प्रबंधन: CBDC प्राकृतिक आपदाओं या महामारी** जैसे संकटों के दौरान एक सुदृढ़ विकल्प प्रदान करते हैं, जब भौतिक नकदी अप्राप्य हो सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण के लिये, **CBDC द्वारा संचालित डिजिटल वॉलेट** कल्याणकारी निधियों का निर्बाध वितरण सुनिश्चित कर सकते हैं।
- कोविड-19 के दौरान, **वैश्विक राहत कोषों की एक बड़ी संख्या को रसद नकदी मुद्दों के कारण विलंब का सामना** करना पड़ा। एक पूरी तरह कार्यात्मक CBDC प्रणाली भारत की मानवीय सहायता नीतियों के साथ संरेखित करते हुए ठीक समय में इन ट्रांसफर को त्वरित कर सकती थी।

- **वि-डॉलरीकरण के लिये समर्थन:** CBDC व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक प्रबंधन के लिये विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता को कम कर सकते हैं, जिससे आर्थिक संप्रभुता दृढ होगी।
  - उदाहरण के लिये, रूस द्वारा डिजिटल रूबल की शुरुआत, प्रतिबंधों के बीच अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की उसकी रणनीति का हिस्सा है।
  - भारत में, रुपया-आधारित सीमा-पार व्यापार के लिये **थोक CBDC के साथ RBI के पायलट प्रयास, भारत के रुपया-केंद्रित व्यापार समझौतों** (रुपया-रूबल समझौता) के अनुरूप, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के उसके उद्देश्य का समर्थन करते हैं।

CBDC से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- **साइबर सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: CBDC डिजिटल बुनियादी अवसंरचना पर साइबर हमलों** के जोखिम को बढ़ाते हैं, जिससे राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न होता है।
  - **केंद्रीकृत प्रणालियाँ हैकर्स** के लिये आकर्षक लक्ष्य होती हैं, जैसा कि **वर्ष 2020 के** सोलरविंड्स साइबर अटैक में देखा गया, जिसने महत्त्वपूर्ण वित्तीय प्रणालियों को प्रभावित किया।
  - डिजिटल अरेस्ट एवं **ऑनलाइन चोरी** की **बढ़ती घटनाएँ** इस मुद्दे को और बढ़ा देती हैं।
- **उच्च कार्यान्वयन और रखरखाव लागत:** CBDC बुनियादी अवसंरचना के विकास एवं प्रबंधन के लिये **महत्त्वपूर्ण वित्तीय निवेश** और **तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता** होती है।
  - ये लागतें **केंद्रीय बैंकों पर भार** डाल सकती हैं, विशेष रूप से उन विकासशील देशों पर जहाँ राजकोषीय गुंजाइश सीमित है और विकास संबंधी प्राथमिकताएँ प्रतिस्पर्द्धी हैं।
  - उदाहरण के लिये, eNaira के विकास और क्रियान्वयन में **सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया (CBN)** को भारी धनराशि खर्च करनी पड़ी।
- **वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव:** CBDC जमा राशि को **केंद्रीय बैंक खातों** में स्थानांतरित करके **पारंपरिक बैंकों के हस्तक्षेप को कम कर सकते हैं,** जिससे बैंकों की उधार देने की क्षमता कम हो सकती है।
  - बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इस बात पर प्रकाश डाला कि **CBDC की शुरूआत से बैंक जमा में 4% से 12% की कमी** आ सकती है, जिससे बैंकों के लिये चलनिधि की कमी हो सकती है।
  - इन चुनौतियों से निपटने के लिये बैंकों को **थोक बाज़ारों से उधार लेने के लिये बाध्य** होना पड़ सकता है, जिससे उनकी वित्तपोषण लागत बढ़ सकती है, या उनकी ऋण देने की गतिविधियाँ सीमित हो सकती हैं, जिससे आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **सीमित तकनीकी तत्परता:** CBDC के सफल क्रियान्वयन के लिये मज़बूत तकनीकी अवसंरचना की आवश्यकता होती है, जिसका कई देशों में अभाव है।
  - **वर्ष 2023 तक भारतीय जनसंख्या का 45%** या लगभग 665 मिलियन नागरिक अभी भी इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और केवल **25%** डिजिटल साक्षरता **(NITI आयोग) के साथ,** CBDC का अंगीकरण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- **सीमा-पार विनियामक चुनौतियाँ:** सीमा-पार भुगतान प्रणालियों में CBDC को एकीकृत करने में **विनियामक, तकनीकी** और **भू-राजनीतिक बाधाओं का सामना** करना पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **CBDC अंतर-संचालनीयता के लिये समान मानकों की कमी** वैश्विक व्यापार को जटिल बनाती है।
- उदाहरण के लिये, **M-CBDC ब्रिज परियोजना डिजिटल यूरो या डिजिटल रुपए से पूरी तरह अलग** है।

- **मैक्रो-इकॉनमिक जोखिम और डॉलरीकरण:** विकासशील देशों में, **यदि विदेशी CBDC स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर हावी हो जाते हैं, तो CBDC डॉलरीकरण जोखिम को बढ़ा सकते हैं।**
  - एक हालिया अध्ययन से संकेत मिलता है कि यदि पड़ोसी देश मज़बूत CBDC अपनाते हैं तो छोटी अर्थव्यवस्थाओं को इस जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
  - जैसा कि **बिटकॉइन अंगीकरण के संबंध में अल साल्वाडोर के अनुभव** में देखा गया है, इससे मौद्रिक संप्रभुता कमज़ोर हो सकती है।

रुपया-समर्थित स्टेबलकॉइन क्या है और यह CBDC को किस प्रकार पूरक बना सकता है?

- **रुपया-समर्थित स्थिर सिक्के:** रुपया-समर्थित स्थिर **सिक्के भारतीय रुपए (INR) से 1:1 अनुपात में जुड़े डिजिटल टोकन** हैं, जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों में रखे गए समकक्ष कोष द्वारा समर्थित हैं।
  - ये स्टेबलकॉइन ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर काम करते हैं, जिससे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीव्र और कम लागत वाले लेन-देन संभव होते हैं।
  - बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत, स्टेबलकॉइन का उद्देश्य मूल्य अस्थिरता को कम करना है, जबकि पारदर्शिता एवं सुरक्षा जैसे **डिजिटल मुद्राओं के लाभों को बनाए रखना** है। (उदाहरण-टूINR)।
- **CBDC के पूरक स्थिर सिक्के:**
  - **सीमा-पार व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना:** रुपया-समर्थित स्टेबलकॉइन **निर्बाध, कम लागत और त्वरित निपटान** को सक्षम करके सीमा-पार भुगतान चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं।
    - CBDC के पूरक के रूप में, स्टेबलकॉइन उन क्षेत्रों में अंतराल को कम कर सकते हैं जहाँ CBDC अंतर-संचालनीयता या वैश्विक मानकों का अभी विकास होना शेष है।
  - **निजी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना:** स्टेबलकॉइन्स विकेंद्रीकृत वित्त (DFI) और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के लिये **प्रोग्रामेबल मनी समाधान को सक्षम करके फिनटेक नवाचार को बढ़ावा** दे सकते हैं।
    - यह **माइक्रोपेमेंट** या **ब्लॉकचेन-आधारित व्यापार वित्त** जैसे विशिष्ट उपयोग मामलों का निपटान करके CBDC का पूरक बनता है, जिससे केंद्रीय बैंकों को प्रणालीगत स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।
    - दोहरी प्रणाली डिजिटल भुगतान में लचीलापन और मापनीयता सुनिश्चित करती है।
  - **डिजिटल एसेट इकोसिस्टम को जोड़ना:** स्टेबलकॉइन **पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों,** CBDC और बढ़ती डिजिटल एसेट अर्थव्यवस्था के बीच एक सेतु के रूप में कार्य कर सकते हैं।
    - भारत में, जहाँ ब्लॉकचेन का उपयोग बढ़ रहा है, **रुपया-समर्थित स्थिर सिक्के टोकनयुक्त परिसंपत्ति व्यापार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं,** जबकि CBDC मुख्यधारा के खुदरा और थोक लेन-देन का प्रबंधन करते हैं।
  - **प्रारंभिक CBDC रोलआउट में आकस्मिकता प्रदान करना:** चूँकि CBDC अभी भी पायलट चरण में हैं, इसलिये स्टेबलकॉइन डिजिटल भुगतान के लिये एक अस्थायी समाधान के रूप में काम कर सकते हैं।
    - वे **अभी तक अनकवर्ड कार्यक्षमताओं को प्रदान करके CBDC को पूरक कर सकते हैं,** जैसे कि अधिक गुमनामी या वैश्विक विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकरण।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत में CBDC को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **मज़बूत डिजिटल बुनियादी अवसंरचना का निर्माण:** डिजिटल बुनियादी अवसंरचना को मज़बूत किया जाना चाहिये, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, CBDC का अंगीकरण आवश्यक है।
  - **ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार के लिये BharatNet** जैसी पहलों में तेज़ी लाई जानी चाहिये।
  - चूँकि ग्रामीण भारत में केवल 25% लोग ही डिजिटल रूप से साक्षर हैं, इसलिये **सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से लक्षित प्रशिक्षण एवं बुनियादी अवसंरचना में निवेश** से इस अंतर को कम किया जा सकता है।
  - **निजी दूरसंचार ऑपरेटरों** के साथ सहयोग से लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को और बढ़ावा मिल सकता है।
- **साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना: CBDC प्रणालियों को खतरों से बचाने के लिये** एक व्यापक **साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क** विकसित करना आवश्यक है।
  - डिजिटल लेन-देन की सुरक्षा के लिये उन्नत **एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकियों** और **AI-आधारित निगरानी प्रणालियों** को लागू किया जाना चाहिये।
  - RBI ठीक समय पर खतरे का पता लगाने वाले तंत्र स्थापित करने के लिये **CERT-In के साथ सहयोग** कर सकता है।
- **मौजूदा वित्तीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के साथ एकीकरण:** CBDC को **वर्तमान बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों को बाधित नहीं करना चाहिये, बल्कि उनका पूरक बनना चाहिये।**
  - एक **स्तरीय CBDC मॉडल पेश किया जा सकता है,** जिसमें वाणिज्यिक बैंक **वितरण और खाता प्रबंधन के लिये मध्यस्थ** के रूप में कार्य करेंगे।
  - खुदरा CBDC लेन-देन के लिये UPI का लाभ उठाने वाला RBI का वर्तमान पायलट यह दर्शाता है कि मौजूदा प्लेटफॉर्म किस प्रकार निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, CBDC को **आधार और जन धन खातों** से जोड़ने से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सकता है। इस तरह के एकीकरण से अतिरेक कम होता है और संसाधन उपयोग में सुधार होता है।
- **सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना:** नागरिकों को CBDC के लाभों और उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिये एक व्यापक जागरूकता अभियान आवश्यक है।
  - RBI **और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** समझ बढ़ाने के लिये **कार्यशालाओं, ऑनलाइन मॉड्यूल** और सामुदायिक कार्यक्रमों पर सहयोग कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **DigiDhan मेला के माध्यम से डिजिटल भुगतान अंगीकरण** के लिये भारत के सफल अभियान को दोहराया जा सकता है।
- **ऑफलाइन CBDC क्षमताओं का निर्माण:** CBDC के लिये मज़बूत ऑफलाइन कार्यक्षमता विकसित करने से अपर्याप्त या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में पहुँच सुनिश्चित हो सकती है।
  - **NFC-सक्षम स्मार्ट कार्ड या मोबाइल वॉलेट** जैसी प्रौद्योगिकियाँ ऑफलाइन लेन-देन को आसान बना सकती हैं।
  - RBI **का ऑफलाइन खुदरा CBDC परीक्षण** सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। यह उपाय CBDC पारिस्थितिकी तंत्र में समावेशिता और समुत्थानशीलता सुनिश्चित करेगा।
- **अंतर-संचालनीयता मानकों की स्थापना:** CBDC को विश्व भर में मौजूदा भुगतान प्रणालियों और संभावित अंतर्राष्ट्रीय CBDC फ्रेमवर्क के साथ **समुत्थानशील और अंतर-संचालनीय** बनाया जाना चाहिये।
  - **सीमा-पार भुगतान पर G20 का रोडमैप** वैश्विक मानकों की आवश्यकता पर बल देता है; भारत अपने CBDC को इन मानकों के अनुरूप बनाने के प्रयासों का नेतृत्व कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **पारदर्शी कानूनी और नियामक फ्रेमवर्क विकसित करना:** **CBDC लेनदेन में देयता, कराधान और उपभोक्ता संरक्षण** जैसे मुद्दों को हल करने के लिये एक स्पष्ट कानूनी फ्रेमवर्क आवश्यक है।
  - **विश्व बैंक या BIS द्वारा तैयार किया गया सामान्य "CBDC डिज़ाइन सिद्धांत"** नियामक नीतियों के लिये मानक के रूप में काम कर सकता है।
  - **गोपनीयता की सुरक्षा के लिये** भारत के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को **CBDC फ्रेमवर्क में एकीकृत** किया जाना चाहिये।
    - ऐसी स्पष्टता कानूनी निश्चितता प्रदान करेगी और हितधारकों का विश्वास बढ़ाएगी।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का लाभ उठाना:** CBDC के विकास एवं कार्यान्वयन में निजी भागीदारों को शामिल करने से नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है और लागत कम हो सकती है।
  - उदाहरण के लिये, **फिनटेक कंपनियाँ उपयोगकर्त्ता-अनुकूल ऐप्लीकेशन** और भुगतान समाधान डिज़ाइन करने में मदद कर सकती हैं।
  - ब्लॉकचेन स्टार्टअप के साथ सहयोग से **सुरक्षा और परिचालन दक्षता** भी बढ़ सकती है। PPP स्केलेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं और कार्यान्वयन को बाज़ार की जरूरतों के अनुरूप रखते हैं।

■■■

भारत के आपदा सुरक्षा तंत्र का सुदृढ़ीकरण

वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई विनाशकारी सुनामी के लगभग 2 दशक बाद, जिसमें 230,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, भारत ने अपने **आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण** को बदल दिया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 के माध्यम से, इसने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल **की स्थापना** की, जो पीड़ित देश से क्षेत्रीय अग्रणी के रूप में विकसित हुआ है। फिर भी, इसकी विशाल तटरेखा, भौगोलिक विविधता और बढ़ती जलवायु सुभेद्यताओं के साथ निरंतर चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो **आपदा मोचन तंत्र में निरंतर सतर्कता** एवं **प्रगति की मांग** करती हैं।

भारत में आपदा प्रबंधन का दृष्टिकोण किस प्रकार विकसित हुआ है?

- **प्रारंभिक वर्ष: राहत-केंद्रित और प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण (1980 के दशक से पूर्व)**
  - **राहत और पुनर्वास पर ध्यान:** स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, भारत में आपदा प्रबंधन प्रतिक्रियात्मक राहत प्रयासों, जैसे कि **खाद्य वितरण, अस्थायी आश्रय** और **चिकित्सा सहायता तक सीमित** था।
    - इसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की होती है, जिन्हें बड़ी आपदाओं के दौरान केंद्रीय सहायता प्राप्त होती है।
    - **बिहार अकाल (वर्ष 1966-67)** और **वर्ष 1972 के सूखे** जैसी घटनाओं ने राहत वितरण में अकुशलता और निवारक उपायों की कमी को उजागर किया।
- **योजना और तैयारी की ओर संक्रमण (1980-2000 का दशक)**
  - **संस्थागत फोकस में वृद्धि: पर्यावरण विभाग (वर्ष 1980)** की स्थापना, जो बाद में पर्यावरण और वन मंत्रालय के रूप में विकसित हुआ, ने आपदा से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया।
  - **प्रमुख घटनाओं पर प्रतिक्रिया: सबसे भयावह औद्योगिक आपदाओं में से एक, भोपाल गैस त्रासदी (वर्ष 1984) ने** उद्योगों में सख्त सुरक्षा नियमों और आपदा प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
    - **आंध्र प्रदेश में चक्रवात (वर्ष 1990)** और **लातूर भूकंप (वर्ष 1993)** के कारण राहत समन्वय में सुधार हुआ, लेकिन रोकथाम व शमन सीमित रहा।
  - **राष्ट्रीय संगठनों का गठन:** वर्ष 1990 में, देश भर में चक्रवात चेतावनी गतिविधियों का समन्वय करने और क्षेत्रीय मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये **क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र-उष्णकटिबंधीय चक्रवात (RSMC-TC)** के रूप में कार्य करने के लिये नई दिल्ली में **चक्रवात चेतावनी निदेशालय की स्थापना** की गई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **आपदा प्रबंधन का संस्थागतकरण (2000 का दशक)**
  - **निर्णायक बिंदु के रूप में प्रमुख आपदाएँ: भुज भूकंप (वर्ष 2001) ने** शहरी नियोजन और बुनियादी अवसंरचना की सुरक्षा में भेद्यताओं को उजागर किया, जिससे तैयारियों में प्रणालीगत सुधारों को बढ़ावा मिला।
    - **हिंद महासागर में आई सुनामी (वर्ष 2004)** ने भारी तबाही मचाई, जिसके कारण भारत की आपदा प्रबंधन रणनीतियों में आमूलचूल परिवर्तन आया।
  - **आपदा प्रबंधन अधिनियम (वर्ष 2005) का अधिनियमन:** इस अधिनियम ने भारत में आपदा प्रबंधन को संस्थागत रूप दिया तथा एक समर्पित फ्रेमवर्क तैयार किया।
    - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की** स्थापना की गई, जिसमें **राज्य (SDMA)** और **ज़िला (DDMA) समकक्ष** शामिल हैं।
    - आपदा प्रबंधन के चार स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया: न्यूनीकरण, तैयारी, मोचन और पुनर्वास।

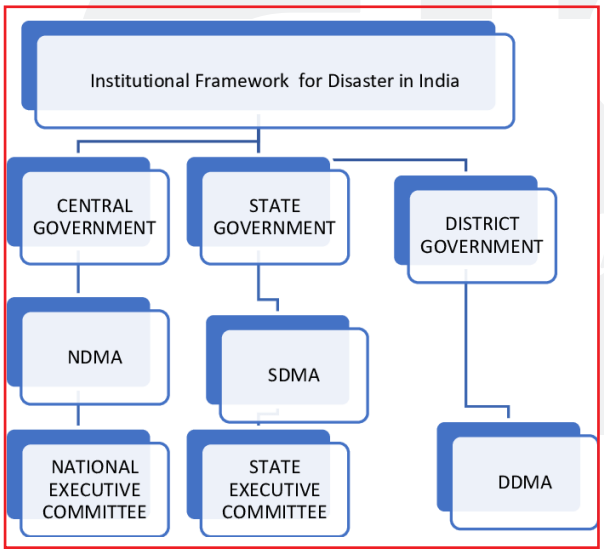

- **सक्रिय और समुत्थानशीलता-केंद्रित उपागम (वर्ष 2010-वर्तमान)**
  - **शमन और समुत्थानशक्ति की ओर संक्रमण: ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (वर्ष 2005-2015)** और **सेंदइ फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन (वर्ष 2015-2030)** जैसे वैश्विक फ्रेमवर्क के तहत जोखिम में कमी पर ज़ोर।
  - **प्रौद्योगिकी का संक्रमण: डॉपलर रडार, बाढ़ पूर्वानुमान** और **रियल टाइम डेटा साझाकरण शेयरिंग** जैसी उन्नत प्रणालियाँ।
  - **समुदाय-केंद्रित और समावेशी रणनीतियाँ: आपदा मित्र** और **स्कूल आपदा प्रबंधन योजना** जैसे कार्यक्रम स्थानीय समुदायों को प्रथम मोचनकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिये सशक्त बनाते हैं।
  - **वैश्विक सहयोग: भारत SAARC डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर** और **यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन** जैसे वैश्विक फ्रेमवर्क में योगदान देता है तथा उनसे लाभान्वित होता है।
    - **कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI)** में भागीदारी।
- **विकासशील फोकस क्षेत्र:**
  - **जलवायु-प्रेरित आपदाओं से निपटना:** जलवायु-संबंधी बढ़ते जोखिमों के कारण भारत ने आपदा प्रबंधन योजनाओं में जलवायु अनुकूलन को शामिल किया।
    - बाढ़ को कम करने के लिये **नमामि गंगे** जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत **मैंग्रोव पुनरुद्धार** जैसे **प्रकृति-आधारित समाधानों** पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - **शहरी आपदा प्रबंधन:** शहरी बाढ़ जैसे जोखिमों से निपटने के लिये **स्मार्ट सिटी मिशन** के अंतर्गत विकास फ्रेमवर्क में शहरी समुत्थानशक्ति को एकीकृत किया जा रहा है।
    - **वर्ष 2022 की बाढ़ के बाद बंगलुरु की बाढ़ प्रबंधन योजनाओं** में आर्द्रभूमि पुनर्भरण और स्टॉर्मवाटर अवसंरचना उन्नयन पर ज़ोर दिया गया है।

भारत के सामने प्रमुख आपदा चुनौतियाँ क्या हैं ?

- **जलवायु-प्रेरित आपदाओं में वृद्धि:** भारत जलवायु परिवर्तन के कारण **चरम मौसमी घटनाओं** की बढ़ती आवृत्ति का अनुभव कर रहा है, जिससे शमन फ्रेमवर्क में अंतराल उजागर हो रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- चक्रवात मोखा (वर्ष 2023) ने **सुंदरबन को प्रभावित किया,** जबकि हिमाचल प्रदेश (वर्ष 2023) में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण **10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान** हुआ, जो वनों की कटाई तथा अनियमित विकास के कारण और भी बढ़ गया।
- एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि **भारत को वर्ष 2023 में 365 दिनों में से 314 दिनों में चरम मौसमी घटनाओं का सामना करना पड़ा।**
  - **जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना की कमी** से मानवीय और आर्थिक दोनों तरह की भेद्यता बढ़ जाती हैं।

- **अव्यवस्थित शहरीकरण के परिणामस्वरूप शहरी बाढ़:** संधारणीय योजना के बिना तीव्रता से शहरी विस्तार ने शहरों को बाढ़ के हॉटस्पॉट में बदल दिया है।
  - तीव्र शहरीकरण के कारण शहरी बाढ़ की चुनौती बढ़ गई है, जिसके कारण **विकसित शहरों में जल स्तर 1.8 से 8 गुना तक बढ़ गया है।**
  - **वर्ष 2021 में चेन्नई में आई बाढ़,** पुरानी जल निकासी प्रणालियों और आर्द्रभूमि पर अवैध निर्माण के कारण हुई, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया तथा आर्थिक नुकसान हुआ।
  - वर्ष 2022 की **बंगलुरु बाढ़** मुख्य रूप से **नगर निकाय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण हुई,** जिसके परिणामस्वरूप झीलों, झील तलों, स्टॉर्मवाटर ड्रेन्स (**राजकालुवे**) और बफर ज़ोन पर व्यापक अतिक्रमण हुआ।
- **हिमालय की संवेदनशीलता और हिमनद-स्खलन:** पिघलते ग्लेशियर और अस्थिर हिमालयी भू-स्खलन और हिमनद झीलों आउटबर्स्ट जैसी उच्च-परिमाण वाली आपदाओं को जन्म दे रहे हैं।
  - केदारनाथ बाढ़ (**वर्ष 2013**) और **चमोली आपदा (वर्ष 2021)** ने अनियंत्रित जलविद्युत परियोजनाओं एवं निर्वनीकरण के कारण बढ़ते खतरों को उजागर किया।
  - वर्ष 1975 से 2000 तक हिमालय के ग्लेशियरों में प्रतिवर्ष औसतन 4 बिलियन टन बर्फ पिघल गई, जो **वर्ष 2000 से 2016 के बीच दोगुनी होकर 8 बिलियन टन प्रतिवर्ष** हो गई।
  - इससे न केवल आजीविका खतरे में पड़ती है, बल्कि लाखों लोगों की जल सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है।
- **औद्योगिक खतरे और बढ़ती रासायनिक आपदाएँ:** भारत में औद्योगिक सुरक्षा मानदंडों के लापरवाह क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप बार-बार औद्योगिक दुर्घटनाएँ हो रही हैं।
  - विजाग गैस रिसाव (**वर्ष 2020**) से 10,000 से अधिक लोग जहरीले धुएँ के संपर्क में आ गए, जबकि **लुधियाना गैस त्रासदी (वर्ष 2023)** ने खतरनाक सामग्रियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की कमी को उजागर किया।
  - सरकारी आँकड़ों से पता चलता है कि अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण **भारतीय कारखानों में प्रतिदिन** औसतन 3 श्रमिक अपनी जान गँवा देते हैं, तथापि **NDMA के रासायनिक आपदा मानकों का अभी भी,** विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में, लगातार **क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।**
- **कृषि संबंधी भेद्यताएँ और सूखे का खतरा:** अनियमित मानसून, गर्म हवाएँ और भू-जल में कमी ने सूखे की स्थिति को और गंभीर कर दिया है, जिससे **भारत की कृषि अर्थव्यवस्था असंतुलित** हो गई है।
  - वर्ष 2022 के **लातूर सूखे** में फसलें बर्बाद हो गईं। **लातूर में 60% से अधिक लोग** खेती-बाड़ी में लगे हैं, जिससे सूखा एक गंभीर मुद्दा बन गया है
  - वर्ष **2030 तक 40% भारतीयों के पास पीने योग्य शुद्ध जल नहीं** होगा (NITI आयोग)। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) **जैसी योजनाओं के बावजूद,** सिंचाई का बुनियादी अवसंरचना और वर्षा जल संचयन अपर्याप्त है।
- **वनाग्नि और कार्बन सिंक की क्षति:** जलवायु परिवर्तन और मानव-प्रेरित कारकों के कारण भारत में वनाग्नि की आवृत्ति और तीव्रता दोनों में वृद्धि हो रही है।
  - भारत वन स्थिति रिपोर्ट (**ISFR**)- **2023** से पता चला है कि अकेले उत्तराखंड में **नवंबर 2022 से जून 2023 के** दौरान **5,351 वनाग्नि की घटना** दर्ज की गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **ओडिशा (वर्ष 2021) में सिमलीपाल की वनाग्नि** 10 दिनों से अधिक समय तक चली, जिससे लगभग एक तिहाई क्षेत्र प्रभावित हुआ।

- **आपदाओं के बाद स्वास्थ्य संकट:** आपदाओं से **सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात-स्थितियाँ और भी गंभीर हो जाती हैं,** जिससे स्वच्छता व्यवस्था बाधित हो जाती है, जल आपूर्ति दूषित हो जाती है, तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियाँ कमज़ोर हो जाती हैं।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2018 की **केरल बाढ़** के बाद जलजनित बीमारियाँ बढ़ गईं, जिनमें **लेप्टोस्पायरोसिस** और **हैजा** सबसे आम थे।
  - मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों की सीमित तैनाती और आपदा मोचन के लिये धीमी प्रतिक्रिया समय, आपदा स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी अवसंरचना में स्पष्ट अंतराल को उजागर करते हैं।
- **कमज़ोर पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ और समन्वय विफलताएँ:** यद्यपि तकनीकी प्रगति ने पूर्वानुमान में सुधार किया है, फिर भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी में अंतराल गंभीर बना हुआ है।
  - **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) रिपोर्ट-2023** में बताया गया है कि भारत पूर्व चेतावनी प्रणाली प्रभावशीलता के मामले में 21 देशों में से 14वें स्थान पर है, तथा जोखिम ज्ञान, अवलोकन, पूर्वानुमान, चेतावनी, प्रसार और तैयारी में इसे औसत से भी कम अंक प्राप्त हुए हैं।
- **आपदाओं में लैंगिक और सामाजिक असमानताएँ:** आपदाएँ मौजूदा सामाजिक भेद्यताओं को बढ़ाती हैं, जिसमें महिलाएँ, बच्चे एवं सीमांत समूह असमान रूप से प्रभावित होते हैं।
  - उदाहरण के लिये, अम्फान और यास जैसे चक्रवातों के बाद **प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को तस्करों द्वारा निशाना बनाया गया** तथा समुदायों के पुनर्वास के लिये संघर्ष करने के कारण सामाजिक असमानताएँ और भी बदतर हो गईं।
- **संस्थागत फ्रेमवर्क और वित्तपोषण में अंतराल:** भारत का आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क **सक्रिय होने के बजाय प्रतिक्रियात्मक** बना हुआ है, तथा इसमें शमन प्रयासों के लिये वित्तपोषण अपर्याप्त है।
  - सत्र 2021-22 से सत्र 2025-26 तक NDRMF के लिये कुल ₹68,463 करोड़ आवंटित किये गए हैं, जिसमें से 80% राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के लिये तथा **केवल 20% राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के लिये** रखा गया है।
  - लापरवाह संस्थागत उत्तरदायित्व और खंडित नीतियाँ प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशक्ति निर्माण में बाधा डालती हैं।

आपदा प्रबंधन में भारत अन्य देशों से क्या सीख सकता है?

- **जापान की भूकंप संबंधी तैयारी:** जापान के **सख्त भवन नियम, बुनियादी अवसंरचना का नवीनीकरण** और **नियमित भूकंप अभ्यास** भूकंपीय घटनाओं के दौरान न्यूनतम हताहत आँकड़ा सुनिश्चित करते हैं।
  - भारत हिमालय जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के भूकंपीय सुरक्षा मानदंड अपना सकता है।
- **बांग्लादेश का चक्रवात प्रबंधन: बांग्लादेश की कुशल निकासी रणनीतियों** ने चक्रवात से संबंधित मौतों में भारी कमी की है। भारत तटीय क्षेत्रों में समुदाय-आधारित आपदा नियोजन में सुधार कर सकता है।
- **नीदरलैंड का बाढ़ प्रबंधन:** नीदरलैंड में समुद्र से आने वाले तूफानी लहरों से सुरक्षा के लिये **तटबंधों, बांधों और बाढ़द्वारों का एक नेटवर्क** है।
  - भारत के शहरी बाढ़ प्रबंधन को मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में इन समाधानों को अपनाने से लाभ मिल सकता है।
- **दक्षिण कोरिया का तकनीकी एकीकरण:** दक्षिण कोरिया में **एजेंसियों के बीच आपदा मोचन समन्वय के लिये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म** का उपयोग किया जाता है। भारत बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय के लिये केंद्रीकृत कमांड सिस्टम अपना सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **स्वीडन की जलवायु अनुकूलन:** स्वीडन की सक्रिय जलवायु अनुकूलन नीतियों में शहरी नियोजन के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना शामिल है।
  - भारत अपने **स्मार्ट सिटी मिशन** को जलवायु अनुकूल रणनीतियों के साथ संरेखित कर सकता है।

आपदा समुत्थानशीलता और न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण: भारत को जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना में निवेश करने की आवश्यकता** है जो चक्रवात, बाढ़ और हीटवेव्स जैसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना कर सके।
  - **तटीय क्षेत्रों में हरित भवन, बाढ़ प्रतिरोधी शहरी जल निकासी प्रणालियाँ** और चक्रवात रोधी आवास विकसित करना आवश्यक है।
  - उदाहरण के लिये, **ओडिशा के चक्रवात आश्रय स्थलों** ने अनगिनत लोगों की जान बचाई है, यह एक ऐसा मॉडल है जिसे पूरे देश में अपनाया जा सकता है।
  - **स्मार्ट सिटी मिशन को जलवायु-अनुकूलन हेतु योजना** के साथ एकीकृत करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि शहरी विकास आपदा न्यूनीकरण लक्ष्यों के अनुरूप हो।
- **समुदाय-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (CBDRR) का कार्यान्वयन: स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं आपदा तैयारी अभ्यास** के माध्यम से जोखिमों का प्रबंधन करने के लिये सशक्त बनाया जाना चाहिये।
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम **(MGNREGA) को समुदाय-आधारित जोखिम मानचित्रण** के साथ संयोजित करके तटबंधों और चेकडैम जैसी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा सकता है।
- **शहरी और ग्रामीण बाढ़ से निपटने के लिये एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM):** जल प्रबंधन के लिये एकीकृत दृष्टिकोण से बाढ़ और सूखे की चुनौतियों का एक साथ समाधान किया जा सकता है।
  - इसमें **आर्द्रभूमि का पुनर्भरण** करना, **शहरी वर्षा जल संचयन प्रणालियों का निर्माण** करना और **नदियों के किनारे तटबंधों का सुदृढ़ीकरण** शामिल है।
  - **नमामि गंगे** को **शहर स्तरीय बाढ़ रोकथाम योजनाओं के साथ एकीकृत** करने से शहरी बाढ़ की समस्या से निपटा जा सकता है, साथ ही नदी की स्थिति को भी बेहतर बनाया जा सकता है।
- **प्रौद्योगिकी के साथ प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का आधुनिकीकरण:** भारत को प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिये **AI, IoT** और **भू-स्थानिक मानचित्रण** जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिये।
  - मोबाइल अलर्ट को **स्थानीय भाषा समर्थन** के साथ एकीकृत करने के लिये **कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP)** के दायरे का विस्तार करने से अंतिम-मील संचार को बढ़ाया जा सकता है।
  - उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिये **ISRO की उपग्रह क्षमताओं** का **AI-संचालित मॉडल के साथ मिलकर** लाभ उठाना आपदा मोचन समय को कम कर सकता है।
- **भूकंपीय क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और भवन संहिताओं को लागू करना: भारत को भूकंपीय सुरक्षा संहिताओं** के साथ कड़े अनुपालन को लागू करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों और **हिमालय जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में।**
  - **पुरानी संरचनाओं,** विशेषकर स्कूलों और अस्पतालों का नवीनीकरण करने से भूकंप के दौरान होने वाली हताहतों की संख्या को कम किया जा सकता है।
  - ऐसे प्रयासों को **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के साथ जोड़कर** यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किफायती आवास आपदा-रोधी मानदंडों का पालन करें।
- **आपदा से होने वाले नुकसान के लिये बीमा कवरेज को बढ़ाना: किसानों, छोटे व्यवसायों और कमज़ोर आबादी** के लिये अनुकूलित सूक्ष्म बीमा योजनाएँ विकसित करने से आपदाओं के बाद होने वाले वित्तीय नुकसान को कम किया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** के तहत फसल बीमा को शीघ्र भुगतान के लिये पैरामीट्रिक बीमा मॉडल के साथ जोड़ने से समय पर राहत मिल सकती है।
- **जन धन खातों के अंतर्गत वित्तीय समावेशन एजेंडे में आपदा बीमा** को एकीकृत करने से व्यापक कवरेज सुनिश्चित हो सकती है, विशेष रूप से बार-बार होने वाली आपदाओं से ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में।

- **स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से शहरी आपदा तैयारी को सुदृढ़ करना:** शहरी केंद्रों को अपनी विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को एकीकृत करने को प्राथमिकता देनी चाहिये।
  - स्मार्ट सिटी मिशन **के अंतर्गत शहरों को** जोखिम-संवेदनशील ज़ोनिंग और स्वचालित मौसम निगरानी प्रणाली अपनाने के लिये अनिवार्य किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **सूरत की पूर्व बाढ़ चेतावनी प्रणाली** ने मानसून के दौरान होने वाली क्षति को कम कर दिया।
  - स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत स्टार्टअप्स के साथ सहयोग करने से **शहरी आपदा सहनीयता प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा** मिल सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन शमन को आपदा जोखिम प्रबंधन के साथ एकीकृत करना:** भारत को प्रकृति आधारित समाधान अपनाकर अपनी जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों को आपदा सहनीयता प्रयासों के साथ जोड़ना होगा।
  - हाल ही में किये गए एक अध्ययन में पाया गया है कि मैंग्रोव **प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर बाढ़ से होने वाले नुकसान को 65 बिलियन डॉलर तक कम करते हैं। सुंदरबन जैसे तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव पुनर्भरण कार्यक्रमों** को लागू करने से कार्बन को पृथक् करते हुए चक्रवात के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
- **संस्थागत क्षमता निर्माण और एकीकृत प्रतिक्रिया प्रणाली: NDMA, SDRF और स्थानीय सरकारों** जैसे संस्थानों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करके आपदाओं के दौरान तेज़ी से आपदा मोचन सुनिश्चित किया जा सकता है।
  - रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स से सुसज्जित **एकीकृत कमांड सेंटर** स्थापित करने से समन्वय में वृद्धि हो सकती है।
  - **राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के कार्यों को GIS-आधारित नियोजन उपकरणों** जैसे तकनीकी प्लेटफॉर्मों से जोड़ने से दक्षता में और सुधार हो सकता है।
- **न्यायसंगत क्षतिपूर्ति के लिये लिंग-समावेशी आपदा नीतियाँ:** महिलाओं और सीमांत समूहों के समक्ष आने वाली विशिष्ट भेद्यताओं को दूर करने के लिये आपदा नीतियों में **लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण** को शामिल किया जाना चाहिये।
  - दीनदयाल अंत्योदय योजना **के अंतर्गत महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) को आपदा राहत और क्षतिपूर्ति प्रयासों** में एकीकृत करने से समावेशी परिणाम सुनिश्चित हो सकते हैं।
- **सीमापार आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क तैयार करना: भारत को साझा आपदा जोखिमों के लिये सीमापार तंत्र विकसित** करने हेतु पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करना चाहिये।
  - **चीन और बांग्लादेश** के साथ क्षेत्रीय सहयोग से बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की तैयारी को बढ़ाया जा सकता है।
  - **SAARC आपदा प्रबंधन केंद्र की पहल** में सीमापार तंत्र को एकीकृत करने से क्षेत्रीय सुरक्षा संजाल का निर्माण हो सकता है।
- **आपदा शिक्षा और जागरूकता को संस्थागत बनाना:** स्कूल के पाठ्यक्रमों में आपदा तैयारी शिक्षा को शामिल करने से छोटी उम्र से ही सुरक्षा की संस्कृति का निर्माण हो सकता है।
  - **आपदा स्वयंसेवकों के लिये आपदा मित्र योजना** जैसे कार्यक्रमों को **ग्रामीण स्कूलों** तक विस्तारित किया जा सकता है ताकि छात्रों को बुनियादी मोचन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा सके।
  - **सोशल मीडिया के माध्यम से आपदा शिक्षा को** जोड़ने से अभिगम को बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 के कार्यान्वयन के साथ-साथ **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंदई फ्रेमवर्क को शामिल करने से** राष्ट्रीय तैयारियों को काफी मज़बूती मिली है। हालाँकि, जलवायु-प्रेरित आपदाएँ, शहरी बाढ़ और औद्योगिक खतरे

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। आपदा प्रबंधन के लिये भारत के दृष्टिकोण को **प्रतिक्रियात्मक, राहत-केंद्रित मॉडल से प्रतिस्थापित कर सक्रिय, समुत्थानशील फ्रेमवर्क में बदलने की जरूरत है।**

भारत के आपदा सुरक्षा तंत्र का सुदृढ़ीकरण

वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई विनाशकारी सुनामी के लगभग 2 दशक बाद, जिसमें 230,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, भारत ने अपने **आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण** को बदल दिया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 के माध्यम से, इसने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल **की स्थापना** की, जो पीड़ित देश से क्षेत्रीय अग्रणी के रूप में विकसित हुआ है। फिर भी, इसकी विशाल तटरेखा, भौगोलिक विविधता और बढ़ती जलवायु सुभेद्यताओं के साथ निरंतर चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो **आपदा मोचन तंत्र में निरंतर सतर्कता** एवं **प्रगति की मांग** करती हैं।

भारत में आपदा प्रबंधन का दृष्टिकोण किस प्रकार विकसित हुआ है?

- **प्रारंभिक वर्ष: राहत-केंद्रित और प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण (1980 के दशक से पूर्व)**
  - **राहत और पुनर्वास पर ध्यान:** स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, भारत में आपदा प्रबंधन प्रतिक्रियात्मक राहत प्रयासों, जैसे कि **खाद्य वितरण, अस्थायी आश्रय** और **चिकित्सा सहायता तक सीमित** था।
    - इसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की होती है, जिन्हें बड़ी आपदाओं के दौरान केंद्रीय सहायता प्राप्त होती है।
    - **बिहार अकाल (वर्ष 1966-67)** और **वर्ष 1972 के सूखे** जैसी घटनाओं ने राहत वितरण में अकुशलता और निवारक उपायों की कमी को उजागर किया।
- **योजना और तैयारी की ओर संक्रमण (1980-2000 का दशक)**
  - **संस्थागत फोकस में वृद्धि: पर्यावरण विभाग (वर्ष 1980)** की स्थापना, जो बाद में पर्यावरण और वन मंत्रालय के रूप में विकसित हुआ, ने आपदा से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया।
  - **प्रमुख घटनाओं पर प्रतिक्रिया: सबसे भयावह औद्योगिक आपदाओं में से एक, भोपाल गैस त्रासदी (वर्ष 1984) ने** उद्योगों में सख्त सुरक्षा नियमों और आपदा प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
    - **आंध्र प्रदेश में चक्रवात (वर्ष 1990)** और **लातूर भूकंप (वर्ष 1993)** के कारण राहत समन्वय में सुधार हुआ, लेकिन रोकथाम व शमन सीमित रहा।
  - **राष्ट्रीय संगठनों का गठन:** वर्ष 1990 में, देश भर में चक्रवात चेतावनी गतिविधियों का समन्वय करने और क्षेत्रीय मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये **क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र-उष्णकटिबंधीय चक्रवात (RSMC-TC)** के रूप में कार्य करने के लिये नई दिल्ली में **चक्रवात चेतावनी निदेशालय की स्थापना** की गई थी।
- **आपदा प्रबंधन का संस्थागतकरण (2000 का दशक)**
  - **निर्णायक बिंदु के रूप में प्रमुख आपदाएँ: भुज भूकंप (वर्ष 2001) ने** शहरी नियोजन और बुनियादी अवसंरचना की सुरक्षा में भेद्यताओं को उजागर किया, जिससे तैयारियों में प्रणालीगत सुधारों को बढ़ावा मिला।
    - **हिंद महासागर में आई सुनामी (वर्ष 2004)** ने भारी तबाही मचाई, जिसके कारण भारत की आपदा प्रबंधन रणनीतियों में आमूलचूल परिवर्तन आया।
  - **आपदा प्रबंधन अधिनियम (वर्ष 2005) का अधिनियमन:** इस अधिनियम ने भारत में आपदा प्रबंधन को संस्थागत रूप दिया तथा एक समर्पित फ्रेमवर्क तैयार किया।
    - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की** स्थापना की गई, जिसमें **राज्य (SDMA)** और **ज़िला (DDMA) समकक्ष** शामिल हैं।
    - आपदा प्रबंधन के चार स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया: न्यूनीकरण, तैयारी, मोचन और पुनर्वास।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

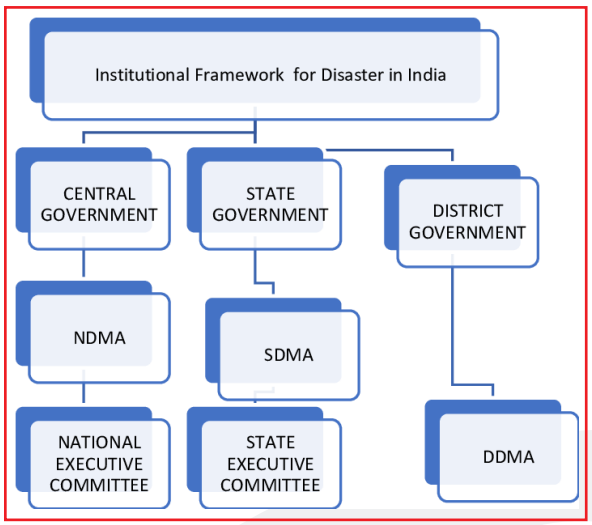

- **सक्रिय और समुत्थानशीलता-केंद्रित उपागम (वर्ष 2010-वर्तमान)**
  - **शमन और समुत्थानशक्ति की ओर संक्रमण:** ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (वर्ष 2005-2015) और सेंदइ फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन (वर्ष 2015-2030) जैसे वैश्विक फ्रेमवर्क के तहत जोखिम में कमी पर ज़ोर।
  - **प्रौद्योगिकी का संक्रमण:** डॉपलर रडार, बाढ़ पूर्वानुमान और रियल टाइम डेटा साझाकरण शेयरिंग जैसी उन्नत प्रणालियाँ।
  - **समुदाय-केंद्रित और समावेशी रणनीतियाँ:** आपदा मित्र और स्कूल आपदा प्रबंधन योजना जैसे कार्यक्रम स्थानीय समुदायों को प्रथम मोचनकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिये सशक्त बनाते हैं।
  - **वैश्विक सहयोग:** भारत SAARC डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जैसे वैश्विक फ्रेमवर्क में योगदान देता है तथा उनसे लाभान्वित होता है।
    - कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI) में भागीदारी।
- **विकासशील फोकस क्षेत्र:**
  - **जलवायु-प्रेरित आपदाओं से निपटना:** जलवायु-संबंधी बढ़ते जोखिमों के कारण भारत ने आपदा प्रबंधन योजनाओं में जलवायु अनुकूलन को शामिल किया।
    - बाढ़ को कम करने के लिये नमामि गंगे जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत **मैंग्रोव पुनरुद्धार** जैसे **प्रकृति-आधारित समाधानों** पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - **शहरी आपदा प्रबंधन:** शहरी बाढ़ जैसे जोखिमों से निपटने के लिये स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विकास फ्रेमवर्क में शहरी समुत्थानशक्ति को एकीकृत किया जा रहा है।
    - **वर्ष 2022 की बाढ़ के बाद बंगलुरु की बाढ़ प्रबंधन योजनाओं** में आर्द्रभूमि पुनर्भरण और स्टॉर्मवाटर अवसंरचना उन्नयन पर ज़ोर दिया गया है।

भारत के सामने प्रमुख आपदा चुनौतियाँ क्या हैं?

- **जलवायु-प्रेरित आपदाओं में वृद्धि:** भारत जलवायु परिवर्तन के कारण **चरम मौसमी घटनाओं** की बढ़ती आवृत्ति का अनुभव कर रहा है, जिससे शमन फ्रेमवर्क में अंतराल उजागर हो रहा है।
  - चक्रवात मोखा (वर्ष 2023) **ने सुंदरबन को प्रभावित किया,** जबकि हिमाचल प्रदेश (वर्ष 2023) में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण **10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान** हुआ, जो वनों की कटाई तथा अनियमित विकास के कारण और भी बढ़ गया।
  - एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि **भारत को वर्ष 2023 में 365 दिनों में से 314 दिनों में चरम मौसमी घटनाओं का सामना करना पड़ा।**
    - **जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना की कमी** से मानवीय और आर्थिक दोनों तरह की भेद्यता बढ़ जाती हैं।
- **अव्यवस्थित शहरीकरण के परिणामस्वरूप शहरी बाढ़:** संधारणीय योजना के बिना तीव्रता से शहरी विस्तार ने शहरों को बाढ़ के हॉटस्पॉट में बदल दिया है।
  - तीव्र शहरीकरण के कारण शहरी बाढ़ की चुनौती बढ़ गई है, जिसके कारण **विकसित शहरों में जल स्तर 1.8 से 8 गुना तक बढ़ गया है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **वर्ष 2021 में चेन्नई में आई बाढ़,** पुरानी जल निकासी प्रणालियों और आर्द्रभूमि पर अवैध निर्माण के कारण हुई, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया तथा आर्थिक नुकसान हुआ।
- वर्ष 2022 की **बंगलुरु बाढ़** मुख्य रूप से **नगर निकाय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण हुई,** जिसके परिणामस्वरूप झीलों, झील तलों, स्टॉर्मवाटर ड्रेन्स (**राजकालुवे**) और बफर ज़ोन पर व्यापक अतिक्रमण हुआ।

- **हिमालय की संवेदनशीलता और हिमनद-स्खलन:** पिघलते ग्लेशियर और अस्थिर हिमालयी भू-स्खलन और हिमनद झीलों आउटबर्स्ट जैसी उच्च-परिमाण वाली आपदाओं को जन्म दे रहे हैं।
  - केदारनाथ बाढ़ **(वर्ष 2013)** और **चमोली आपदा (वर्ष 2021)** ने अनियंत्रित जलविद्युत परियोजनाओं एवं निर्वनीकरण के कारण बढ़ते खतरों को उजागर किया।
  - वर्ष 1975 से 2000 तक हिमालय के ग्लेशियरों में प्रतिवर्ष औसतन 4 बिलियन टन बर्फ पिघल गई, जो **वर्ष 2000 से 2016 के बीच दोगुनी होकर 8 बिलियन टन प्रतिवर्ष** हो गई।
  - इससे न केवल आजीविका खतरे में पड़ती है, बल्कि लाखों लोगों की जल सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है।
- **औद्योगिक खतरे और बढ़ती रासायनिक आपदाएँ:** भारत में औद्योगिक सुरक्षा मानदंडों के लापरवाह क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप बार-बार औद्योगिक दुर्घटनाएँ हो रही हैं।
  - विजाग गैस रिसाव **(वर्ष 2020)** से 10,000 से अधिक लोग जहरीले धुएँ के संपर्क में आ गए, जबकि **लुधियाना गैस त्रासदी (वर्ष 2023)** ने खतरनाक सामग्रियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की कमी को उजागर किया।
  - सरकारी आँकड़ों से पता चलता है कि अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण **भारतीय कारखानों में प्रतिदिन** औसतन 3 श्रमिक अपनी जान गँवा देते हैं, तथापि **NDMA के रासायनिक आपदा मानकों का अभी भी**, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में, लगातार **क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।**

- **कृषि संबंधी भेद्यताएँ और सूखे का खतरा:** अनियमित मानसून, गर्म हवाएँ और भू-जल में कमी ने सूखे की स्थिति को और गंभीर कर दिया है, जिससे **भारत की कृषि अर्थव्यवस्था असंतुलित** हो गई है।
  - वर्ष 2022 के **लातूर सूखे** में फसलें बर्बाद हो गईं। **लातूर में 60% से अधिक लोग** खेती-बाड़ी में लगे हैं, जिससे सूखा एक गंभीर मुद्दा बन गया है
  - वर्ष **2030 तक 40% भारतीयों के पास पीने योग्य शुद्ध जल नहीं** होगा (NITI आयोग)। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना **(PMKSY) जैसी योजनाओं के बावजूद,** सिंचाई का बुनियादी अवसंरचना और वर्षा जल संचयन अपर्याप्त है।
- **वनाग्नि और कार्बन सिंक की क्षति:** जलवायु परिवर्तन और मानव-प्रेरित कारकों के कारण भारत में वनाग्नि की आवृत्ति और तीव्रता दोनों में वृद्धि हो रही है।
  - भारत वन स्थिति रिपोर्ट **(ISFR)- 2023** से पता चला है कि अकेले उत्तराखंड में **नवंबर 2022 से जून 2023 के** दौरान **5,351 वनाग्नि की घटना** दर्ज की गई।
  - **ओडिशा (वर्ष 2021) में सिमलीपाल की वनाग्नि** 10 दिनों से अधिक समय तक चली, जिससे लगभग एक तिहाई क्षेत्र प्रभावित हुआ।
- **आपदाओं के बाद स्वास्थ्य संकट:** आपदाओं से **सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात-स्थितियाँ और भी गंभीर हो जाती हैं,** जिससे स्वच्छता व्यवस्था बाधित हो जाती है, जल आपूर्ति दूषित हो जाती है, तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियाँ कमज़ोर हो जाती हैं।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2018 की **केरल बाढ़** के बाद जलजनित बीमारियाँ बढ़ गईं, जिनमें **लेप्टोस्पायरोसिस** और **हैजा** सबसे आम थे।
  - मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों की सीमित तैनाती और आपदा मोचन के लिये धीमी प्रतिक्रिया समय, आपदा स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी अवसंरचना में स्पष्ट अंतराल को उजागर करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कमज़ोर पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ और समन्वय विफलताएँ:** यद्यपि तकनीकी प्रगति ने पूर्वानुमान में सुधार किया है, फिर भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी में अंतराल गंभीर बना हुआ है।
  - **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) रिपोर्ट-2023** में बताया गया है कि भारत पूर्व चेतावनी प्रणाली प्रभावशीलता के मामले में 21 देशों में से 14वें स्थान पर है, तथा जोखिम ज्ञान, अवलोकन, पूर्वानुमान, चेतावनी, प्रसार और तैयारी में इसे औसत से भी कम अंक प्राप्त हुए हैं।
- **आपदाओं में लैंगिक और सामाजिक असमानताएँ:** आपदाएँ मौजूदा सामाजिक भेद्यताओं को बढ़ाती हैं, जिसमें महिलाएँ, बच्चे एवं सीमांत समूह असमान रूप से प्रभावित होते हैं।
  - उदाहरण के लिये, अम्फान और यास जैसे चक्रवातों के बाद **प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को तस्करों द्वारा निशाना बनाया गया** तथा समुदायों के पुनर्वास के लिये संघर्ष करने के कारण सामाजिक असमानताएँ और भी बदतर हो गईं।
- **संस्थागत फ्रेमवर्क और वित्तपोषण में अंतराल:** भारत का आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क **सक्रिय होने के बजाय प्रतिक्रियात्मक** बना हुआ है, तथा इसमें शमन प्रयासों के लिये वित्तपोषण अपर्याप्त है।
  - सत्र 2021-22 से सत्र 2025-26 तक NDRMF के लिये कुल ₹68,463 करोड़ आवंटित किये गए हैं, जिसमें से 80% राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के लिये तथा **केवल 20% राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के लिये** रखा गया है।
  - लापरवाह संस्थागत उत्तरदायित्व और खंडित नीतियाँ प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशक्ति निर्माण में बाधा डालती हैं।

आपदा प्रबंधन में भारत अन्य देशों से क्या सीख सकता है?

- **जापान की भूकंप संबंधी तैयारी:** जापान के **सख्त भवन नियम, बुनियादी अवसंरचना का नवीनीकरण** और **नियमित भूकंप अभ्यास** भूकंपीय घटनाओं के दौरान न्यूनतम हताहत आँकड़ा सुनिश्चित करते हैं।
  - भारत हिमालय जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के भूकंपीय सुरक्षा मानदंड अपना सकता है।
- **बांग्लादेश का चक्रवात प्रबंधन: बांग्लादेश की कुशल निकासी रणनीतियों** ने चक्रवात से संबंधित मौतों में भारी कमी की है। भारत तटीय क्षेत्रों में समुदाय-आधारित आपदा नियोजन में सुधार कर सकता है।
- **नीदरलैंड का बाढ़ प्रबंधन:** नीदरलैंड में समुद्र से आने वाले तूफानी लहरों से सुरक्षा के लिये **तटबंधों, बांधों और बाढ़द्वारों का एक नेटवर्क** है।
  - भारत के शहरी बाढ़ प्रबंधन को मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में इन समाधानों को अपनाने से लाभ मिल सकता है।
- **दक्षिण कोरिया का तकनीकी एकीकरण:** दक्षिण कोरिया में **एजेंसियों के बीच आपदा मोचन समन्वय के लिये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म** का उपयोग किया जाता है। भारत बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय के लिये केंद्रीकृत कमांड सिस्टम अपना सकता है।
- **स्वीडन की जलवायु अनुकूलन:** स्वीडन की सक्रिय जलवायु अनुकूलन नीतियों में शहरी नियोजन के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना शामिल है।
  - भारत अपने **स्मार्ट सिटी मिशन** को जलवायु अनुकूल रणनीतियों के साथ संरेखित कर सकता है।

आपदा समुत्थानशीलता और न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण: भारत को जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना में निवेश करने की आवश्यकता** है जो चक्रवात, बाढ़ और हीटवेव्स जैसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना कर सके।
  - **तटीय क्षेत्रों में हरित भवन, बाढ़ प्रतिरोधी शहरी जल निकासी प्रणालियाँ** और चक्रवात रोधी आवास विकसित करना आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण के लिये, **ओडिशा के चक्रवात आश्रय स्थलों** ने अनगिनत लोगों की जान बचाई है, यह एक ऐसा मॉडल है जिसे पूरे देश में अपनाया जा सकता है।
- **स्मार्ट सिटी मिशन को जलवायु-अनुकूलन हेतु योजना** के साथ एकीकृत करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि शहरी विकास आपदा न्यूनीकरण लक्ष्यों के अनुरूप हो।

- **समुदाय-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (CBDRR) का कार्यान्वयन: स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं आपदा तैयारी अभ्यास** के माध्यम से जोखिमों का प्रबंधन करने के लिये सशक्त बनाया जाना चाहिये।
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम **(MGNREGA) को समुदाय-आधारित जोखिम मानचित्रण** के साथ संयोजित करके तटबंधों और चेकडैम जैसी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा सकता है।
- **शहरी और ग्रामीण बाढ़ से निपटने के लिये एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM):** जल प्रबंधन के लिये एकीकृत दृष्टिकोण से बाढ़ और सूखे की चुनौतियों का एक साथ समाधान किया जा सकता है।
  - इसमें **आर्द्रभूमि का पुनर्भरण** करना, **शहरी वर्षा जल संचयन प्रणालियों का निर्माण** करना और **नदियों के किनारे तटबंधों का सुदृढ़ीकरण** शामिल है।
  - **नमामि गंगे** को **शहर स्तरीय बाढ़ रोकथाम योजनाओं के साथ एकीकृत** करने से शहरी बाढ़ की समस्या से निपटा जा सकता है, साथ ही नदी की स्थिति को भी बेहतर बनाया जा सकता है।
- **प्रौद्योगिकी के साथ प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का आधुनिकीकरण:** भारत को प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिये **AI, IoT** और **भू-स्थानिक मानचित्रण** जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिये।
  - मोबाइल अलर्ट को **स्थानीय भाषा समर्थन** के साथ एकीकृत करने के लिये **कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP)** के दायरे का विस्तार करने से अंतिम-मील संचार को बढ़ाया जा सकता है।
  - उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिये **ISRO की उपग्रह क्षमताओं** का **AI-संचालित मॉडल के साथ मिलकर** लाभ उठाना आपदा मोचन समय को कम कर सकता है।
- **भूकंपीय क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और भवन संहिताओं को लागू करना: भारत को भूकंपीय सुरक्षा संहिताओं** के साथ कड़े अनुपालन को लागू करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों और **हिमालय जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में।**
  - **पुरानी संरचनाओं,** विशेषकर स्कूलों और अस्पतालों का नवीनीकरण करने से भूकंप के दौरान होने वाली हताहतों की संख्या को कम किया जा सकता है।
  - ऐसे प्रयासों को **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के साथ जोड़कर** यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किफायती आवास आपदा-रोधी मानदंडों का पालन करें।
- **आपदा से होने वाले नुकसान के लिये बीमा कवरेज को बढ़ाना: किसानों, छोटे व्यवसायों और कमज़ोर आबादी** के लिये अनुकूलित सूक्ष्म बीमा योजनाएँ विकसित करने से आपदाओं के बाद होने वाले वित्तीय नुकसान को कम किया जा सकता है।
  - **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** के तहत फसल बीमा को शीघ्र भुगतान के लिये पैरामीट्रिक बीमा मॉडल के साथ जोड़ने से समय पर राहत मिल सकती है।
  - **जन धन खातों के अंतर्गत वित्तीय समावेशन एजेंडे में आपदा बीमा** को एकीकृत करने से व्यापक कवरेज सुनिश्चित हो सकती है, विशेष रूप से बार-बार होने वाली आपदाओं से ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में।
- **स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से शहरी आपदा तैयारी को सुदृढ़ करना:** शहरी केंद्रों को अपनी विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को एकीकृत करने को प्राथमिकता देनी चाहिये।
  - स्मार्ट सिटी मिशन **के अंतर्गत शहरों को** जोखिम-संवेदनशील ज़ोनिंग और स्वचालित मौसम निगरानी प्रणाली अपनाने के लिये अनिवार्य किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **सूरत की पूर्व बाढ़ चेतावनी प्रणाली** ने मानसून के दौरान होने वाली क्षति को कम कर दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत स्टार्टअप्स के साथ सहयोग करने से **शहरी आपदा सहनीयता प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा** मिल सकता है।

- **जलवायु परिवर्तन शमन को आपदा जोखिम प्रबंधन के साथ एकीकृत करना:** भारत को प्रकृति आधारित समाधान अपनाकर अपनी जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों को आपदा सहनीयता प्रयासों के साथ जोड़ना होगा।
  - हाल ही में किये गए एक अध्ययन में पाया गया है कि मैंग्रोव **प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर बाढ़ से होने वाले नुकसान को 65 बिलियन डॉलर तक कम करते हैं। सुंदरबन जैसे तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव पुनर्भरण कार्यक्रमों** को लागू करने से कार्बन को पृथक् करते हुए चक्रवात के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
- **संस्थागत क्षमता निर्माण और एकीकृत प्रतिक्रिया प्रणाली:** **NDMA, SDRF और स्थानीय सरकारों** जैसे संस्थानों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करके आपदाओं के दौरान तेज़ी से आपदा मोचन सुनिश्चित किया जा सकता है।
  - रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स से सुसज्जित **एकीकृत कमांड सेंटर** स्थापित करने से समन्वय में वृद्धि हो सकती है।
  - **राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के कार्यों को GIS-आधारित नियोजन उपकरणों** जैसे तकनीकी प्लेटफॉर्मों से जोड़ने से दक्षता में और सुधार हो सकता है।
- **न्यायसंगत क्षतिपूर्ति के लिये लिंग-समावेशी आपदा नीतियाँ:** महिलाओं और सीमांत समूहों के समक्ष आने वाली विशिष्ट भेद्यताओं को दूर करने के लिये आपदा नीतियों में **लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण** को शामिल किया जाना चाहिये।
  - **दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) को आपदा राहत और क्षतिपूर्ति प्रयासों** में एकीकृत करने से समावेशी परिणाम सुनिश्चित हो सकते हैं।
- **सीमापार आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क तैयार करना: भारत को साझा आपदा जोखिमों के लिये सीमापार तंत्र विकसित** करने हेतु पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करना चाहिये।
  - **चीन और बांग्लादेश** के साथ क्षेत्रीय सहयोग से बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की तैयारी को बढ़ाया जा सकता है।
  - **SAARC आपदा प्रबंधन केंद्र की पहल** में सीमापार तंत्र को एकीकृत करने से क्षेत्रीय सुरक्षा संजाल का निर्माण हो सकता है।
- **आपदा शिक्षा और जागरूकता को संस्थागत बनाना:** स्कूल के पाठ्यक्रमों में आपदा तैयारी शिक्षा को शामिल करने से छोटी उम्र से ही सुरक्षा की संस्कृति का निर्माण हो सकता है।
  - **आपदा स्वयंसेवकों के लिये आपदा मित्र योजना** जैसे कार्यक्रमों को **ग्रामीण स्कूलों** तक विस्तारित किया जा सकता है ताकि छात्रों को बुनियादी मोचन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा सके।
  - **सोशल मीडिया के माध्यम से आपदा शिक्षा को** जोड़ने से अभिगम को बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 के कार्यान्वयन के साथ-साथ **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंदई फ्रेमवर्क को शामिल करने से** राष्ट्रीय तैयारियों को काफी मज़बूती मिली है। हालाँकि, जलवायु-प्रेरित आपदाएँ, शहरी बाढ़ और औद्योगिक खतरे जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। आपदा प्रबंधन के लिये भारत के दृष्टिकोण को **प्रतिक्रियात्मक, राहत-केंद्रित मॉडल से प्रतिस्थापित कर सक्रिय, समुत्थानशील फ्रेमवर्क में बदलने की जरूरत है।**

■■■

भारत के वनों का पुनरुद्धार

वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र **कुल भूमि क्षेत्र का 25% है**, जिसे सकारात्मक विकास के रूप में देखा जाता है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि यह **वन स्वास्थ्य और प्रबंधन में अंतर्निहित चिंताओं को उजागर नही करता है।** जबकि स्वतंत्रता के बाद के कानून जैसे कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन अधिकार अधिनियम 2006 का उद्देश्य औपनिवेशिक नीतियों में सुधार करना था, लेकिन विकास के दबाव और जलवायु परिवर्तन के कारण उनके कार्यान्वयन में कमी आई है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को वनाग्नि में वृद्धि, संरक्षण निधि की कमी और बिगड़ती सुरक्षा से और भी अधिक खतरा है। भारत के वनों के संरक्षण के लिये, एक व्यापक रणनीति आवश्यक है जिसमें सतत् रिपोर्टिंग, बेहतर संसाधन उपयोग और सामुदायिक भागीदारी शामिल हो।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने और राष्ट्र के विकास में वनों की क्या भूमिका है?

- **आजीविका और रोज़गार सृजन:** भारत में, **भारतीय वन सर्वेक्षण (2019)** के अनुसार कुल 650,000 गाँवों में से लगभग 26% को वन सीमांत गाँवों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जहाँ वन महत्त्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक और आजीविका आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण के लिये कागज, फार्मास्यूटिकल्स और हस्तशिल्प जैसे वन-आधारित उद्योग रोज़गार में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

- **जलवायु विनियमन और कार्बन पृथक्करण:** भारत के वन प्रतिवर्ष लाखों टन CO_2 को संग्रहित करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - **यह वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन** प्राप्त करने और कार्बन क्रेडिट बनाने की भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है ।
  - हरित भारत मिशन के अंतर्गत हाल ही में किये गए वनरोपण प्रयासों का लक्ष्य **26 मिलियन हेक्टेयर** बंजर भूमि को पुन: उपजाऊ बनाना है।
- **लकड़ी और उद्योग के माध्यम से आर्थिक योगदान:** वानिकी क्षेत्र **भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.7% का योगदान** देता है, जो फर्नीचर, निर्माण और कागज निर्माण जैसे उद्योगों को सहायता प्रदान करता है।
  - राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (2014) ने यूकेलिप्टस जैसी तेज़ी से बढ़ने वाली प्रजातियों के रोपण को सुविधाजनक बनाया है, जिससे उद्योगों को लाभ और ग्रामीण आय में वृद्धि हुई है।
- **जैव विविधता और पारिस्थितिकी पर्यटन: वन भारत की स्थलीय जैवविविधता का अधिकांश** भाग धारण करते हैं, जो पारिस्थितिकी पर्यटन एवं संरक्षण से जुड़ी आजीविका को बढ़ावा देते हैं।
  - **उदाहरण के लिये रणथंभौर और** कॉर्बेट जैसे बाघ अभयारण्य प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
  - **प्रोजेक्ट टाइगर पहल** से **वर्ष 2023 तक** बाघों की आबादी दोगुना होकर 3925 तक पहुँच गई है, जिससे भारत की वैश्विक संरक्षण छवि को बढ़ावा मिला है।
  - यह जैवविविधता **परागण जैसी पारिस्थितिकी सेवाओं को भी बढ़ावा देती है, जो कृषि और खाद्य सुरक्षा** के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और बायोमास उपयोग:** वन बायोमास ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन में सहायक है।
  - राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा मिशन वन अवशेषों के सतत् उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे वर्ष **2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद** मिलती है।
  - **वन अवशेषों का उपयोग सतत् योजना** जैसी पहल के तहत जैव ईंधन उत्पादन के लिये भी किया जा रहा है।
- **जलग्रहण क्षेत्र और मृदा संरक्षण:** वन वर्षा, वाष्पीकरण, प्रवाह को नियंत्रित करके जल चक्र को नियंत्रित करने में मदद करते हैं तथा मृदा अपरदन को रोकते हैं, जिससे कृषि उत्पादकता सुनिश्चित होती है।
  - **वनाच्छादित जलग्रहण क्षेत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र** जैसी महत्त्वपूर्ण नदी प्रणालियों में योगदान करते हैं, तथा **700 मिलियन** लोगों को जीवनयापन में सहायता करते हैं।
- **सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्व:** भारत में वनों का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्व बहुत अधिक है, जो पवित्र वनों की पूजा (जैसे, मेघालय में **खासी पवित्र वन) जैसी परंपराओं और** प्रथाओं में गहराई से निहित है।
  - इससे जैवविविधता वाले प्रमुख स्थलों को संरक्षित करने तथा पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।
  - उदाहरण के लिये चिपको आंदोलन वनों और सांस्कृतिक विरासत के बीच अंतर्संबंधित संबंधों का प्रमाण है।
- **आपदा न्यूनीकरण और लचीलापन:** वन चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे प्रतिवर्ष अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान बचाया जा सकता है।
  - **ओडिशा के भीतरकनिका** में मैंग्रोव ने चक्रवात दाना के प्रभाव से बचाव किया, जिससे तूफानी लहरों से सुरक्षा में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित हुई।
  - मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम (MISHTI) योजना सतत् विकास में उनकी भूमिका को रेखांकित करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत के वनों की स्थिरता के लिये प्रमुख खतरे क्या हैं?

- **निर्वनीकरण और भूमि-उपयोग परिवर्तन:** भारत के वन, व्यापक रूप से **बस्तियों के विस्तार और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं** हेतु वनों की कटाई से प्रभावित हैं।
  - सरकारी आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2021 और वर्ष 2023 के बीच **1,488 वर्ग किमी 'अवर्गीकृत वन'** (सरकारी स्वामित्व के तहत गैर-अधिसूचित वन) का नुकसान हुआ है, तथा आलोचकों का तर्क है कि **इसके लिये ISFR, 2023 में** कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
  - उदाहरण के लिये **छत्तीसगढ़ में हसदेव अरंड कोयला खनन परियोजना** ने जैव विविधता से भरपूर वनों के विनाश को लेकर विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है।
    - ऐसे परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र को अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट तथा वनों की स्थिरता को कम कर देते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन और वनाग्नि:** वैश्विक तापमान में वृद्धि और अनियमित वर्षा के कारण भारतीय वनाग्नि और सूखाग्रस्त के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं।
  - भारत में **705 संरक्षित क्षेत्रों** में वनाग्नि FSI द्वारा हाल ही में किये गए विश्लेषण से पता चला है कि **इस मौसम में राष्ट्रीय उद्यानों में 6,046 घटनाएँ हुईं।**
  - **आंध्र प्रदेश के पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान** में सबसे अधिक मामले दर्ज किये गए, इसके बाद **छत्तीसगढ़ के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान** और **असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान** का स्थान रहा है।
- **अवैध कटाई और लकड़ी की तस्करी:** अवैध कटाई से सागौन और चंदन जैसी बहुमूल्य वृक्ष प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं, जैवविविधता को खतरा होता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न होता है।
  - उदाहरण के लिये **आंध्र प्रदेश में** लाल चंदन की तस्करी के कारण संरक्षित क्षेत्रों में वनों की कटाई हुई है।
    - कठोर वन कानूनों के बावजूद, सीमित प्रवर्तन और छिद्रपूर्ण सीमाएँ इस समस्या को और बढ़ा रही हैं।
  - इसके अलावा, **भारत लकड़ी का शुद्ध आयातक बन गया** है और देश ने **वर्ष 2023 में 2.7 बिलियन डॉलर** से अधिक मूल्य की लकड़ी का आयात किया है।
- **अतिक्रमण और आवास विखंडन:** कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिये अतिक्रमण से वनों का विखंडन होता है तथा वन्यजीव गलियारे बाधित होते हैं।
  - वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पिछले 15 वर्षों में भारत में 3 लाख हेक्टेयर से अधिक **वन भूमि को गैर-वानिकी उपयोग के लिये** हस्तांतरित किया गया है।
  - **चार धाम रोड प्रोजेक्ट** जैसे बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं ने **महत्त्वपूर्ण हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र** को खंडित कर दिया है, जिससे हिम तेंदुए और लाल पांडा जैसी प्रजातियाँ खतरे में पड़ गई हैं।
- **गैर-लकड़ी वन उत्पादों (NTFP) का अत्यधिक दोहन:** **बाँस, तेंदू के पत्ते और औषधीय पौधों** जैसे गैर-लकड़ी वन उत्पादों की अत्यधिक कटाई से वन पुनर्जनन में बाधा उत्पन्न होती है।
  - इससे **जैव विविधता और आजीविका दोनों को खतरा है। उदाहरण के लिये कर्नाटक में चंदन के जंगलों के समाप्त होने से** स्थानीय फ्रेग्रेन्स इंडस्ट्रीज पर असर पड़ा है।
- **आक्रामक प्रजातियों का उदय:** ***प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा*** जैसी आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रसार से भारत के वनों और जैवविविधता में कमी आ रही है।
  - उदाहरण के लिये ***लैंटाना कैमरा***, जिसे अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था, अब भारत में सबसे अधिक आक्रामक पादप प्रजातियों में से एक बन गया है, जो **बाघ क्षेत्र के 40% हिस्से को कवर करता है।**
  - ये प्रजातियाँ देशी पौधों को मात देती हैं, जैसा कि **राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान** में देखा गया है।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** वन विखंडन से मानव-वन्यजीव संघर्ष **में वृद्धि हुई है,** जिससे मानव जीवन एवं संरक्षण प्रयास दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- वर्ष 2019 और 2024 के बीच **भारत में हाथियों के हमलों में 2,727 मृत्यु हुईं,** जबकि बाघों के हमलों में 349 लोगों की जान गई।
- **उदाहरण के लिये बंगलुरु में मानव-पशु संघर्ष के कारण मानव और पशु दोनों ही** हताहत हुए, जिसके कारण **तेंदुआ एवं हाथी टास्क फोर्स** का गठन किया गया।

- **कमज़ोर प्रवर्तन और प्रशासन:** वन कानूनों का अप्रभावी प्रवर्तन और नीतियों के विलंबित कार्यान्वयन से सतत् वन प्रबंधन कमज़ोर होता है।
  - प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम (2016) के बावजूद, वर्ष 2021-22 में प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के तहत स्वीकृत धनराशि का केवल 48% ही उपयोग किया गया।
  - वन अधिकार अधिनियम (2006) का भी क्रियान्वयन ठीक से नहीं हुआ है, नौकरशाही बाधाओं के कारण बड़ी संख्या में दावे खारिज कर दिये गए हैं।
  - इसके अलावा, **वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में हाल ही में किए गए संशोधनों ने** भारत में वन संरक्षण की रूपरेखा पर विवादास्पद कानूनी बहस को जन्म दे दिया है।

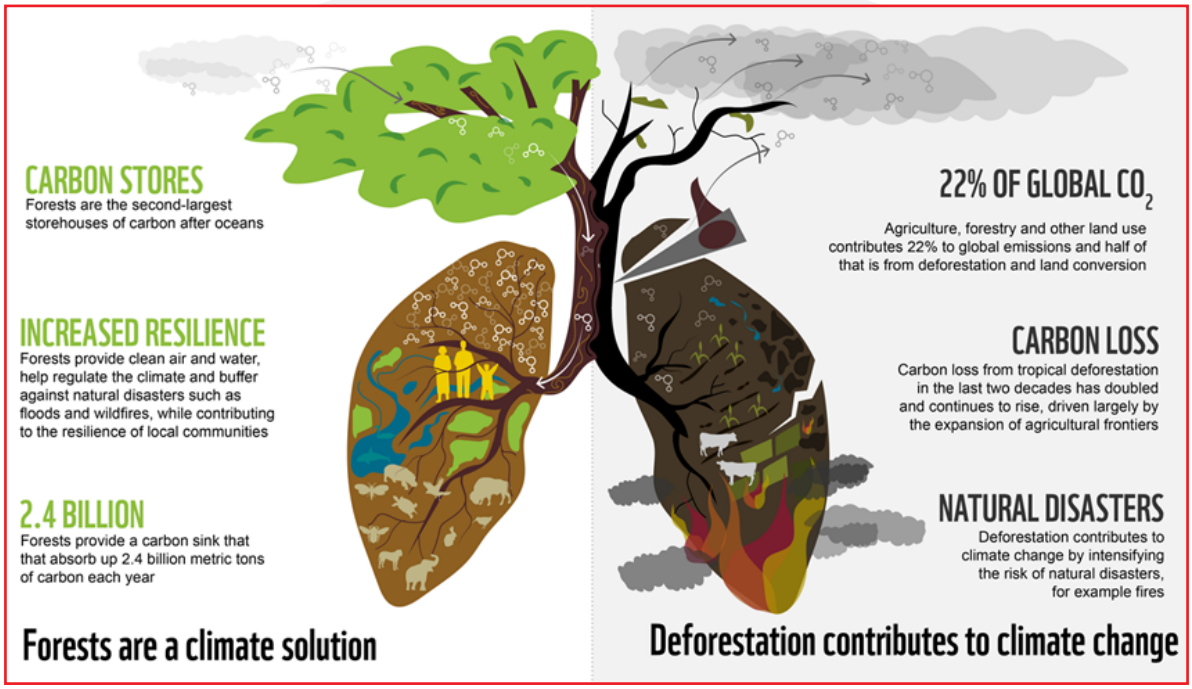

- **प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र का ह्रास:** औद्योगिक और शहरी गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण वनों की मिट्टी की उर्वरता और जल की गुणवत्ता को कम करता है, जिससे वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है।
  - CWC की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में **328 नदी निगरानी स्टेशनों में से 141 (43%)** में जनवरी और दिसंबर 2022 के बीच एक या एक से अधिक जहरीली भारी धातुओं की खतरनाक सांद्रता दर्ज की गई।
  - पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक उत्सर्जन से होने **वाली अम्लीय वर्षा** वनों की पुनर्योजी क्षमता को कम कर रही है, जिससे जैव विविधता वाले क्षेत्रों को खतरा हो रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **पशुओं द्वारा अनियंत्रित चराई:** वन क्षेत्रों में अनियंत्रित चराई से प्राकृतिक वनस्पति, विशेष रूप से शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में, कम हो जाती है।
  - **थार रेगिस्तान क्षेत्र** में अत्यधिक चराई के वनों का ह्रास हो रहा है। इसके अतिरिक्त, वनों पर निर्भर चरवाहे संसाधनों में कमी से जूझ रहे हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है।
  - **राष्ट्रीय पशुधन मिशन** जैसे कार्यक्रमों में प्रभावी चराई प्रबंधन योजनाओं का अभाव है।
- **असंवहनीय पर्यटन प्रथाएँ:** पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पर्यटन से प्रदूषण बढ़ता है, जिससे वन्य जीवन बाधित होता है।
  - **कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व** और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को अनियमित पर्यटन के कारण वाहन प्रदूषण एवं आवास क्षरण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में वन संरक्षण को बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **वन-आधारित आजीविका को सुदृढ़ बनाना:** सतत् वन-आधारित आजीविका को बढ़ावा देने से आर्थिक आवश्यकताओं को संरक्षण लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जा सकता है।
  - **वन धन विकास योजना** जैसी पहलों ने जनजातीय समुदायों को गैर-लकड़ी वन उत्पादों (NTFP) के प्रसंस्करण और विपणन के लिये प्रशिक्षण देकर सफलता दिखाई है।
  - ऐसे कार्यक्रमों का विस्तार कर उनमें कृषि वानिकी और पारिस्थितिकी पर्यटन को शामिल करने से वनों की कटाई पर निर्भरता कम हो सकती है।
- **सामुदायिक भागीदारी का विस्तार: संयुक्त वन प्रबंधन (JFM)** और **वन अधिकार अधिनियम (2006)** के माध्यम से संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से सतत् प्रथाओं को बढ़ावा मिल सकता है।
  - **वन संरक्षण समितियों (FPC)** जैसे सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने से स्वामित्व और बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित होता है।
  - उदाहरण के लिये **मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन संगठन ने 1.2 मिलियन हेक्टेयर से अधिक** बंजर भूमि को पुन: स्थापित किया है, जिससे सहभागिता मॉडल की प्रभावकारिता सिद्ध हुई है।
    - इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने से दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
- **वनरोपण और पुनर्वनरोपण को बढ़ावा देना: ग्रीन इंडिया मिशन** जैसे कार्यक्रमों और **बॉन चैलेंज के तहत प्रतिबद्धताओं को जैवविविधता बहाली सुनिश्चित करने के लिये देशी प्रजातियों का उपयोग करके वनरोपण** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - **भारत ने वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को** पुन: उपजाऊ बनाने का संकल्प लिया है, जिसे स्थानीय रोज़गार योजनाओं जैसे **मनरेगा** के साथ एकीकृत करके तेज़ किया जा सकता है।
  - हाल ही में तमिलनाडु में **375 हेक्टेयर मैंग्रोव** को पुन: स्थापित करने में मिली सफलता, ऐसे प्रयासों की व्यापकता को दर्शाती है।
- **अतिक्रमण विरोधी सख्त उपायों को लागू करना:** उपग्रह निगरानी और डिजिटल डेटाबेस के माध्यम से अतिक्रमण के खिलाफ प्रवर्तन को मज़बूत करने से महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्रों की रक्षा की जा सकती है।
  - **भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI)** पहले से ही वनों की कटाई की निगरानी के लिये भू-स्थानिक उपकरणों का उपयोग करता है, जिसका विस्तार वास्तविक समय में अवैध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिये किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये असम में भू-स्थानिक निगरानी से **काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 1,500 हेक्टेयर से अधिक** अतिक्रमित भूमि को पुन: प्राप्त करने में मदद मिली।
    - ऐसी प्रौद्योगिकी को देशव्यापी स्तर पर लागू करने से आवास क्षति को रोका जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **संरक्षण के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग)**, ड्रोन और AI-आधारित निगरानी प्रणाली जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाकर कुशल वन प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है।
  - **राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (NRSC)** पहले से ही वन मानचित्रण के लिये उपग्रह इमेज़री का उपयोग कर रहा है, जिसका उपयोग वनों की आग और अवैध कटाई की वास्तविक समय पर निगरानी के लिये किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये **पश्चिमी घाट में LiDAR-आधारित मानचित्रण** ने लक्षित संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण जैवविविधता क्षेत्रों की पहचान की है।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और कार्बन ऑफसेट बाज़ारों** के माध्यम से वनीकरण परियोजनाओं में निवेश करने के लिये निजी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने से संरक्षण निधि में वृद्धि हो सकती है।
  - **प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन (CAMPA)** को कॉर्पोरेट साझेदारी को एकीकृत करने के लिये सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये **मैंग्रोव पुनरुद्धार हेतु गुजरात के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज की साझेदारी** इस बात पर प्रकाश डालती है कि किस प्रकार सार्वजनिक-निजी मॉडल परिणाम दे सकते हैं।
    - **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग** के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश अधिक निवेश आकर्षित करेंगे।
- **कृषि वानिकी और सतत् कृषि का एकीकरण: राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (NAP)** के तहत कृषि वानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देने से कृषि के लिये वनों की कटाई को कम किया जा सकता है, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है।
  - कृषि वानिकी मॉडल में वृक्षों को बाज़रा या तिलहन जैसी फसलों के साथ संयोजित करने से **मृदा स्वास्थ्य और कार्बन अवशोषण में सुधार हो सकता है।**
  - **कृषि वानिकी को बढ़ावा देने में कर्नाटक की सफलता** से जैव विविधता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होता है।
- **आक्रामक प्रजातियों पर नियंत्रण:** लैंटाना कैमरा और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसी आक्रामक विदेशी प्रजातियों के व्यवस्थित निष्कासन और नियंत्रण को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  - **राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP)** जैसे कार्यक्रमों को आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिये बढ़ाया जा सकता है।
  - राजस्थान के वन अधिकारी आक्रामक **जूलीफ्लोरा को हटाने में सहायता के लिये नरेगा** की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे अभियानों के विस्तार से देश भर में वन स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।
- **जलवायु-अनुकूल वन प्रबंधन:** जलवायु-अनुकूल वन प्रबंधन प्रथाओं, जिसमें **सूखा-प्रतिरोधी प्रजातियों का रोपण** और जल संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल है, को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  - वन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता में सुधार के लिये **कैच द रेन पहल** जैसे कार्यक्रमों को वन संरक्षण प्रयासों के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
- **पारिस्थितिकी पर्यटन मॉडल का विकास:** सतत् पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने से संरक्षण के लिये राजस्व उत्पन्न हो सकता है, साथ ही जैव विविधता के बारे में जागरूकता भी उत्पन्न हो सकती है।
  - केरल और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने **पारिस्थितिकी पर्यटन परियोजनाओं में अग्रणी भूमिका निभाई है,** जो आर्थिक लाभ के साथ वन संरक्षण को संतुलित करती हैं।
  - उदाहरण के लिये केरल की **थेनमाला इको-टूरिज्म परियोजना** स्थानीय आजीविका का समर्थन करती है। जैवविविधता वाले हॉटस्पॉट में ऐसे मॉडल का विस्तार करने से वन स्थिरता में वृद्धि की जा सकता है।
- **कानूनी ढाँचे और प्रशासन को मज़बूत करना: अवैध कटाई, आक्रामक प्रजातियों और जलवायु परिवर्तन** के

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रभाव जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिये **भारतीय वन अधिनियम (1927)** और **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972)** में संशोधन करके संरक्षण प्रयासों को मज़बूत किया जा सकता है।

- **CAMPA निधि** के कार्यान्वयन के लिये, जिसमें से **वर्ष 2022 तक केवल 33% का ही उपयोग किया गया है**, सख्त जवाबदेही तंत्र की आवश्यकता है।
- वन विभागों और स्थानीय सरकारों के बीच बेहतर समन्वय से प्रवर्तन संबंधी अंतराल को कम किया जा सकता है।

- **जैवविविधता गलियारे में वृद्धि:** खंडित आवासों के बीच वन गलियारे विकसित करने से मानव-वन्यजीव संघर्ष कम हो सकता है और जैवविविधता को संरक्षित किया जा सकता है।
  - **राष्ट्रीय वन्यजीव गलियारा परियोजना** जैसी परियोजनाओं का विस्तार कर सभी महत्त्वपूर्ण बाघ और हाथी रिज़र्वों को इसमें शामिल किया जाना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये **काज़ीरंगा-कार्बी आंगलोंग गलियारे के पुनरुद्धार** से वन्यजीव तनाव और मानव संघर्ष में कमी आई, जिससे ऐसे उपायों की प्रभावशीलता प्रदर्शित हुई।

निष्कर्ष:

भारत के वन इसके **पारिस्थितिक संतुलन, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विरासत के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।** हालाँकि वन क्षेत्र को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन **वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन एवं कमज़ोर प्रवर्तन जैसी चुनौतियों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सतत् आजीविका, सामुदायिक भागीदारी, तकनीकी एकीकरण और सख्त शासन** पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक बहुआयामी दृष्टिकोण वन पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकता है।

■■■

लिंग-संवेदनशील नीति-निर्माण

लिंग-संवेदनशील नीति-निर्माण विभिन्न लिंगों पर नीतियों के विशिष्ट और प्राय: असमान प्रभावों का अभिनिर्धारण कर उनका हल करने पर आधारित है, विशेषकर ऐसे समाजों में जहाँ ऐतिहासिक और प्रणालीगत असमानताएँ बनी हुई हैं। भारत में, अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले जैसी घटनाओं से ऐसी नीतियों की तत्काल आवश्यकता उजागर हुई है, जहाँ **संस्थागत असंवेदनशीलता ने पीड़ितों द्वारा सामना किये जाने वाले आघात को बढ़ा दिया है। पर्याप्त सहायता** और **न्याय प्रदान करने में विफलता** व्यापक सामाजिक चुनौतियों को दर्शाती है, जो एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती है। लिंग-संवेदनशील नीतियों का उद्देश्य **न केवल तत्काल असमानताओं को दूर करना** है, बल्कि **न्यायसंगत ढाँचे** का निर्माण करके समय के साथ स्थायी **सामाजिक-आर्थिक** और **सांस्कृतिक समानता** प्राप्त करने के लिये **आधारभूत उपकरण** के रूप में भी काम करना है।

लिंग-संवेदनशील नीति-निर्माण क्यों आवश्यक है?

- **निरंतर लैंगिक असमानताएँ:**
  - **महिला श्रम बल भागीदारी:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 में पाया गया है कि महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) सत्र 2017-2018 में **23.3% से बढ़कर** सत्र 2022-2023 में **37% हो गई,** जो चीन के 61.5% जैसे वैश्विक एवं क्षेत्रीय बेंचमार्क से अपेक्षाकृत कम है।
    - इससे **महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बाधित** होती है तथा राष्ट्रीय उत्पादकता कम होती है।
  - **वेतन असमानता:** जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार, **भारत की आर्थिक समानता 39.8%** है, जिसका अर्थ है कि **पुरुषों द्वारा अर्जित प्रत्येक 100 रुपए के लिये महिलाएँ 39.8 रुपए कमाती हैं।** हालाँकि वर्ष 2024 में भारत का **लैंगिक अंतराल 64.1% अनुमानित है।**
    - वेतन अंतराल महिलाओं के काम का मूल्य कम करता है, जिससे आर्थिक निर्भरता बढ़ती है और **शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं विकास में निवेश सीमित** होता है।
  - **शैक्षणिक अंतराल:** महिलाओं में साक्षरता दर में सुधार लाने में महत्त्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, प्रणालीगत बाधाएँ बनी हुई हैं जो लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोकती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसके अलावा, CSIR रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में वैश्विक स्तर पर महिला **STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित)** स्नातकों का उच्चतम प्रतिशत (40%) होने के बावजूद, **STEM नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व केवल 14% ही** है।
- **गरीबी, ग्रामीण क्षेत्रों में** अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना और महिलाओं की तुलना में पुरुषों की शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले सामाजिक मानदंड जैसे कारक लैंगिक असमानताओं को बढ़ाते हैं।

- **राजनीतिक अल्प प्रतिनिधित्व:** **18वीं लोकसभा** में 74 महिलाएँ निर्वाचित हुईं, जो कुल संख्या का **13.6%** है, जो **17वीं लोक सभा में 78 महिलाओं (14.4%) से थोड़ी कम** है, जो देश के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय में उनकी सीमांत उपस्थिति को दर्शाता है।
  - **राजनीति में इस अल्प प्रतिनिधित्व के कारण महिला-केंद्रित नीतियों** को अपर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है और व्यापक शासन के लिये आवश्यक दृष्टिकोणों की विविधता कम हो जाती है।

- **सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ:**
  - **पितृसत्तात्मक मानदंड:** गहरी जड़ें जमाए हुए **पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण** महिलाओं की गतिशीलता, निर्णय लेने की शक्ति और महत्त्वपूर्ण संसाधनों तक पहुँच को बाधित करते हैं।
    - उदाहरण के लिये, **लगभग 47% भारतीय महिलाएँ घरेलू वित्तीय निर्णयों** में अपनी बात रखती हैं, जो परिवारों और समुदायों में **लैंगिक शक्ति असंतुलन की व्यापक प्रकृति** को दर्शाता है।
  - **अंतर्विभागीय भेदभाव:** दलितों और मुसलमानों जैसे सीमांत समुदायों की महिलाओं को लिंग, जाति एवं धार्मिक पूर्वाग्रहों से जुड़ी **जटिल चुनौतियों का सामना** करना पड़ता है।
    - उदाहरण के लिये, **वर्ष 2011 की जनगणना** के अनुसार, मुसलमानों का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 32.6 था, जबकि हिंदुओं और ईसाइयों का अनुपात क्रमशः 41 और 41.9 था।
  - **हिंसा और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2023 की वर्ष 2023 की रिपोर्ट** से पता चलता है कि वर्ष 2022 में **भारत में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में 4% की चिंताजनक वृद्धि** हुई, जिसमें क्रूरता, अपहरण, हमले और यौन उत्पीड़न के मामले शामिल हैं।
    - सामाजिक कलंक, न्याय प्रणाली में विश्वास की कमी, प्रतिशोध के भय, दुर्व्यवहार और असुरक्षा की स्थिति के कारण कई मामले दर्ज नहीं हो पाते।

- **आर्थिक एवं विकासात्मक अनिवार्यताएँ**
  - **आर्थिक विकास की संभावना:** यह अनुमान लगाया गया है कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की समान भागीदारी से भारत के वर्ष 2025 **सकल घरेलू उत्पाद** में **16% की वृद्धि हो** सकती है, जिससे **700 बिलियन डॉलर की वृद्धि** होगी और **विकास दर में 1.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि** होगी।
    - इस क्षमता को साकार करने की दिशा में महिलाओं को अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से भाग लेने से रोकने वाली **बाधाओं को दूर करने के लिये लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता** है।
  - **स्वास्थ्य देखभाल परिणाम:** लिंग-संवेदनशील स्वास्थ्य देखभाल नीतियाँ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में प्रभावी सिद्ध हुई हैं।
    - भारत में **मातृ मृत्यु दर** प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 97 है तथा लक्षित पहलों से इसमें और कमी लाई जा सकती है जिससे समतापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है।
  - **मानव विकास: लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य (SDG) को** प्राप्त करने के लिये मौलिक है, **विशेष रूप से लक्ष्य 5 पर,** जो सतत् विकास के लिये आधारशिला के रूप में लैंगिक समानता पर बल देता है।

- **नैतिक और विधिक आयाम**
  - **कानूनी बाधा:** एक महत्त्वपूर्ण **कानूनी बाधा लिंग-संवेदनशील नीति-निर्माण** की अनुपस्थिति है, जो अन्याय को कायम रखती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- अन्ना विश्वविद्यालय हमला मामले में पीड़ितों को दोषी ठहराने के लिये मद्रास **उच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु पुलिस की आलोचना**, कानून प्रवर्तन प्रथाओं में **सुधार की तत्काल आवश्यकता** पर बल देती है।

- **संवैधानिक अधिदेश:** **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 39(d), 42** स्पष्ट रूप से **विधि के समक्ष समता की गारंटी** देते हैं और लिंग के आधार पर **भेदभाव पर रोक लगाते हुए महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।**
  - इन प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना शासन की मूलभूत ज़िम्मेदारी है।
- **वैश्विक प्रतिबद्धताएँ:** महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW) जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में, भारत लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और **महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाली नीतियों के अंगीकरण एवं लागू करने के लिये बाध्य** है।

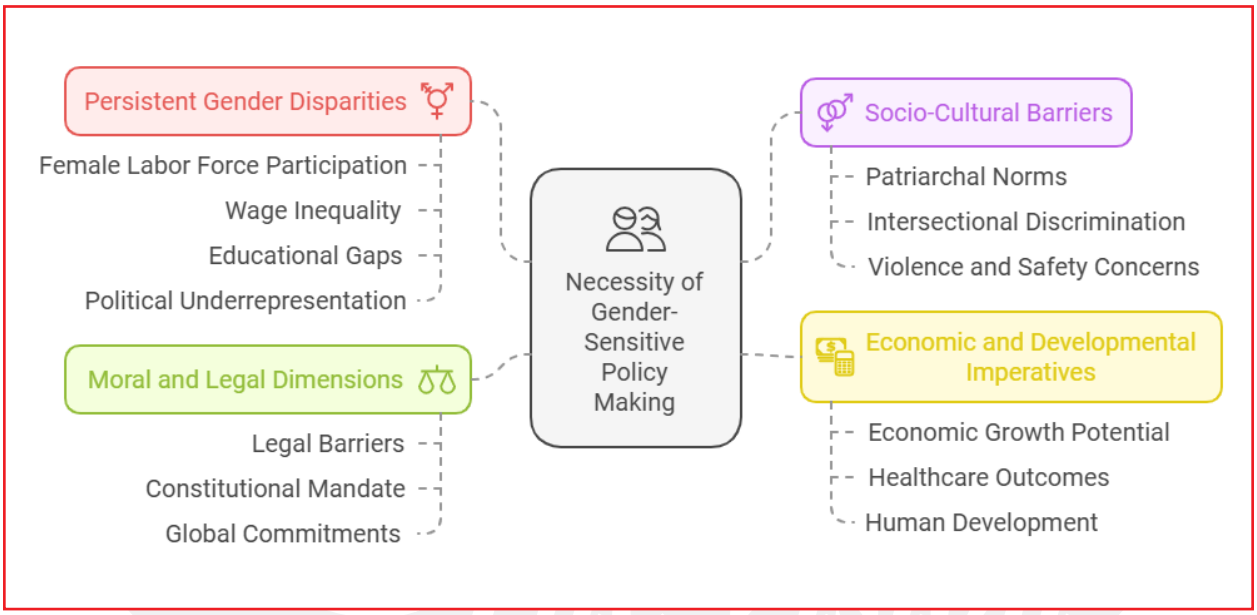

लिंग-संवेदनशील नीति-निर्माण की दिशा में क्या प्रमुख कदम उठाए गए हैं?

- **विधायी संरचना**
  - **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017:** प्रसवोत्तर बेहतर देखभाल के लिये **मातृत्व अवकाश को 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया** है तथा महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को समर्थन देने के लिये 50 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में क्रेच सुविधाएँ अब अनिवार्य कर दी गई हैं।
  - **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013:** यौन उत्पीड़न से संबंधित कार्यस्थल शिकायतों के समाधान के लिये एक औपचारिक तंत्र प्रदान करने हेतु संगठनों में **आंतरिक शिकायत समितियों (ICC)** के गठन को अनिवार्य बनाया गया।
  - **आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013: यौन उत्पीड़न और पीछा करने** जैसे अपराधों के लिये **कठोर दंड का प्रावधान** किया गया, जो **लिंग आधारित हिंसा** से निपटने के लिये दृढ़ प्रतिबद्धता का संकेत देता है।
  - **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006:** इसका उद्देश्य कानूनी दंड लगाकर और जागरूकता को बढ़ावा देकर **बाल विवाह का प्रतिषेध करना है, विशेष रूप से ग्रामीण एवं सीमांत समुदायों में जहाँ यह प्रथा अभी भी प्रचलित है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सरकारी पहल**
  - **लिंग आधारित बजट:** भारत में सत्र 2005-06 में शुरू की गई जेंडर बजट नीति और संसाधन आवंटन में लिंग संबंधी दृष्टिकोण को एकीकृत करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपागम है।
  - केंद्रीय बजट 2024-25 में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिये **3 लाख करोड़ रुपए** से अधिक का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना है।
  - इसके अलावा, मंत्रालयों और विभागों ने व्यय की निगरानी एवं महिलाओं पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिये **जेंडर बजट प्रकोष्ठों की स्थापना** की है।
  - **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP):** जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो सत्र 2014-15 में 918 से बढ़कर सत्र 2019-20 में 934 हो गया, जो लड़के बच्चों के लिये चुनौतीपूर्ण सांस्कृतिक प्राथमिकताओं पर इसके प्रभाव को उजागर करता है।
  - **बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पोषण** सुनिश्चित करने के लिये मंत्रालयों के एकीकृत प्रयासों के बावजूद, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में **12.6% छात्राएँ स्कूल छोड़ देती हैं**, जिनमें से **19.8% माध्यमिक स्तर पर** और **17.5% उच्च प्राथमिक स्तर पर** पढ़ाई छोड़ देती हैं।
  - **महिलाओं को प्राथमिकता देने वाली योजनाएँ:** मनरेगा, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाएँ नौकरियों, वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवा एवं ऊर्जा तक तरजीही पहुँच प्रदान करके महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता देती हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य तथा उनके समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है।
  - उदाहरण के लिये, वित्तीय वर्ष 2023-24 में **कुल मुद्रा लाभार्थियों में से 63.6% महिला उद्यमी** थीं।
  - इसके अलावा, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर योजना चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और पुलिस सहायता सहित एकीकृत सेवाएँ प्रदान करती है। **प्रशिक्षण और रोज़गार कार्यक्रम (STEP) को समर्थन** महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये प्रशिक्षण एवं रोज़गार के अवसर प्रदान करता है।
  - **अनुसंधान एवं विकास में भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** संस्थानों के परिवर्तन के लिये लैंगिक उन्नति (GATI) कार्यक्रम तथा जैव प्रौद्योगिकी कैरियर उन्नति और पुनः अभिविन्यास (BioCARe) योजना **STEM** एवं जैव प्रौद्योगिकी में कॅरियर विकास के अवसर, अनुसंधान अनुदान व फेलोशिप प्रदान करके अनुसंधान एवं विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती है।
  - **डिजिटल समावेशन पहल:** PMGDISHA ने वंचित क्षेत्रों की महिलाओं को लक्षित किया, उनकी वित्तीय और नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिये डिजिटल भुगतान प्रशिक्षण तथा ई-गवर्नेंस मॉड्यूल प्रदान किये।
- **न्यायपालिका और नीति-निर्माण व्यवस्था**
  - **लिंग-संवेदनशील पुलिसिंग:** गृह मंत्रालय (MHA) की संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि गृह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को प्रत्येक ज़िले में कम-से-कम **एक महिला पुलिस स्टेशन स्थापित करने** की सलाह दे।
  - पुलिस कर्मियों के लिये लिंग-संवेदनशीलता प्रशिक्षण का उद्देश्य लैंगिक मुद्दों के बारे में उनकी समझ में सुधार लाना तथा महिलाओं से जुड़े मामलों का सहानुभूतिपूर्वक निपटान सुनिश्चित करना है।
  - **न्यायिक निर्देश:** सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में **लैंगिक-संवेदनशील नीतियों को अनिवार्य** बनाते हैं, **जागरूकता को बढ़ावा** देते हैं एवं **समावेशी वातावरण को बढ़ावा** देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसके अलावा, **भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक रूढ़िवादिता को सुधारने** तथा न्यायिक निर्णयों और लेखन में, विशेष रूप से महिलाओं के बारे में, हानिकारक रूढ़िवादिता से बचने के लिये न्यायाधीशों को मार्गदर्शन देने के लिये **एक पुस्तिका तैयार की** है।

- **नागरिक समाज का योगदान**
  - **ज़मीनी स्तर के आंदोलन:** SEWA (स्व-नियोजित महिला संघ) जैसे **गैर-सरकारी संगठन** अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के लिये **श्रम अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा** और **वित्तीय समावेशन** का समर्थन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि नीतिगत चर्चाओं में उनकी आवाज़ का प्रतिनिधित्व हो।
  - **जागरूकता अभियान:** मासिक धर्म स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा और आर्थिक साक्षरता से संबंधित समुदाय-आधारित कार्यक्रमों ने महिलाओं को सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने तथा समान व्यवहार की मांग करने के लिये सशक्त बनाया है।

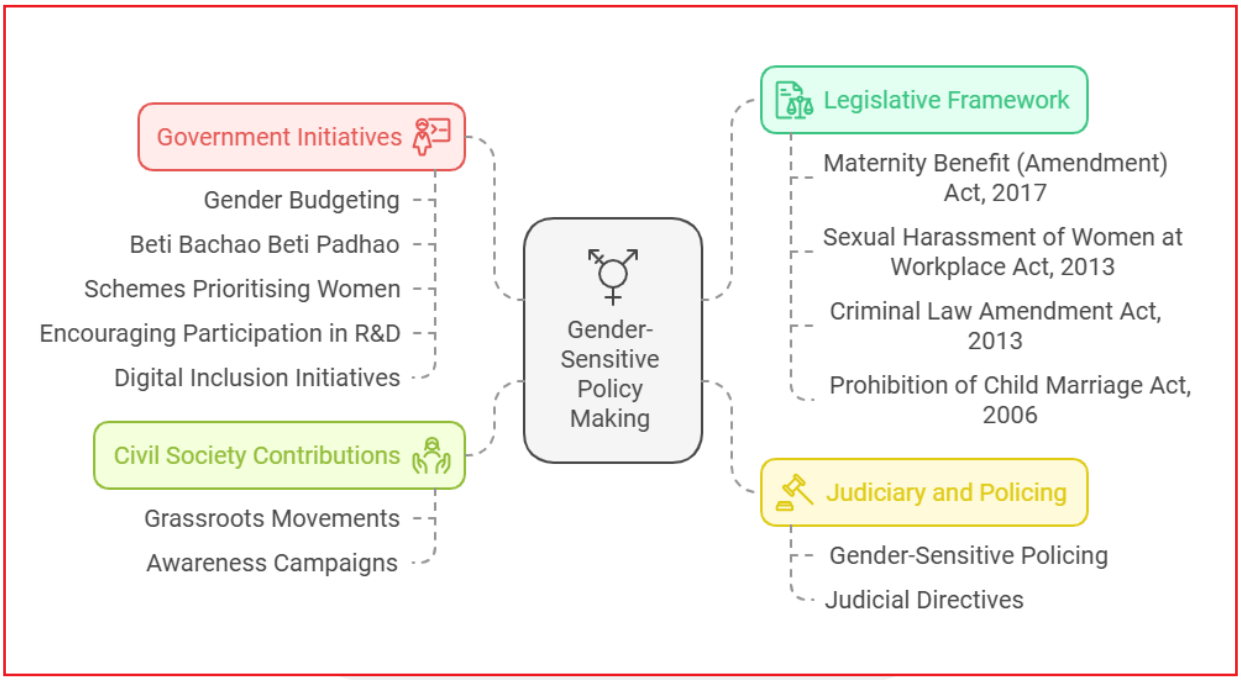

लिंग-संवेदनशील नीति-निर्माण के लिये आगे की राह:

- **संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना:** लिंग-विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये व्यवस्थित योजना और संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित करने के लिये मंत्रालयों में लिंग बजट प्रकोष्ठों के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता है।
  - महिलाओं के जीवन में सुधार के लिये **बजटीय आबंटन की प्रभावशीलता** और **प्रभाव का आकलन करने के लिये नियमित ऑडिट** आयोजित किये जाने चाहिये।
- **महिला आरक्षण अधिनियम लागू करना: विधायी निकायों में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व** सुनिश्चित करने के लिये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने की आवश्यकता है, जिससे शासन और नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़े।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कार्यस्थल समानता: समान वेतन कानूनों** का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना तथा संगठनों को रोज़गार के सभी स्तरों पर लैंगिक प्रतिनिधित्व के लिये विविधता मानदंड अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- **डेटा संग्रहण और विश्लेषण: विभिन्न क्षेत्रों में लिंग-आधारित डेटा** के लिये रियल टाइम ट्रैकिंग प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता है, जिससे साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और मूल्यांकन संभव हो सके।
  - महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से किये जाने वाले अवैतनिक देखभाल कार्य के आर्थिक मूल्य का आकलन करने और उनका अभिनिर्धारण करने के लिये व्यापक समय-उपयोग सर्वेक्षण आयोजित किये जाने चाहिये।
- **शिक्षा और जागरूकता:** लैंगिक समानता के संबंध में छात्रों में प्रारंभिक जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिये स्कूल पाठ्यक्रम में **लैंगिक अध्ययन को शामिल** किये जाने की आवश्यकता है।
  - यौन हिंसा और प्रजनन अधिकार जैसे मुद्दों से जुड़े कलंक को दूर करने के लिये राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने, स्वतंत्र संवाद और सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **डिजिटल सशक्तीकरण:** महिलाओं को साइबर सुरक्षा और डेटा साक्षरता में प्रशिक्षित करने के लिये लक्षित आउटरीच कार्यक्रम प्रदान करने, **डिजिटल विभाजन को** पाटने तथा ऑनलाइन शिक्षा एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को सक्षम बनाने की आवश्यकता है।
  - इन उच्च विकास वाले क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये **STEM क्षेत्रों** में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिये।
- **शिकायत निवारण के लिये ई-गवर्नेंस:** लिंग आधारित हिंसा की रिपोर्टिंग के लिये उपयोगकर्त्ता अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने, गुमनामी सुनिश्चित करने और त्वरित निवारण तंत्र को सक्षम करने की आवश्यकता है।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना:** वर्ष 2014 में, **स्वीडन ने विश्व की पहली स्पष्ट रूप से नारीवादी विदेश नीति** का अंगीकरण किया, जिसमें निर्णय लेने की सभी प्रक्रियाओं में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को एकीकृत किया गया, जिसे भारत के सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ के साथ जोड़ा जा सकता है।
  - कनाडा, फ्राँस और मैक्सिको जैसे देशों ने भी इसी प्रकार की नीतियाँ लागू की हैं, जो लिंग-समावेशी शासन की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करती हैं।

निष्कर्ष

लिंग-संवेदनशील नीति-निर्माण केवल एक शासन उपागम नहीं है, बल्कि एक सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता भी है। यद्यपि भारत ने **प्रगतिशील विधि और पहलों** के माध्यम से सराहनीय प्रगति की है, फिर भी प्रणालीगत अंतराल को समाप्त करने के लिये निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। **संरचनात्मक बाधाओं को दूर करके** और **समावेशी ढाँचों को बढ़ावा देकर,** लैंगिक समानता को एक आदर्श के द्वारा **वास्तविकता में बदला जा सकता है**, जिससे सभी के लिये न्याय, सम्मान एवं सतत् विकास सुनिश्चित हो सके।

■■■

भारत के लिये सेवा-आधारित विकास मॉडल

एक ऐसे दौर में जब विकासशील देश **आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना** कर रहे हैं, एक प्रतिमान बदलाव विश्व भर में विकास रणनीतियों को नया आयाम दे रहा है। यद्यपि **विनिर्माण-आधारित विकास** समृद्धि का पारंपरिक मार्ग रहा है, विश्व बैंक के नए शोध से पता चलता है कि **सेवाओं को केंद्र में रखा जाना चाहिये।** डिजिटल परिवर्तन इस विकास में महत्त्वपूर्ण रहा है, जिसमें सेवाओं ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है, उच्च-कुशल नौकरियों का सृजन किया है, और कार्यबल में महिलाओं के लिये नए अवसर खोले हैं। जैसा कि भारत अपने आर्थिक भविष्य की रूपरेखा बना रहा है, **यह वैश्विक प्रवृत्ति इस संदर्भ में मूल्यवान अंतर्दृष्टि** प्रदान करती है कि किस प्रकार सेवा-आधारित विकास सतत् आर्थिक विकास के लिये उत्प्रेरक हो सकता है।

भारत में सेवा क्षेत्र का विकास किस प्रकार हुआ है?

- **स्वतंत्रता-पूर्व युग (वर्ष 1947 से पूर्व)**
  - **सीमित भूमिका:** सेवा क्षेत्र अविकसित था, **मुख्य रूप से औपनिवेशिक प्रशासन, परिवहन** और **व्यापार एवं शिक्षा** जैसी पारंपरिक सेवाओं तक सीमित था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

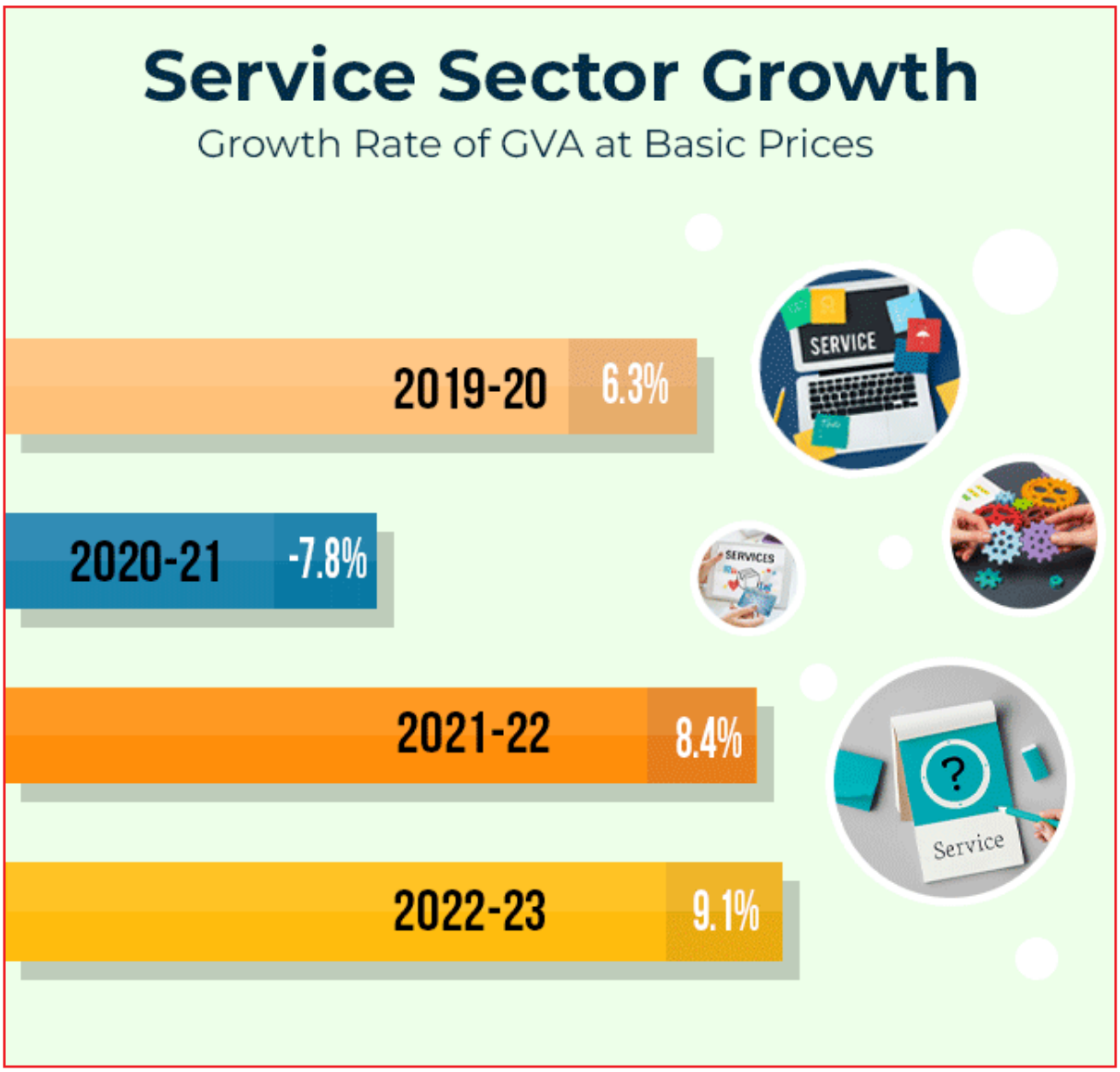

- **बुनियादी अवसंरचना पर ध्यान:** ब्रिटिश पहलों के कारण रेलवे, **डाक सेवाओं और टेलीग्राफ प्रणालियों का विकास** हुआ, जिसने आधुनिक सेवा उद्योगों की नींव रखी।
- **शहरी संकेंद्रण:** सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँ **मुंबई, कोलकाता और चेन्नई** जैसे शहरी केंद्रों में केंद्रित थीं।

- **स्वतंत्रता के बाद और प्रारंभिक दशक (1947-1980)**
  - **राज्य संचालित विकास:** सरकार ने **शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग, बीमा और परिवहन** जैसी सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने में **महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (**जैसे, LIC, SBI जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक**) की स्थापना से **वित्तीय और प्रशासनिक सेवाएँ सुदृढ़** हुईं।

- **कृषि और औद्योगिक फोकस:** सेवा क्षेत्र के विकास के बावजूद, **पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि और औद्योगीकरण पर बल** दिया गया।
  - सकल घरेलू उत्पाद में सेवा **क्षेत्र का मामूली योगदान, लगभग 30% था,** जिसमें निम्न उत्पादकता वाली पारंपरिक सेवाओं का प्रभुत्व था।

- **आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण (वर्ष 1991 के बाद)**
  - **1991 के आर्थिक सुधार:** उदारीकरण नीतियों ने व्यापार, विदेशी निवेश और निजी उद्यम पर प्रतिबंध हटा दिये।
    - **IT और IT-सक्षम सेवा (ITES) उद्योग** एक **परिवर्तनकारी उद्योग के रूप में उभरा** है।
    - **इंफोसिस, TCS और Wipro** जैसी कंपनियाँ **सॉफ्टवेयर सेवाओं में वैश्विक अग्रणी** बन गईं।
    - भारत के कुशल, अंग्रेज़ी बोलने वाले कार्यबल और लागत लाभ के कारण **BPO (बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग)** और **KPO (नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग) क्षेत्र का विकास** हुआ।
  - **वित्तीय एवं व्यावसायिक सेवाओं का विकास:** बैंकिंग, बीमा और शेयर बाज़ार क्षेत्रों के उदारीकरण ने विस्तार को बढ़ावा दिया।
    - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की सेवा करने वाली **कानूनी, परामर्शदाता और लेखा फर्मों** का उदय हुआ।
  - **पर्यटन और आतिथ्य: घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन** में संवृद्धि ने **अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान** दिया।

- **वर्तमान रुझान (2000 के दशक से आगे)**
  - **सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख भूमिका:** सेवा क्षेत्र **भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5-60% का योगदान** देता है, लेकिन **केवल 32% कार्यबल को ही रोज़गार** देता है।
  - **विविध उप-क्षेत्र:**
    - **IT और डिजिटल सेवाएँ:** भारत एक **वैश्विक IT पावरहाउस** है, जो विश्व भर में सॉफ्टवेयर और डिजिटल सॉल्यूशन प्रदान करता है।
    - **दूरसंचार: इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं के तेज़ी से प्रसार** के साथ, भारत दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्त्ता आधार बन गया है।
    - **ई-कॉमर्स: फ्लिपकार्ट, अमेज़न और जोमैटो** जैसी कंपनियों ने **खुदरा और सेवा वितरण में क्रांति** ला दी है।
    - **स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा: निजी अस्पतालों और विश्वविद्यालयों की वृद्धि ने भारत को चिकित्सा पर्यटन एवं वैश्विक शिक्षा सेवाओं का केंद्र बना दिया** है।
    - **मीडिया और मनोरंजन: बॉलीवुड, OTT प्लेटफॉर्म** एवं **खेल प्रसारण** GDP में महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता के रूप में उभरे हैं।

सेवा-आधारित विकास भारत के आर्थिक विकास के किस प्रकार उत्प्रेरक सिद्ध हो सकता है?

- **उभरते क्षेत्रों में रोज़गार सृजन:** सेवा क्षेत्र, **विशेष रूप से IT, डिजिटल प्लेटफॉर्म** और **ई-कॉमर्स** अपने बड़े, कुशल कार्यबल का लाभ उठाते हुए भारत में रोज़गार संवृद्धि के प्राइमरी इंजन के रूप में स्थापित हुए हैं।
  - यह विभिन्न **कौशल क्षेत्रों में अवसर** प्रदान करता है, तथा **बेरोज़गारी और अल्परोज़गार को कम करता है।**
  - उदाहरण के लिये, **IT-BPM क्षेत्र में 5.4 मिलियन पेशेवर** कार्यरत हैं (मार्च, 2023 तक), और भारत की गिग इकॉनमी वर्ष **2030 तक 23.5 मिलियन श्रमिकों तक** पहुँचने की उम्मीद है।
- **डिजिटल सेवाओं में वैश्विक नेतृत्व:** IT और उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त इसे डिजिटल सॉल्यूशन के लिये वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करती है, जो आर्थिक विकास को समर्थन प्रदान करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **AI, ब्लॉकचेन** और **क्लाउड कंप्यूटिंग** जैसे क्षेत्र निर्यात को रणनीतिक महत्त्व देते हैं।
- भारत का IT-BPM राजस्व सत्र 2023-24 में **245 बिलियन डॉलर** था, और UPI ने **देश में डिजिटल भुगतान में क्रांति** ला दी है।

- **स्मार्ट सेवाओं के माध्यम से शहरी विकास:** सेवा-आधारित शहरी समाधान **यातायात प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी शहरीकरण चुनौतियों का समाधान** करते हैं, तथा सतत् विकास को बढ़ावा देते हैं।
  - स्मार्ट सिटीज़ जैसी परियोजनाएँ **शहरी जीवन-यापन को बेहतर** बनाती हैं तथा **बुनियादी अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा** देती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **100 स्मार्ट शहरों में 84,000 से अधिक CCTV निगरानी** कैमरे लगाए गए हैं, जिससे **अपराध निगरानी, शहरी सुरक्षा** और **दक्षता** में सुधार करने में मदद मिली है।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण समावेशन: डिजिटल सेवाएँ** ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बैंकिंग तक अभिगम को लोकतांत्रिक बनाती हैं, जिससे **क्षेत्रीय असमानताएँ कम होती हैं।**
  - ये मंच ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाते हैं और उन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकृत करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, भारत में टेलीमेडिसिन बाज़ार सत्र 2020-25 की अवधि के लिये **31% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने की उम्मीद** है, जबकि PMGDISHA के तहत 47.8 मिलियन ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर के रूप में प्रमाणित किया गया है।
- **पर्यावरणीय स्थिरता के लिये हरित सेवाएँ: हरित वित्त और नवीकरणीय ऊर्जा परामर्श** जैसी स्थिरता-केंद्रित सेवाएँ जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - वे आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए **स्वच्छ ऊर्जा में निवेश** को बढ़ावा देते हैं।
  - सरकार ने वित्त वर्ष 2024 में 20,000 करोड़ रूपए मूल्य के सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड **की नीलामी** की और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से वर्ष 2030 तक 6 लाख नौकरियाँ सृजित होने का अनुमान है, **जो ग्रीन जॉब्स मॉडल** को दर्शाता है।
- **स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से मानव पूंजी विकास:** स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवाओं का विस्तार एक **स्वस्थ, कुशल कार्यबल को बढ़ावा** देता है, जो **दीर्घकालिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण** है।
  - एडटेक और स्वास्थ्य योजनाएँ अभिगम और परिणामों में बदलाव ला रही हैं।
  - स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार हुआ है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों से 42 करोड़ से अधिक **स्वास्थ्य रिकॉर्ड** जोड़े गए हैं, जिससे चिकित्सा इतिहास तक आसान अभिगम संभव हो रहा है। इसके अतिरिक्त भारत का **एडटेक मार्केट वर्ष 2023 में 5 बिलियन डॉलर** तक पहुँच गया है, जिससे सेवा वितरण एवं गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
- **फिनटेक के माध्यम से वित्तीय समावेशन:** फिनटेक नवाचार बैंकिंग में क्रांति ला रहे हैं, वित्तीय अभिगम सुनिश्चित कर रहे हैं और आर्थिक असमानताओं को कम कर रहे हैं।
  - यह **डिजिटल परिवर्तन** बचत और औपचारिक आर्थिक गतिविधि को बढ़ाता है।
  - यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) **लेन-देन** वित्त वर्ष 2017-18 में 92 करोड़ से बढ़कर **वित्त वर्ष 2023-24 में 13,116 करोड़ हो गया है** और PM जन-धन योजना खाते **अगस्त 2023 में 500 मिलियन को पार कर गए हैं,** जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है।
- **सेवा निर्यात से व्यापार संतुलन को बढ़ावा:** सेवा निर्यात **भारत के वस्तु व्यापार घाटे की भरपाई और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये महत्त्वपूर्ण** है।
  - IT और व्यावसायिक सेवाओं में भारत की मज़बूत पकड़ इस रणनीति का आधार है।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, भारत का सेवा निर्यात सत्र **2022-23 (वित्त वर्ष**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

23) में रिकॉर्ड 26.6% बढ़कर 322 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जिससे वस्तु व्यापार घाटे की भरपाई हुई और भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति मज़बूत हुई।

- **PPP के माध्यम से बुनियादी अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देना:** लॉजिस्टिक्स और परिवहन जैसी सेवाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) बुनियादी अवसंरचना के विकास को बढ़ाती है, तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देती है।
  - **17 बिलियन डॉलर के निवेश** के साथ दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स सेवाओं को एकीकृत करता है, जिससे आर्थिक उत्पादकता बढ़ती है।
    - ऐसी पहल **संधारणीय विकास रणनीतियों को आधार** प्रदान करती हैं।

भारत के लिये सेवा-आधारित विकास मॉडल से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **सेवा क्षेत्र में बेरोज़गारी वृद्धि:** यद्यपि सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद पर हावी है, लेकिन **बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन** करने की इसकी क्षमता **कृषि और विनिर्माण की तुलना में सीमित** है।
  - अधिकतर नौकरियाँ या तो कम वेतन वाली हैं या फिर उनके लिये विशेष कौशल की ज़रूरत होती है, जिससे असमानताएँ बढ़ती हैं। सेवा क्षेत्र **भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग आधे का योगदान देता है,** लेकिन यह **अपने कार्यबल के केवल एक-तिहाई हिस्से को ही रोज़गार** देता है।
    - इसके अतिरिक्त, **भारत की बेरोज़गारी दर 8.1% (CMIE, अप्रैल 2024)** है, जो रोज़गार सृजन और कार्यबल की मांग के बीच असंतुलन को दर्शाती है।
- **विनिर्माण और कृषि पर ध्यान का अभाव: सेवाओं पर अत्यधिक बल देने से विनिर्माण और कृषि से ध्यान हट जाता है, जो बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन एवं ग्रामीण विकास** के लिये आवश्यक क्षेत्र हैं।
  - आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, **भारत का कार्यबल लगभग 56.5 करोड़** है, जिसमें से **45% से अधिक कृषि में** और **11.4% विनिर्माण में कार्यरत** हैं।
  - केवल सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने से **असमान क्षेत्रीय विकास होगा, जिससे समग्र आर्थिक विकास प्रभावित होगा।**
- **विषम क्षेत्रीय विकास:** सेवा-आधारित विकास अनुपातहीन रूप से **शहरी क्षेत्रों में केंद्रित** है, जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र अविकसित रह जाते हैं।
  - इससे क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न होता है और ग्रामीण गरीबी बढ़ती है।
  - उदाहरण के लिये, **कर्नाटक के IT निर्यात** (बंगलुरु जैसे शहरों के नेतृत्व में) **में 27% की प्रभावशाली संवृद्धि** हुई, जिससे **भारत के IT निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी बढ़कर 42%** हो गई।
    - NITI आयोग के अनुसार **बिहार और झारखंड जैसे राज्य** कृषि पर निर्भर हैं, जहाँ गरीबी क्रमशः **33.76%** और **28.81%** है।
- **बाह्य मांग पर निर्भरता:** भारत का सेवा निर्यात, विशेषकर **IT और BPO,** वैश्विक बाज़ारों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिससे अर्थव्यवस्था **अमेरिका या यूरोपीय संघ में मंदी जैसे बाह्य झटकों के प्रति संवेदनशील** हो जाती है।
  - इस तरह की निर्भरता **वैश्विक मांग में अस्थिरता** के लिये इस क्षेत्र को उजागर करती है। **निर्मल बंग सिक्योरिटीज़** की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत की मज़बूत आर्थिक स्थिति के बावजूद, देश संभावित अमेरिकी मंदी से पूरी तरह से अछूता नहीं है।
    - यहाँ तक कि "सामान्य" आर्थिक परिस्थितियों में भी, **वैश्विक आर्थिक दबावों ने भारत की घरेलू संवृद्धि को लगभग 1.5-2.5% तक धीमा** कर दिया है, जिसका अर्थ है कि **अमेरिका में मंदी का भारत की अर्थव्यवस्था पर और अधिक प्रभाव** पड़ सकता है।
- **कौशल अंतराल और कार्यबल बेमेल:** कार्यबल के कौशल और उद्योग की मांग के बीच संरेखण की कमी सेवा क्षेत्र की मापनीयता को सीमित करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यद्यपि इस क्षेत्र में तकनीक-प्रेमी और उच्च-कुशल पेशेवरों की मांग है, फिर भी भारत की अधिकांश श्रम शक्ति अर्द्ध-कुशल बनी हुई है।
- भारत के ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स-2023 से पता चला है कि रोज़गार अभ्यर्थी भारतीय स्नातकों में से **केवल 45% के पास** उद्योगों की तेज़ी से विकसित हो रही मांगों को पूरा करने के लिये **आवश्यक कौशल** हैं।
- NSSO के 68वें दौर के अनुसार, **भारत के केवल 4.69% कार्यबल को औपचारिक कौशल प्रशिक्षण** प्राप्त हुआ है, जबकि **अमेरिका में यह 52%, ब्रिटेन में 68%** और **जर्मनी में 75%** है।

- **शहरी भीड़भाड़ और बुनियादी अवसंरचना पर दबाव:** सेवा-आधारित शहरीकरण के कारण प्रमुख शहरों में भीड़भाड़, यातायात की भीड़भाड़ और अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना की समस्या उत्पन्न हो गई है।
  - इससे उत्पादकता और जीवनयापन में कमी आती है। उदाहरण के लिये, **बंगलुरु** को **विश्व स्तर पर दूसरा सबसे खराब यातायात वाला शहर** माना गया है।
  - भारत में वर्तमान में **35% शहरी आबादी** है, अनुमान है कि **वर्ष 2047 तक यह आँकड़ा बढ़कर 53% हो जाएगा।** इसका मतलब है कि शहरी आबादी लगभग दोगुनी हो जाएगी, **अतिरिक्त 400 मिलियन लोग शहरों की ओर रूख करेंगे,** जिससे शहरी सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ेगा।
- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बहिष्कार:** अनौपचारिक क्षेत्र, जो **90% से अधिक कार्यबल को रोज़गार** देता है, सेवा-आधारित विकास मॉडल के लाभों से बहुत हद तक बाहर रखा गया है।
  - इससे असुरक्षा की स्थिति बनी रहती है तथा श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा और आय स्थिरता का अभाव रहता है।
  - उदाहरण के लिये, **स्विगी और उबर** जैसे प्लेटफॉर्म के उदय के बावजूद, गिग वर्कर्स को अधिक काम के बावजूद **वेतन शोषण का सामना** करना पड़ता है **(77% से अधिक लोग सालाना 2.5 लाख रुपए से कम अर्जित कर पाते हैं)।**
    - हाल ही में भारत के 32 शहरों में किये गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि **85% गिग वर्कर्स ड्राइवर और राइडर के रूप में प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक काम करते हैं,** तथा **21% कर्मचारी प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक काम** करते हैं।
- **सेवाओं की कम घरेलू खपत:** सेवा-आधारित विकास बहुत हद तक निर्यात पर निर्भर करता है, क्योंकि निम्न आय स्तर और अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना के कारण सेवाओं की घरेलू खपत सीमित रहती है।
  - उदाहरण के लिये, कम घरेलू मांग के कारण मई 2024 में भारत के सेवा क्षेत्र की संवृद्धि धीमी पड़ गई, तथा **क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) गिरकर 60.2 पर आ गया।**

भारत सेवा-आधारित विनिर्माण और कृषि विकास को आगे बढ़ाते हुए सेवा क्षेत्र के विकास को किस प्रकार कायम रख सकता है?

- **कौशल विकास और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना:** भारत को कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योग की मांगों के अनुरूप बनाना होगा, ताकि सेवाओं और विनिर्माण दोनों क्षेत्रों में कार्यबल के अंतर को कम किया जा सके।
  - **स्किल इंडिया** और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना **(PMKVY)** जैसी पहलों के तहत निजी भागीदारों के साथ सहयोग करके रोज़गारपरकता और मापनीयता सुनिश्चित की जा सकती है।
  - उदाहरण के लिये, **इंफोसिस जैसी दिग्गज़ IT कंपनियों के साथ साझेदारी से युवाओं को डिजिटल प्रौद्योगिकियों में कौशल प्रदान किया जा सकता है, IT सेवाओं को समर्थन** दिया जा सकता है, जबकि उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन **(PLI) योजनाओं के तहत** उन्नत विनिर्माण तकनीकों में प्रशिक्षण से **औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा** मिल सकता है।
- **एकीकृत कृषि प्रसंस्करण और सेवा केंद्रों का विकास:** लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सेवाओं के साथ एकीकृत कृषि

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रसंस्करण क्लस्टरों की स्थापना से कृषि में मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा मिल सकता है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक बाज़ारों से जोड़ा जा सकता है।

- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (PMFME) जैसी पहल, e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) के साथ मिलकर ऐसे केंद्र बना सकती हैं।
- उदाहरण के लिये, किसानों को खरीददारों से जोड़ने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यकुशलता बढ़ा सकते हैं, जबकि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ ग्रामीण रोज़गार सृजन कर सकती हैं तथा निर्यात को बढ़ावा दे सकती हैं।

- **शहरी-ग्रामीण संपर्क के लिये स्मार्ट बुनियादी अवसंरचना में निवेश:** ग्रामीण सड़कों, कोल्ड चेन और वेयरहाउसिंग सहित स्मार्ट बुनियादी अवसंरचना का निर्माण, ग्रामीण कृषि उत्पादन को शहरी सेवा एवं विनिर्माण उद्योगों से जोड़ सकता है।
  - लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये PM गति शक्ति और **रूर्बन मिशन** के अभिसरण से इन अंतरालों को दूर किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये, सुविकसित लॉजिस्टिक्स नेटवर्क **पंजाब जैसे खाद्य अधिशेष वाले राज्यों को शहरी बाज़ारों से जोड़ सकता है,** जिससे बर्बादी में कमी आ सकती है और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता बढ़ सकती है।
- **डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ MSME समर्थन को बढ़ावा:** यदि डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से समर्थन दिया जाए तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य कर सकते हैं।
  - **पंजीकरण में सुविधा के लिये उद्यम पोर्टल** जैसे प्लेटफॉर्म का विस्तार, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के साथ मिलकर, छोटे व्यवसायों को मुख्यधारा की आपूर्ति श्रृंखलाओं में लाया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये, छोटे निर्माताओं को डिजिटल बनाने से वे आतिथ्य या IT जैसे बड़े **सेवा उद्योगों को कल-पुर्जे आपूर्ति करने में सक्षम** हो सकते हैं।
- **कृषि और ग्रामीण ऋण के लिये फिनटेक का लाभ उठाना:** फिनटेक नवाचारों का उपयोग करते हुए वित्तीय पहुँच का विस्तार करके किसानों और ग्रामीण उद्यमों को आधुनिक कृषि एवं कृषि-व्यवसाय में निवेश करने के लिये आवश्यक ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।
  - **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)** जैसी योजनाओं को **किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटलीकरण** जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ मिलाकर निर्बाध ऋण वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये, ग्रामीण ऋण के साथ **AI-आधारित जोखिम मूल्यांकन उपकरणों को एकीकृत करने से** NPA में कमी आ सकती है और किसानों को उच्च उपज तकनीक अंगीकरण के लिये सशक्त बनाया जा सकता है।
- **ग्रामीण रोज़गार के लिये पर्यटन और आतिथ्य को बढ़ावा देना:** होमस्टे कार्यक्रमों, सांस्कृतिक सर्किटों और इको-टूरिज़्म के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने से रोज़गार के अवसरों के सृजन हो सकते हैं, साथ ही ग्रामीण विरासत को संरक्षित किया जा सकता है।
  - स्वदेश दर्शन और प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) जैसी योजनाएँ कारीगरों व छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिये सहयोग कर सकती हैं।
  - उदाहरण के लिये, उत्तराखंड में इको-टूरिज़्म परियोजनाएँ स्थानीय लोगों को स्थायी आय प्रदान करती हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही कृषि को आतिथ्य से जोड़ती हैं।
- **विनिर्माण को समर्थन देने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा सेवाओं को बढ़ावा देना:** नवीकरणीय ऊर्जा सेवाओं को बढ़ाने से विनिर्माण और कृषि के लिये संधारणीय एवं कम लागत वाली बिजली उपलब्ध हो सकती है।
  - KUSUM (सौर सिंचाई) और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसी योजनाएँ ग्रामीण उद्यमों के लिये ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सहयोग कर सकती हैं।
  - उदाहरण के लिये, सौर ऊर्जा चालित शीत भण्डारण, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं तथा लघु कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को भी सहायता प्रदान कर सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को सुदृढ़ करना:** PPP के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करने से सेवाओं और विनिर्माण दोनों में प्रगति हो सकती है।
  - स्टार्टअप इंडिया के तहत इंडस्ट्रियल पार्क के साथ नवाचार केंद्रों की स्थापना से **स्वचालन, कृषि-तकनीक और लॉजिस्टिक्स** में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **विश्वविद्यालयों और महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस जैसी कंपनियों के बीच साझेदारी** से किफायती कृषि मशीनरी बनाई जा सकती है, तथा कृषि परिवर्तन के लिये विनिर्माण के साथ सेवाओं का सम्मिश्रण किया जा सकता है।
- **दक्षता के लिये आपूर्ति श्रृंखलाओं को डिजिटल बनाना:** भारत ब्लॉकचेन और IoT जैसे डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाकर कृषि, विनिर्माण एवं सेवाओं में आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित कर सकता है।
  - **PM गति शक्ति** जैसी योजनाएँ रियल टाइम ट्रैकिंग और वितरण में सुधार के लिये तकनीकी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत हो सकती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **कृषि निर्यात में ब्लॉकचेन-सक्षम ट्रेसेबिलिटी** वैश्विक गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित कर सकती है, जिससे **किसानों और निर्यातकों दोनों को लाभ** होगा।
- **कौशल और सेवा एकीकरण के माध्यम से निर्यात क्षमता का विस्तार:** विनिर्माण को लॉजिस्टिक्स, वित्त और IT जैसी उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं के साथ एकीकृत करने से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ सकती है।
  - सेवा निर्यात के लिये PLI प्रोत्साहनों को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) **नीतियों के साथ संरेखित करने से वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी उद्योग सृजित हो सकते हैं।**
  - उदाहरण के लिये, दवा विनिर्माण को नियामक परामर्श सेवाओं के साथ संयोजित करने से नवोदित बाज़ारों तक अभिगम में मदद मिल सकती है।
- **सेवाओं और कृषि में महिला सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करना:** यदि महिलाओं को शिक्षा, ऋण और उद्यमशीलता के अवसरों तक पहुँच में सहायता प्रदान की जाए तो वे ग्रामीण आर्थिक विकास को गति दे सकती हैं।
  - **दीनदयाल अंत्योदय योजना** के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (SHG) **को** डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ने से महिला किसानों और सेवा प्रदाताओं को सशक्त बनाया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **गुजरात में महिलाओं के नेतृत्व वाली डेयरी सहकारी समितियों ने** कृषि और सेवाओं के बीच तालमेल प्रदर्शित करते हुए **अमूल की सफलता** में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

निष्कर्ष:

भारत की **सेवा-आधारित संवृद्धि** सतत् आर्थिक विकास के लिये एक आशाजनक मार्ग प्रदान करती है, जो **SDG 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास)** एवं **SDG 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी अवसंरचना) के साथ संरेखित** है। डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाकर, कौशल विकास में सुधार करके और ग्रामीण एवं शहरी संपर्कों के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देकर, भारत मौजूदा असमानताओं व क्षेत्रीय विषमताओं को दूर कर सकता है। साथ ही, समग्र और दीर्घकालिक विकास के लिये कृषि एवं विनिर्माण के साथ सेवाओं के विकास को संतुलित करने की भी आवश्यकता बनी हुई है।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

अभ्यास प्रश्न

1. भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर बढ़ती निर्भरता के साथ, देश को उभरते साइबर खतरों से बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे उभरते साइबर जोखिमों के विरुद्ध भारत की आघातसहनीयता बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जाने चाहिये?
2. भारत के कृषि क्षेत्र के संदर्भ में MSP को विधिसम्मत बनाने के संभावित लाभों और चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइये।
3. वैश्विक सुरक्षा गतिशीलता के संदर्भ में भारत के लिये उभरते परमाणु खतरों का मूल्यांकन कीजिये। इन जोखिमों को कम करने के लिये भारत को कौन से रणनीतिक उपाय अपनाने चाहिये?
4. अनेक विनियामक उपायों के बावजूद, भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को अभी भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन में प्रमुख मुद्दों का अभिनिर्धारण करते हुए चर्चा कीजिये।
5. "भारत में जल कुप्रबंधन इसकी सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता के लिये एक बड़ा खतरा बन गया है।" इसके परिणामों और इस चुनौती से निपटने के लिये आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिये।
6. भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो गई है, फिर भी फंडिंग की कमी, विनियामक बाधाएँ और सीमित नवाचार जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। चर्चा कीजिये।
7. भारत में मृदा क्षरण के प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिये और इससे निपटने के लिये वर्तमान सरकारी उपायों की प्रभावशीलता का आकलन कीजिये। मृदा स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने और संधारणीय कृषि सुनिश्चित करने के लिये अतिरिक्त रणनीतियाँ सुझाइये।
8. "वैश्विक शासन में लघुपक्षवाद एक प्रमुख दृष्टिकोण के रूप में उभर रहा है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के लिये लचीला व केंद्रित समाधान प्रस्तुत करता है"। मिनीलेटरल फ्रेमवर्क के लाभ और सीमाओं पर चर्चा कीजिये।
9. वैश्विक मानकों को पूरा करने में भारत के विनिर्माण क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये?
10. "भारत में समतापूर्ण और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) आवश्यक है।" UHC प्राप्त करने में चुनौतियों पर चर्चा करते हुए सभी के लिये स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता, अभिगम और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइये।
11. भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ONOE) को लागू करने के संभावित लाभों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। एक राष्ट्र, एक चुनाव के संबंध में भारत अन्य देशों से क्या सीख सकता है?
12. भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक पहचान पर वैश्वीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिये। भारत को इसके लाभों का दोहन करने और इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिये क्या उपाय अपनाने चाहिये।
13. भारत में पर्यटन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का परीक्षण कीजिये। इस क्षेत्र के सामने क्या चुनौतियाँ हैं और सरकार व निजी अभिकर्त्ता उनका समाधान करने के लिये किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं?
14. "यद्यपि पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) फ्रेमवर्क भारत के सतत् विकास के लिये आवश्यक है, फिर इसके प्रभावी कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं।" भारत के लिये ESG के महत्त्व पर चर्चा कीजिये और मौजूदा बाधाओं को दूर करने के उपाय सुझाइये।
15. भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और तैनाती से जुड़े कानूनी परिदृश्य का परीक्षण किया जाना चाहिये। यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय लागू किये जा सकते हैं कि AI प्रौद्योगिकियों का ज़िम्मेदारी से उपयोग किया जाए?
16. भारत में दवाओं की गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता सुनिश्चित करने में विनियामक निकायों और नीतियों की भूमिका का परीक्षण कीजिये। मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क के आलोक में दवा उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

17. "भारत-रूस संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, लेकिन बदलती वैश्विक गतिशीलता इस साझेदारी के लिये नई चुनौतियाँ और अवसर प्रस्तुत करती है।" चर्चा कीजिये।
18. भारत के लिये खाड़ी क्षेत्र के महत्त्व पर चर्चा करें तथा क्षेत्रीय चुनौतियों के बीच इस साझेदारी को मजबूत करने के लिये रणनीति सुझाएँ
19. "भारत का हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण, जलवायु परिवर्तन और सतत्त विकास दोनों को संबोधित करने के लिये आवश्यक माना जाता है।" इस संक्रमण को प्राप्त करने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करें।
20. भारत में ग्रामीण विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, तथा सतत् एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?
21. भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को लागू करने के संभावित लाभों और चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति और वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता के लिये इसके निहितार्थों पर चर्चा कीजिये।
22. भारत के आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये, प्रमुख नीतिगत सुधारों, मौजूदा चुनौतियों और बढ़ती जलवायु भेद्यताओं के संदर्भ में आपदा समुत्थानशीलन को सुदृढ़ करने के संभावित उपायों पर प्रकाश डालिये।
23. भारत के आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये, प्रमुख नीतिगत सुधारों, मौजूदा चुनौतियों और बढ़ती जलवायु भेद्यताओं के संदर्भ में आपदा समुत्थानशीलन को सुदृढ़ करने के संभावित उपायों पर प्रकाश डालिये।
24. पारिस्थितिकी संतुलन, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विरासत के लिये वन महत्त्वपूर्ण हैं। भारत में वन संरक्षण के समक्ष आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये तथा जलवायु परिवर्तन एवं विकास के दबावों के मद्देनजर उनके सतत् प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएँ।
25. भारत में महिलाओं के समक्ष कौन-सी प्रमुख सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएँ हैं, तथा लिंग-संवेदनशील नीति-निर्माण से किस प्रकार इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है?
26. भारत में आर्थिक विकास के लिये सेवा-आधारित विकास को संभावित उत्प्रेरक के रूप में पहचाना गया है। भारत के आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में सेवा क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा करते हुए सतत् विकास को प्राप्त करने में इसके द्वारा प्रस्तुत अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :